

						दुग्ध समिति गठन कर 2500 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उपाजन में वृद्धि की जायेगी।	40022 लीटर/दिनदुग्ध उपाजन।	उपरोक्त	उपरोक्त
3.	सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की सीपना	राज्य के परिप्रेक्ष्य में दुग्ध उत्पादकों को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से सम्बन्धित जानकारियां उपलब्ध कराना।	-	4000	Goal-1 प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	जनपद नैनीताल में सहकारी प्रशिक्षण संस्थान व छात्रावास के अन्तर्गत अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे।	कुल प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या 411	-	-
4.	दुग्धशाला का सुदृढीकरण	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दुग्धशालाओं का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार करना।	-	5000	Goal-1 1-दुग्ध प्रसंस्करण व अवशीतन क्षमता	विभिन्न जनपदों की दुग्धशालाओं में एफल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट का सुदृढीकरण।	2.55 लाख ली0/दिन एवं 1.27 लाख ली0/दिन	दुग्ध संघ के वार्षिक टर्न ओवर में वृद्धि।	04 वर्ष
					Goal-2 1- नगरीय क्षेत्रों में तरल दूध की आपूर्ति	प्रसंस्करण क्षमता के विस्तारीकरण उपरान्त दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।	162151 लीटर प्रतिदिन।	उपरोक्त।	
5.	दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन	ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा दुग्ध समिति में उपलब्ध कराये जा रहे दूध के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाना।	200000	-	Goal-1 1. पोरर सदस्यों की संख्या में वृद्धि	52 हजार दुग्ध उत्पादक सदस्यों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।	दुग्ध उत्पादकों - 51516	1. अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों से जोडना। 2. ग्राम स्तर पर पशुपालन हेतु प्रोत्साहित करना	विगत वर्ष के सापेक्ष दुग्ध उपाजन में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि।
					Goal-2 1-दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	518 दुग्ध समितियां गठित/पुर्न गठित कर कुल 3210 दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध उपाजन में 10 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की जायेगी।	2692 कार्यरत दुग्ध समितियों के माध्यम से 183141 लीटर दुग्ध उपाजन प्रतिदिन	उपरोक्त	-
6.	गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना	ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन करना।	50000	-	Goal-1 1-महिला लाभार्थियों हेतु रोजगार सृजन की संख्या 2-महिला दुग्ध उत्पादकों की औसत वार्षिक आय में वृद्धि।	दुग्ध सहकारी समितियों की 2000 महिला सदस्यों को उच्च नस्ल दुधारू गाय उपलब्ध कराते हुए रोजगार सृजन किया जायेगा।	1043 महिला सदस्य	1. ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना। 2. दुग्ध समितियों के अन्तर्गत उपाजन में वृद्धि करना।	-
					Goal-2	जनपदीय दुग्ध संघों में कुल 10 हजार लीटर प्रतिदिन अतिरिक्त दूध प्राप्त होगा।	-	उपरोक्त	

7.	दुग्ध संघ कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना	रूग्ण दुग्ध संघोंके कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान कर सम्बन्धित दुग्ध संघों के आवृत्ति व्यय में स्थायी कमी करना।	20000	—	Goal-1 दुग्ध संघ की आय में वृद्धि।	रूग्ण दुग्ध संघों के कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जायेगी।	32	रूग्ण दुग्ध संघों के आवृत्ति व्यय में स्थायी कमी होने के कारण दुग्ध संघ लाभ की ओर अग्रसर होंगे।	—
----	--	---	-------	---	--	---	----	---	---

8.	नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित RIDF योजना	राज्य में गठित दुग्ध संघों एवं उनके दुग्ध अवशीतन केन्द्रों का सुदृढीकरण, उच्चीकरण एवं नये दुग्ध अवशीतन केन्द्रों की स्ीपना।	40000	—	Goal-1 दुग्ध संघ की क्षमता में विस्तार एवं उत्पादित दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार	13 दुग्ध अवशीतन केन्द्रों का सुदृढीकरण, उच्चीकरण एवं 03 नये दुग्ध अवशीतन केन्द्रों की स्ीपना की जायेगी।	13	1. दुग्ध संघों द्वारा उत्पादित दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार होगा। 2. दुग्ध संघों की आय में वृद्धि होगी।	02 वर्ष
----	---------------------------------------	---	-------	---	--	---	----	--	---------

नई योजना

9.	साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना	दुग्ध सहकारी समितियों सदस्यों द्वारा पाले जा रहे दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे के विकल्प के रूप में उच्च गुणवत्ता युक्त कार्न साईलेज उपलब्ध कराना।	30000	—	Goal-1 दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों के पशुओं हेतु हरे चारे की कमी को पूरा करना।	दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को 10 हजार मै0टन साईलेज उपलब्ध कराया जायेगा।	—	1. दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। 2. पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा। 3. ग्रामीण महिलाओंके समय में बचत होगी।	01 वर्ष
10.	पशुचारा परिवहन अनुदान योजना	दुग्ध सहकारी समितियों सदस्यों द्वारा पाले जा रहे दुधारू पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता के सन्तुलित पशुचारे की वर्ष पर्यन्त व्यवस्था किया जाना।	50000	—	Goal-1 दुधारू पशुओं को उच्च गुणवत्ता का सन्तुलित पशुचारा उपलब्ध कराकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।	दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों हेतु 10 हजार मै0टन साईलेज तथा 15 हजार मै0 टन पशुआहार ढुलान किया जायेगा।	—	1. वर्ष पर्यन्त उच्च गुणवत्ता का पशुचारा उचित दर पर उपलब्ध होगा। 2. दुग्ध उत्पादन तथा किसान की आय में वृद्धि होगी।	01 वर्ष
11.	डेशी विकास निदेशालय निर्माण कार्य	निदेशक डेशी विकास विभाग का अपना कोई कार्यालय भवन उपलब्ध नहीं है, कार्यालय भवन की स्थापना।	—	10000	Goal-1 निदेशालय भवन विभागीय होने पर कार्मिकों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा।	कार्मिकों एवं अधिकारियों की कार्यक्षमता एवं कार्य हेतु उचित वातावरण का निर्माण किया जायेगा।	—	अपना कार्यालय भवन होने पर कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।	02 वर्ष

1.	ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण	ग्राम स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियों गठित कर स्वरोजगार के साधन सुलभ कराना।	—	—	Goal-1	दुग्ध उत्पादक सदस्यों के दुधारू पशुओं हेतु 55 हजार पशु औषधि, 45 हजार टीकाकरण, 18 हजार डिवर्मिंग एवं 18 हजार मै0 टन सन्तुलित पशुआहार रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा।	—	दुधारू पशुओं को सन्तुलित पशुआहार तथा पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने से पशु स्वास्थ्य में सुधार तथा दुग्ध उत्पादन एवं उपार्जन में वृद्धि होगी।	
----	---	---	---	---	--------	--	---	--	--

केन्द्रपोषित योजना									
1.	राष्ट्रीय डेरी विकास योजना	दुग्ध सहकारी समितियों में अवस्थापना विकास।	31400	—	—	1. दुग्ध समितियों में डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट की स्थापना। 2. पर्वतीय क्षेत्रों की दुग्ध समितियों में रेफ्रिजरेटेड मिल्क कैन की स्थापना। 3. दूध की कोल्ड चैन बनाये रखने हेतु रेफ्रिजरेटेड/इन्सुलेटेड मिल्क वैन, डीप फ्रिज तथा विजी कूलर स्थापित किये जायेंगे।	1. 681 डी0पी0एम0सी0यू0 2. 388 रेफ्रिजरेटेड मिल्क कैन। 3. 170 डीप फ्रिज/विजी कूलर।	1. दुग्ध उत्पादको की आय में वृद्धि होगी। 2. दूध की गुणवत्ता में सुधार होगा। 3. दुग्ध संघ के लाभ में वृद्धि होगी।	कार्य प्रगति पर

दून विश्व विद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0 – 04
(धनराशि लाख रुपये में)

अनुदान स0-11

क्र स	योजना का नाम व उद्देश्य	योजना का उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट/इड) आउटपुट 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट/इड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत			
1.	दून विश्वविद्यालय का अधिष्ठान व्यय दून विश्वविद्यालय में छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना	अधिष्ठान व्यय मद संख्या-05	1265.00		कुल 101 फ़ैकल्टी व 91 अन्य पदों पर वेतनादि व्यय, सप्तम वेतनमान के अनुरूप। दून विश्वविद्यालय के विभिन्न 08 स्कूलों यथा पर्यावरण विज्ञान स्कूल, मैनेजमेन्ट स्कूल, लैंग्वेज स्कूल (विदेशी भाषा कार्यक्रम), जनसंचार स्कूल, सामाजिक विज्ञान स्कूल, फिजिकल साइंस स्कूल, टेक्नोलाजी स्कूल, डिजाइन स्कूल, के विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों में लगभग 2200 छात्र/छात्राओं के पंजीकरण /शिक्षणरत होना प्रस्तावित है।	छात्र/छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने हेतु शैक्षिक व गैर शैक्षिक कार्मिकों के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराने एवं आवश्यक सुविधाओं का निर्माण।	वित्तीय वर्ष 2020-21
2.		दून विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं को अध्ययन के क्षेत्र में कौशल, ज्ञान एवं दक्षता के साथ तैयार करना एवं विभिन्न सेवाओं में नौकरी/उद्यमिता के लिय तैयार करना। मद संख्या-56	323.73		लैंगिक समानता व महिलाओं को उच्च शिक्षा में पर्याप्त अवसर देना। छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना विदेशी भाषा ज्ञान अर्जित कर रोजगार की सम्भावना में वृद्धि	शैक्षणिक वर्ष 2020-21	
2	नई योजनायें-	विश्वविद्यालय परिसर में डा0 नित्यानंद हिमालयीय शोध एवं अध्ययन केन्द्र का निर्माण हेतु स्वीकृत कुल धनराशि 20 करोड़ 65 लाख में से अवशेष धनराशि की आवश्यकता। मद संख्या-55	-	500.00	डा0 नित्यानंद हिमालयीय शोध व अध्ययन केन्द्र के निर्माण हेतु।		वित्तीय वर्ष 2020-21
	योग		1588.73	500.00			

सतत विकास लक्ष्य :-

क्र०सं०	SDG संकेतक	01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 को सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
1.	<p>4.3</p> <p>1. उच्च शिक्षा में नामांकन में महिला पुरुष अनुपात (लैंगिक समानता सूचकांक)</p> <p>2. छात्र शिक्षक अनुपात</p> <p>3. रोजगार सम्भावित का अनुमान</p> <p>4. वर्कशाप/सैमीनार का आयोजन</p> <p>5. परियोजनाओं का संचालन</p>	<p>(GPI) 1:1</p> <p>20:1</p> <p>06</p> <p>38</p> <p>दून विश्वविद्यालय के विभिन्न 09 स्कूलों यथा पर्यावरण विज्ञान स्कूल, मैनेजमेन्ट स्कूल, लैंग्वेज स्कूल (विदेशी भाषा कार्यक्रम), जनसंचार स्कूल, सामाजिक विज्ञान स्कूल, फिजिकल साइंस, डिजाइन स्कूल, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, भू-गर्भ शास्त्र, भूगोल के विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों में लगभग 2200 छात्र/छात्राओं के पंजीकरण/शिक्षणरत होना प्रस्तावित है।</p>	<p>1:1</p> <p>25:1</p> <p>04</p> <p>38</p> <p>1945</p>	<p>1:1</p> <p>20:1</p> <p>06</p> <p>40</p> <p>2400</p>	<p>लैंगिक समानता व महिलाओं को उच्च शिक्षा में पर्याप्त अवसर प्रदान करना।</p> <p>छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना प्लेसमेंट सेल के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना।</p> <p>विदेशी भाषा ज्ञान अर्जित करने, स्वरोजगार एवं उच्च शैक्षणिक गतिविधियों इत्यादि के अवसर प्रदान करना।</p>

आउटकम बजट 2020-21

विभाग का नाम – नागरिक उड्डयन अनुभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0
(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टडे)	परिकल्पित (प्रोजेक्टडे) आउटपुट वर्ष 20-21 प्राविधानित धनराशि	परिकल्पित (प्रोजेक्टडे) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राज्य सेक्टर राजस्व मद										
01	यूकाडा बजट 56 सहायक अनुदान	विभाग में कार्यरत समस्त संविदा स्टाफ का वेतन, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, विद्युत व्यय, कार्यालय के लिये लेखन सामग्री, फर्नीचर, टेलीफोन, वाहन क्रय, विज्ञापन, प्रशिक्षण पर व्यय, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर स्टेशनरी, वी0आई0पी0 महानुभावों के शासकीय भ्रमण एवं एयर एम्बुलेन्स हेतु लिये गये चार्टर हेलीकॉप्टर/वायुयान से सम्बन्धित व्यय एवं राजकीय हेलीकॉप्टर एवं वायुयान से सम्बन्धित अनुरक्षण/इंश्योरेंस आदि पर व्यय	1700	—	1300	1700	विभाग में कार्यरत समस्त संविदा स्टाफ का वेतन, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, विद्युत व्यय, कार्यालय के लिये लेखन सामग्री, फर्नीचर, टेलीफोन, वाहन क्रय, विज्ञापन, प्रशिक्षण पर व्यय, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर स्टेशनरी, वी0आई0पी0 महानुभावों के शासकीय भ्रमण एवं एयर एम्बुलेन्स हेतु लिये गये चार्टर हेलीकॉप्टर/वायुयान से सम्बन्धित व्यय एवं राजकीय हेलीकॉप्टर एवं वायुयान से सम्बन्धित अनुरक्षण/इंश्योरेंस आदि पर व्यय।	1500	—	12 माह
02	यूकाडा बजट 05 वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान	यूकाडा द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न विभागीय पदों पर नियमित नियुक्तियों की जानी प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्मिकों को शासनादेश संख्या 828/09 (150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.19 के अनुपालन में मानक मद 05 वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान के माध्यम से वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	—	—	—	—	यूकाडा द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न विभागीय पदों पर नियमित नियुक्तियों की जानी प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्मिकों को शासनादेश संख्या 828/09(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 25.10.19 के अनुपालन में मानक मद 05 वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान के माध्यम से वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	.01	—	12 माह

03	रिजनल कनेक्टिविटी योजना	केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रचलित आर0सी0एस0 योजना पर होने वाले व्यय।	300	—	25	300	राज्य में उड़ान योजना के अन्तर्गत जौलीग्रांट, चिन्वालीसौड, एवं गौचर की सेवायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त निकट भविष्य में 24 विभागीय हेलीपैड तथा 27 पी0आई0यू0 द्वारा ए0डी0बी0 के सहयोग से निर्मित हेलीपैडों का उपयोग भी रिजनल कनेक्टिविटी के स्कीम के अन्तर्गत किया जायेगा।	1000	पर्यटन को बढ़ावा देना एवं बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना।	12 माह
04	निदेशालय (अधिष्ठान) बजट	निदेशालय नागरिक उड्डयन में कार्यरत समस्त शासकीय स्टाफ के वेतन/मंहगाई भत्ता एवं अन्य भुगतान पर व्यय।	148	—	127	148	निदेशालय नागरिक उड्डयन में कार्यरत समस्त शासकीय स्टाफ के वेतन/मंहगाई भत्ता एवं अन्य भुगतान पर व्यय।	152.54	—	12 माह
05	आपदा खोज एवं बचाव कार्य	वर्ष 2013 में राज्य में आयी दैवीय आपदा में विभिन्न निजी हेली सेवा प्रदाता द्वारा बचाव कार्य हेतु प्रदत्त सेवाओं के सापेक्ष कुल रू0 20.71 करोड़ का व्यय हुआ, जिसका भुगतान मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त अग्रिम की धनराशि रू0 20.00 करोड़ से किया गया, उक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 17.89 करोड़ की धनराशि आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रत्यावर्तित की जानी है एवं शेष धनराशि लगभग रू0 3.00 करोड़ एवं यूकाडा द्वारा वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में आयी आपदा हेतु यूकाडा द्वारा चार्टर कम्पनियों को किये जाने वाले किये गये/किये जाने वाले भुगतान लगभग रू0 5.00 करोड़ की धनराशि कुल रू0 8.00 करोड़ के बजट की व्यवस्था हेतु।	20	—	—	20	वर्ष 2013 में राज्य में आयी दैवीय आपदा में विभिन्न निजी हेली सेवा प्रदाता द्वारा बचाव कार्य हेतु प्रदत्त सेवाओं के सापेक्ष कुल रू0 20.71 करोड़ का व्यय हुआ, जिसका भुगतान मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त अग्रिम की धनराशि रू0 20.00 करोड़ से किया गया, उक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 17.89 करोड़ की धनराशि आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रत्यावर्तित की जानी है एवं शेष धनराशि लगभग रू0 3.00 करोड़ एवं यूकाडा द्वारा वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में आयी आपदा हेतु यूकाडा द्वारा चार्टर कम्पनियों को किये जाने वाले किये गये/किये जाने वाले भुगतान लगभग रू0 5.00 करोड़ की धनराशि कुल रू0 8.00 करोड़ के बजट की व्यवस्था हेतु।	200	—	12 माह

राज्य सेक्टर पूँजीगत मद										
06	हवाई पट्टी/वाटर एरो ड्रॉम का निर्माण	टिहरी झील के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वाटर एरोड्रॉम हेतु।	—	300	—	300	टिहरी झील के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वाटर एरोड्रॉम हेतु।	500	—	12 माह
07	हैलीपैड एवं हैंगर का निर्माण	मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा हैलीपैड/हैंगर निर्माण हेतु विभिन्न जनपदों में की गयी 09 हैलीपैड निर्माण की घोषणाओं एवं आर0सी0एस0 के अन्तर्गत 13 हैलीपैड के निर्माण/अनुरक्षण हेतु (40 लाख प्रति हैलीपैड x 20 प्रस्तावित हैलीपैड)।	—	200	197	200	मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा हैलीपैड/हैंगर निर्माण हेतु विभिन्न जनपदों में की गयी 09 हैलीपैड निर्माण की घोषणाओं एवं आर0सी0एस0 के अन्तर्गत 13 हैलीपैड के निर्माण/अनुरक्षण हेतु (40 लाख प्रति हैलीपैड x 20 प्रस्तावित हैलीपैड)।	400	—	12 माह
08	अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर /अध्यप्ति/एन 0पी0 वी0 का भुगतान	राज्य में विभिन्न जनपदों पर हैलीपैडों एवं हैंगर के निर्माण हेतु काश्तकारों एवं भूमिस्वामियों को भूमि के प्रतिकर का भुगतान करने हेतु।	—	1800	100	1800	जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट पर भूमिअधिग्रहण हेतु रू0 285.00 करोड़ एवं पंतनगर हवाई पट्टी के समीप भूमिअधिग्रहण हेतु रू0 10.00 करोड़ कुल रू0 295.00 करोड़।	29500	—	12 माह

सत्त विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप:-

क्र0सं0	एस0डी0जी0 संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020-21	परिकल्पित आउटकम 2020-21
01	हैलीकॉप्टर के माध्यम से श्री केदारनाथ जी आने जाने वाले यात्रियों की संख्या	2,21,615*	2,20,980**		

* नोट:- जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, रुद्रप्रयाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यात्रा सीजन काल 01.11.2018 तक

** नोट:- जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, रुद्रप्रयाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यात्रा सीजन काल 25.10.2019 तक

विभाग का नाम- पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड

आउटकम/परफॉर्मेंस बजट 2020-21

क्रम सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउटक ले/ राजस्व पूंजीगत	01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	(धनराशि लाख में) समय सीमा
राज्य सैक्टर								
1	क्षेत्र पंचायत विकास निधि (राजस्व)	क्षेत्र पंचायतों की प्राथमिकता के आधार पर विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्य	00.01		वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि आवंटित नहीं।	वर्ष 2021-21 में क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि आवंटित नहीं।		
2	निर्वाचित प्रतिनिधियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण (राजस्व)	त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा	50.00		पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों का विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण	31 मार्च 2020 तक लगभग 30000 त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा।	प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जायेगा (तीन दिवसीय प्रशिक्षण)	प्रतिनिधि अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्षम हो सकेंगे। मार्च, 2021
3	महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण (राजस्व)	त्रिस्तरीय पंचायतों के महिला प्रतिनिधियों को क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा	50.00		महिला प्रतिनिधियों को क्षमता विकास किया जा रहा है।	31 मार्च 2020 तक लगभग 30000 त्रिस्तरीय पंचायतों के महिला प्रतिनिधियों को क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा	महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जायेगा (तीन दिवसीय प्रशिक्षण)	महिला प्रतिनिधि अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्षम हो सकेंगे। मार्च, 2021
केंद्र सैक्टर								
4	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.0.सी.0.एस.0.20)	ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं में प्रशिक्षणों के माध्यम से समग्र विकास	1500.00		त्रिस्तरीय पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है तथा लगभग 500 प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को एक्सपोजर विजिट कराया जाना है	त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, दायित्वों एवं कर्तव्यों पर मूलभूत प्रशिक्षण प्राप्त हो जायेगा तथा एक्सपोजर विजिट से उनमें कार्यात्मक सुधार आयेगा।	पंचायत प्रतिनिधि मूल मूल अधिकारों एवं दायित्वों के निर्वहन में सक्षम हो सकेंगे।	पंचायत प्रतिनिधि मूल मूल अधिकारों एवं दायित्वों के निर्वहन में सक्षम हो सकेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों को एक्सपोजर विजिट। मार्च, 2021
				राज्य में 7791 ग्राम पंचायतों में से 6430 ग्राम पंचायतों में	राज्य में 7791 ग्राम पंचायतों में से लगभग 6530 ग्राम पंचायतों में	200 पंचायत भवनों का निर्माण	ग्राम पंचायतों में भवनों को ग्राम पंचायत कार्यालय के	मार्च, 2021

u

पंचायत भवन जिका। संख्या नं 7791 ग्राम पंचायतों में से 1217 पंचायत मरम्मत योग्य	भवन निर्मित हो पायेगे। संख्या नं 7791 ग्राम पंचायतों में से लगभग 1067 ग्राम पंचायतों मरम्मत योग्य रहेगी।	250 पंचायत भवनों में मरम्मत	कार में प्रयोग किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों में भवनों को ग्राम पंचायत कार्यलयों के कार में प्रयोग किया जा सकेगा।	मार्च, 2021
7791 ग्राम पंचायतों में से नात्र 80 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन में कॉमन सर्विस सेंटर संचालनायक एक्सटेंशन हॉल है।	7791 में से कुल 170 ग्राम पंचायतों में एक्सटेंशन हॉल उपलब्ध हो जायेगा	300 पंचायत भवनों में एक्सटेंशन हॉल निर्माण	ग्राम पंचायतों में भवनों में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम ग्रामीणों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जा सकेगी	मार्च, 2021

1. विभाग द्वारा किये गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पहल— उत्तराखण्ड सरकार संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुरूप पंचायतीराज संस्थाओं के सशक्तीकरण हेतु प्रतिबद्ध है। इस दिशा में पहल करते हुए सर्वप्रथम तीनों पंचायतों के लिये राज्य का पंचायतीराज अधिनियम, 2016 प्रख्यापित किया गया, जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों को चरणबद्ध रूप से पंचायतों को हस्तान्तरण हेतु प्राविधान किया गया है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड पंचायतीराज नियमावली प्रख्यापित की प्रक्रिया गतिमान है।

- ग्राम पंचायतों के सुनियोजित विकास व उन्हें आवंटित धनराशि के समुचित उपयोग हेतु एक समेकित ग्राम पंचायत विकास योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसे राज्य सरकार द्वारा डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना नाम दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर, जनपद स्तर, विकास खण्ड स्तर व ग्राम पंचायतों के क्लस्टर स्तर पर वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर ग्राम पंचायतों को समेकित वार्षिक योजना व पंचवर्षीय संदर्श योजना के निर्माण हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया

पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू किये जा रहे 11 सॉफ्टवेयरों में से उत्तराखण्ड में त्रिस्तरीय पंचायतों में पारदर्शिता जवाबदेही एवं दायित्व निर्धारित करने के उद्देश्य से ई-पंचायत के अन्तर्गत 06 Software क्रमशः नेशनल असेट डायरेक्टरी (NAD), राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल (NPP), प्लान-प्लस, प्रिया सॉफ्ट, एक्शन सॉफ्ट, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी (LGD) सॉफ्टवेयर लागू किये जा चुके हैं। शेष सॉफ्टवेयरों को लागू करने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

Salma

W

• टोस अपशिष्ट प्रबंधन :

- पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड टोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2017 लागू की गयी है। टोस अपशिष्ट का प्रबंधन पंचायतों द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान तथा आय के स्वयं के स्रोतों (CSR)/उपरोक्ता शुल्क द्वारा किया जाता है। Plastic Waste Management Rules, 2016 के क्रम में Plastic Waste Management policy के ड्राफ्ट निर्माण का कार्य गतिमान है।
- टोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2017 के तहत विकास खण्ड डोईवाला, जनपद देहरादून की 11 ग्राम पंचायतों से मिलकर बने भोगपुर क्लस्टर में इण्डस इण्ड बैंक के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है।
- भोगपुर क्लस्टर की तर्ज पर देहरादून के मारखम ग्रान्ट, सहिया, उधम सिंह नगर के गदरपुर एवं जनपद उत्तरकाशी में यमुनोत्री भी सी0एस0आर0 के तहत स्वीकृति हेतु प्रक्रिया गतिमान है।


(प्रतिमा पन्तूली)
वित्त नियंत्रक


निदेशक
पंचायतीराज
देहरादून उत्तराखण्ड,

विभाग का नाम-परिवहन विभाग

आवृत्तकम बजट 2020-21

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एसडीजी-3 एवं 11 (धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आवृत्त ले बजट		एस.डी.जी.	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आवृत्त वर्ष 2020-21	1-4-2018 की स्थिति शेष लाइन	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आवृत्तकम	समय सीमा
			राजस्व	पूजीगत					
1	परिवहन कार्यलयों के अनावासीय भवन भूमि क्रय	परिवहन कार्यलयों को राजकीय भवनों में स्थानित संचालित किया जाना।	-	300.00	-	कार्यालय भवन-3 (दिल्ली, कर्णप्रयाग, टनकपुर)	75% (टनकपुर)	कार्यालय भवन में स्थापना	-
2	किछा-खटीना बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि अधिजन का प्रतिकार	परिवहन सेवा का सुदृढीकरण।	-	0.01	11.2 ₹	रेल लाईन निर्माण	-	भूमियों अधिजन हेतु सुविधा।	-
3	मुजफ्फरनगर-राउकी रेल लाईन निर्माण	परिवहन सेवा का सुदृढीकरण।	-	7000.00	11.2 ₹	रेल लाईन निर्माण	-	भूमियों अधिजन हेतु सुविधा।	-
4	हल्द्वानी में बालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि/भवन का निर्माण	कुमाऊँ क्षेत्र में दुर्घटनाओं को रोकथाम हेतु बालकों को उच्च राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रदान करना।	-	300.00	3.6	बालक प्रशिक्षण संस्थान-1 (प्रस्ताव भारत सरकार को प्रमित)	0	दुर्घटनाओं में कमी।	-
5	ऑटोमेटेड टेरिगा लैन की स्थापना	बाहनों के क्रिटेस परीक्षण हेतु।	-	400.00	3.6	टेरिगा लैन-3 (हरिद्वार, हल्द्वानी, अदिकेश)	0	दुर्घटनाओं में कमी।	-
6	हल्द्वानी में कर्णप्रयाग की स्थापना	हल्द्वानी में कर्णप्रयाग की परिवहन सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाना।	-	1000.00	11.2 ₹	कर्णप्रयाग	0	भूमियों अधिजन हेतु सुविधा	-
7	बालकों के परीक्षण हेतु ड्राइविंग ट्रेक्स का निर्माण	दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु बालकों का परीक्षण।	-	300.00	3.6	ड्राइविंग ट्रेक्स-5 (हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली, कर्णप्रयाग)	0	बालकों की सुरक्षा में सुदृढीकरण हेतु सुविधा	-
8	बालक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण।	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को बालक प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए राजगार के अवसर प्रदाना करना।	-	40.00	3.6	बालक प्रशिक्षण	-	अनुसूचितों को बालक प्रशिक्षण हेतु सुविधा	-

क्र0 स0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले बाउट		एस.डी.जी.	परिकल्पित (प्रोजेक्ट्स) आउटपुट वर्ष 2020-21	स्थिति बस लाइन	परिकल्पित (प्रोजेक्ट्स) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
9	बालक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में अनुसूचित जनजाति के अभ्यासियों को दान प्रशिक्षण प्रदान करती हुए रोजगार के अवसर प्रदान करना।	अनुसूचित जनजाति के अभ्यासियों को दान प्रशिक्षण प्रदान करती हुए रोजगार के अवसर प्रदान करना।	-	15.00	3.6	बालक प्रशिक्षण	-	अभ्यासियों को बहन बालक के रोजगार हेतु प्रशिक्षण।	1 वर्ष
10	उत्तराखण्ड सहक सुरक्षा कोष के क्रियात्मक हेतु गठित समिति को अनुदान	सहक सुरक्षा का सुदृढीकरण	800.00	-	3.6	-	-	सहक सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं दुर्घटनाओं में कमी।	-
11	परिवहन निगम के कार्मिकों को बी0आर0एस0 हेतु अनुदान	निगम के कार्मिकों को बी0आर0एस0 की सुविधा	-	2000.00	11.2वीं	परिवहन निगम के कार्मिकों को बी0आर0एस0 हेतु अनुदान	0	300 निगम कार्मिकों को बी0आर0एस0	-
12	बसों के क्रय हेतु राण के ब्याज हेतु भुगतान	परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना	-	1200.00	11.2ए 11.2बी 11.2डी 11.2वीं	उत्तराखण्ड परिवहन निगम के लिए बसों के क्रय हेतु ऋण हेतु ब्याज	35%	65 प्रतिशत	5 वर्ष
13	उत्तराखण्ड परिवहन निगम में अशर पूंजी निवेश/ऋण	परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना	-	0.01	11.2ए	परिवहन निगम के लिए नई बसों के क्रय हेतु अशर पूंजी/ऋण	-	-	-
14	अन्नाछा में आई0एस0बी0टी0 का निर्माण	परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना	-	400.00	11.2ए 11.2बी	आई0एस0बी0टी0-1	35%	75%	3 वर्ष
15	रामनगर में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे की स्थापना	परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना	-	400.00	11.2ए 11.2बी	बस अड्डा-1	50%	65%	3 वर्ष
16	मोन्दनगढ़ में बस अड्डे का निर्माण	परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना	-	100.00	11.2ए 11.2बी	बस अड्डा-2	योजना अनुसार	25%	3 वर्ष
17	बस अड्डों का निर्माण (खिलासाल/बागेश्वर व अन्य)	परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना	-	1000.00	11.2ए 11.2बी	बस अड्डे	5%	65%	4 वर्ष
18	परिवहन निगम की बसों में छात्राओं के नि:शुल्क यात्रा की सुविधा की प्रतिपूर्ति	छात्राओं को नि:शुल्क यात्रा	350.00	-	11.2बी	छात्राओं को नि:शुल्क यात्रा	9.50 लाख छात्राओं को लाभ	10 लाख छात्राओं को लाभ	1 वर्ष
19	परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान	प्रतिकर भुगतान	2050.00	-	11.2बी	वारेड नागरिकों एवं महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा	12 लाख वारेड नागरिकों एवं 35 हजार महिलाओं को लाभ	15 लाख वारेड नागरिकों एवं 40 हजार महिलाओं को लाभ	1 वर्ष
20	उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैण्डों के निर्माण हेतु अनुदान (30)	सामूहिक क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना	-	200.00	11.2ए 11.2बी	बस स्टैण्ड	17%	50%	3 वर्ष

क्र.0 सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले बजट		एस.डी.जी.	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	1-4-2019 की स्थिति देश लाइन	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूजीगत					
21	उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैंडों के निर्माण हेतु अनुदान (31)	परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करना	-	54.00	11.25 11.25	बस स्टैंड	1%	30%	3 वर्ष
22	परिवहन सम्बन्धी अधिष्ठान	विभाग के कार्यों के सम्पादन किंसे जाने सम्बन्धी जनशक्ति हेतु होने वाला व्यय	4075.09	-	-	परिवहन सम्बन्धी अधिष्ठान	100%	100%	1 वर्ष
23	राज्य सड़क सुरक्षा सम्बन्धी अधिष्ठान	राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के अन्तर्गत जन शक्ति हेतु होने वाला व्यय	16.75	-	3.6	राज्य सड़क सुरक्षा सम्बन्धी अधिष्ठान	-	-	-
24	उत्तराखण्ड परिवहन निगम के वर्दीय मार्गों में बस सञ्चालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति	हानि की प्रतिपूर्ति	3500.00	-	-	उत्तराखण्ड परिवहन निगम के वर्दीय मार्गों में बस सञ्चालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति	100%	100%	1 वर्ष
25	निर्भया फंड के अन्तर्गत वाहनों की लोकेशन ट्रैकिंग (केन्द्र द्वारा पुनर्स्थापित योजना)		936.00	-	-		-	-	-

(सनात कुमार सिंह)
उप परिवहन आयुक्त

AKS

परफॉरमेंस बजट 2019-20

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले / बजट		आउटपुट	समयसीमा	आउटकम	समयसीमा
			राजस्व	पूजीगत				
1	परिवहन विभाग के आवसीय/अनावसीय भवनों का निर्माण	परिवहन कार्यालयों को राजकीय भवनों में स्थानित किया जाना।	4	5	6	8	9	10
2	किच्छा-खटीमा बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि अर्जन का प्रतिकर	परिवहन सेवा का सुदृढीकरण।	-	0.01	(कार्यालय भवन (टनकपूर)	-	75% भौतिक प्रगति।	-
3	गुजपकरनगर-रुड़की लाईन निर्माण	परिवहन सेवा का सुदृढीकरण।	-	10000.00	-	-	-	-
4	हल्द्वानी में बालक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण	कुमाऊँ क्षेत्र में दुर्घटनाओं को रोकथाम हेतु बालकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना।	-	200.00	बालक प्रशिक्षण संस्थान	-	प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित।	-
5	अटोमेटेड टैरिग लेन का निर्माण	वाहनों के किटिंग परीक्षण हेतु।	-	400.00	टैरिग लेन (हरिद्वार, हल्द्वानी)	-	हरिद्वार एवं हल्द्वानी में भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत टैरिग लेन निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।	-
6	रिगुलटर्स का क्रय	बालकों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु।	-	50.00	-	-	-	-
7	हल्द्वानी में आईएसबीटी की स्थापना	हल्द्वानी में सभी प्रकार की परिवहन सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाना।	-	600.00	आईएसबीटी	-	गन भूमि हस्तांतरण हेतु कार्यवाही गतिमान।	-

क्र० सं०	योजना का नाम	उद्देश्य	आवृत्ति ले/बजट		आवृत्ति	समयसीमा	आवृत्तकम	समयसीमा	
			पावरस	पूजीगत					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
8	बालकों के प्रशिक्षण हेतु आर्टोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक्स का निर्माण	दुर्घटनाओं को संकथाम हेतु बालकों का प्रशिक्षण।	-	300.00	ड्राइविंग ट्रेक्स	-	हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश एवं दिल्ली में ग्रामीण उपलब्ध	-	-
9	अनुसूचित जातियों के बालकों को (अभ्याशियों प्रशिक्षण)	अनुसूचित जाति के अभ्याशियों को बालक प्रशिक्षण प्रदान करती है।	-	400.00	बालक प्रशिक्षण	1 वर्ष	नाइ जनवरी, 2020 तक 22 अभ्याशियों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।	1 वर्ष	-
10	जनजाति उपयोजना (अभ्याशियों को प्रशिक्षण)	अनुसूचित जनजाति के अभ्याशियों को बालक प्रशिक्षण प्रदान करती है।	-	15.00	बालक प्रशिक्षण	1 वर्ष	नाइ जनवरी, 2020 तक 21 अभ्याशियों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।	1 वर्ष	-
11	उत्तराखण्ड शासक सुरक्षा कोष	सड़क सुरक्षा को सुदृढीकरण	500.00	-	-	-	-	-	5 वर्ष
12	परिवहन निगम के लिए बसों के क्रय हेतु ऋण पर खाल	परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना	-	1000.00	उत्तराखण्ड परिवहन निगम के लिए बसों के क्रय हेतु ऋण हेतु खाल	5 वर्ष	12%	5 वर्ष	-
13	अत्मज्ञा आईएएसओटीओ का निर्माण	परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना	-	200.00	आईएएसओटीओ	5 वर्ष	100%	5 वर्ष	-
14	सामानगर में बस अड्डे का निर्माण	परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना	-	200.00	बस अड्डा	5 वर्ष	100%	5 वर्ष	-
15	नरन्दा नगर में बस अड्डे का निर्माण	परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना	-	100.00	बस अड्डा	3 वर्ष	10%	3 वर्ष	-
16	बस अड्डों का निर्माण	परिवहन व्यवस्था सुदृढ करना	-	800.00	बस अड्डा	5 वर्ष	25%	5 वर्ष	-

क्र० सं०	योजना का नाम	उद्देश्य	आवृत्त नै/बजट		आवृत्तपुट	समयसीमा	आवृत्तकम	समयसीमा
			खास	पूजीगत				
1	2	3	4	5	6	8	9	10
17	उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग की बसों में छात्रों को निशुल्क यात्रा की प्रविष्टि / शीबीटी हेतु अनुदान	छात्रों को निशुल्क यात्रा की प्रविष्टि	730.00	-	छात्रों को निशुल्क यात्रा की प्रविष्टि	2 वर्ष	50%	2 वर्ष
18	पर्यटन विभाग की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा/शीबीटी के लिए विभाग की प्रतिकर भुगतान	विभाग की प्रतिकर का भुगतान	3290.00	-	विभाग की प्रतिकर का भुगतान	1 वर्ष	B तारीख वरिष्ठ जागरिकों एवं 35 हजार महिलाओं के लाभ	1 वर्ष
19	उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग हेतु बस अड्डे/बस डिपो का निर्माण	पर्यटन व्यवस्था सुदृढ़ करना	-	200.00	बस अड्डे/बस स्टेशन	-	-	-
20	उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग हेतु बस स्टैंडों के निर्माण हेतु अनुदान	पर्यटन व्यवस्था सुदृढ़ करना	-	20.00	बस अड्डे/बस स्टेशन	-	-	-
21	पर्यटन सार्वजनिक आश्रय	पर्यटन के कार्यों के संपादन किये जाने वाले आश्रय	375.53	-	पर्यटन आश्रय	-	-	-
22	राज्य सड़क सुरक्षा परिषद सार्वजनिक आश्रय	राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्य प्रारंभ हेतु होने वाला कार्य (अथ पूजी निवेश अर्थ)	2.17	-	राज्य सड़क सुरक्षा परिषद सार्वजनिक आश्रय	-	-	-
23	उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग में अथ पूजी निवेश/अर्थ	पर्यटन के कार्यों के संपादन किये जाने वाले आश्रय	-	0.01	पर्यटन आश्रय	-	-	-
24	पर्यटन विभाग के कार्यों के लिए अनुदान	पर्यटन विभाग के कार्यों के लिए अनुदान	-	0.01	पर्यटन विभाग के कार्यों के लिए अनुदान	-	-	-
25	उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग द्वारा वार्षिक मार्गों में बस संचालन के कार्यों के लिए मार्गों के संचालन के लिए अनुदान	उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग के कार्यों के लिए अनुदान	-	1000.00	उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग के कार्यों के लिए अनुदान	-	-	-

(सनत कुमार सिंह)
उप परिचय आयुक्त

and

आउटकम बजट प्रारूप 2020-21

विभाग का नाम:-पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड।

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0-8, 11 एवं 12

पर्यटन विभाग से सम्बन्धितSDG's Indicators.

SDG 8- देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना।

SDG 11- पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अधिकाधिक रोजगार/स्वरोजगार सृजित करना।

SDG 12- राज्य के GSDP में पर्यटन सेक्टर के अंश में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करना।

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (2020-21)		एस0डी0जी0 Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	1-4-2019 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्य सेक्टर राजस्व मद								
1	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् हेतु अनुदान	पर्यटन के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उत्तराखण्ड में रोप-वे की सम्भावनाओं तथा साहसिक पर्यटन को बढ़ाना देने तथा राष्ट्रीय स्तर की चारधाम यात्रा मार्गों को संचालित करने के उद्देश्य से तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य है।	450000	-	-	1-12 रोप-वे परियोजनाओं की प्रीफिजिबिलिटी स्टडी टी0ई0एफ0एस0 एवं ई0आई0ए0 स्टडी। 2- प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार। 3-साहसिक क्रियाकलाप के अन्तर्गत 26 आयोजन। 4- परिषद् गठन के अन्तर्गत परिषद् मुख्यालय में कार्यरत कार्मिकों के नियत मानदेय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय आदि। 5- आयुक्त गढवाल मण्डल को चारधाम यात्रा मार्गों पर सफाई व्यवस्था आदि। 6- कैलाश मानसरोवर यात्रा व्यवस्था हेतु कु0म0वि0नि0 नैनीताल को अनुदान दिया जाना। 7- जिला स्तरीय 13 कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय आदि।	-		12 माह

2	पारिश्रमिक वेतन	पर्यटन विकास।	17990	-	-	107 कार्मिक	-	कार्मिकों के वेतन भुगतान	
3	वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	पर्यटन विकास।	55000	-	-				
4	यात्रा प्रशासन संगठन अधिष्ठान	पर्यटन विकास।	2002	-	-	02 कार्मिक	-	कार्मिकों के वेतन भुगतान	12 माह
5	शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय)	पर्यटन विकास।	46324	-	-	09 कार्मिक	-	कार्मिकों के वेतन भुगतान	12 माह
6	केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण हेतु सहायक अनुदान 05-वेतन भत्ते 56-सहायक अनुदान गैर वेतन	-टिहरी एवं केदारनाथ प्राधिकरणों द्वारा पर्यटन और अन्य सहयोगी गतिविधियों के उन्नयन के लिये परिणाम स्वरूप ईको पद्धति के संरक्षण सहित विशेष क्षेत्र हेतु भूमि का अधिग्रहण और महायोजना तैयार करना। -पर्यटकों के लिये सुविधा देना जैसे-सड़क, पानी, सीवेज, अतिथि गृह, होटल, मोटल, दुकान, शॉपिंग मॉल, इम्पोरियम और आवास तथा क्लब इत्यादि के लिये लाइसेन्स उक्त दोनों प्राधिकरणों द्वारा दिया जायेगा।	11000 50000	-	-	टिहरी/केदारनाथ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यालयों के आवर्तक व्यय का वहन। केदारनाथ विकास प्राधिकरण एवं टिहरी विकास प्राधिकरण (टाडा) के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधायें विकसित करना।	-	-	12 माह
7	दीनदयाल मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना हेतु अनुदान	60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक स्थलों की यात्रा।	20000	-	-	बुजुर्गों को निःशुल्क धार्मिक यात्रा	योजनारंभ से लाभान्वित पुरुष-6,085 महिला-6,324 कुल 12,409	बुजुर्गों को निःशुल्क धार्मिक यात्रा	12 माह
8	होटल प्रबन्धन संस्थान नई टिहरी	छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना।	13549	-	SDG-11 पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन	67 छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण।	-	रोजगार के अवसर प्रदान करना।	12 माह

9	जिला स्तर पर पर्यटन कार्यालयों के अधिष्ठान व्यय हेतु भुगतान	पर्यटन का विकास।		-	-	-	-	-	-
10	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना-56- सहायक अनुदान गैर वेतन	बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों को इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित मदों में स्वरोजगार प्रदान करना। (1) वाहन मद:- 1-बस/टैक्सी क्रय। 2-मोटर गैराज की स्थापना। (2) गैर वाहन मद:- 1-फास्ट फूड सेंटर/योग ध्यान कुटीर/ध्यान केन्द्र की स्थापना। 2-होटल/मोटल का निर्माण। 3-टैन्टेज आवासीय सुविधा का विकास। 4-साहसिक उपकरणों का क्रय। 5-स्थानीय वस्तुओं के विक्रय केन्द्र की स्थापना आदि। 6-क्याकिंग/नाव का क्रय एवं संचालन। 7-टैरेन बाइक्स का क्रय। 8-कैरावेन/मोटर होम। 9-एंग्लिंग उपकरणों का क्रय। 10-स्टार गेजिंग एवं बर्डवाचिंग उपकरण क्रय। 11-लॉन्ड्री की स्थापना। 12-बैकरी स्थापना। 13-स्मरणीय वस्तु युक्त संग्रहालय/स्मारिका का निर्माण एवं उसके विक्रय केन्द्र की स्थापना। 14-ट्रैकिंग उपकरण।	140000	-	SDG-11 पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन	400 बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना।	योजनारंभ से लाभान्वित वाहन मद- 3,199 गैर वाहन मद-2,920 कुल योग- 6,119	स्वरोजगार प्रदान करना।	12 माह
11	राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान	छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना।	43240	-	पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन	90 कार्मिकों के वेतन/अधिष्ठान तथा 266 छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण	संस्थान के प्रारंभ से देहरादून-1297 अल्मोडा- 566 कुल- 1863	266 छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाना।	12 माह

12	उत्तराखण्ड के योग महोत्सव	देश विदेश से अधिकतम संख्या में पर्यटकों को	10000	-	-	योग महोत्सव ऋषिकेश में 928 देशी तथा 301 विदेशी कुल	देशी-928 साधक ,	पर्यटन का प्रचार-प्रसार।	12 माह
----	---------------------------	--	-------	---	---	--	-----------------	--------------------------	--------

		उत्तराखण्ड की ओर आकर्षित करना।				1229 पर्यटकों द्वारा प्रतिभाग।	विदेशी-301 साधक कुल-1229 साधक		
13	पं० दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना	पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिये यह योजना चालू की गयी है।	100000			चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2,000 आवेदकों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।	अभी तक 764 आवेदकों को पंजीकृत कर लिया गया है।		
14	पर्यटन नीति-2018 हेतु अनुदान		50000						
15	वाह्य सहायतित परियोजना टिहरी झील का विकास	टिहरी झील में NDB द्वारा सहायतित मोड के मास्टर प्लान तैयार करने हेतु	40000		-	-	-	-	वर्ष 2020
राज्य सेक्टर पूंजीगत मद									
16	ईको टूरिज्म	उत्तराखण्ड में ईको टूरिज्म विकसित करने हेतु।	-	50000	-	-	-	-	-
17	पर्यटन परिषद् के लिये आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण	कार्मिकों हेतु आवासीय व्यवस्था	-	-	-	कार्मिकों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण।	आवासीय- 48 अनावासीय-17 कुल- 65	21 आवासीय यूनिट पर कार्य निर्माणाधीन है।	12 माह
18	पर्यटक आवास गृह/पर्यटन विकास योजनाओं के लिये भूमि अध्याप्ति/क्रय	पर्यटन विकास योजनाओं हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहित	-	20000	-	पर्यटन विकास योजनाओं हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहित	-		12 माह
19	निर्माण कार्य चालू	अधूरी योजनाओं को पूर्ण करना	-	-	-	पर्यटन की विभिन्न चालू योजनाओं हेतु प्रस्तावित।	विभिन्न 57 योजनायें निर्माणाधीन		24 माह
20	विभागीय भवनों की मरम्मत	पुराने विभागीय भवनों का मरम्मत/उच्चीकरण	-	-	-	विभागीय भवनों की मरम्मत।	वित्तीय वर्ष 2018-19 में 04 भवनों की मरम्मत/उच्चीकरण		12 माह
21	पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण	पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु	-	120000	-	नई योजनाओं हेतु प्रस्तावित।	वित्तीय वर्ष 2018-19 में 14 नई योजनायें	-	12 माह
22	निजी क्षेत्र की भागीधारी हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना	निजी क्षेत्र की सहभागिता से भूमि विकास बैंक की स्थापना	-	-	-	लैण्ड बैंक की स्थापना	-	-	36 माह

23	चारधाम यात्रा मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण	आवासीय सुविधाओं का निर्माण/विस्तार, सुलभ शौचालयों का निर्माण, पार्किंग स्थलों का निर्माण प्रस्तावित है।	—	20000	शौचालय निर्माण	चारधाम यात्रा मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत आवासीय सुविधाओं का निर्माण/विस्तार, सुलभ शौचालयों का निर्माण, पार्किंग स्थलों का निर्माण प्रस्तावित है।	कुल शौचालय स्थाई—129 अस्थायी—1446 (पुरुष—845 महिलायें—621) कुल—1575	पुरुष व महिला यात्रियों को जन सुविधा	12 माह
24	ट्रेकिंग मार्गों का सुधार/विकास	ट्रेकिंग मार्गों का सुधार/विकास	—	—	—	चयनित 123 ट्रेकिंग रूट में अवस्थापना सुविधायें/ सुधार किया जाना प्रस्तावित है।	वर्ष 2018—19 में 03 प्रस्तावित।	ट्रेकिंग पर जाने वाले पर्यटकों को सुविधायें।	
25	नई टिहरी में होटल मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट (आई0एच0एम0) की स्थापना	नई टिहरी में आई0एच0एम0 की स्थापना	—	70000	—	नई टिहरी में आई0एच0एम0 की स्थापना	कार्य अन्तिम चरण में है।	SIHM भवन के निर्माणाधीन कार्य हेतु।	12 माह
26	वार्षिक नंदा लोक राजजात के अवस्थापना सुविधाओं का विकास	अवस्थापना सुविधाओं का विकास	—	—	—	अवस्थापना सुविधाओं का विकास	ट्रेक मार्ग के सधार हेतु 03 प्रस्ताव प्रस्तावित।	लोक संस्कृति को बढ़ावा	12 माह
27	ऋषिकेश में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैम्प का निर्माण (CSR FUND)	(CSR FUND) के अन्तर्गत यात्रियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैम्प का निर्माण	—	5288	—	(नई मांग के अन्तर्गत) पर्यटकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से।	रजिस्ट्रेशन ऑफिस कम ट्रांजिट कैम्प के निर्माण के अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल का कार्य गतिमान।	पर्यटकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना	36 माह
28	13 डिस्ट्रिक्ट एवं 13 न्यू डेस्टिनेशन का विकास	13 न्यू डेस्टिनेशन का विकास	—	200000	—	(नई मांग के अन्तर्गत) प्रत्येक जनपद में अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों को विकसित कर पर्यटकों को आकर्षित करना।	आई0पी0 ग्लोबल द्वारा थीम आधारित डेस्टिनेशन के लिये प्री-फिजिबि-लिटी स्टडी/ सर्वे का कार्य गतिमान।	थीम आधारित नवीन पर्यटक स्थलों का विकास।	24 माह
29	स्वामी विवेकानंद अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं वैलनेस सिटी का निर्माण	स्वामी विवेकानंद अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं वैलनेस सिटी निर्माण	—	10000	—	(नई मांग के अन्तर्गत) पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मूलभूत सुविधायें प्रदान करवाना	आई0डी0 पी0एल0 ऋषिकेश की भूमि की 633 एकड़ भूमि पर कन्वेंशन सेंटर/वैलनेस सिटी हेतु टोपोग्राफिकल	राज्य में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	36 माह

							सर्वे एवं तकनीकी कार्य के लिये कन्सलटेंट के चयन हेतु कार्यवाही गतिमान।		
30	उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना (एकल ग्राम एवं कलस्टर ग्राम)	<p>—ग्रामीणों द्वारा ग्रामीण शैली में अपेक्षित स्तर की आवासीय सुविधा एवं भोजन उपलब्ध कराना।</p> <p>—विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन, जिनमें पर्यटक प्रतिभाग कर सके जैसे कि—कैम्पिंग, घुड़सवारी, ट्रैकिंग, सांस्कृतिक झलक, कृषि अनुभव, ग्रामीण घरों में बैठक, ग्रामीणों के साथ खेलों का आयोजन, आस-पास के गाँवों की सैर, ग्रामीणों की जीवन शैली से पर्यटकों को रूबरू कराना आदि।</p> <p>—ग्रामीण क्षेत्रों के विकास होने के साथ ही ग्रामीणों को उनके गाँवों में ही स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराना।</p> <p>—उत्तराखण्ड की संस्कृति, खान-पान, हस्तशिल्प, वेश भूषा का प्रचार-प्रसार करना।</p>	—	50000	—	83 गांवों को चिन्हित कर ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चिह्नित गांवों का विकास।	03 गाँव—सौड़, (टि0ग0), बंगलों की काण्डी, (टि0ग0), मावड़ा, (अल्मोड़ा) में कार्य गतिमान।	पर्यटन संभावनाओं वाले ग्रामों में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास।	12 माह
31	वाह्य सहायतित परियोजना-01 बृहद निर्माण	उत्तराखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अवस्थापना सुविधाओं को सृजित कर पर्यटकों को सुविधायें प्रदान करना व साहसिक गतिविधियों जैसे— कैफिड बाइकिंग, रिवर राफ्टिंग, क्याकिंग, पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देना, 72 ग्रामों में चयनित अभ्यर्थियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण, योग प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार	—	1050000	—	विभिन्न 29 स्थलों पर अवस्थापना एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु।	आसन बैराज, हनोल, लाखामण्डल, टिहरी, नौकुचिया—ताल, टी0आर0 एच0 परिचय, पिथौरागढ़ किला, बोर जलाशय, मोस्टमानू में कार्य पूर्ण। कार्तिकेय स्वामी, जिलाधिकारी कार्यालय	एशियन डेवलपमेन्ट बैंक के सहयोग से पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन।	वर्ष 2020

	02 टिहरी झील का विकास	सुलभ कराना। टिहरी में नेशनल डेवलपमेंट बैंक साहयतित योजनाओं के विकास हेतु।	-	100000	-		अल्मोड़ा, तहसील भवन चम्पावत, पिथौरागढ़ पार्किंग, कर्णाश्रम झील के कार्य गतिमान।		
32	के0एम0वी0एन0 के भवन निर्माण हेतु वन टाईम सहायता।		-	109615	-				
केन्द्रीय सेक्टर पूँजीगत मद									
33	केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत टिहरी झील एवं उसके चारों ओर एरिया में ईको-टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स से सम्बन्धित गतिविधियों को विकसित करके एवम् कटारमल-जागेश्वर-बैजनाथ-देवीधुरा को हैरिटेज सर्किट के रूप में विकसित करके पर्यटकों को इन गतिविधियों का दर्शन कराना। प्रसाद योजना के अन्तर्गत केदारनाथ में पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों को विकसित करके पर्यटकों को इनका लाभ पहुँचाना।	-	1	-	पर्यटन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्वदेश दर्शन योजना तथा प्रसाद योजना के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के सृजन। (1)-स्वदेश दर्शन योजना :- 1. Integrated Development of Eco-Tourism, Adventure Sports Associated Tourism Related Infrastructure for Development of Tehri Lake and Surroundings As New Destination District-Tehri, Uttarakhand. Total Sanction Rs.8037.34 Laks 2- Integrated Development of Heritage Circuit in Kumaon Region- Katarmal-Jageshwar- Baijnath-Devidhura in Uttarakhand under Swadesh Darshan Total Sanction Rs.8193.71 Laks (2)-प्रसाद योजना :- Integrated Development of Kedarnath under the PRASAD Scheme Total Sanction Rs 3478.48 Laks	वर्ष 2019-20 में प्रसाद योजनान्तर्गत गंगोत्री, यमुनोत्री तथा स्वदेशयोजनान्तर्गत महाभारत सर्किट के कॉन्सेप्ट नोट पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित।	भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की वित्तीय सहायता से पर्यटन विकास।	36 माह

						2-Integrated Development of Badrinath under the PRASAD Scheme Total Sanction Rs 3923.00Laks उक्त योजनाओं के कार्य गतिमान हैं।			
34	पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण	उत्तराखण्ड में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार की सहायता से अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जाना।	-	-	-	विभिन्न पर्यटक स्थलों एवं यात्रा मार्गों पर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करना।	केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं हेतु सेन्टेंज सार्जेज/ राज्यांश की धनराशि दी जानी प्रस्तावित है।	मूलभूत सुविधाओं का सृजन	36 माह
35	अल्मोड़ा में फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना	छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना।	-	515	पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन	छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्थान की स्थापना।	भवन का कार्य गतिमान है।	रोजगार प्रदान करना।	12 माह
	अनुदान सं०-30								
36	वीर चन्द्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करना।	25000	-	पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन	वीर चन्द्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजसहायता का वितरण।	वर्ष 2018-19 में 40 आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है।	स्वरोजगार प्रदान करना।	12 माह
37	दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के बेरोजगारों को अनुदान प्रदान करना।	10000	-	पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन	दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजसहायता का वितरण।	-	पर्यटन के विकास के साथ ही स्वरोजगार प्रदान करना।	12 माह
38	पर्यटन विकास की नई योजनाएं	पर्यटन विकास की नई योजनाएं	-	20000	-	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन विकास की नई योजनाओं का सृजन।	03 स्थलों को विकसित करने का लक्ष्य है।	पर्यटन का विकास	12 माह

	अनुदान सं०-31							-	
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	---	--

39	वीर चन्द्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना	अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करना।	10000		SDG-11 पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन	वीर चन्द्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजसहायता का वितरण।	वर्ष 2018-19 में 10 आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है।	स्वरोजगार प्रदान करना।	12 माह
40	दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना	जनजातिय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत बेरोजगारों को अनुदान प्रदान करना।	5000		पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन	दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के अन्तर्गत जनजातिय क्षेत्र उपयोजना के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजसहायता का वितरण।	—	पर्यटन के विकास के साथ ही स्वरोजगार प्रदान करना।	12 माह
41	पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना	पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना	—	5000	SDG-11 होम स्टे योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार सृजन	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के उद्यमियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता।		स्वरोजगार प्रदान करना।	12 माह
42	पर्यटन विकास की नई योजनाएं	निर्माण कार्य।	—	20000					

SDG (Indicators)संकेतक:-

- 1- कुल पर्यटकों की संख्या (देशी) माह-दिसम्बर, 2018 में -366.98 लाख
- 2- कुल पर्यटकों की संख्या (विदेशी) माह- दिसम्बर, 2018 में - 1.55 लाख
- 3- प्रतिशत बढ़ोतरी पर्यटक (देशी) वर्ष 2018 (दिसम्बर तक) के सापेक्ष -6.12 प्रतिशत
- 4- प्रतिशत बढ़ोतरी पर्यटक (विदेशी) वर्ष 2018 (दिसम्बर तक) के सापेक्ष -8.74 प्रतिशत
- 5- पर्यटन क्षेत्र में कुल रोजगार सृजन -(क) वीर चन्द्र सिंह गढवाली योजना (अबतक) - 6,137
(ख) रिवर राफिटिंग में कुल पंजीकृत फर्म/संस्था (2018)- 271
- 6- होम स्टे में कुल रोजगार सृजन व कुल ग्रामीण परिवार जो होम स्टे से जुड़े हैं (अबतक) - 843
- 7- कुल Accomodation Unit - 208
- 8- ग्रामीण पर्यटक हेतु चिन्हित ग्राम - 83 ग्राम
- 9- पर्यटक क्षेत्रों में शौचालय निर्माण - स्थाई-129 एवं अस्थाई-1446

परफॉरमेन्स बजट 2019-20

(धनराशि ₹0हजार में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		आउटपुट	समय सीमा	आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राजस्व मद							
1	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् हेतु अनुदान	पर्यटन के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उत्तराखण्ड में रोप-वे की सम्भावनाओं तथा साहसिक पर्यटन को बढ़ाना देने तथा राष्ट्रीय स्तर की चारधाम यात्रा मार्गों को संचालित करने के उद्देश्य से तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य है।	350000	-	1-कन्सलटेन्सी मद के अन्तर्गत 12 रोप-वे परियोजनाओं की प्रीफिजिबिलिटी स्टडी टी0ई0एफ0एस0 एवं ई0आई0ए0 स्टडी। 2- प्रचार-प्रसार मद के अन्तर्गत प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार। 3- साहसिक क्रियाकलाप मद के अन्तर्गत 26 आयोजन किये जाने प्रस्तावित है। 4- परिषद् गठन के अन्तर्गत परिषद् मुख्यालय के अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त व्यय, वास्तविक रूप से आहरण कर भुगतान किया गया। 5- आयुक्त गढवाल मण्डल को चारधाम यात्रा मार्गों पर सफाई व्यवस्था आदि। 6- जिला स्तरीय 13 कार्यालयों के अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त व्यय, वास्तविक रूप से आहरण कर भुगतान किया गया।	मार्च,20	पर्यटन के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उत्तराखण्ड में रोप-वे की सम्भावनाओं तथा साहसिक पर्यटन को बढ़ाना देने तथा राष्ट्रीय स्तर की चारधाम यात्रा मार्गों को संचालित करने के उद्देश्य से तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों को आकर्षित कर पर्यटन का व्यापक प्रचार-प्रासार किया गया।	12 माह
2	वेतन भत्तों के लिये सहायक अनुदान	पर्यटन विकास।	52000	-	परिषद् में नियमित रूप से कार्यरत 40 कार्मिक एवं बाहय स्रोत के माध्यम से कुल-58 कार्मिकों को मानदेय, वास्तविक रूप से आहरण कर भुगतान किया गया।।	मार्च,20	पर्यटन विकास।	12 माह
3	यात्रा प्रशासन संगठन अधिष्ठान	पर्यटन विकास।	1794	-	02 कार्मिकों को वास्तविक रूप से देय वेतन भत्तों का आहरण कर	मार्च,20	पर्यटन विकास।	12 माह

					भुगतान किया गया।			
4	शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय)	पर्यटन विकास।	12410	—	कुल-10 शासकीय कार्मिकों को वास्तविक रूप से देय वेतन भत्तों का आहरण कर भुगतान किया गया।	मार्च,20	पर्यटन विकास।	12 माह
5	केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण हेतु सहायक अनुदान (गैर वेतन)	—टिहरी एवं केदारनाथ प्राधिकरणों द्वारा पर्यटन और अन्य सहयोगी गतिविधियों के उन्नयन के लिये परिणाम स्वरूप ईको पद्धति के संरक्षण सहित विशेष क्षेत्र हेतु भूमि का अधिग्रहण और महायोजना तैयार करना। —पर्यटकों के लिये सुविधा देना जैसे—सड़क, पानी, सीवेज, अतिथि गृह, होटल, मोटल, दुकान, शॉपिंग मॉल, इम्पोरियम और आवास तथा क्लब इत्यादि के लिये लाइसेन्स उक्त दोनों प्राधिकरणों द्वारा दिया जायेगा।	80000 10000	—	टिहरी/केदारनाथ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिष्ठान व्यय का वहन।	मार्च,20	दोनों क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया।	12 माह
6	उत्तराखण्ड के योग महोत्सव	देश विदेश से अधिकतम संख्या में पर्यटकों को उत्तराखण्ड की ओर आकर्षित करना।	10000	—	वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह-मार्च, 2019 में ऋषिकेश में अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें गत वर्षों की भाँति देश-विदेश के पर्यटकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।	मार्च,20	देशी 1804 एवं विदेशी 147 अर्थात् कुल 1951 द्वारा प्रतिभाग किया गया।	12 माह
7	दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना		100000					
8	उत्तराखण्ड पर्यटन निति 2018 हेतु अनुदान		50000					
9	दीनदयाल मातृ-पितृ तीर्थाटन	60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग नागरिकों को	5001	—	60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग नागरिकों को धार्मिक स्थलों	मार्च,20	बुजुर्ग नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक	12 माह

	योजना-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता।	निःशुल्क धार्मिक स्थलों की यात्रा।			की निःशुल्क यात्रा करवाई गयी है। योजना आरम्भ से माह-जनवरी, 20 तक इस योजना के अन्तर्गत 13,542 बुजुर्गों एवम् वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह-जनवरी, 2019 तक 879 बुजुर्गों को लाभान्वित किया गया है।		स्थलों की यात्रा करवाई गयी।	
10	होटल प्रबन्धन संस्थान नई टिहरी	छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना।	12526	-	नई टिहरी संस्थान सितम्बर 2015 से संचालित हुआ है, जिसमें वर्तमान में कुल 68 छात्र-छात्रायें अध्ययन्तरत है।	मार्च,20	छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।	12 माह
11	जिला स्तर पर पर्यटन कार्यालयों में शासकीय कामियों के वेतन, भत्ते के भुगतान हेतु।	पर्यटन का विकास।	37250	-	जनपद स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत शासकीय कार्मियों के वेतन, भत्तों का भुगतान किया जाता है।	मार्च,20	पर्यटन का विकास।	12 माह
12	श्राईन बोर्ड को अनुदान		100000					
13	ऋण उपादान/स्वरोजगार योजना	बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों को इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित मदों में स्वरोजगार प्रदान करना। (1) वाहन मद:- 1-बस/टैक्सी क्रय। 2-मोटर गैराज की स्थापना। (2) गैर वाहन मद:- 1-फास्ट फूड सेंटर/योग ध्यान कुटीर/ध्यान केन्द्र की स्थापना। 2-होटल/मोटल का निर्माण। 3-टैन्टेज आवासीय सुविधा का विकास। 4-साहसिक उपकरणों का क्रय। 5-स्थानीय वस्तुओं के विक्रय केन्द्र की स्थापना आदि।	120000	-	बेरोजगार नव युवक/युवतियों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से वाहन एवं गैर वाहन मद के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना आरम्भ से माह-जनवरी, 2020 तक इस योजनान्तर्गत 6,420 बेरोजगार नवयुवकों/ युवतियों को, एवम् वर्ष 2019-20 में माह-जनवरी 2020 तक 153 बेरोजगार नवयुवकों/ युवतियों को लाभान्वित किया गया है।	मार्च,20	बेरोजगार नव युवक/युवतियों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदान की गई।	12 माह

14	राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान	छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना।	46530	—	अल्मोड़ा एवं देहरादून में राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थानों के अधिष्ठान व्यय। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।	मार्च,20	छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।	12 माह
	योग राजस्व		987511					
	राज्य सेक्टर पूँजीगत मद							
15	राज्य सेक्टर की योजना	कार्मिकों हेतु आवासीय व्यवस्था, पर्यटन विकास योजनाओं हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहित करना, अधूरी योजनाओं को पूर्ण करना, पुराने विभागीय भवनों का उच्चीकरण करना, निजी क्षेत्र की सहभागिता से भूमि विकास बैंक की स्थापना, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु नये टूरिस्ट डेस्टिनेशनों का विकसित करना, चारधाम यात्रा को बढ़ावा देना तथा ट्रेकिंग मार्गों का सुधार करना एवं नन्दादेवी राजजात में अवस्थापना सुविधायें सृजित कर पर्यटन को बढ़ावा देना।	—	470002	इस योजना के अन्तर्गत राज्य सेक्टर की निम्न पर्यटन विकास की योजनायें संचालित की जाती हैं:- 1-पर्यटन विभाग के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है। 2- पर्यटन विकास योजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण/भूमि अध्याप्ति एवं वन भूमि के मामलों में एन0पी0बी0, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धनराशि दी जानी प्रस्तावित है। 3- पर्यटन विकास की चालू योजनाओं को पूर्ण करने हेतु धनराशि प्रस्तावित है। 4- पर्यटन मुख्यालय एवं जनपद स्तरीय कार्यालय की मरम्मत/सुधार हेतु धनराशि प्रस्तावित है। 5- निजी उद्यमियों से भूमि प्राप्त कर उसे विकसित कर लेण्ड बैंक के रूप में विकसित कर निजी निवेशकों को आमन्त्रित कर भूमि लीज पर दिये जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था का प्रस्ताव है। 6- नये पर्यटन गन्तव्यों का विकास/नये डेस्टिनेशनों के विकास हेतु पर्यटन विकास की नई योजनाओं में धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।	मार्च,20	पर्यटन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को सुविधायें प्रदान करना, पर्यटन विकास योजनाओं हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहित करना, अधूरी योजनाओं को पूर्ण करना, पुराने विभागीय का उच्चीकरण करना, निजी क्षेत्र की सहभागिता से भूमि विकास बैंक स्थापित करना, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन योजनाओं को प्रारम्भ करना, चारधाम यात्रा को बढ़ावा देना तथा ट्रेकिंग मार्गों का सुधार करना तथा नन्दादेवी राजजात में अवस्थापना सुविधायें सृजित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया गया।	12 माह

					<p>7- चारधाम यात्रा मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत आवासीय सुविधाओं का निर्माण/विस्तार, सुलभ शौचालयों का निर्माण, पार्किंग स्थलों का निर्माण प्रस्तावित है।</p> <p>8- उत्तराखण्ड में चिन्हीत 123 ट्रेकिंग रूटों में अवस्थापना सुविधायें विकसित करने हेतु उनके सुधार हेतु धनराशि का प्राविधान प्रस्तावित है।</p> <p>9- जनपद चमोली में प्रतिवर्ष होने वाली नन्दा लोक जात के यात्रा मार्ग पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि प्रस्तावित की गयी है।</p>			
16	उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना	प्रोडक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट ऑफ डेस्टीनेशन एण्ड सर्किट स्कीम (पी0आई0डी0डी0सी0) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008 से वित्तीय वर्ष 2013-14 तक विभिन्न मेगा सर्किट, सर्किट एवं डेस्टीनेशनों "विशेष पैकेज" के विकास सम्बन्धित योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करते हुए कतिपय योजनाओं हेतु प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में क्रमशः 20 एवं 60 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गयी, परन्तु अवशेष धनराशि अवमुक्त न होने के कारण कार्य अधूरे पडे हुये है तथा कतिपय योजनाओं को निर्माण इकाईयों द्वारा पूर्ण कर दिया गया है परन्तु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उनकी देनदारिया बनी है। इन देनदारियों को पूर्ण कर लंबित योजनाओं को	-	50000	इस योजना के अन्तर्गत कलस्टर ग्राम एवं एकल ग्राम अन्तर्गत लाभ अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2019-20 में माह-जनवरी, 2020 तक इस योजना के अन्तर्गत 83 पर्यटन ग्रामों को चयनित किया गया है जिनमें हार्डवियरपर्यटन अवस्थापना सुविधा कार्य एवं सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।	मार्च,20	ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष में 03 गाँव-सौड़, (टि0ग0), बंगलों की काण्डी, (टि0ग0), मावड़ा, (अल्मोड़ा) में कार्य गतिमान है।	12 माह

		जनमानस के सदुपयोग हेतु उपलब्ध कराना।						
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

17	के0एम0वी0एन0 / जी0एम0वी0एन0 को सहायता अनुदान		—	70000				
	केन्द्रीय सेक्टरपूँजीगत मद							
18	केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत टिहरी झील एवं उसके चारों ओर एरिया में ईको-टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स से सम्बन्धित गतिविधियों को विकसित करके एवम् कटारमल-जागेश्वर-बैजनाथ-देवीधुरा को हैरिटेज सर्किट के रूप में विकसित करके पर्यटकों को इन गतिविधियों का दर्शन कराना। प्रसाद योजना के अन्तर्गत केदारनाथ में पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों को विकसित करके पर्यटकों को इनका लाभ पहुँचाना।	—	1	वर्ष 2015-16 से भारत सरकार पर्यटन मन्त्रालय द्वारा पूर्व संचालित PIDCC योजना के स्थान पर "स्वदेश दर्शन" एवं "प्रसाद" योजनायें प्रारम्भ की गयी है। शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि जब भारत सरकार पर्यटन मन्त्रालय द्वारा उक्त योजनाओं के लिये सीधे धनराशि उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को प्राप्त हो रही है, तो उक्त योजनाओं के लिये आय-व्ययक में प्रतीक धनराशि के रूप में प्राविधान किया जाये।	मार्च,20	उत्तराखण्ड में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार की सहायता से अवस्थापना सुविधाओं का सृजन	36 माह
19	यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण	उत्तराखण्ड में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार की सहायता से अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जाना।	—	10000	भारत सरकार पर्यटन मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत योजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं को सेन्टेज चार्ज वहन करने हेतु।	मार्च,20	उत्तराखण्ड में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार की सहायता से अवस्थापना सुविधाओं का सृजन।	36 माह
20	अल्मोड़ा में फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट	छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना।	—	25000	अल्मोड़ा में फूड क्राफ्ट संस्थान के लिये राज्यांश वहन करने हेतु।	मार्च,20	छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य	12 माह

	की स्थापना						से प्रशिक्षण दिया जाना।	
	कुल योग पूंजीगत			626002				
21	वाह्य सहायतित परियोजना	उत्तराखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अवस्थापना सुविधाओं को सृजित कर पर्यटकों को सुविधायें प्रदान करना व साहसिक गतिविधियों जैसे- कैफिड बाइकिंग, रिवर राफ्टिंग, क्याकिंग, पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देना, 72 ग्रामों में चयनित अभ्यर्थियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण, योग प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार सुलभ कराना।	-	700000	एशियन डेवलपमेन्ट बैंक की सहायता से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राज्य के विभिन्न स्थलों पर 27योजनाओं में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु।	मार्च,20	उत्तराखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन।	वर्ष 2020
	योग वाह्य सहायतित			700000				
	अनुदान सं०-30							
22	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जाति हेतु)	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करना।	20000	-	अनुसूचित जाति बाहुल्य के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजसहायता।	मार्च,20	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करना।	12 माह
23	दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना		10000	-				
24	पर्यटन विकास की नई योजनाएं	पर्यटन विकास की नई योजनाएं	-	5000	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन विकास की नई योजनाओं का सृजन।	मार्च,20	पर्यटन का विकास	12 माह
	योग 30		30000	5000				
	अनुदान सं०-31							
25	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जनजाति हेतु)	अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करना।	10000	-	अनुसूचित जन जाति बाहुल्य के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज सहायता।	मार्च,20	अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करना।	12 माह
26	दीन दयाल		5000	-				

	उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना							
27	पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना	पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना	-	5000	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के उद्यमियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता।	मार्च,20	स्वरोजगार प्रदान करना।	12 माह
	योग 31		15000	5000				

पशुपालन विभाग

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0:-(Goal-2: Zero Hunger)
(धनराशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य / आउटकम	आउट ले / बजट (लाख रू०) (2020-21)		1.04.2019 की स्थिति (वेस लाइन) (2018-19)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टडेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टडेड) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केन्द्र पोषित योजना-			राजस्व	पूंजीगत					
1	उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद-50 प्र.के. पां.	राज्य में पशुचिकित्साविदों का पंजीकरण कार्य करना।	12.84	0.00	पशुचिकित्साविदों का पंजीकरण: नवीनीकरण-52 स्थायी पंजीकरण-115	पशुचिकित्साविदों का पंजीकरण: नवीनीकरण-70 स्थायी पंजीकरण-70	पशुचिकित्साविदों का पंजीकरण। नवीनीकरण / स्थायी पंजीकरण / अस्थाई पंजीकरण	पशुचिकित्साविदों हेतु वैधानिक संस्था का गठन कर उत्तराखण्ड के पशुचिकित्साविदों का पंजीकरण कर पशुपालकों को स्तरीय पशुचिकित्सा सेवा देना।	निरन्तर
2	रिन्डरपेंस्ट उन्मूलन योजना (100 प्र.के. पो.)	रिन्डरपेंस्ट रोग की उन्मूलन तथा सर्विलेंस करना।	9.50	0.00	ग्राम सर्विलेंस-5712 डेबुक निरीक्षण-7578	ग्राम सर्विलेंस-8417	डेबुक निरीक्षण तथा ग्राम सर्विलेंस कार्यक्रम।	प्रदेश को आर.पी. रोग से मुक्त रखना (शून्य इन्सीडेन्स)।	निरन्तर
3	पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (90 प्र.के.पो)	पशुओं हेतु विभिन्न रोगों से बचाव हेतु लाजिस्टिकस वैक्सीन का क्रय / गोष्ठियों का आयोजन।	90.00	0.00	HS-4.51 लाख, BQ-2.42 लाख, ARV-0.71 लाख, FP-1.05 लाख, RD-1.27 लाख।	HS-4.00 लाख, BQ-2.00 लाख, ARV-1.00 लाख, FP-1.00 लाख, RD-1.00 लाख।	190 ब्लाकस्तर एवं 13 जनपद स्तरीय गोष्ठियों का आयोजन / टीकाकरण।	1.प्रदेश के पशुओं को संक्रमित रोगों से रोग मुक्त करना। 2. पशुओं की चिकित्सा कर उनका उत्पादन बढ़ाना। 3. पशुपालकों में संक्रामक रोगों के प्रति जागरूकता।	निरन्तर

पशुपालन विभाग

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0:-(Goal-2: Zero Hunger)
(धनराशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य / आउटकम	आउट ले / बजट (लाख रू०) (2020-21)		1.04.2019 की स्थिति (वेस लाइन) (2018-19)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टडेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टडेड) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	पशु रोग सूचना तंत्र (100 प्र.के.स.)	ब्लाक स्तर से राष्ट्र स्तर पर सूचनाओं का इन्टरनेट के माध्यम से प्रेषण।	4.50	0.00	पशु रोग संबंधी त्वरित सूचनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर संवहन तथा शीघ्र रोग की रोकथाम। सूचना संवहन-58 कार्यरत।	सूचना संवहन-95	95 ब्लाक स्तरीय 13 जनपद स्तरीय 02 राज्य स्तरीय कार्यालयों में ब्राड बैंड सुविधायुक्त कम्प्यूटर की उपलब्धता।	पशु रोग सम्बन्धी त्वरित सूचनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर संवहन तथा शीघ्र रोग की रोकथाम। सूचना संवहन-95 ब्लाक।	निरन्तर
5	वर्तमान पशु चिकित्सालयों एवं पशु औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढीकरण	विभागीय संस्थाओं को राजकीय भवन में व्यवस्थित करना एवं वर्तमान भवनों का सुदृढीकरण कर अवस्थापना विकास।	15.00	81.00	पशुपालक को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से निकटस्थ स्थान पर उचित चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना।	पशु चिकित्सालयों / पशु औषधालयों के भवन निर्माण / सुदृढीकरण।	पशु चिकित्सालयों / पशु औषधालयों के भवन निर्माण / सुदृढीकरण।	पशुपालक को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से निकटस्थ स्थान पर उचित चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना।	निरन्तर
6	ब्रूसेला रोग नियंत्रण की योजना-90 प्र. के.स.	ब्रूसैला रोग नियंत्रण।	0.03	0.00	जनेटिक महत्व के ब्रूसैला का रोग नियंत्रण।	ब्रूसैला रोग नियंत्रण के अर्न्तगत 13000 टीकाकरण किया जाना है।	रोग नियंत्रण।	जनेटिक महत्व के ब्रूसैला का रोग नियंत्रण।	निरन्तर
7	पशुधन स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम-90 प्र.के.स.	पी.पी.आर रोग पर नियंत्रण।	60.00	0.00	पी0 पी0 आर0-8.80 लाख	पी0 पी0 आर0-8.00 लाख	रोग नियंत्रण।	भेड एवं बकरियों की मृत्यु दर में नियंत्रण कर उत्पादकता में वृद्धि।	निरन्तर

पशुपालन विभाग

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0:-(Goal-2: Zero Hunger)
(धनराशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य / आउटकम	आउट ले / बजट (लाख रू०) (2020-21)		1.04.2019 की स्थिति (वेस लाइन) (2018-19)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	खुरपका मुँहपका रोगों पर नियंत्रण की योजना	एफ0एम0डी0 रोग पर नियंत्रण	0.03	0.00	पशु टीकाकरण-43.94 लाख	पशु टीकाकरण-43.90 लाख	एफ0एम0डी0 रोग नियंत्रण।	मुँहपका-खुरपका रोग से संक्रमित पशुओं को टीकाकरण के माध्यम से बचाव करना।	निरन्तर
9	नेशनल पशुधन मिशन-के0स0	नेशनल पशुधन मिशन का संचालन।	1050.00	0.00	पशुओं का बीमा-13580 चारा विकास - 47 है. इनोवेटिव-02	पशुओं का बीमा-26261 चारा विकास - 72 है. मदर पोल्ट्री-26 इनोवेटिव-02	पशुओं का बीमा, इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिवटी, चारा विकास,।	रिस्क मैनेजमेन्ट (पशु बीमा) चारा विकास, कौशल विकास, मदर कुक्कुट पालन इकाई स्थापना।	निरन्तर
10	प्रदेश में 20वीं पशुगणना का कार्य 100 प्र.के.स.	पशुगणना संबंधी कार्यों का सम्पादन।	24.00	0.00	विभिन्न कार्यक्रमों हेतु पशु संख्या संबंधी आँकड़े एकत्रित करना तथा उनका उपयोग राज्य विकास हेतु करना।	राज्य में 20वीं पशुधन संगणना का कार्य अंतिम चरण में।	20वीं पशुधन संगणना के आँकड़ों का राज्य के विभिन्न योजनाओं में उपयोग।	विभिन्न कार्यक्रमों हेतु पशु संख्या संबंधी आँकड़े एकत्रित करना तथा उनका उपयोग राज्य विकास हेतु करना।	निरन्तर

पशुपालन विभाग

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0:-(Goal-2: Zero Hunger)
(धनराशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य / आउटकम	आउट ले / बजट (लाख रू०) (2020-21)		1.04.2019 की स्थिति (वेस लाइन) (2018-19)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	सांख्यिकीय इकाई की स्थापना	पशुजन्य उत्पादों के अनुमानों का आँगणन।	101.76	0.00	29 कार्मिकों का अधिष्ठान पशुजन्य पदार्थों के ऋतुवार अनुमान निकालना। दैनिक दुग्ध उत्पादन प्रति दूध दे रही स्वदेशी गाय-2.190 कि०ग्रा०। वार्षिक अण्डा उत्पादन प्रति मुर्गी-219। वार्षिक ऊन उत्पादन प्रति भेड़- 1.536 कि०ग्रा०। माँस उत्पादन प्रति बकरी-15.312 कि०ग्रा०। दुग्ध उत्पादन-1791.96 ह०मी०टन। अण्डा उत्पादन-4531.83 लाख संख्या। मीट उत्पादन-291.85 लाख कि०ग्रा०। ऊन उत्पादन-551.98 ह०कि०ग्रा०।	28 कार्मिकों का अधिष्ठान। पशुजन्य पदार्थों के ऋतुवार अनुमान निकालना। वर्ष 2019-20 हेतु अनुमानित लक्ष्य:- दुग्ध उत्पादन-2006 ह०मी०टन। अण्डा उत्पादन-4720 लाख संख्या। ऊन उत्पादन- 601 ह०कि०ग्रा०। मीट उत्पादन- 308 लाख कि०ग्रा०।	28 कार्मिकों का अधिष्ठान। पशुजन्य पदार्थों के ऋतुवार अनुमान निकालना। वर्ष 2020-21 हेतु अनुमानित लक्ष्य:- दुग्ध उत्पादन-2126 ह०मी०टन। अण्डा उत्पादन-4861 लाख संख्या। ऊन उत्पादन- 607 ह०कि०ग्रा०। मीट उत्पादन- 314 लाख कि०ग्रा०।	योजनाओं के आधारभूत आंकड़ें जुटा कर भविष्य की योजनायें बनाना।	निरन्तर

पशुपालन विभाग

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0:-(Goal-2: Zero Hunger)
(धनराशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य / आउटकम	आउट ले / बजट (लाख रू०) (2020-21)		1.04.2019 की स्थिति (वेस लाइन) (2018-19)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टडे) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टडे) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			4	5	6	7	8	9	10
12	राष्ट्रीय देशी जेनोमिक केन्द्र	देशी नस्ल की प्रजाति का संवर्धन व संरक्षण का कार्य।	0.01	0.00	-	---	कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य उत्पादन।	देशी प्रजाति के संरक्षण व संरक्षण हेतु न्यूक्लियस हर्ड को व्यवस्थित करना।	निरन्तर
13	नकुल स्वास्थ्य पत्र	पशुपालक के द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।	25.32	0.00	हेल्थ कार्ड-1.50 लाख, टैग-1.50 लाख,	हेल्थ कार्ड-1.50 लाख, टैग-1.50 लाख,	104500 पशुओं को यू.आई.डी.(टैग एप्लीकेटर, हेल्थ कार्ड) उपलब्ध कराना।	पशुओं की पहचान व स्वास्थ्य की जानकारी सैक्स सार्टेड सीमन विधि से।	निरन्तर
14	लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	मादा संतति के उत्पादन से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि	945.70	0.00	---	स्ट्रो उत्पादन-2.00 लाख स्ट्रो वितरण-2.00 लाख	03 लाख उत्पादन स्ट्रो उत्पादन कर कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।	पशुओं का नस्ल सुधार करना। कृत्रिम गर्भाधान से अधिक मादा संतति उत्पन्न होने से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।	निरन्तर
योग (केन्द्र पोषित योजना)			2338.69	81.00					
राज्य सैक्टर									

पशुपालन विभाग

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0:-(Goal-2: Zero Hunger)
(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य / आउटकम	आउट ले / बजट (लाख रू0) (2020-21)		1.04.2019 की स्थिति (वेस लाइन) (2018-19)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टडेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टडेड) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	निदेशालय (अधिष्ठान)	विभागीय संस्थाओं हेतु औषधि / पशुधन हेतु आहार आदि की व्यवस्था तथा राज्य मण्डल तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों के कार्यों का संचालन।	23491.54	0.00	लगभग 3000 कार्मिकों का अधिष्ठान	लगभग 3000 कार्मिकों का अधिष्ठान	लगभग 3120 कार्मिकों का अधिष्ठान	राज्य के पशुचिकित्सालयों व औषधालय में भेड़, पशुधन, सूकर, बकरी प्रक्षेत्रों व संस्थाओं के नैतिक कार्यों का संचालन व उपचार तथा रोग नियंत्रण से उत्पादकता में वृद्धि।	निरन्तर
2	राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य	स्टेट आफ आर्ट पशु चिकित्सालय का निर्माण	0.00	914.00	---	स्टेट आफ आर्ट पशु चिकित्सालय का निर्माण	स्टेट आफ आर्ट पशु चिकित्सालय का निर्माण	स्टेट आफ आर्ट पशु चिकित्सालय का निर्माण	एक वर्ष
3	पशु चिकित्सालयों, पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण / भूमि क्रय (रा0सै0)	विभागीय भवनों का निर्माण कर पशुपालकों को तकनीकी सेवा / आकस्मिक सेवायें उपलब्ध कराना।	0.00	100.00	पशु सेवा केन्द्र - 01	पशु चिकित्सालय-02	02 पशु सेवा केन्द्रों को विभागीय भवनों में व्यवस्थित करना, अवस्थापना विकास।	विभागीय भवनों में आधुनिक उपकरण स्थापित कर आधुनिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना।	एक वर्ष

पशुपालन विभाग

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0:-(Goal-2: Zero Hunger)
(धनराशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य / आउटकम	आउट ले / बजट (लाख रू०) (2020-21)		1.04.2019 की स्थिति (वेस लाइन) (2018-19)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टडे) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टडे) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	पशुपालकों को लिंग वर्गीकृत वीर्य हेतु अनुदान	सैक्स सार्टेड सीमन में पशुपालकों को अनुदान उपलब्ध करना	1600.00	0.00	---	01 लाख सैक्स सार्टेड सीमन के उत्पादन उपयोग हेतु अनुदान	03 लाख सैक्स सार्टेड सीमन हेतु अनुदान प्रदान कर कृत्रिम गर्भाधान करवाना	कृत्रिम गर्भाधान से मादा संतति उत्पन्न। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।	निरन्तर
5	परजीवी कृमियों से बचाव	रोग नियंत्रण	1600.00	0.00	---	44.13 लाख पशुओं में प्रत्येक चरण में परजीवी नाशक दवा का उपयोग।	44.13 लाख पशुओं में प्रत्येक चरण में परजीवी नाशक दवा का उपयोग।	पशु स्वस्थ होने से पशुपालक की आर्थिकी में सुधार व दुग्ध / मांस उत्पादन में वृद्धि।	निरन्तर
6	ब्लॉक स्तर पर विभिन्न पशु चिकित्सालयों का संचालन एवं रखरखाव	पशु चिकित्सालयों में आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराना	280.00	0.00			आधुनिक चिकित्सा से पशुपालकों के पशुओं को चिकित्सा सुविधा करना	पशुपालकों को ब्लॉक स्तर पर आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराना	निरन्तर
7	पैरावैट को कृत्रिम गर्भाधान प्रोत्साहन योजना	कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना	150.00	0.00			पशुपालकों के पशुओं का नस्ल सुधार करना	पैरावैटों को कृत्रिम गर्भाधान करने हेतु प्रोत्साहित कर आय में वृद्धि तथा पशुओं में नस्ल सुधार करना	निरन्तर

पशुपालन विभाग

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0:-(Goal-2: Zero Hunger)
(धनराशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य / आउटकम	आउट ले / बजट (लाख रू०) (2020-21)		1.04.2019 की स्थिति (वेस लाइन) (2018-19)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	पशुओं को विभिन्न रोगों के संक्रमण से बचाने की योजना	पशुपालक के पशुओं का संक्रामक बीमारियों से बचाव तथा रोग नियंत्रण।	20.00	0.00	आकस्मिक / आपदा / विशेष क्षेत्र में किसी बीमारी के फैलने की स्थिति में होने वाला व्यय।	आकस्मिक / आपदा / विशेष क्षेत्र में किसी बीमारी के फैलने की स्थिति में होने वाला व्यय।	आकस्मिकता की स्थिति हेतु जीवन रक्षक औषधि इत्यादि का क्रय व भण्डारण।	प्रदेश के पशुओं को संक्रमित रोगों से रोग मुक्त करना।	निरन्तर
9	गौसदनों की स्थापना-	निराश्रित / गौवंशीय पशुओं को संरक्षण प्रदान करना।	250.00	0.00	पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था - 22	पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था - 26	पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं, गौसदनों के पशुओं के भरणपोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।	बीमार, अशक्त, पशुओं को उचित शरणस्थली प्रदान करना तथा दुर्घटना आदि को रोकना जनस्वास्थ्य एवं यातायात को प्रभावित होने से रोकना, गौवंश संरक्षण।	निरन्तर
10	महिला बकरी पालन योजना	अशक्त, विधवा महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना।	125.30	0.00	आजीविका उत्थान व स्वरोजगार उपलब्ध कराना। मांस उत्पादन में प्रतिशत की वृद्धि। 85 बकरी पालन इकाईयों स्थापना।	आजीविका उत्थान व स्वरोजगार उपलब्ध कराना। मांस उत्पादन में प्रतिशत की वृद्धि। 224 बकरी पालन इकाईयों स्थापना।	358 महिला बकरी पालन इकाईयों की स्थापना।	आजीविका उत्थान व स्वरोजगार उपलब्ध कराना। मांस उत्पादन में वृद्धि।	निरन्तर

पशुपालन विभाग

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0:-(Goal-2: Zero Hunger)
(धनराशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य/ आउटकम	आउट ले/बजट (लाख रू०) (2020-21)		1.04.2019 की स्थिति (वेस लाइन) (2018-19)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टडेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टडेड) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			4	5					
11	बकरी पालन योजना	लोगों को बकरी पालन की ओर प्रोत्साहित कर आजीविका उत्थान व स्वरोजगार उपलब्ध कराना।	325.71	0.00	बकरी पालन ईकाई की स्थापना - 348	बकरी पालन ईकाई की स्थापना - 443	517 लाभार्थियों को बकरी पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराना।	बकरी पालन को बढ़ावा देना व स्वरोजगार उपलब्ध कराना। मांस उत्पादन में वृद्धि।	निरन्तर
12	भेड़ पालन योजना	लोगों को भेड़ पालन की ओर प्रोत्साहित कर आजीविका उत्थान व स्वरोजगार उपलब्ध कराना।	93.24	0.00	भेड़ पालन ईकाई की स्थापना - 109	भेड़ पालन ईकाई की स्थापना - 161	148 लाभार्थियों को भेड़ पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराना।	भेड़ पालन को बढ़ावा देना व स्वरोजगार उपलब्ध कराना साथ ही ऊन, में वृद्धि करना। मांस उत्पादन में वृद्धि।	निरन्तर
13	गौ पालन योजना	लोगों को गौपालन की ओर प्रोत्साहित कर आजीविका उत्थान व स्वरोजगार उपलब्ध कराना।	242.64	0.00	गौ पालन ईकाई की स्थापना - 666	गौ पालन ईकाई की स्थापना - 666	674 लाभार्थियों को गौ पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराना।	गौ पालन को बढ़ावा देना व स्वरोजगार उपलब्ध कराना। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।	निरन्तर
14	चारा बैंकों (भण्डारण एवं वितरण गृह) की स्थापना	न्याय पंचायत स्तर पर संपीडित सुपाच्य चारा उपलब्ध कराना।	73.56	0.00	05 न्याय पंचायतों में चारा बैंको की स्थापना।	08 न्याय पंचायतों में चारा बैंको की स्थापना।	04 न्याय पंचायतों में चारा बैंको की स्थापना करना।	य संपीडित चारा स्थ पर उपलब्ध कराकर उत्पादन में वृद्धि।	निरन्तर

पशुपालन विभाग

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0:-(Goal-2: Zero Hunger)
(धनराशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य / आउटकम	आउट ले / बजट (लाख रू०) (2020-21)		1.04.2019 की स्थिति (वेस लाइन) (2018-19)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टडेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टडेड) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	नाबार्ड पोषित योजनायें	03 भेड़ प्रक्षेत्रों, हीफर रिपेरिंग सेंटर व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना व सुदृढीकरण / आधुनिकीकरण	300.00	665.76	03 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों का आधुनिकीकरण	03 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र 01 हीफर केन्द्र 01 प्रशिक्षण केन्द्र	03 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण एक हीफर केन्द्र व एक प्रशिक्षण केन्द्र, पशुरोग नियंत्रण प्रयोगशाला व वैटरिनरी रैफरल कम ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना।	प्रक्षेत्रों का आधुनिकीकरण एवं आधुनिकतम तकनीक का प्रशिक्षण से विभागीय कार्यो को गति प्रदान करना।	निरन्तर
योग (राज्य सैक्टर)			28551.99	1679.76					
कुल योग-(केन्द्र पोषित एवं राज्य सैक्टर योजना)			30890.68	1760.76					

पेयजल विभाग का वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु Outcome Budget

विभाग का नाम पेयजल विभाग

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस0डी0जी0 Goals/Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21		दिनांक 01.04.2019 की स्थिति (बैस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम		समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत		पूँजीगत	पूँजीगत				
01	ग्रामीण पेयजल योजनायें	ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध कराना।	5697.50	34710.01	वर्ष 2030 तक ग्रामीण जनसंख्या को मानकों के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना (40एलपीसीडी)। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल 1400 आंशिक सेवित (पी.सी.) ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्रोत कार्य, पाईप लाईन, जलाशय आदि कार्यों को सम्पादित कराना। 9 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। जिसके अन्तर्गत 75 ग्रामीण योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण करना। ग्रामीण गुरुत्व व पम्पिंग पेयजल योजनाओं का रखरखाव किया जाना। 50 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार/मरम्मत/रखरखाव, 750 हैण्डपम्प अधिष्ठापन, 150 आयन रिमूवल किट का अधिष्ठापन। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन लागू किये जाने के फलस्वरूप 55 एल.पी.सी.डी. की दर से हर घर नल से जल (एफएचटीसी) उपलब्ध कराया जाना है। वर्तमान में राज्यान्तर्गत कुल 1509758 परिवार हैं, जिसमें से 184125 परिवारों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में एफएचटीसी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।	कुल आंशिक सेवित बस्तियों की संख्या-16146 थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 1320 बस्तियों को पेयजल से लाभान्वित किए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 1139 बस्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्तमान में राज्यान्तर्गत कुल 1509758 परिवार हैं, दिनांक 01.04.2019 को 216182 एफएचटीसी उपलब्ध है।	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल 1400 आंशिक सेवित (पी.सी.) ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्रोत कार्य, पाईप लाईन, जलाशय आदि कार्यों को सम्पादित कराना। 9 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। जिसके अन्तर्गत 75 ग्रामीण योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण करना। ग्रामीण गुरुत्व व पम्पिंग पेयजल योजनाओं का रखरखाव किया जाना। 50 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार/मरम्मत/रखरखाव, 750 हैण्डपम्प अधिष्ठापन, 150 आयन रिमूवल किट का अधिष्ठापन। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन लागू किये जाने के फलस्वरूप 55 एल.पी.सी.डी. की दर से हर घर नल से जल (एफएचटीसी) उपलब्ध कराया जाना है। वर्तमान में राज्यान्तर्गत कुल 1509758 परिवार हैं, जिसमें से 184125 परिवारों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में एफएचटीसी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।	ब			
		पैरी अरबन क्षेत्रों में नगरीय मानकों के अनुरूप पेयजल व्यवस्था	1200.00	18300.00	वर्ष 2030 तक सभी को मानकों के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना (135एलपीसीडी)। 22 सेन्सस टाउन को विश्व बैंक सहायता से शहरी मानकों के अनुसार 135 एल0पी0सी0डी0 की दर से पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु स्वीकृत डी.पी.आरों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजनाओं के कार्य प्रारम्भ करते हुये 3 पेयजल योजनाओं को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित तथा 29182 मापित जलसंयोजन उपलब्ध कराया जाना तथा 1.45 लाख जनसंख्या को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।	35 सेन्सस टाउन में मानकों से कम पेयजल उपलब्ध है तथा 22 चयनित सेन्सस टाउन में मानकों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु 12 डी0पी0आर0 तैयार। वर्तमान में 12 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ।	22 सेन्सस टाउन को विश्व बैंक सहायता से शहरी मानकों के अनुसार 135 एल0पी0सी0डी0 की दर से पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु स्वीकृत डी.पी.आरों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजनाओं के कार्य प्रारम्भ करते हुये 3 पेयजल योजनाओं को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित तथा 29182 मापित जलसंयोजन उपलब्ध कराया जाना तथा 1.45 लाख जनसंख्या को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।				

क्र०सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस०डी०जी० Goals/Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	दिनांक 01.04.2019 की स्थिति (बैस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत		पूँजीगत		पूँजीगत	
02	वाह्य सहायतित्त परियोजना	नगरीय क्षेत्र में मानकों के अनुरुप पेयजल व्यवस्था।	500.00		वर्ष 2030 तक सभी को मानकों के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना (135एलपीसीडी)।	38 समस्याग्रस्त नगरों को मानकों के अनुरुप (135 एल.पी.सी.डी.) पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु रू० 1058.00 करोड़ का ऋण प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गयी है। जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैंक से ऋण प्रस्ताव हेतु एम०ओ०यू० किया जाना प्रस्तावित एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना लक्षित है।	उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुल 91 नगरों में से 23 नगरों को मानकों के अनुरुप पेयजल उपलब्ध हो रहा है। 32 नगरों को 70-134 एल.पी.सी.डी. तथा 36 नगरों को 70 एल.पी.सी.डी. से कम पेयजल उपलब्ध हो रहा है।	38 समस्याग्रस्त नगरों को मानकों के अनुरुप (135 एल.पी.सी.डी.) पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु रू० 1058.00 करोड़ का ऋण प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गयी है। जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैंक से ऋण प्रस्ताव हेतु एम०ओ०यू० किया जाना प्रस्तावित एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना लक्षित है।	
		नगरीय जलोत्सारण व्यवस्था।		1000.00	वर्ष 2030 तक सभी प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों को प्रदूषण मुक्त करना।	हरिद्वार एवं ऋषिकेश नगरों को पूर्ण रूप से जलोत्सारण सुविधा से आच्छादित किये जाने हेतु डी०पी०आर० विरचन	हरिद्वार एवं ऋषिकेश नगर में कई क्षेत्रों में सीवर नेटवर्क उपलब्ध नहीं है।	हरिद्वार एवं ऋषिकेश नगरों को पूर्ण रूप से जलोत्सारण सुविधा से आच्छादित किये जाने हेतु डी०पी०आर० विरचन	
03	नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनायें	नगरीय क्षेत्र में जनता को पेयजल एवं जलोत्सारण व्यवस्था करना।	4565.00	5575.00	वर्ष 2030 तक सभी को मानकों के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना (135एलपीसीडी)। वर्ष 2030 तक सभी प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों को प्रदूषण मुक्त करना।	7 नगरों में पेयजल व्यवस्था एवं 4 आंशिक शहरों में जलोत्सारण व्यवस्था। डीडीहाट, चम्पावत, पिथौरागढ़ सहित तीन नगरों की योजनायें पूर्ण कर मानकों के अनुरुप पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।	23 नगरों में मानकों के अनुरुप पेयजल उपलब्ध है तथा 26 नगरों में आंशिक सीवर नेटवर्क उपलब्ध है।	7 नगरों में पेयजल व्यवस्था एवं 4 आंशिक शहरों में जलोत्सारण व्यवस्था। डीडीहाट, चम्पावत, पिथौरागढ़ सहित तीन नगरों की योजनायें पूर्ण कर मानकों के अनुरुप पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।	

क्र०सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस०डी०जी० Goals/Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	दिनांक 01.04.2019 की स्थिति (बैस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत		पूँजीगत		पूँजीगत	
04	नमामि गंगे	नदियों को प्रदूषण मुक्त करना।	2306.90	550.00	वर्ष 2030 तक सभी प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों को प्रदूषण मुक्त करना।	'नमामि गंगे परियोजना' के अन्तर्गत गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे स्थित प्राथमिकता के 15 नगरों में पूर्व निर्मित एस.टी.पी. के उच्चीकरण, नवीन एस.टी.पी. के निर्माण तथा गन्दे नालों के एस.टी.पी. में Diversion से सम्बन्धित 21 निर्माणाधीन परियोजनाएँ लागत ₹ 893.06 करोड़ के वित्तीय वर्ष 2020-21 में समस्त कार्य पूर्ण किये जाने प्रस्तावित। इसके अतिरिक्त दो नगरों, जिनमें कोसी नदी के किनारे रामनगर एवं देहरादून नगर में रिस्पना एवं बिन्दाल नदी में गिर रहे नालों को रोकने एवं उपचार हेतु दो परियोजनायें ₹ 118.81 करोड़ स्वीकृत हैं जिनके कार्य भी वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्ण किये जाने प्रस्तावित हैं। इन अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर वर्ष 2021 तक गंगा नदी की मुख्य धारा में अपरिशोधित सीवर अथवा अन्य प्रदूषित जल के जाने पर पूर्ण रोक लगाये जाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।		'नमामि गंगे परियोजना' के अन्तर्गत गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे स्थित प्राथमिकता के 15 नगरों में पूर्व निर्मित एस.टी.पी. के उच्चीकरण, नवीन एस.टी.पी. के निर्माण तथा गन्दे नालों के एस.टी.पी. में Diversion से सम्बन्धित 21 निर्माणाधीन परियोजनाएँ लागत ₹ 893.06 करोड़ के वित्तीय वर्ष 2020-21 में समस्त कार्य पूर्ण किये जाने प्रस्तावित। इसके अतिरिक्त दो नगरों, जिनमें कोसी नदी के किनारे रामनगर एवं देहरादून नगर में रिस्पना एवं बिन्दाल नदी में गिर रहे नालों को रोकने एवं उपचार हेतु दो परियोजनायें ₹ 118.81 करोड़ स्वीकृत हैं जिनके कार्य भी वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्ण किये जाने प्रस्तावित हैं। इन अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर वर्ष 2021 तक गंगा नदी की मुख्य धारा में अपरिशोधित सीवर अथवा अन्य प्रदूषित जल के जाने पर पूर्ण रोक लगाये जाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।	
05	स्वच्छ भारत मिशन	ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थाई स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देते हुये खुले में शौच की प्रथा से राज्य को पूर्णतया मुक्त कर निर्मल राज्य घोषित करना।	1000.00	8132.00	वर्ष 2030 तक सभी को स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराना।	वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वच्छता के स्तर को बनाये रखे जाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत राज्य के कुल 1562046 ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण कर आच्छादित किया जाना प्रस्तावित। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवशेष 1613 परिवारों को लामान्वित किया जाना लक्षित। इस प्रकार मार्च, 2021 तक 100 प्रतिशत।	दिनांक 01.04.2019 को 1538373 ग्रामीण परिवारों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्मित है। इस प्रकार आच्छादन 99.60 प्रतिशत है। दिनांक 31.03.2020 को 99.90 प्रतिशत उपलब्धि की सम्भावना।	वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वच्छता के स्तर को बनाये रखे जाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत राज्य के कुल 1562046 ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण कर आच्छादित किया जाना प्रस्तावित। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवशेष 1613 परिवारों को लामान्वित किया जाना लक्षित।	एक वर्ष
06	विद्युत देयको का भुगतान, ग्रेच्युटी भुगतान	विद्युत देयकों का भुगतान, ग्रेच्युटी भुगतान	25000.00	0.00	-	विद्युत देयकों का भुगतान, ग्रेच्युटी भुगतान	-	पेयजल उत्पादन में प्रयुक्त विद्युत देयकों का भुगतान, कार्मिकों का ग्रेच्युटी का भुगतान।	

आउटकम / परफॉरमेंस बजट 2020-21

विभाग का नाम: प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी
प्रशिक्षण प्रखण्ड

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0:-08

विभाग द्वारा प्रस्तावित (वर्ष 2020-21) की प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में सूचना प्रशिक्षण विभाग अनुदान संख्या 18 (धनराशि लाख ₹0 में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले हजार ₹0 में		01.04.2019 की (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्पावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व /	पूजीगत					
State sector scheme									
01	निदेशालय स्थापना 2230-03-003-01	इस योजना के अन्तर्गत निदेशालय के वेतन भत्तों एवं सामान्य कार्यसंपादित किये जाने हेतु व्यय सम्मिलित है	494.53	-	निदेशालय अधिष्ठान संबंधी व्यय	इसके अन्तर्गत विभाग के कार्य संचालन हेतु निदेशालय में कार्यरत 44 कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भत्तों एवं सामान्य कार्यसंचालन विभागीय कार्य को गति देने हेतु व्यय सम्मिलित है।	निदेशालय के 44 कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भत्तों एवं सामान्य कार्यसंचालन पर आधारित व्यय सम्मिलित है।	प्रशिक्षण विभाग के कार्यों के निरीक्षण/ अनुश्रवण हेतु निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों को गति देने एवं विभाग को सहयोग प्रदान किया गया है।	1 वर्ष
02	मॉडल रा0औ0प्र0 संस्थान 2230-03-003-0102 70% CSS	इस योजना के अन्तर्गत रा0औ0प्र0 संस्थान हरिद्वार के कार्यशाला एवं थ्योरी कक्षाओं के निर्माण कार्य एवं साज-सज्जा सम्मिलित है।	1000.00	-	-	इसके अन्तर्गत संस्थान के युवाओं को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	इसके अन्तर्गत संस्थान के युवाओं को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्ता परक तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना	1 वर्ष
03	2230-03-003-0103 स्ट्राइव योजना	राज्य के चयनित औ0प्रशि0 संस्थानों में गुणवत्ता पूर्ण सुधार तथा शिशिक्षु प्रशिक्षण में सुधार कर प्रशिक्षुओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना	475.60	-	-	राज्य की 05 राजकीय औ0 प्रशि0 संस्थान योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा चयनित किये जा चुके हैं।	योजनान्तर्गत चयनित संस्थानों के प्रदर्शन में सुधार किया जाना, राज्य सरकार की क्षमता में वृद्धितथा शिशिक्षु प्रशिक्षण का सुधार एवं उसका विस्तारीकरण किया जाना है	प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्ता परक तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना	1 वर्ष
04	संकल्प योजना 2230-03-003-0104 90% CSS	कौशल विकास के अन्तर्गत एक नई योजना संकल्प की स्वीकृति उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति को प्राप्त हुई है।	500.00	-	-	संकल्प योजना के गाइडलाइन के अनुसार कौशल विकास मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति तथा संस्थागत ङांचे को सुदृढ़ करना है।	-	जिला स्तरीय कार्यालयों को सुदृढ़ करते हुये प्रशिक्षण को बाजार मांग के अनुरूप तैयार कर गुणवत्ता में सुधार लाना है।	01 वर्ष
05	दस्तकार प्रशिक्षण योजना 2230-03-003-03	इस योजना के अन्तर्गत 93 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के वेतन भत्तों एवं सामान्य कार्य संचालन हेतु तथा नई रा0औ0प्र0सं0 हेतु व्यय सम्मिलित हैं	11818.52	-	148 राजकीय औ0प्रशि0 संस्थानों के अधिष्ठान तथा प्रशिक्षण संबंधी व्यय	इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों तथा सामान्य प्रशिक्षण कार्य सम्पादित किये जाने हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों तथा सामान्य प्रशिक्षण कार्य सम्पादित किये जाने हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	इस योजना के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न उद्योगों में सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।	1 वर्ष
06	शिशिक्षु प्रशिक्षण 2230-03-102-03	इस योजना के अन्तर्गत शिशिक्षु प्रशिक्षण हेतु मानदेय एवं यात्रा व्यय एवं प्रशिक्षण व्यय आदि	0	-	-	इस योजना के अन्तर्गत शिशिक्षु प्रशिक्षण हेतु मानदेय एवं यात्रा व्यय एवं प्रशिक्षण व्यय किया जाता है।	-	इस योजना को 2230-03-003-03 में सगायोजित किया गया है।	1 वर्ष

07	रा0औ0प्र0 स0 का सुदृढीकरण 2230-03- 003-07	इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न रा0औ0प्र0 सं0 हेतु लघु निर्माण, मशीन साज सज्जा एवं अनुरक्षण कार्य हेतु व्यय सम्मिलित है।	0	-	-	इस योजना के अन्तर्गत निर्माण/मरम्मत व्यय एवं प्रशिक्षार्थियों हेतु साज सज्जा की पूर्ती हेतु व्यय किया जाता है।	-	इस योजना को 2230-03-003-03 में समायोजित किया गया है। इस योजना से विभिन्न रा0औ0प्र0सं0 में निर्माण / मरम्मत से औ0प्र0सं0 सुदृढ होंगे।	1 वर्ष
08	सलाहकार समिति 2230-03- 003-08	इस योजना के अन्तर्गत शासन से नियुक्त (माननीयों) अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के मानदेय, यात्रा भत्ता आदि व्यय सम्मिलित है।	12.81	-	-	इस योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा नामित सलाहकार द्वारा विभागीय कार्यों को गति देने हेतु सुझाव प्रदान किये जाते हैं। वर्तमान में शासन द्वारा सलाहकार समिति नामित नहीं है।	इस योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा नामित सलाहकार द्वारा विभागीय कार्यों को गति देने हेतु सुझाव प्रदान किये जाते हैं।	इस योजना से सलाहकार समिति द्वारा उच्च सुझाव देने से प्रशिक्षण कार्य मजबूत होगा।	1 वर्ष
09	नये व्यवसाय/ अतिरिक्त युनिट 2230-03- 003-09	इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न रा0औ0प्र0सं0 में नये व्यवसाय/ अतिरिक्त युनिट हेतु व्यय सम्मिलित है।	0	-	-	इस योजना के अन्तर्गत नये ट्रेड/अतिरिक्त युनिट खोलने से कुशल प्रशिक्षार्थियों की संख्या में और वृद्धि होगी।	-	इस योजना को 2230-03-003-03 में समायोजित किया गया है।	1 वर्ष
10	वर्क फोर्स डेवलपमेंट 2230-03- 003-97-01	इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न रा0औ0प्र0सं0 का अवस्थापना विकास तथा 10000 हजार युवाओं के कौशल विकास का कार्य हेतु व्यय सम्मिलित है।	3800.00	-	1- 25 संस्थानों के मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु Consulting Firm से अनुबन्ध हस्ताक्षरित तथा मास्टर प्लान तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी थी।	1-इस योजना के अन्तर्गत 25 रा0औ0प्र0सं0 के मास्टर प्लान तैयार है। 2-समस्त संचालित संस्थानों में कार्यरत समस्त स्टाफ के आगामी 04 वर्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार है। 3-12 संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यों से राजस्व अर्जन कार्य प्रारम्भ। 4-प्रदेश के 20000 युवाओं को अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ।	1- विभिन्न व्यवसायों का उद्योगों के अनुरूप उच्चीकरण 2-उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार नये व्यवसाय प्रारम्भ करना। 3-आच्छादित संस्थानों में छात्र संख्या में वृद्धि। 4-राज्य के समस्त संस्थानों में कार्यरत स्टाफ की विभिन्न प्रशिक्षणों में प्रतिभाग के फलस्वरूप कार्यकुशलता में वृद्धि। 5-अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण से राजस्व अर्जन कार्यों में वृद्धि। 6-16000 युवा अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित।	1-उद्योगों के अनुरूप संचालित किये जाने वाले व्यवसायों में अधिक से अधिक छात्र/छात्राएँ पास आउट होंगे। 2-पास आउट छात्रों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। 3-पास आउट छात्रों को अधिक वेतन पर रोजगार प्राप्त हो सकेंगे। 4-प्रशिक्षण के माध्यम से राजस्व अर्जन के कारण स्वरोजगार करने हेतु छात्रों को अधिक अनुभव एवं प्रेरणा प्राप्त होगी। 5-प्रशिक्षण के माध्यम से राजस्व अर्जन के कारण राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्ति होगी तथा प्रशिक्षार्थियों को भी उच्च गुणवत्ता का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण प्राप्त होगा तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। 6- अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उत्तीर्ण युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे साथ ही उनके मानदर्यों में भी वृद्धि अपेक्षित है।	03 वर्ष

11	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 100 प्रतिशत के 0सहा0 2230-03-102-01-02 100% CSS	इस योजना के अन्तर्गत परियोजना निदेशक कौशल विकास देहरादून को विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के युवाओं को कौशल प्रदान कर उद्यमिता एवं रोजगार से जोड़े जाने हेतु व्यय सम्मिलित है।	1500.00	—	10185 युवा प्रशिक्षणोप रान्त प्रगाणित	इसके अन्तर्गत राज्य के 12630 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से उद्यमिता एवं रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित कर तृतीय पक्ष से मुल्यांकन कर प्रमाण किया जाना प्रस्तावित है।	15000	15000 प्रशिक्षुओं को अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	1 वर्ष
12	राज्य कौशल विकास 2230-03-102-04	इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु।	1600.00	—	—	इस योजना के अन्तर्गत कौशल विकास योजना से आच्छादित न होने वाले संस्थानों में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु।	10000	10000 प्रशिक्षुओं को अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	1 वर्ष
13	4059-60-051-01-02 मॉडल रा0औ0प्र0 संस्थान (70 प्रतिशत CSS)	इस योजना के अन्तर्गत रा0औ0प्र0 संस्थान हरिद्वार के कार्यशाला एवं थ्योरी कक्षाओं के निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं।	—	0.01	—	इसके अन्तर्गत संस्थान के युवाओं को उच्च प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	—	संस्थान के प्रशिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता के प्रशिक्षण दिये जाने हेतु धनराशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	1 वर्ष
14	वर्क फोर्स डेवलपमेंट फार मॉडल इकोनोमी 4059-60-051-97-01	इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न रा0औ0प्र0सं0 का अवस्थापना विकास का कार्य हेतु व्यय सम्मिलित है।	—	2500.00	—	इस योजना के अन्तर्गत योजनान्तर्गत चयनित 25 रा0औ0प्र0सं0 का अवस्थापना विकास मास्टर प्लान के आधार पर किया जाना है।	1- आच्छादित संस्थान State of the art आई0टी0आई0 के रूप में विकसित होंगे।	इस योजना के अन्तर्गत रा0औ0प्र0सं0 के अवस्थापना कार्य एवं कौशल विकास होने से प्रशिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी जिससे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान होंगे।	03 वर्ष
15	रा0औ0प्र0 सं0 का सुदृढीकरण 4216-80-001-07	वृहद निर्माण — इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न रा0औ0प्र0सं0 के भवन निर्माण आदि कार्य पूर्ण करने एवं नये निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु व्यय सम्मिलित है।	—	400.00	—	इस योजना के अन्तर्गत 03 रा0औ0प्र0सं0 के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी।	राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 09 राजकीय औ0 प्रशि0संस्थानों के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित है।	इस योजना के अन्तर्गत रा0औ0प्र0सं0 के भवन निर्माण कार्य होने से प्रशिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी जिससे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान होंगे।	1 वर्ष
16	नाबार्ड के अन्तर्गत रा0औ0प्र0 सं0 भवन का निर्माण 4216-80-003-98-9801	इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न रा0औ0प्र0सं0 के भवन निर्माण हेतु नाबार्ड के माध्यम से निर्माण कार्य हेतु व्यय सम्मिलित है।	—	600.00	—	इस योजना के अन्तर्गत 01 रा0औ0प्र0सं0 के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।	योजनान्तर्गत 20 राजकीय औ0 प्रशि0 संस्थानों के अवशेष कार्य हेतु धनराशि प्रस्तावित है।	इस योजना के अन्तर्गत रा0औ0प्र0सं0 के भवन निर्माण कार्य होने से प्रशिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी जिससे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान होंगे।	1 वर्ष
अनुदान संख्या 30									
17	स्पेशल कम्पौनेन्ट प्लान 2230-03-003-02-0201	इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न रा0औ0प्र0सं0 हेतु भवन निर्माण मशीन साज सज्जा उपकरण एवं कार्य संचालन हेतु व्यय	105.50	—	—	इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न रा0औ0प्र0सं0 हेतु भवन निर्माण मशीन साज सज्जा उपकरण एवं कार्य संचालन हेतु व्यय	इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न रा0औ0प्र0सं0 हेतु मशीन साज सज्जा उपकरण एवं कार्य संचालन हेतु व्यय प्रस्तावित है।	इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न रा0औ0प्र0सं0 हेतु भवन निर्माण मशीन साज सज्जा उपकरण एवं कार्य संचालन हेतु व्यय किये जाने से प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिये	1 वर्ष

	SCSP	संमिलित है।				किया जाता है।		पर्याप्त उपकरण /स्थान उपलब्ध होंगे।	
अनुदान संख्या 31									
18	ट्रायबल सब प्लान 2230-03- 003-03- 0301 TSP	इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न रा0औ0प्र0स0 हेतु भवन निर्माण मशीन साज सज्जा उपकरण एवं कार्य संचालन हेतु व्यय संमिलित है।	68.50	-	-	इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न रा0औ0प्र0स0 हेतु भवन निर्माण मशीन साज सज्जा उपकरण एवं कार्य संचालन हेतु व्यय किया जाता है। राजकयी औ0 प्रशि0 संस्थान कालसी के भवन निर्माण हेतु पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।	इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न रा0औ0प्र0स0 हेतु मशीन साज सज्जा उपकरण एवं कार्य संचालन हेतु व्यय प्रस्तावित है।	इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित विभिन्न रा0औ0प्र0स0 हेतु भवन निर्माण मशीन साज सज्जा उपकरण एवं कार्य संचालन हेतु व्यय किये जाने से प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिये पर्याप्त उपकरण /स्थान उपलब्ध होंगे।	1 वर्ष

Chegg

आउटकम / परफॉरमेंस बजट 2020-21

विभाग का नाम: प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल
सेवायोजन प्रखण्ड

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0:-08

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले (रू0 लाख में)		1-4- 2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टर्ड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टर्ड) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
State Sector Scheme									
01	2230 श्रम तथा रोजगार 02-रोजगार सेवाये 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-रोजगार सम्बन्धी अधिष्ठान मतदेय	इसके अन्तर्गत विभाग के समस्त सेवायोजन कार्यालय के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भत्तों एवं सामान्य कार्यसंचालन विभागीय कार्य को गति देने हेतु व्यय सम्मिलित है।	1136.77		2271 युवाओं को रोजगार/प्रशिक्षणोपरान्तरोजगार प्रदान किया गया।	1351 युवाओं को रोजगार/प्रशिक्षणोपरान्तरोजगार प्रदान किया गया।	2200 युवाओं को रोजगार/प्रशिक्षणोपरान्तरोजगार प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	नियोजक तथा बेराजगार युवाओं को एक ही मंच पर लाना ताकि उद्योगों की मांग के अनुरूप मानव शक्ति उपलब्ध हो पायेगी।	1वर्ष
02	2230 श्रम तथा रोजगार 02-रोजगार सेवाये 004-रोजगार सेवाये 0101 मॉडल कैरियर केन्द्रों की स्थापना केन्द्र पोषित योजना। 100% CSS (MCC)	इस योजना के अन्तर्गत कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों को मजबूत किये जाने हेतु व्यय सम्मिलित है।	22.00		222 कैरियर वार्ताओं का आयोजन किया गया।	206 कैरियर वार्ताओं का आयोजन किया गया।	250	इस योजना के अन्तर्गत कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों को मजबूत किये जाने हेतु व्यय सम्मिलित है।	1वर्ष

03	2230- श्रम तथा रोजगार 02- रोजगार सेवाये 101- रोजगार सेवाये 01-केन्द्र पुरोनिधानित योजनाए01-इंटरलिंकंग ऑफ एम्पलायमेंट एक्सचेंज टू नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल	इस योजना के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के आयोजन हेतु व्यय सम्मिलित है।	0.01			इस योजना के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के आयोजन हेतु व्यय सम्मिलित है।	इस योजना के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के आयोजन हेतु व्यय सम्मिलित है।		
04	2230 श्रम तथा रोजगार 02-रोजगार सेवाये 101- रोजगार सेवाये 03- शिक्षण मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना मतदेय	इसके अन्तर्गत शिक्षण मार्गदर्शन केन्द्र में एस0 सी0 एस0 टी0 एवं पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षित किये जाने हेतु कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भत्तों एवं सामान्य कार्यसंचालन विभागीय कार्य को गति देने हेतु व्यय सम्मिलित है।	167.41	188	210	230	समाज के कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं के कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार हेतु तैयार करना।	1वर्ष	
05	2230 श्रम तथा रोजगार 02-रोजगार सेवाये 101- रोजगार 04 कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्रों का स्थापना विकलांग सहित एवं	इस योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2230-02-101-04 एवं 2230-02-101-06 को लेखाशीर्षक में जोड़ते हुए धनराशि की मांग की जा रही है। क्षेत्र के 22 सेवायोजन कार्यालयों के विकलांग सहित नेटवर्किंग एवं सेवायोजन कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों के	10.51	-	582 कैरियर वार्ताओं का आयोजन किया गया।	523 कैरियर वार्ताओं का आयोजन किया गया।	550 कैरियर वार्ताओं का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।	छात्र छात्राओं में अपनी क्षमता एवं अभिरुचि के अनुसार कैरियर चुनाव करने हेतु जागरूकता आयी।	1 वर्ष

	नेटवर्किंग	रूप में विकसित किये गये हैं। जिनके सुदृढ़िकरण एवं संचालन हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि व्यय आदि सम्मिलित हैं							
06	2230- श्रम तथा रोजगार 02- रोजगार सेवाये 101-रोजगार सेवाये 08-निर्धन वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग व्यवस्था	इस योजना के अन्तर्गत प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग व्यवस्था हेतु व्यय सम्मिलित है।	9.20		125 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी गई।	120 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी गई।	125 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी गई।	इस योजना के अन्तर्गत प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग व्यवस्था हेतु व्यय सम्मिलित है।	
07	2230- श्रम तथा रोजगार 02- रोजगार सेवाये 101- रोजगार सेवाये -02 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना	अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	69.41		188 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया।	210 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया।	230 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	इस योजना के अन्तर्गत क्षेत्र के 05 सी0सी0जी0स 10 केन्द्रों में अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।	1वर्ष
08	2230- श्रम तथा रोजगार 02- रोजगार सेवाये 001-निदेशन एवं प्रशासन	इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में लेखाशीर्षक 2230-02-796-02 में संचालित विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय कालसी के अधिकारी कर्मचारियों के वेतन एवं कार्यालय के	33.59		-			समाज के कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं के कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार हेतु तैयार किया गया।	1वर्ष

	02 बलसी देहरादून में जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय की स्थापना	सामान्य कार्य संचालन हेतु है।							
09	2230- अ म तथा रोजगार 02- रोजगार सेवाये 101-औद्य ोगिक संबंध 02 शिक्षण मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना	इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में लेखाशीर्षक 2230-02-796-01 से 2230-02-796-03 में स्थानान्तरित शिक्षण मार्गदर्शन केन्द्र में एस सी एस टी एवं पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षित किये जाने हेतु कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भत्तों एवं सामान्य कार्यसंचालन विभागीय कार्य को गति देने हेतु व्यय सम्मिलित है।	52.19		188 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया।	144 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया।	188 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	समाज के कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं के कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार हेतु तैयार किया गया।	1वर्ष



सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप—SDG 8

क्रम सं०	संकेतक	1-4- 2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21
8.5	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान युवाओं की संख्या	10184	12630	प्रशिक्षुओं को अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	15000
	पीएम केवाई योजना के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त युवाओं का प्रतिशत	46.2 प्रतिशत	35 प्रतिशत	प्रशिक्षुओं को अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	50 प्रतिशत

[Handwritten Signature]

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.4.19 की स्थिति (बेस लाईन)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 20120-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 20120-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
1.	निदेशन तथा प्रशासन	विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु नियुक्त कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि का भुगतान, कार्यों के सम्पादन हेतु लेखन सामग्री, कम्प्यूटर स्टेशनरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, विद्युत बीजक, आदि की व्यवस्था	1192.07	--	---	---	155 स्थायी कार्मिक, 09 उपनल/पीओआर/डीओ कार्मिकों का वेतन/मानदेय आहरण, 01 मत्स्य निदेशालय, 13 जनपदीय कार्यालय एवं 02 मण्डलीय कार्यालयों के संचालन कर जनपद में मात्स्यिकी विकास कार्यों का सम्पादन	मत्स्य बीज एवं मत्स्य उत्पादन में सक्षम राज्य का निर्माण तथा जलशक्तियों में रक्षित मात्स्यिकी स्थिति	एक वर्ष
2.	अनुसूचित जाति उपयोग योजना (एसओसीओएसओपीओ)	अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याणार्थ तालाब निर्माण तथा आधुनिकतम जानकारियाँ उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रशिक्षण, गोष्ठियों आदि का संचालन	200.00	--			मैदानी तालाब निर्माण - 5.10 हे० (51 यूनिट) पर्वतीय तालाब निर्माण - 2.08 हे० (208 यूनिट) प्रशिक्षण - 2 बैच, सेमिनार - 13 संख्या, फील्ड भ्रमण - 92 संख्या	मत्स्य उत्पादन वृद्धि - 122.78 टन ट्राउट मत्स्य उत्पादन वृद्धि - 100 मै० टन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन - 641 (व्यक्तिगत) एवं समिति - 10	एक वर्ष
3.	अनुसूचित जनजाति उपयोग योजना (टीओएसओपीओ)		70.00	--	मत्स्य उत्पादन - 2635.543 टन	मत्स्य उत्पादन - 2731.903 टन	मैदानी तालाब निर्माण - 2.95 हे० (29 यूनिट) पर्वतीय तालाब निर्माण - 0.80 हे० (80 यूनिट) प्रशिक्षण - 1 बैच, फील्ड भ्रमण - 45, सेमिनार - 05		एक वर्ष
4.	पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना	पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाबों का निर्माण एवं आदर्श मत्स्य पालकों का चिन्हीकरण	150.00	--	ट्राउट मत्स्य उत्पादन - 68.40 मै० टन	ट्राउट मत्स्य उत्पादन - 203.40 मै० टन	आदर्श तालाब निर्माण - 1.00 हे० (50 यूनिट) तालाब निर्माण - 1.09 हे० (218 यूनिट) प्रशिक्षण - 160, फील्ड ट्रिप - 160, सेमिनार - 11		एक वर्ष
5.	मीठा जल मात्स्यिकी (नील क्रांति)	मत्स्य उत्पादन वृद्धि हेतु समस्त जलशक्तियों हेतु फिंगरलिंग की सुनिश्चिता हेतु रिजर्विंग यूनिट निर्माण तथा नये जलक्षेत्र विकसित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि	70.50	--			मैदानी तालाबों का निर्माण - 15 हेक्टेयर मैदानी तालाबों का सुधार - 5 हेक्टेयर		एक वर्ष
6.	शीतजल मात्स्यिकी (नील)	पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन	242.00	--			रनिंग वाटर तालाब निर्माण -		एक वर्ष

	क्रांति)	को प्रोत्साहित किया जाना एवं मुख्यतः ट्राउट फार्मिंग को प्रसारित करते हुए रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना					100 युनिट ट्राउट रसंयोज निर्माण - 100 युनिट		
7.	राज्य मत्स्यिकी इनपुट योजना	कार्यरत मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन की इनपुट सामग्रियों उपलब्ध कराया जाना	5000	-	मत्स्य उत्पादकता - 03 टन प्रति हैक्टियर	मत्स्य उत्पादकता : 3.5-4 टन प्रति हैक्टियर	आहार वितरण - 134.4 टन मिनी किट - 20 जाल वितरण - 130 हैक्टियर वितरण - 110 हापा - 94	मत्स्य उत्पादकता - 04 टन प्रति हैक्टियर	एक वर्ष
8.	मत्स्य पालन विवर्धीकरण (एस0सी0एस0पी0)	पूर्व से कार्यरत सम्बन्धित वर्ग के मत्स्य पालकों की आय वृद्धि एवं भूमिहीन लाभार्थियों को रोजगार	4500	-			मैदानी तालाब सुधार - 2.00 है0 पर्वतीय तालाब सुधार - 30 युनिट सम्बन्धित मत्स्य पालन - 13 युनिट मोंबाईल फिश स्टॉल - 05 सख्या	मत्स्य उत्पादन वृद्धि - 5.16 टन	एक वर्ष
9.	मत्स्य पालन विवर्धीकरण (टी0एस0पी0)	पूर्व से कार्यरत सम्बन्धित वर्ग के मत्स्य पालकों की आय वृद्धि एवं भूमिहीन लाभार्थियों को रोजगार	2000	-	मत्स्य उत्पादन - 9.92 टन	मत्स्य उत्पादन - 15.88 टन	मैदानी तालाब सुधार - 1.00 है0 पर्वतीय तालाब सुधार - 14 युनिट सम्बन्धित मत्स्य पालन - 06 युनिट मोंबाईल फिश स्टॉल - 01 सख्या	प्रत्यक्ष रोजगार सृजन - 6 आय वृद्धि - 80 प्रतिशत	एक वर्ष
10.	मत्स्य विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण	मत्स्य विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण	-	2500	01 निदेशालय अनावासीय एवं 01 आवासीय भवन	01 निदेशालय अनावासीय एवं 02 आवासीय भवन	-	आवासीय एवं अनावासीय व्यवस्था की सुनिश्चितता	एक वर्ष
11.	डाटा बेस एवं सूचना प्रणाली का संशुद्धीकरण (नील क्रांति)	प्रदेश के समस्त जलस्रोतों एवं तटसम्बन्धी मत्स्य आकड़े एकत्रित किया जाना	3000	-	जलाशयों का डाटाबेस तैयार	जलाशयों एवं तालाबों का डाटाबेस तैयार	योजना में नियुक्त 01 कार्मिक एवं 03 प्रस्तावित कार्मिकों का वेतन/भत्ता का भुगतान	प्रदेश के जलस्रोतों एवं मत्स्य आकड़ों का डाटा बेस तैयार।	एक वर्ष
12.	राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना	कार्यरत मत्स्य पालकों का बीमा व्यवस्था से आवरित किया जाना	100	-	अनावरित मत्स्य पालक	2000 मत्स्य पालक बीमा से आवरित	मछुआ दुर्घटना बीमा - 2000 व्यक्ति	2000 मत्स्य पालक बीमा से आवरित	एक वर्ष
13.	मत्स्य पालकों का कौशल विकास/प्रशिक्षण(नील क्रांति)	प्रदेश के मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन की नवीनतम तकनीकी एवं व्यवहारिक जानकारीयों उपलब्ध कराना जिससे कि वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन करते हुए अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन में वृद्धि एवं अधिक आय प्राप्त	2550	-	अशिक्षित मत्स्य पालक	300 शिक्षित मत्स्य पालक	मत्स्य पालकों का कौशल विकास/ प्रशिक्षण - 06 बैच	300 मत्स्य पालकों का कौशल विकास एवं वैज्ञानिक विधि से मत्स्य पालन कार्य	एक वर्ष

14.

		कर सके।							
14.	जलाशय मत्स्यकी - केज कल्चर (नील क्रांति)	वृद्ध जलस्रोत तथा जलाशय, झीलें आदि में केज की स्थापना कर उसी क्षेत्रफल से अधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त करते हुए सघन मत्स्य पालन को बढ़ावा।	3600	--	केजों की संख्या - 48	केजों की संख्या - 60	केज की स्थापना - 12	केजों की संख्या में वृद्धि - 12 केजों से मत्स्य उत्पादन - 36 मेट्रिक टन	एक वर्ष
15.	रिवरटाईन किशरीज - संरक्षण व संवर्द्धन	राज्य की नदियों में मत्स्यकी संरक्षण व संवर्द्धन हेतु स्थानीय जनसमुदाय के मध्य जनचेतना कार्यक्रम संचालित कर व्यक्ति को जागरूक	400	--	--	सघनित नदियों में उनकी जलीय स्थिति के अनुरूप स्थानीय मत्स्य प्रजातियों की उपलब्धता	नदियों में मत्स्यकी संरक्षण व संवर्द्धन कार्यक्रम	सघनित नदियों में उनकी जलीय स्थिति के अनुरूप स्थानीय मत्स्य प्रजातियों की उपलब्धता	एक वर्ष
16.	जलमराय क्षेत्रों का विकास (नील क्रांति)	मैदानी जनपदों में उपलब्ध अप्रयुक्त जलमराय क्षेत्रों को विकसित कर मत्स्य पालन हेतु प्रयोग	3250	--	मत्स्य उत्पादन (जलमराय क्षेत्रों से) - शून्य	मत्स्य उत्पादन (जलमराय क्षेत्रों से) - 33.90 मेट्रिक टन	जलमराय क्षेत्रों का विकास - 5 हैक्टेयर	मत्स्य उत्पादन (जलमराय क्षेत्रों से) - 16 मेट्रिक टन	एक वर्ष
17.	पंगेशियस मत्स्य पालन हेतु स्पेशल परियोजना (नील क्रांति)	राज्य में पंगेशियस मत्स्य पालन को प्रोत्साहन प्रदान करते हुए पंगेशियस मत्स्य पालन को राज्य में स्थापित किया जाना	12500	--	पंगेशियस मत्स्य उत्पादन - शून्य	पंगेशियस मत्स्य उत्पादन - 350 मेट्रिक टन	पंगेशियस मत्स्य पालन हेतु इनपुट - 10 हैक्टेयर	मत्स्य उत्पादन - 350 मेट्रिक टन	एक वर्ष
18.	ब्लू रिवोल्यूशन - प्रशासनिक व्यवस्था (नील क्रांति)	ब्लू रिवोल्यूशन कार्यक्रम के सफल संपादन हेतु प्रचार प्रसार जियो ट्रेनिंग, वीडियोघ्राफी, फोटोग्राफी, जनपद/ ब्लॉक स्तर पर मीटिंग	2500	--	--	विभागीय एम०आई०एस०	ब्लू रिवोल्यूशन कार्यक्रम हेतु व्यापक प्रचार प्रसार जियो ट्रेनिंग, गोशियरी, बैठक, प्रोजेक्टों की वीडियोघ्राफी एवं फोटोग्राफी कार्य का अनुभवण, वॉलेंट हाईडवेयर व सॉफ्टवेयर इत्यादि	राज्य में ब्लू रिवोल्यूशन कार्यक्रम का सकल संपादन जिससे वर्ष 2022 तक योगुना मत्स्य उत्पादन की सुनिश्चितता	एक वर्ष
19.	मिशन फिंगरलिंग (नील क्रांति)	राज्य के जलस्रोतों में सघन हेतु फिंगरलिंग की उपलब्धता हेतु निजी क्षेत्र में रियरिंग यूनिटों का निर्माण तथा रियरिंग यूनिटों हेतु मत्स्य बीज की उपलब्धता के लिए हैबरी की स्थापना।	1800	--	मत्स्य आहार उत्पादन (निजी क्षेत्र) - शून्य	मत्स्य आहार उत्पादन (निजी क्षेत्र) - 1750 कुन्तल	लघु फीड मिल की स्थापना (निजी क्षेत्र) - 04	मत्स्य आहार उत्पादन - 3500 कुन्तल	एक वर्ष
20.	ब्लू रिवोल्यूशन के माध्यम से अभिनव योजना (नील क्रांति)	राज्य में मत्स्य पालन की नवीन तकनीकों को स्थापित एवं विकसित किया जाना	20000		आर०ए०एस० यूनिट से मत्स्य उत्पादन - शून्य	आर०ए०एस० यूनिट से मत्स्य उत्पादन - 80 मेट्रिक टन	आर०ए०एस० यूनिट की स्थापना - 6	मत्स्य उत्पादन - 240 मेट्रिक टन	एक वर्ष
21.	सोलर पावर सर्पेट सिस्टम (नील क्रांति)	राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्रों / निजी क्षेत्र में सोलर पावर सर्पेट सिस्टम की स्थापना	0.00	3300	सोलर पावर सर्पेट सिस्टम -	सोलर पावर सर्पेट सिस्टम - 16	सोलर पावर सर्पेट सिस्टम की स्थापना - 5	सोलर पावर सर्पेट सिस्टम की सुविधा - 05 मत्स्य पालकों	एक वर्ष

484

		कर विद्युत ऊर्जा की बचत एवं विद्युत पर होने वाला व्यय को कम करते हुए बिना विद्युत आपूर्ति के भी कार्यों को सम्पादन किया जाना।			02				द्वि
22.	इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मार्केटिंग (नील क्रांति)	राज्य में मछली के सुगमतापूर्वक विपणन तथा बाजार में ताजी मछली के विक्रय हेतु विपणन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना। राज्य में मत्स्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देते हुए जनसामान्य हेतु ताजी मछली एवं मछली के विभिन्न व्यंजनों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना।	0.00	3928	इन्स्युलेटेड ट्रक - 1 (संख्या) क्राउटैलेंट - 8 मोटर साइकिल विद आईस बॉक्स - 03	इन्स्युलेटेड ट्रक - 1 (संख्या) आउटलेट - 11 मोटर साइकिल विद आईस बॉक्स - 12	इन्स्युलेटेड ट्रक क्रय (क्षमता 06 टन) - 01 मोटर साइकिल विद आईस बॉक्स - 08 (संख्या) मोबाइल फिश आउटलेट - 05 (संख्या)	इन्फ्रास्ट्रक्चर से मछली का परिवहन - 1200 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष 05 स्थानों पर स्वच्छ वातावरण में मछली के व्यंजनों की उपलब्धता।	एक वर्ष
23.	बूट बैंक की स्थापना (नील क्रांति)	राज्य में नदी प्रजातियों, गुणवत्तायुक्त बूट एवं मत्स्य बीज की उपलब्धता हेतु बूट बैंक की स्थापना	0.00	10000	ट्राउट बूट बैंक की संख्या - शुन्य	ट्राउट बूट बैंक की संख्या - 01	ट्राउट बूट बैंक के स्थापना के अवशेष कार्य	ट्राउट मत्स्य बीज ट्राउट बीज उत्पादन - 10 लाख एवं बूटरी की उपलब्धता - 25 कुन्तल	एक वर्ष
24.	फिश फीड मिल एवं हैचरियों की स्थापना (नील क्रांति)	राज्य में मत्स्य बीज की उपलब्धता हेतु राजकीय एवं निजी क्षेत्र में हैचरियों की स्थापना। तथा पूरक आहार प्रचाली हेतु राज्य में मत्स्य आहार की उपलब्धता हेतु फीड मिल की स्थापना।	0.00	1			—	—	—
25.	मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हैचरियों का सुदृढीकरण (नील क्रांति)	राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्रों एवं हैचरियों से मत्स्य बीज उत्पादन की निरन्तरता को बनाये रखने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु पूर्व स्थापित हैचरियों/ प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण	0.00	1	ट्राउट मत्स्य बीज उत्पादन - 2.00 लाख	ट्राउट मत्स्य बीज उत्पादन - 2.00 लाख	—	—	—
26.	नाकाई पोषित योजनाएं	स्थापित हैचरियों/प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण	0.00	70000			ट्राउट हैचरी निर्माण - 01	ट्राउट मत्स्य बीज उत्पादन में वृद्धि - 10.0 लाख वृद्धि दर - 80 प्रतिशत	दो वर्ष
योग			253657	89730	मत्स्य उत्पादन (वर्तमान) - 4952.70 मेट्रिक टन				
महायोग			343387		वर्ष 2020-21 के कार्यक्रमों से मत्स्य उत्पादन में प्रस्तावित वृद्धि - 868.04 मे0टन				

Handwritten signature

सतत् विकास लक्ष्य

क्र० सं०	SDG संकेतक	1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
1-	जीरो हंगर (मत्स्य उत्पादन)	4952.70 मेट्रिक टन	5755.85 मेट्रिक टन	मत्स्य उत्पादन हेतु नवीन जलक्षेत्र - 29.32 हैक्टेयर	6623.89 मेट्रिक टन

Handwritten signature

आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2020-21

विभाग का नाम :- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0- 1,3 5 एवं 6

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2020-21		1-4-2019 की स्थिति (बेस लाइन) (2018-19)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक) (2019-20)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
अनुदान संख्या: 15									
01	0101- आई0सी0डी0एस0 योजना में मेडीसिन किट्स एवं प्री-स्कूल किट्स तथा साड़ी/सूट की आपूर्ति (90 प्रतिशत के0सहा)	भारत सरकार के मानकानुसार प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक प्री-स्कूल किट्स व एक मेडिसिन किट्स तथा दो साड़ी की आपूर्ति हेतु।	1546.07	0.00	759013	795213	14947 आंगनबाड़ी तथा 5120 मिनी केन्द्रों पर 20067 मेडिसिन किट 20067 प्री-स्कूल किट तथा 35014 आंगनबाड़ी कर्मियों हेतु पोषाक।	<ul style="list-style-type: none"> • प्री-स्कूल किट के लाभार्थी- 1.44 लाख। • मेडिसिन किट के लाभार्थी- 8.32 लाख। • यूनिफार्म-35014 	31 मार्च, 2021
02	0102- समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत के0सहा)	103 बाल विकास परियोजनाओं का अधिष्ठान व्यय।	43267.93	0.00	103 बाल विकास परियोजना कार्यालय 30122 आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय 7.31 लाख अनुपूरक पोषाहार लाभार्थी। 1454 बच्चों अतिकुपोषित।	103 बाल विकास परियोजना कार्यालय 30251 आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय 7.33 लाख अनुपूरक पोषाहार लाभार्थी। 1480 बच्चों अतिकुपोषित।	103 बाल विकास परियोजना कार्यालय 30251 आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय 8.32 लाख अनुपूरक पोषाहार लाभार्थी। 1800 बच्चों अतिकुपोषित।	<ul style="list-style-type: none"> • 103 बाल विकास परियोजनाओं का अधिष्ठान व्यय। • 30251 महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति। • पोषाहार लाभार्थी- 8.32 लाख लभान्वित होंगे। • 1800 बच्चों अतिकुपोषित की श्रेणी से मुक्ति होगी। 	31 मार्च, 2021
03	0104- समन्वित बाल विकास योजना के लिये जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (90 प्रतिशत के0सहा)	13 जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालयों का अधिष्ठान।	505.74	0.00	13 जनपद।	13 जनपद।	13 जनपद।	13 जनपदों के माध्यम से 103 परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन होगा।	31 मार्च, 2021
04	0108- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं आदि को प्रशिक्षण के दौरान राशन आदि की व्यवस्था (90 प्रतिशत के0सहा)	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं तथा मिनी कार्यकर्ताओं की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण का आयोजन।	350.00	0.00	-	140 कार्यकर्ताओं को कार्य प्रशिक्षण	2300 AWW को कार्य प्रशिक्षण, 8041 AWW को रिफ्रेशर प्रशिक्षण, 2683 AWH को ऑरियेंटेशन प्रशिक्षण, 496 सुपरवाइजर रिफ्रेशर प्रशिक्षण 21705 अन्य प्रशिक्षण	<ul style="list-style-type: none"> • 13024 कर्मिक प्रशिक्षित होंगे। • 21705 एम0आई0एस0, ई0सी0सी0ई0 मॉड्यूल के प्रशिक्षण से लाभार्थी प्रशिक्षित होंगे। 	31 मार्च, 2021
05	0110-अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (90 प्रतिशत के0सहा)	भारत सरकार के निर्देशानुसार आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।	301.01	0.00	20067 आंगनवाड़ी/मिनी केन्द्र	20067 आंगनवाड़ी/मिनी केन्द्र	14947-आंगनवाड़ी केन्द्र 5120-मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र	20067 आंगनवाड़ी केन्द्र।	31 मार्च, 2021

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2020-21		1-4-2019 की स्थिति (बेस)	31.03.2020 की सम्पादित स्थिति (बेस)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
06	0114-सूचना, शिक्षा तथा संचार (90 प्रतिशत के0सहा)	सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण की गतिविधियों द्वारा समुदाय में आई0सी0डी0एस0 की सेवाओं की मांग बढ़ाना।	200.67	0.00	20067 आंगनवाड़ी/मिनी केन्द्र	20067 आंगनवाड़ी/मिनी केन्द्र	14947-आंगनवाड़ी केन्द्र 5120-मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र	20067 आंगनवाड़ी केन्द्र।	31 मार्च, 2021
07	0124-आई.सी.डी.एस. परियोजना/कार्यालय/आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अवसंरचना सुविधाएं (90 प्रतिशत के0सहा)	नई परियोजनाओं तथा नए आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अनावर्तक व्यय हेतु।	1853.10	0.00	4013 आंगनवाड़ी/मिनी केन्द्र	4013 आंगनवाड़ी/मिनी केन्द्र	2989-आंगनवाड़ी केन्द्र 1024-मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र	2989-आंगनवाड़ी केन्द्र 1024-मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र	31 मार्च, 2021
08	0126-प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (90 प्रतिशत के0सहा)	गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टीकाकरण, आईएफए टेबलेट सेवन, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जाँच, स्तनपान, बच्चों का टीकाकरण आदि मापदण्डों की पूर्ति कर समर्थ बनाने हेतु योजना संचालित है।	1287.65	0.00	47138 लाभार्थी लाभान्वित	50000 लाभार्थी लाभान्वित 28-कार्मिक	75000 गर्भवती महिलाएं 28 - कार्मिक	लगभग 75000 गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होंगी। 28 - कार्मिकों को रोजगार	31 मार्च, 2021
09	0127- महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय मिशन (90 प्रतिशत के0सहा)	महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुये उनका कौशल विकास, रोजगारोपार्जनोमुख, प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना।	683.00	0.00	5	5	<ul style="list-style-type: none"> महिलाओं के लिये जागरूकता शिविर, नारी के चौपाल का आयोजन करना। महिलाओं/किशोरियों को सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं/सेवाओं एवं महिलाओं से सम्बन्धित कानूनी विषयों आदि पर जानकारी उपलब्ध कराना। विभिन्न सरकारी/विभागीय योजनाओं के साथ समन्वयन स्थापित करना। महिलाओं एवं किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराना। 	<ul style="list-style-type: none"> महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनेंगी। महिलाओं में कानून एवं अधिकारों की जागरूकता आयेगी। बालिकाओं के घटते लिंगानुपात में सुधार आयेगा। विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ समन्वयन स्थापित होगा। HBD जनपदों में महिलाएं/किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार। 	31 मार्च, 2021
10	0130-उज्ज्वला योजना (80 प्रतिशत के0सहा)	व्यापारिक यौन शोषण के लिए तरकरी से पीड़ित महिलाओं का बचाव, एवं अनैतिक व्यापार से जुड़ी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनको आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से योजना संचालित है।	50.00	0.00	5	5	<ul style="list-style-type: none"> उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत सुधार-गृह-05 	<ul style="list-style-type: none"> उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत सुधार-गृह-05 	31 मार्च, 2021
11	0132-स्वधार गृह योजना (90 % के0सहा)	बिना किसी सामाजिक व आर्थिक समर्थन के कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रही उपेक्षित महिलाओं/लड़कियों के लिए आश्रय, खाद्य, कपड़ा व देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है।	50.00	0.00	5	5	<ul style="list-style-type: none"> स्वधार गृहों की संख्या-05 	<ul style="list-style-type: none"> स्वधार गृहों की संख्या-05 	31 मार्च, 2021
12	0133-निर्भया फण्ड (90 % के0सहा)	महिलाओं एवं किशोरियों के बचाव एवं सुरक्षा हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।	141.86	0.00	2500 बालिका/महिला	2500 बालिका/महिला	05-जनपद	05-जनपद	31 मार्च, 2021

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2020-21		1-4-2019 की स्थिति (बेस)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (कैलिब्रेट)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
13	0134-राष्ट्रीय क्रेच योजना (80 % के0स0)	क्रेच केन्द्रों के माध्यम से कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा आदि की व्यवस्था कर कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।	368.46		-	-	क्रेच केन्द्रों की संख्या-173	• संचालित क्रेच केन्द्रों की संख्या-173	31 मार्च, 2021
14	0135-राष्ट्रीय पोषण मिशन (90 % के0स0)	मातृ एवं शिशु कुपोषण रोकन हेतु क्रियान्वयन किया जायेगा।	4500.00		1120279 लाभार्थी	1111773 लाभार्थी	13-जनपद 105-परियोजनाएं 8.20 लाख लाभार्थी 0.18 लाख अतिकुपोषित बच्चें 249 पद	• पोषाहार लाभार्थी- 8.20 लाख लभान्वित। • 0.18 लाख बच्चें अतिकुपोषित की श्रेणी से मुक्ति 249 कार्मिकों को राजेगार देना	31 मार्च, 2021
15	0136-किशोरी बालिका योजना (SAG) (90 प्रतिशत के0सहा)	इस योजना के तहत पंजीकृत 11-14 वर्ष की आयुवर्ग की स्कूल छोड़ चुकी प्रत्येक किशोरी को पूरक पोषण प्राप्त करवाना।	883.58	0.00	26950 किशोरियां।	10000 किशोरियां।	26950 किशोरियां।	26950 लभान्वित होगी।	31 मार्च, 2021
16	0101-बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं आदि विभिन्न योजनाओं का संचालन (100 प्रतिशत के0सहा)	<ul style="list-style-type: none"> लैंगिंग भेद-भाव के आधार पर शिशु जन्म को चयनित करने का समापन। अपराध से पीड़ित महिलाओं को सहयोग हेतु 24X7 राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन न0 181 (टोल फ्री) Telecom Service प्रदान करना। वन स्टॉप सेंटर (OSC) एकल खिडकी प्रणाली (Single window system) के समान कार्य करेगा, जहां दुर्व्यवहार/अपराध से पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान की जायेगी। 	0.01	0.00	लिंग अनुपात 888:1000	लिंग अनुपात 895:1000	13-जनपद 105-परियोजनाएं	<ul style="list-style-type: none"> लिंगानुपात में सुधार। बालिकाओं की शिक्षा एवं पोषण स्तर में सुधार। महिलाओं को आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन स्थिति में कानूनी, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि सेवायें प्राप्त होंगी। लिंग अनुपात 895:1000 करना 	31 मार्च, 2021
17	4235-01-08 आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/ उच्चीकरण/अनुसंधान (90 प्रतिशत के0सहा0)	आंगनवाड़ी केन्द्रों की सेवायें बेहतर ढंग से लाभार्थियों को प्रदान करने में सुविधा होगी, केन्द्र बच्चों के लिए आकर्षक बनेंगे एवं भवन किराये की बचत होगी।		5673.32	-	1738 आंगनवाड़ी भवन	5243 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण, 50 आंगनवाड़ी भवन उच्चीकरण, 1293 आंगनवाड़ी भवनों हेतु शौचालय एवं 938 आंगनवाड़ी भवनों हेतु पीने के पानी की सुविधा	5243 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण, 50 आंगनवाड़ी भवन उच्चीकरण, 1293 आंगनवाड़ी भवनों हेतु शौचालय एवं 938 आंगनवाड़ी भवनों हेतु पीने के पानी की सुविधा। विभागीय किराये की बचत होगी।	31 मार्च, 2021
18	4235-05-00 मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी भवन निर्माण एवं उच्चीकरण योजना (रा0यो0)	आंगनवाड़ी केन्द्रों की सेवायें बेहतर ढंग से लाभार्थियों को प्रदान करने में सुविधा होगी, केन्द्र बच्चों के लिए आकर्षक बनेंगे एवं भवन किराये की बचत होगी।	0.00	7954.50	-	1738 आंगनवाड़ी भवन	5303 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण	5303 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कर विभागीय किराये की बचत होगी।	31 मार्च, 2021
19	09-00- तीलू सैतेली पुरस्कार (रा0यो0)	निर्दिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मान स्वरूप पुरस्कार दिया जाता है	5.78	0.00	13	18	18 महिलाओं/किशोरियां।	18 महिलाओं/किशोरियां पुरस्कृत।	31 मार्च, 2021

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2020-21		1-4-2019 की स्थिति (बेस)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (बेस)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
20	11-00- अनुपूरक पोषाहार का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (रा०यो०)	अनुपूरक पोषाहार के नियमित अनुश्रवण हेतु संविदा पर कार्मिक की व्यवस्था की जानी है।	0.01	0.00	771265 लाभार्थी	765751 लाभार्थी	13-जनपद 105-परियोजनाएं	लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार दिये जाने के अनुश्रवण से पात्र लाभार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार आयेगा एवं कुपोषण से मुक्ति मिलेगी।	31 मार्च, 2021
21	12-00-उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास परियोजना (रा०यो०)	महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा उनका कार्यबोझ कम करने हेतु योजना संचालित है।	200.00	0.00	6600 महिलायें लाभान्वित	8556 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना	8556 लाभार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित करना	योजनान्तर्गत लाभान्वित महिलाओं का कार्यबोझ कम होगा।	31 मार्च, 2021
22	14-00- पोषण मापक स्तनपान योजना (रा०यो०)	राज्य में कुपोषण स्तर पर निगरानी रखने तथा स्तनपान को प्रोत्साहित करने हेतु शोध एवं प्रशिक्षण हेतु कार्य किया जाता है।	0.01	0.00	-	-	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित।	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित।	
23	15-00-निदेशालय/जनपद/परियोजना हेतु स्टॉफ व्यवस्था (रा०यो०)	राज्य सरकार के द्वारा निदेशालय/जनपद/परियोजना हेतु स्टॉफ व्यवस्था।	2986.75	0.00	निदेशालय 13-जनपद 105-परियोजनाएं	निदेशालय 13-जनपद 105-परियोजनाएं	निदेशालय 13-जनपद 105-परियोजनाएं	निदेशालय/जनपद/परियोजना अधिष्ठान। साथ ही विभागीय योजनाओं का उचित संचालन एवं अनुश्रवण होगा।	31 मार्च, 2021
24	0303- समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय (रा०यो०)	आं०बा० कार्यकर्तीयों/ सहायिकाओं को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मानदेय प्रदान करने उद्देश्य से योजना संचालित है।	7928.00	0.00	02 परियोजना	02 परियोजना	30251 आंगनबाड़ी कार्मिक।	30251 आंगनबाड़ी कार्मिक मानदेय प्राप्त करेंगे।	31 मार्च, 2021
25	103.10.00- राज्य महिला आयोग की स्थापना (रा०यो०)	महिला अधिकारों के संरक्षण हेतु वैधानिक संस्था गठित है जिसका व्यय आयोजनत्तर मद से किया जा रहा है।	159.70	0.00	15 कार्मिक	16 कार्मिक	महिला आयोग द्वारा दर्ज प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा एवं जनपदों में महिला अधिकार कैम्प आयोजित किये जायेंगे।	महिला अधिकारों के प्रति राज्य में सकारात्मक वातावरण में वृद्धि होगी तथा महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों की प्राप्ति होगी।	31 मार्च, 2021
26	103-13-00 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा बाल विवाह एवं धरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (रा०यो०)	सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों में महिला कार्मिकों के साथ अश्रद्धा, आपत्तिजनक व्यवहार को रोकना।	99.33	0.00	105 परियोजना	105 परियोजना	जनपद/राज्य स्तरीय समिति, संरक्षण अधिकारी, सेवाप्रदाता, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा केन्द्र आदि के माध्यम से अधिनियम का सफल क्रियान्वयन होगा।	राज्य में धरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा तथा बाल विवाह रोकने हेतु जागरूकता प्राप्त होगी।	31 मार्च, 2021
27	103-18-00 कामकाजी महिला छात्रावासों पर स्टॉफ की व्यवस्था (रा०यो०)	कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास संचालन हेतु स्टॉफ की व्यवस्था आदि हेतु योजना का संचालन।	50.00	0.00	-	03 छात्रावास	03 छात्रावासों का संचालन।	देहरादून, हरिद्वार एवं उत्तरकाशी में महिला छात्रावास का संचालन होगा।	31 मार्च, 2021
28	103-26 राज्य महिला कल्याण सशक्तिकरण परिषद (रा०यो०)	महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु।	0.01	0.00	-	-	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित।	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित।	
29	103-27 किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी नैफ्कीन की व्यवस्था (रा०यो०)	किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु योजना प्रारम्भ की गयी है।	200.00	0.00	2 लाख किशोरियाँ/महिलायें	1.77 लाख किशोरियाँ/महिलायें	5 लाख किशोरिया।	5 लाख किशोरियां लाभान्वित होगी।	31 मार्च, 2021

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2020-21		1-4-2019 की स्थिति (बेस)	31.03.2020 की सम्पादित स्थिति (बेस)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
30	103-29 नन्दा गौरा योजना (रा०यो०)	राज्य की गरीब परिवारों की बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य हेतु।	9000.00	0.00	43384	57240	30000 बालिकाएं।	<ul style="list-style-type: none"> • लगभग 30000 पात्र परिवारों की बालिकाएं लाभान्वित होंगी। • लिंगानुपात में कमी। • शिक्षा प्राप्त करने के प्रति जागरूकता एवं बालिका के जन्म को बढ़ावा मिलेगा। • बाल विवाह पर रोकथाम। 	31 मार्च, 2021
31	103-30 प० दीनदयाल सामाजिक सुरक्षा कोष (रा०यो०)	गरीब परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भरता हेतु स्वरोजगार सृजन एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना।	0.01	0.00	-	-	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित।	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित।	31 मार्च, 2021
32	103-31 उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति योजना (राज्य योजना)	भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित योजनाओं के कार्यान्वयन संचालन हेतु।	20.00	0.00	-	-	06 - कार्मिक	06 - कार्मिकों को रोजगार	31 मार्च, 2021
33	4235-10-00-कार्यशील महिला छात्रावासों का निर्माण	कार्यशील महिला छात्रावासों का निर्माण।	0.00	0.01	3	3	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित।	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित।	31 मार्च, 2021
34	06- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास भवनों का निर्माण (रा०यो०)	निदेशालय भवन के परिवर्धन हेतु।	0.00	200.00	-	3	निदेशालय भवन एवं परियोजना कार्यालयों भवनों में अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु।	निदेशालय भवन एवं परियोजना कार्यालयों भवनों में अनुरक्षण एवं मरम्मत कर सौन्दर्यकरण।	31 मार्च, 2021
35	0602-बाल दिवस समारोह (रा०यो०)	अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस समारोह का आयोजन एवं बाल अधिकारों की जागरूकता का प्रसार करना।	5.00	0.00	13 जनपद के बच्चे	13 जनपद के बच्चे	13-जनपदों के बच्चे।	बाल दिवस के आयोजन से बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करना।	31 मार्च, 2021
36	0605- बाल संरक्षण आयोग (रा०यो०)	बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्थापित है।	186.50	5.00	09 कार्मिक	09 कार्मिक	उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संचालन।	बाल अधिकारों का संरक्षण प्राप्त होगा।	31 मार्च, 2021
37	21-00- आंगनबाड़ी कर्मियों हेतु कल्याण कोष की स्थापना (रा०यो०)	आंगनबाड़ी कर्मियों की मानदेय सेवा से मुक्त होने के समय उन्हें एकमुश्त आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाना।	0.01	0.00	150 आंगनबाड़ी कार्मिक	100 आंगनबाड़ी कार्मिक	150 आंगनबाड़ी कार्मिक।	लगभग 150 सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी कार्मिकों	31 मार्च, 2021
38	2300-निर्भया योजना (रा०यो०)	राज्य में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपराध से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु योजना का संचालन।	0.01	0.00	2500 बालिका / महिला	2500 बालिका / महिला	2500 बालिका / महिला	2500 बालिका / महिलाओं को लाभान्वित करना	31 मार्च, 2021

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2020-21		1-4-2019 की स्थिति (बेस)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (बेस)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
39	1600-मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना (रा०यो०)	राज्य के कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्ति हेतु संचालन।	2830.43	0.00	17219 कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को "ऊर्जा" वितरण	13817 कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को "ऊर्जा" वितरण एवं 170000 बच्चों को बाल पोलाश योजना अन्तर्गत लाभान्वित	13817-कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चे।	राज्य के लगभग 13817 कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चे कुपोषण की श्रेणी से बाहर आयेगे।	31 मार्च, 2021
		बाल संजीवनी योजना	67.72	0.00			पूर्व में प्रेषित आय व्ययक के अतिरिक्त नई योजना प्रस्तावित की गई	नई योजना प्रस्तावित की गई	
		दूध,अण्डा,केला	2627.33	0.00					
		टी०एच०आर० मध्याह्न भोजन	73.47	0.00					
		हीमोमीटर	29.50	0.00					
40	मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना		1750.00	0.00			पूर्व में प्रेषित आय व्ययक के अतिरिक्त नई योजना प्रस्तावित की गई	पूर्व में प्रेषित आय व्ययक के अतिरिक्त नई योजना प्रस्तावित की गई	31 मार्च, 2021
41	1800-मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना (रा०यो०)	03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध कराये जाने पर कुपोषण मुक्ति।	1000.00	0.00	-	170000	170000 लाभार्थी	170000 लाभार्थी को लाभान्वित किया जाना	31 मार्च, 2021
42	0600-मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण अभियान योजना (रा०यो०)	राज्य की वृद्ध महिलाओं के संबंध में सकारात्मक पारम्परिक पद्धतियों के द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बढ़ावा देना।	0.01	0.00	-	-	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित।	टोकन मनी के रूप में धनराशि प्रस्तावित।	31 मार्च, 2021
43	2400-मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना (रा०यो०)	राज्य की विधवा, निराश्रित, निर्बल वर्ग की महिलाओं/किशोरियों के आजीविका एवं आर्थिक विकास होगा।	50.00	0.00	471 लाभार्थी	60 लाभार्थी	920 लाभार्थियों का लाभान्वित करना	योजनान्तर्गत लाभान्वित महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त होगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।	31 मार्च, 2021
	अनुदान संख्या 15 का योग		85258.65	13832.83					
	अनुदान संख्या: 30								
	अनुसूचित जाति उपयोजना								
44	0202-अनुसूचित जाति केन्द्रों पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय (रा०यो०)	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/वाडों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय की योजना संचालित है।	930.24	0.00	3525	3525	3525 आंगनबाड़ी कार्मिक।	3525 आंगनबाड़ी कार्मिक मानदेय प्राप्त करेगे।	31 मार्च, 2021
45	0101- समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत के०सहा०)	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/वाडों में आंगनबाड़ी कर्मियों को केन्द्र सहायित मानदेय, पुष्ठाहार की व्यवस्था की जाती है।	7946.05	0.00	179132	188088	3525 आंगनबाड़ी कार्मिक। 2.60 लाख लाभार्थी।	<ul style="list-style-type: none"> अनुसूचित जाति परियोजनाओं का अधिष्ठान व्यय। 3525 महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति। पोषाहार लाभार्थी- 2.60 लाख 	31 मार्च, 2021

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले 2020-21		1-4-2019 की स्थिति (बेस)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (बेस)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
46	4235-0101- आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/अनुरक्षण (90 प्रतिशत के0सहा0)	आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन में सुविधा होगी एवं भवन किराये की बचत होगी।	0.00	57.48	—	916	916 आंगनबाड़ी भवनों का अनुरक्षण एवं 30 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जायेगा।	916 आंगनबाड़ी भवनों का अनुरक्षण एवं 30 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कर विभागीय किराये की बचत होगी।	31 मार्च, 2021
	अनुदान संख्या 30 का योग		8876.29	57.48					
	अनुदान संख्या: 31								
	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना								
47	796-04-00- समन्वित बाल विकास योजनाएं अनुसूचित जनजातीय केन्द्रों पर राज्य सरकार मानदेय (सा0यो0)	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/ वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय की योजना संचालित है।	331.28	0.00	1238	1238	1238 आंगनबाड़ी कार्मिक।	1238 आंगनबाड़ी कार्मिक मानदेय प्राप्त करेंगे।	31 मार्च, 2021
48	796-01-02 समन्वित बाल विकास योजनाएँ- जनजातीय क्षेत्र (90 प्रतिशत के0सहा0)	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/ वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त मानदेय एवं पुष्पाहार की व्यवस्था की जाती है।	2034.66	0.00	17470	18344	1238 आंगनबाड़ी कार्मिक। 0.47 लाख लाभार्थी।	<ul style="list-style-type: none"> अनुसूचित जनजाति परियोजनाओं का अधिष्ठान व्यय। 1238 महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति। पोषाहार लाभार्थी- 0.47 लाख 	31 मार्च, 2021
49	4235-796-01 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण (90 प्रतिशत के0सहा0)	आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन में सुविधा होगी एवं भवन किराये की बचत होगी।	0.00	30.01	—	—	30 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जायेगा।	30 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कर विभागीय किराये की बचत होगी।	31 मार्च, 2021
	अनुदान संख्या 31 का योग		2365.94	30.01					
	अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31		96500.89	13920.32					

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

विभाग का नाम :- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0- 1, 3,5 एवं

6

क्र0 सं0	SDG संकेतक	1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
01	1 (टेकहोम राशन से लाभान्वित गर्भवती व सभी माताओं का प्रतिशत)	94.32% (174673 लाभान्वित गर्भवती/धात्री मातायें कुल पंजीकृत गर्भवती धात्री मातायें 185185)	95.00 % (175180 लाभान्वित गर्भवती/धात्री मातायें कुल पंजीकृत गर्भवती धात्री मातायें 184400)	95.00%	गर्भवती/धात्री मातायें को टेक होम राशन से लाभान्वित किया जाना
02	3 (05 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत)	0.022% (1719 कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चे/758332 कुल 0-05 वर्ष के बच्चे)	0.019% (13817 कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चे/718154 कुल 0-05 वर्ष के बच्चे)	0.02%	कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराकर सामान्य श्रेणी में लाना
03	5 (प्रतिलाख जनसंख्या पर अतिकुपोषित बच्चों की संख्या)	1454 अतिकुपोषित बच्चे/758332 कुल 0-05 वर्ष के बच्चे)	1480 कुपोषित बच्चे/718154 कुल 0-05 वर्ष के बच्चे)	1480 कुपोषित बच्च	1480 अतिकुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराकर सामान्य श्रेणी में लाना
04	6 (प्रतिलाख जनसंख्या पर कुपोषित बच्चों की संख्या)	15765 कुपोषित बच्चे/758332 कुल 0-05 वर्ष के बच्चे)	12337 कुपोषित बच्चे/718154 कुल 0-05 वर्ष के बच्चे)	12337 कुपोषित बच्चे	12337 अतिकुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराकर सामान्य श्रेणी में लाना

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग

विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले (धनराशि हजार रू0 में)		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	एन0एस0एस0 सामान्य कैम्प	एन0एस0एस0 स्वयं सेवकों के लिए 01 दिवसीय कैम्पों का आयोजन	14800	0	3745	3000	राज्य में 749 यूनिटों के द्वारा 59100 युवाओं का 01 दिवसीय कैम्पों का आयोजन	युवाओं के व्यक्तित्व विकास द्वारा एक आदर्श समाज व राष्ट्र का निर्माण	01 वर्ष
2	एन0एस0एस0 विशेष कैम्प	एन0एस0एस0 स्वयं सेवकों के लिए 07 दिवसीय कैम्पों का आयोजन	13300	0	374	200	राज्य में 749 यूनिटों के द्वारा 29550 युवाओं का 07 दिवसीय कैम्पों का आयोजन	युवाओं के व्यक्तित्व विकास द्वारा एक आदर्श समाज व राष्ट्र का निर्माण	01 वर्ष
3	एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ	एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ में कार्यरत कार्मिकों का वेतनादि	2190	0	7	7	एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ में 07 कार्यरत कार्मिकों का वेतनादि	एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ में कार्यरत कार्मिकों का वेतनादि	01 वर्ष
4	खेलो इंडिया खेल प्रतियोगिता	खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत विकासखण्ड, जनपद, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराना।	2500	0	0		खेलो इंडिया प्रतियोगिता में राज्य के 150 खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराना।	खेलो इंडिया प्रतियोगिता के अंतर्गत ग्रामीण खिलाड़ियों का मनोबल बनाए रखने तथा खेलों के प्रति जागरूक बनाना	01 वर्ष
5	खेलो इंडिया खेल अवस्थापना	तहसील/ब्लाक एवं जनपद मुख्यालयों पर खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास।	0	100000	3		भारत सरकार/राज्य सैक्टर के अंतर्गत खेल अवस्थापनाओं के विकास हेतु 03 खेल अवस्थापना सुविधाओं का प्रस्ताव प्रेषित	राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों हेतु खेल मैदानों एवं खेल सुविधाओं का विकास करना।	01 वर्ष
6	युवा छात्रावासों का विकास	विभाग के अंतर्गत संचालित युवा छात्रावासों के रखरखाव एवं सुदृढीकरण पर व्यय	1000	0	2		राज्य के 04 युवा छात्रावासों का रखरखाव एवं सुदृढीकरण का कार्य।	युवा छात्रावासों का विकास एवं सुदृढीकरण।	01 वर्ष
7	राज्य एवं राष्ट्रीय युवा महोत्सव	उत्तराखण्ड राज्य में प्रथम बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव के आयोजन तथा राज्य युवा महोत्सव का आयोजन कर युवाओं को लाभान्वित करना	1000	0	2	1	उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव एवं राज्य युवा महोत्सव का आयोजन।	उत्तराखण्ड के युवाओं को भारतवर्ष की संस्कृति/सांस्कृतिक गतिविधियों से रूबरू कराना	01 वर्ष

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले (धनराशि हजार रू० में)		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
8	सीमा स्पर्श योजना	युवाओं को राज्य व देश की सीमाओं, सांस्कृतिक गतिविधियों से रूबरू करवाना।	600	0	50		राज्य के 30 युवाओं को राज्य की सीमाओं की जानकारी देना	सांस्कृतिक गतिविधियों से रूबरू करवाते हुए 10 दिवसीय शिविर का आयोजन	01 वर्ष
9	सहसिक प्रशिक्षण केन्द्र रखरखाव/ प्रशिक्षण	युवाओं को साहसिक पर्यटन की ओर आकर्षित करने हेतु व्हाईट रिवर राफ्टिंग गार्ड तैयार करना, आपदा प्रबंधन, ट्रेकिंग का ज्ञान।	900	0	200		राज्य के 200 युवाओं को साहसिक गतिविधियों में प्रशिक्षित करना।	साहसिक पर्यटन सम्बन्धी स्वरोजगार/रोजगार से युवाओं को जोड़ना।	01 वर्ष
10	युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन	राज्य में खेलों को बढ़ावा देने एवं प्रतिभाओं को खोजने के उद्देश्य से न्याय पंचायत, ब्लाक, जनपद एवं राज्य स्तर पर खेल महाकुम्भ का आयोजन।	80000	0	779	779	राज्य के लगभग 400000 युवाओं को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराना।	ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का प्रचार प्रसार करना एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों का चिन्हीकरण करना।	01 वर्ष
11	युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का प्रशिक्षण	राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों तथा ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं में चयनित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का प्रशिक्षण।	6000	0	1900		प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से 500 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।	प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चिन्हित कर उन्हें भविष्य के लिये तैयार करना।	01 वर्ष
12	ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना	ग्रामीण क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को खेल से जोड़ने हेतु विकासखण्ड स्तर पर खेल प्रशिक्षक की तैनाती।	8000	0	95		राज्य में अवस्थित खेल अवस्थापना सुविधाओं में लगभग 190 खेल प्रशिक्षक की तैनाती करने का प्रस्ताव।	ग्रामीण क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की तैनाती करना।	01 वर्ष
13	पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों का अर्द्धसैन्य प्रशिक्षण	राज्य के युवाओं को 15 दिवसीय पुर्नप्रशिक्षण पी0आर0डी0 सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना	2500	0	526		आगामी महाकुम्भ में पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को कुम्भ ड्यूटी हेतु 01 माह का विशेष प्रशिक्षण का प्रस्ताव।	पूर्व में प्रशिक्षित पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को 15 दिवसीय विभागीय पुर्नप्रशिक्षण सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना।	01 वर्ष
14	युवा दलों को आर्थिक सहायता	राज्य के महिला एवं युवक मंगल दलों को आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वावलम्बी एवं स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना।	3500	0	55		राज्य के 60 महिला एवं युवक मंगल दलों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।	महिला एवं युवक मंगल दलों को आर्थिक स्थिति में सुधार करने का लक्ष्य।	01 वर्ष
15	निर्वाचन एवं कुंभ मेला में तैनात पी0आर0डी0	राज्य में आयोजित होने निर्वाचनों में प्रशासन एवं पुलिस के सहायतार्थ पी0आर0डी0 जवानों	307600	0	4287	3000	राज्य में होने वाले सम्भावित निर्वाचनों एवं वर्ष 2020 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले	-	-

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले (धनराशि हजार रु० में)		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
	स्वयंसेवकों हेतु बजट व्यवस्था	को ड्यूटी हेतु तैनात करना।					महाकुम्भ में तैनात होने वाले लगभग 2000 पी०आर०डी० स्वयंसेवकों हेतु बजट व्यवस्था।		
16	प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण संबंधी अधिष्ठान	कर्मचारियों/ अधिकारियों के वेतन आदि का भुगतान	197181	0	156	156	निदेशालय एवं जनपदों में 138 कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन आदि का भुगतान।	-	-
17	राज्य युवा कल्याण परिषद को अनुदान	परिषद के विविध व्यय एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	6100	0	2	2	परिषद के विविध व्यय, मा० उपाध्यक्ष जी एवं 02 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान।	-	-
18	आवासीय भवनों का रखरखाव	पूर्व निर्मित विभागीय आवासीय भवनों के रखरखाव/सुदृढीकरण का कार्य किया जाना।	0	1200	11		पूर्व निर्मित 24 विभागीय आवासीय भवनों के रखरखाव/सुदृढीकरण का कार्य।	पूर्व निर्मित आवासीय भवनों के रखरखाव/सुदृढीकरण हेतु	01 वर्ष
19	ग्रामीण मिनी स्टेडियमों का निर्माण एवं रखरखाव	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास हेतु मिनी स्टेडियमों का निर्माण एवं रखरखाव।	0	90000	16	16	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं, मिनी स्टेडियमों तथा नये स्थानों पर मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु बजट व्यवस्था।	ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे खेल मैदान, मिनी स्टेडियम का निर्माण कर युवाओं को खेल गतिविधियों हेतु अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना।	01 वर्ष
20	आउटडोर फील्ड/ इंडोर हॉल व मिनी स्टे० का निर्माण	आउटडोर फील्ड एवं इंडोर हॉल, ट्रैक आदि का निर्माण कर खेलों के प्रति युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना	0	40000	2		02 आउटडोर फील्ड एवं इंडोर हॉल, ट्रैक का निर्माण	राज्य के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना।	01 वर्ष
21	त्रैपन सिंह नेगी राज्य स्तरीय युवा विकास केन्द्र की स्थापना	राज्य के युवाओं के कौशल विकास हेतु राज्य स्तरीय युवा विकास केन्द्र स्थापित किया जाना	0	10000	1		युवाओं हेतु 01 प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	नई टिहरी के बौराडी में युवाओं के कौशल विकास हेतु केन्द्र की स्थापना	01 वर्ष
22	प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का कौडियाला एवं गुलरभोज में व्यवसायिक प्रशिक्षण	प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को विभिन्न व्यवसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं हेतु लघु निर्माण	0	20000	1	1	राज्य स्तरीय साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र शिवपुरी में प्रशिक्षण केन्द्र पूर्ण करवाने हेतु बजट की व्यवस्था।	युवाओं को साहसिक गतिविधियों व्हाईट वॉटर रिवर राफ्टिंग गार्ड प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ना	01 वर्ष

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले (धनराशि हजार रू० में)		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
23	एस०सी०पी० के अंतर्गत युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण	अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करना	20000	0	250		400 अनुसूचित जाति के युवाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य	अनुसूचित जाति के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर आर्थिक रूप से सक्षम बनाना।	01 वर्ष
24	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में मिनी स्टे० निर्माण	अनुसूचित जाति के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उन्हें खेल अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना	0	5000	1		01 खेल अवस्थापना सुविधाओं अथवा मिनी स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य।	अनुसूचित जाति क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना	01 वर्ष
25	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मिनी स्टे० निर्माण	अनुसूचित जनजाति के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उन्हें खेल अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना	0	5000	1		01 खेल अवस्थापना सुविधाओं अथवा मिनी स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य।	अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना	01 वर्ष
		योग	667171	271200					
		कुल योग	938371						

राज्य योजना आयोग

(धनराशि लाख ₹0 में)

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट/एड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट/एड) आउटकम	समय सीमा
		राजस्व	पूंजीगत				
अनुदान संख्या-07 राज्य सेक्टर 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें 092-अन्य कार्यालय 03-नियोजन अधिष्ठान	राज्य की नीति एवं नियोजन की प्रक्रिया हेतु	390.67		राज्य योजना आयोग में 102 कार्मिकों के अधिष्ठान के व्यय हेतु	01 वर्ष	नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य पर विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन एवं विकास कार्यों में आवश्यक परामर्श प्रदान करना।	01 वर्ष
04-आयोजनागत विकास कार्यों का मूल्यांकन 27-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	प्रदेश में कराये गये अवस्थापना निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु एवं भविष्य में सुधार के लिए तकनीकी जांच/मूल्यांकन कार्य विशेषज्ञ संस्थाओं से नियमित रूप से सम्पादित कराये जा रहे हैं।	300.00		नव सृजित राज्य की आर्थिक स्थिति, संसाधनों, जनआकांक्षाओं एवं क्षेत्रों के अपेक्षानुसार कार्य[मों का गहन परीक्षण, मूल्यांकन, सीलीय सत्यापन व व्यापक सर्वेक्षण एवं लक्ष्य प्राप्त करना।	01 वर्ष	अवस्थापना निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु।	01 वर्ष
07 परियोजना विकास निधि का गठन 56-सहायक अनुदान -सामान्य(गैरवेतन)	उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता (Viability) अनुदान योजना के अन्तर्गत राज्य में सार्वजनिक निदेश के पूरक के तौर पर आवश्यक निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्य (Viable) परियोजनाओं के चिन्हन, प्रोजेक्ट निरूपण, फिजिविलिटी रिपोर्ट का परीक्षण।	50.00		अधिक से अधिक विभागों की सटीक परियोजना प्रतिवदनों एवं व्याहार्यता रिपोर्ट की संरचना।	1 वर्ष	ससमय परियोजनाओं का प्रारम्भ निर्बाध क्रियान्वयन एवं चरणबद्ध रूप में पूर्ण किया जाना।	01 वर्ष
99-पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ का गठन 56-सहायक अनुदान -सामान्य(गैरवेतन)	राज्य में पी0पी0पी0 के अन्तर्गत परियोजनाओं का सम्यक् विकास एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु राज्य में PPP enabling framework सृजित किये जाने हेतु।	115.20		अधिक से अधिक संख्या में विभागों को पी.पी.पी. परियोजनाओं के Concept Note तैयार करने, RFP डाक्यूमेण्ट तैयार करने निविदा प्रक्रिया सम्पन्न करने में सहयोग।	1 वर्ष	पी.पी.पी. मोड में अधिक से अधिक निजी निवेश प्राप्त करना तथा गुणवत्तायुक्त Service Delivery का लक्ष्य प्राप्त करना।	01 वर्ष
99-उत्तराखण्ड स्टेट सेन्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस (सी0पी0पी0जी0जी0) का गठन 56-सहायक अनुदान -सामान्य(गैरवेतन)	राज्य के सतत विकास हेतु नियोजन एवं नीति नियोजन को प्रभावी, उपयोगी तथा अकादमिक संस्थाओं ए विषय विशेषज्ञों के सहयोग से क्रियात्मक शोध एवं नीति प्रपत्र तैयार किया जाना।	425.00		नवाचार बेहतर विकल्प अवसर कराने, लागत में कमी करने, सेवा स्तर में सुधार लाने	1 वर्ष	राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा पर्यटन, सिंचाई, पेयजल, वन, जडी-बूटी तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन के क्षेत्र में जन उपयोगी बनाये जाने हेतु।	01 वर्ष
11-युवा आयोग उत्तराखण्ड	दक्ष पेशेवरों की उपलब्धता हेतु युवा पेशेवर नीति 2019 के अधीन युवा आयोग उत्तराखण्ड का गठन।	10.03		युवा पेशेवर नीति 2019 का प्राख्यापन।	1 वर्ष	उत्तराखण्ड के दक्ष पेशेवरों को रोजगार के सुवसर प्रदान किया जाना।	01 वर्ष
	कुल योग	1290.90					

आउटकम 2020-21/परफॉरमेन्स बजट 2019-20

विभाग का नाम – लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0

धनराशि ` लाख में

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/ बजट (2020-21)		दिनांक 01.04.2019 की स्थिति	दिनांक 31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा			
			राजस्व	पूँजीगत								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	नाबार्ड	मार्गों का नव निर्माण, पुनर्निर्माण एवं सेतुओं का निर्माण कर सुलभ एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना।	-	30000.00	नव निर्माण – 196 किमी. पुनः निर्माण – 261 किमी. सेतु – 20 नं०	नव निर्माण – 164 किमी. पुनः निर्माण – 206 किमी. सेतु – 33 नं०	नव निर्माण – 180 किमी. पुनः निर्माण – 227 किमी. सेतु – 36 नं०	740 किमी. मार्गों का नव निर्माण कर 157 ग्रामों का संयोजन, 928 किमी. मार्गों का पुनः निर्माण कर सर्वत्रतु योग्य मार्ग उपलब्ध कराना, 62 सेतुओं का नव निर्माण कर मोटर एवं पैदल यातायात सुलभ कराना।	03 / 2021			
2	राज्य सेक्टर		-	64820.02	नव निर्माण – 457 किमी. पुनः निर्माण – 562 किमी. सेतु – 12 नं०	नव निर्माण – 411 किमी. पुनः निर्माण – 617 किमी. सेतु – 21 नं०	नव निर्माण – 452 किमी. पुनः निर्माण – 678 किमी. सेतु – 23 नं०					
3	अनुसूचित जाति उपयोजना		-	6350.00	नव निर्माण – 79 किमी. पुनः निर्माण – 5 किमी. सेतु – 5 नं०	नव निर्माण – 61 किमी. पुनः निर्माण – 12 किमी. सेतु – 2 नं०	नव निर्माण – 68 किमी. पुनः निर्माण – 13 किमी. सेतु – 2 नं०					
4	अनुसूचित जनजाति उपयोजना		-	5800.00	नव निर्माण – 32 किमी. पुनः निर्माण – 11 किमी. सेतु – 1 नं०	नव निर्माण – 37 किमी. पुनः निर्माण – 9 किमी. सेतु – 1 नं०	नव निर्माण – 40 किमी. पुनः निर्माण – 10 किमी. सेतु – 1 नं०					
5	केंद्र पोषित योजना तथा विशेष आयोजनागत सहायता		पूर्व निर्मित मार्गों का सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण कर सुलभ यातायात उपलब्ध कराना।	-	11500.01	पुनः निर्माण – 30 किमी०	पुनः निर्माण – 2.50 किमी., सेतु – 4 नं०			-	मार्गों को सुदृढ कर सुलभ एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना।	03 / 2021
6	ए.डी.बी. वित्त पोषित कार्य (यू.एस.आर.आई.पी.)		-	1650.00	-	-	-					
	योग, पूँजीगत मदें				120120.03	नव निर्माण – 764 किमी. पुनः निर्माण – 869 किमी. सेतु – 38 नं०	नव निर्माण – 673 किमी. पुनः निर्माण – 847 किमी. सेतु – 60 नं०			नव निर्माण – 740 किमी. पुनः निर्माण – 928 किमी. सेतु – 62 नं०		

आउटकम 2020-21/परफॉरमेन्स बजट 2019-20

विभाग का नाम – लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0

धनराशि ` लाख में

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/ बजट (2020-21)		दिनांक 01.04.2019 की स्थिति	दिनांक 31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	प्रदेश के मार्गों/ सेतुओं का अनुरक्षण	मार्गों का नवीनीकरण तथा वार्षिक रखरखाव।	30000.00	-	नवीनीकरण – 905 किमी0	नवीनीकरण – 1158 किमी0	नवीनीकरण – 1195 किमी0	विभिन्न श्रेणी के मार्गों का बी.सी., एस.डी. बी.सी. एवं पी.सी. द्वारा नवीनीकरण कर सुलभ एवं सुरक्षित यातायात हेतु उपलब्ध कराना।	03 / 2021
7	राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण	राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण।	3000.00	-	2091 किमी.	2091 किमी.	2091 किमी.	1568 किमी0 लम्बाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का सामान्य अनुरक्षण एवं क्षतिग्रस्त मार्गों की पुनर्स्थापना	03 / 2021
8	परियोजना संरचना एवं कन्सलटेन्सी भुगतान, लोकार्पण/शिलान्यास, प्र. अभि. अधिकार क्षेत्र, न्यायालय की अज्ञापितियों का भुगतान, राज्य तथा जिला मार्गों का अनुरक्षण आऊटसोर्सिंग व्यवस्था द्वारा आदि विविध राजस्व मदें	महत्वपूर्ण मोटर मार्गों का अनुरक्षण प्रदान करते हुए स्तरीय सड़क यातायात सुविधा प्रदान करने के साथ-2 रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना।	3370.00	-	आउट सोर्सिंग के माध्यम से 4517 किमी0 राज्य राजमार्गों तथा 2091 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एवं रख-रखाव	आउट सोर्सिंग के माध्यम से 5812 किमी0 राज्य राजमार्गों तथा 2091 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एवं रख-रखाव	आउट सोर्सिंग के माध्यम से 5812 किमी0 राज्य राजमार्गों तथा 2091 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एवं रख-रखाव	राज्य राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु 290 आउटसोर्सिंग कार्मिकों (मेट एवं बेलदार) तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु 105 आउट सोर्सिंग कार्मिकों का रोजगार सृजन	03 / 2021
9	आवासीय/ अनावासीय भवनों का अनुरक्षण (राजभवन देहरादून एवं नैनीताल के आवासीय/अनावासीय भवनों सहित)	विभागीय कार्यालय भवनों, आवासीय भवनों, निरीक्षण भवनों तथा सर्किट हाउस का सामान्य अनुरक्षण का कार्य।	1280.00	-	8 सर्किट हाउस, 153 निरीक्षण भवनों, 186 विश्रामगृहों व 100 से अधिक कार्यालय भवनों के रख-रखाव के साथ-साथ विभागीय आवासीय भवनों (कुर्सी क्षेत्रफल 69476.41 वर्गमीटर) भवनों का अनुरक्षण व रख-रखाव	8 सर्किट हाउस, 153 निरीक्षण भवनों, 186 विश्रामगृहों व 100 से अधिक कार्यालय भवनों के रख-रखाव के साथ-साथ विभागीय आवासीय भवनों (कुर्सी क्षेत्रफल 69476.41 वर्गमीटर) भवनों का अनुरक्षण व रख-रखाव	8 सर्किट हाउस, 153 निरीक्षण भवनों, 186 विश्रामगृहों व 100 से अधिक कार्यालय भवनों के रख-रखाव के साथ-साथ विभागीय आवासीय भवनों (कुर्सी क्षेत्रफल 69476.41 वर्गमीटर) भवनों का अनुरक्षण व रख-रखाव	विभागीय आवासीय तथा अनावासीय भवनों का रख-रखाव किये जाने के फलस्वरूप राजकीय सम्पत्ति को संरक्षित किया गया तथा महामहिम राजभवन परिसर देहरादून तथा नैनीताल का अनुरक्षण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया गया	03 / 2021
10	अधिष्ठान	विभागीय अधिष्ठान में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान तथा अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य मदों का भुगतान।	59935.63	-	विभाग में कार्यरत 1125 राजपत्रित अधिकारियों तथा 8251 अराजपत्रित कार्मिकों अर्थात् विभागीय अधिष्ठान में कार्यरत कुल 9476 कार्मिकों के वेतन व अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों का प्राविधान	विभाग में कार्यरत 1125 राजपत्रित अधिकारियों तथा 8251 अराजपत्रित कार्मिकों अर्थात् विभागीय अधिष्ठान में कार्यरत कुल 9476 कार्मिकों के वेतन व अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों का प्राविधान	विभाग में कार्यरत 1125 राजपत्रित अधिकारियों तथा 8251 अराजपत्रित कार्मिकों अर्थात् विभागीय अधिष्ठान में कार्यरत कुल 9476 कार्मिकों के वेतन व अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों का प्राविधान	विभाग में कार्यरत 9476 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रोजगार का लाभ प्राप्त होने के साथ-साथ राज्य के अवस्थापना विकास में तकनीकी क्षमता का उपयोग	03 / 2021
	योग, राजस्व मदें		97585.63	-	2996 किमी0	3249 किमी0	3286 किमी0		
	कुल योग, (पूँजीगत + राजस्व मदें)		97585.63	120120.03	नव निर्माण – 764 किमी.	नव निर्माण – 673 किमी.	नव निर्माण – 740 किमी.		
					पुनःनिर्माण – 869 किमी.	पुनःनिर्माण – 847 किमी.	पुनःनिर्माण – 928 किमी.		
					सेतु – 38 नं०	सेतु – 60 नं०	सेतु – 62 नं०		
					नवीनीकरण – 2996 किमी0	नवीनीकरण – 3249 किमी0	नवीनीकरण – 3286 किमी0		

वन विभाग

1. आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2020-21 :-

(1) प्रशासन एवं क्षमता विकास :-

योजना	योजना का उद्देश्य	निर्धारित आउट ले (हजार में)		01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेटेड) आउट पुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेटेड) आउट कम	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
राज्य सेक्टर योजनायें								
सामान्य अधिष्ठान, वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति	प्रशासन, क्षमता विकास एवं लीसा विदेहन	4817001	-	विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वेतन भत्तों आदि का भुगतान तथा प्रशासनिक व्यय	विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वेतन भत्तों आदि का भुगतान तथा प्रशासनिक व्यय	विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वेतन भत्तों आदि का भुगतान तथा प्रशासनिक व्यय	वेतन भत्तों का भुगतान	31-3-2021
लीसा		10	-	लीसा उत्पादन - 96,498 कुन्तल	लीसा उत्पादन - 1,17,000 कुन्तल	लीसा उत्पादन - 1,00,000 कुन्तल	लीसा उत्पादन	
उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद		372301	-	बांस एवं रेशा विकास परिषद के प्रशासनिक व्यय	बांस एवं रेशा विकास परिषद के प्रशासनिक व्यय	बांस एवं रेशा विकास परिषद के प्रशासनिक व्यय	बांस एवं रेशा विकास परिषद के प्रशासनिक व्यय	
अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास		11000	-	प्रशिक्षण केन्द्रों का रखरखाव -03 स0, प्रशासनिक व्यय- ल0स0 पुस्तकों का क्रय - ल0स0	प्रशिक्षण केन्द्रों का रखरखाव -03 स0, प्रशासनिक व्यय- ल0स0 पुस्तकों का क्रय - ल0स0	प्रशिक्षण केन्द्रों का रखरखाव -03 स0, प्रशासनिक व्यय- ल0स0 पुस्तकों का क्रय - ल0स0	अधिकारियों, कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास	
कार्य योजना का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य		9851	-	कार्य योजना का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य पर होने वाले व्यय हेतु	कार्य योजना का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य पर होने वाले व्यय हेतु	कार्य योजना का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य पर होने वाले व्यय हेतु	कार्य योजनाओं का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य	
उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद		22121	-	उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद के प्रशासनिक व्यय हेतु	उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद के प्रशासनिक व्यय हेतु	उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद के प्रशासनिक व्यय हेतु	प्रशासनिक व्यय	
उत्तराखण्ड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद		2165	-	उत्तराखण्ड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद के प्रशासनिक व्यय हेतु	उत्तराखण्ड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद के प्रशासनिक व्यय हेतु	उत्तराखण्ड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद के प्रशासनिक व्यय हेतु	प्रशासनिक व्यय	
	योग	5234459	-					

(2) वनीकरण एवं संरक्षण :-

योजना	योजना का उद्देश्य	निर्धारित आउट ले (हजार में)		01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेटेड) आउट पुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेटेड) आउट कम	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
राज्य सेक्टर योजनायें								
बांस तथा बायोफ्यूल प्रजातियों का रोपण	वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण	25500	-	वृक्षारोपण -170 है0 अग्रिम मृदा कार्य -95 है	वृक्षारोपण -95 है0	वृक्षारोपण -400 है0 अग्रिम मृदा कार्य -70 है0 अनुरक्षण -22.5 है0	भविष्य में वनावरण में वृद्धि एवं वनों की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण में सुधार होगा जिससे वृक्षारोपण में वृद्धि होगी।	वृक्षारोपणों का पर्यावरण एवं फोरेस्ट कवर में दीर्घकालीन परिणाम परिलक्षित होते हैं अतः वर्तमान में किये गये वृक्षारोपणों का प्रभाव 10-15 वर्षों के बाद परिलक्षित होगा
औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्द्धन		6102	16000	वृक्षारोपण - 370 है0 अग्रिम मृदा कार्य -410 है0 भू0सं0कार्य-195 स0 वृक्षारोपण अनुरक्षण-245.35 है0 पौध उगान -130000 स0 हर्बल गार्डन रखरखाव -02 वृक्षारोपण का रखरखाव-18 है0 अन्य कार्य ल0स0	वृक्षारोपण - 380 है0 अग्रिम मृदा कार्य -415 है0 भू0सं0कार्य-190 स0 वृक्षारोपण अनुरक्षण-270 है0 पौध उगान -160500 स0 हर्बल गार्डन रखरखाव -02 वृक्षारोपण का रखरखाव-22 है0 अन्य कार्य ल0स0	वृक्षारोपण - 385 है0 अग्रिम मृदा कार्य -459 है0 भू0सं0कार्य-207 स0 वृक्षारोपण अनुरक्षण-257.32 है0 पौध उगान -150000 स0 हर्बल गार्डन रखरखाव -02 वृक्षारोपण का रखरखाव-20 है0 अन्य कार्य ल0स0		
बहुउददेशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण		185805	320000	वृक्षारोपण - 2441 है0 अग्रिम मृदाकार्य -80 है0 ए0एन0आर0 - 250 है0 भू0सं0कार्य - 1106 स0 चैक डेम निर्माण-30 स0 तारजाल निर्माण-35 स0 तटबंध निर्माण- 10 स0 अन्य कार्य -ल0स0	वनीकरण-3320.60 है0	वृक्षारोपण - 10347.26 है0 अग्रिम मृदाकार्य -7567 है0 वृक्षारोपण अनुरक्षण-3075 है0 ए0एन0आर0 - 250 है0 भू0सं0कार्य - 3259 स0 लघु अभियान्त्रिकी कार्य-875 स0 कोर अवरोधक-400 स0 अन्य कार्य -ल0स0		
वोमेन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य		3300	-	महिला पौधा0की स्थापना -36 प्रशिक्षण-8 अन्य कार्य ल0स0	नर्सरी पौध परिपालन-13 महिला पौधालयों की स्थापना-3	महिला पौधा0की स्थापना -ल0 स0 प्रशिक्षण-8 अन्य कार्य ल0स0		
ईको-टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण		-	50000	वृक्षारोपण -1600 है0 तथा फोर्स का अन्य प्रशासनिक व्यय	वनीकरण कार्य-400 है0	वृक्षारोपण -400 है0 अग्रिम मृदा कार्य 700 है0 तथा फोर्स का अन्य प्रशासनिक व्यय		
बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन		22500	-	बंग्यालों में भू0सं0कार्य- 18 स0 क्यारी कोटी बुग्याल का अवरोधक निर्माण-8 सं0 केदारनाथ बुग्याल अवरोधक बुग्याल-20 सं0 बुग्याल क्षेत्रों का अनुरक्षण -12	बंग्यालों में भू0सं0कार्य- 20 स0 क्यारी कोटी बुग्याल का अवरोधक निर्माण-8 सं0 केदारनाथ बुग्याल अवरोधक बुग्याल-22 सं0 बुग्याल क्षेत्रों का अनुरक्षण -12	बंग्यालों में भू0सं0कार्य- 286 स0 मीडोज की सुरक्षा -50 स0 व्यू प्इन्ट -03 स0 हट/चहल निर्माण -210 स0 अन्य कार्य -ल0स0	बुग्यालों का संरक्षण होगा	

				स0, मीडोज की सुरक्षा -4 स0 व्यू प्वाइन्ट -02 स0 अन्य कार्य -ल0स0	स0, मीडोज की सुरक्षा -5 स0 व्यू प्वाइन्ट -03 स0 अन्य कार्य -ल0स0			
बागान		20000	-	पौध अनुरक्षण कार्य	पौध अनुरक्षण कार्य	पौध अनुरक्षण कार्य		
हमारा पेड़ हमारा धन		16500	-	पौध रोपण -29316 पौध	पौध रोपण -19033 पौध	पौध रोपण -42683 पौध	ग्रामीणों के माध्यम से खाली पड़ी भूमि में रोपण करवाने से भविष्य में आय में वृद्धि होगी तथा ग्रामीणों में वृक्षारोपण हेतु जागरुकता बढ़ेगी।	वृक्षारोपणों के परिणाम दीर्घकालीन होते हैं पौध रोपण से भविष्य में पर्यावरण के साथ साथ ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी
हमारा स्कूल हमारा वृक्ष		9002	-		पौध रोपण का लक्ष्य-338000 सं0	पौध उगान- 444900 पौध अन्य कार्य ल0स0	पौध स्कूल के छात्रों को रोपण हेतु पौध उपलब्ध कराने से वृक्षों के प्रति जागरुकता उत्पन्न होगी।	भविष्य में छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरुकता उत्पन्न होगी
वर्षा जल संरक्षण योजना			25000	जलकुण्ड 250 घ0मी0-5 सं0 जलकुण्ड 100 घ0मी0-26 सं0 जलकुण्ड 50 घ0मी0-85 सं0 जलकुण्ड 20 घ0मी0-130 सं0 कन्टूर ट्रैच-255 सं0 पिरुल चैकडेम निर्माण-500 सं	जलकुण्ड 250 घ0मी0-18 सं0 जलकुण्ड 100 घ0मी0-49 सं0 जलकुण्ड 50 घ0मी0-84 सं0 जलकुण्ड 20 घ0मी0-120 सं0 जलकुण्ड 10 घ0मी0-85 सं0 कन्टूर ट्रैच-221 सं0 पिरुल चैकडेम निर्माण-248 सं	जलाशय/जल कुण्ड/चालखाल -947 स0 भू0स0कार्य0-4330 स0 बाटर टैंक -77 स0 तटबन्ध निर्माण -70 स0 अन्य कार्य-ल0स0	जलाशय, जल कुण्डों का निर्माण तथा जल स्रोतों का पुनरुद्धार करने से पर्वतीय क्षेत्रों में नमी रहने से वन्य जन्तुओं के साथ साथ ग्रामीणों को पानी उपलब्ध होगा।	परिणाम भविष्य में परिलक्षित होंगे।
नाबार्ड पोषित क्लाइमेट चेन्ज अनुदान		0				-		
भू-क्षरण की रोकथाम			15000	भू-क्षरण की रोकथाम सम्बन्धी विभिन्न कार्य	भू-क्षरण की रोकथाम सम्बन्धी विभिन्न कार्य	भू-क्षरण की रोकथाम सम्बन्धी विभिन्न कार्य	भू-क्षरण की रोकथाम हो सकेगी।	भू-क्षरण की रोकथाम हो सकेगी।
हरेला कार्यक्रम में पौध वितरण योजना		11000		पौध उगान- 297750 सं0	पौध उगान- 345000 सं0	पौध उगान- 86420 लाख सं0 लगभग व अन्य कार्य		
केन्द्र पोषित योजनाएँ								
राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम (केन्द्र पोषित)		120000	0	भारत सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटित होना है।	भारत सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटित होना है।	भारत सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटित होना है।	वृक्षारोपण कर वनावरण में वृद्धि के साथ साथ वनों की गुणवत्ता बढ़ेगी	वनावरण में वृद्धि होगी परिणाम भविष्य में प्राप्त होंगे।
नेशनल रीवर कन्जरवेशन प्रोग्राम (केन्द्र पोषित)		0	-	-	-	-		
राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बास मिशन (केन्द्र पोषित)		53050	-					
	योग	472759	426000					

(3) वनों की सुरक्षा :-

योजना	योजना का उद्देश्य	निर्धारित आउट ले (हजार में)		01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
केन्द्र पोषित योजनायें								
इन्टेसिफिकेशन ऑफ फोरेस्ट मेनेजमेन्ट	वनों की अग्नि से सुरक्षा, अतिक्रमण, अवैध शिकार, अवैध कटान तथा अवैध खनन में नियन्त्रण	127083	1	फायर लाईनों का रखरखाव-2672 कि०मी०, कन्ट्रोल बर्निंग- 36000 है०, फायर वाचर-2701 स० जलकुण्ड का निर्माण-123 वाटर हॉल निर्माण -9 स० वाच टावर निर्माण -29 स० कू स्टेसन रखरखाव -22 स० बाउन्ड्री पीलर निर्माण-500 अन्य कार्य -ल०स०	खाई खुदान-14 कि०मी० जल कुण्डों का निर्माण-291 फायर लाईनों का रखरखाव-1782 किमी० फायर वाचर-1870 स० कन्ट्रोल बर्निंग- 3712 किमी० कन्टूर फरों का खुदान कार्य एवं बीज बुआन-18000 घ०मी०	फायर लाईनों का रखरखाव-15000 कि०मी०, कन्ट्रोल बर्निंग- 183165 है०, फायर वाचर-8970 स० वाटर टैंक निर्माण -105 स० अग्नि सुरक्षा गोष्ठी -95 स० वाच टावर निर्माण -25 स० कू स्टेसन रखरखाव -485 स० अन्य कार्य -ल०स०	अग्नि दुर्घटनाओं से वन संपदा को कम क्षति विगत वर्षों की तुलना में अग्नि दुर्घटनाओं में कमी	31-3-2021
राज्य सेक्टर योजनायें								
आरक्षित वनों की अग्नि से सुरक्षा		142000	1					
सिविल/सोयम वन पंचायतों में अग्नि से सुरक्षा		57200						
वनों की सुरक्षा		37000	19000					
				चैक पोस्ट बैरियर सुदृढीकरण-40 स० बाउन्ड्री पिलर निर्माण -507 स० बाउन्ड्री पिलर मरम्मत -460 स० वनीकरण-97 है० अतिक्रमण रोकने हेतु सुरक्षा खाई खुदान कार्य-4120 मी० पुरानी हाथी सुरक्षा दीवार मरम्मत-1745 मी०	कन्टूर ट्रैच निर्माण कार्य(२०मी)-34500 चैक पोस्ट/बेरियर का सुदृढीकरण-19 बाउन्ड्री पीलर सुदृढीकरण-160 स० पेट्रोलिंग मार्गा का रख-रखाव-164 किमी० बाउन्ड्री पीलर मरम्मत-426 स०	बाउन्ड्री पिलर निर्माण -700 स० बाउन्ड्रीपिलर रखरखाव- 1349 स० चैक पोस्टो का सुदृढीकरण-305 स० चैक पोस्टो का रखरखाव- 90 स० ट्रैच खुदान - 76546 है० पेट्रोलिंग पाथ का रखरखाव- 340 कि०मी० संवेदनशील क्षेत्रों में अग्रिम मृदाकार्य-120 है० संवेदनशील क्षेत्रों में वृक्षारोपण-200 है०	वनों की सुरक्षा जैसे अतिक्रमण अवैध कटान, अवैध शिकार में विगत वर्षों के सापेक्ष नियन्त्रण करना	
सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का सुदृढीकरण		2801	-	सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र से सम्बन्धित विभिन्न कार्य किये जाते है।	सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र से सम्बन्धित विभिन्न कार्य किये जाते है।	सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का सुदृढीकरण एवं जी०आई०एस० यूनिट का रखरखाव -01 स०	सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का सुदृढीकरण एवं अग्नि दुर्घटनाओं के जी.आई.एस.माध्यम से ज्ञात कर तत्काल कार्यवाही	
वन बंदोबस्त		1600						
इमारती लकड़ी		10000						

कोयला तथा अन्य अभिकरण द्वारा निकाली गई वन उपज								
	योग	377684	19002					

(4) ईकोटूरिज्म :-

योजना	योजना का उद्देश्य	निर्धारित आउट ले (हजार में)		01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
राज्य सेक्टर योजना								
ईको-टूरिज्म योजना	ईकोटूरिज्म के माध्यम से पर्यटन को बढ़ाना एवं राजस्व वृद्धि।	24900	10000	ईको सेन्टरों का विकास- 2 सं०, ईको पार्क की स्थापना-1 सं०, ट्रेकिंग रूट का निर्माण-4 सं० ईको पार्कों की स्थापना-1, वन विश्राम भवन की मरम्मत-1	ईको सेन्टरों का विकास- 4 सं०, ईको पार्क की स्थापना-2 सं०, ट्रेकिंग रूट का निर्माण-6 सं० वन विश्राम भवन की मरम्मत-3	पर्यटन स्थलों का रखरखाव व सौन्दर्यकरण-03 सं० वन विश्राम भवन का जीणोद्धार -15स० ट्रेकरूट/ब्राइडल पाथ जीणोद्धार -170 कि०मी० व०वि०भ० रखरखाव- 50 सं० शोचालय निर्माण-06 सं० ट्रक रूट निर्माण-6.5 कि०मी० नेचर ट्रेल निर्माण -03 कि०मी० होम स्टे - 02 सं० अन्य कार्य - ल०स०	पर्यटकों की संख्या में वृद्धि कर राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ जनता में जैवविधिता के प्रति आकर्षण होगा। रोजगार के अवसरों में वृद्धि कराना।	31-3-2021
पारिस्थितिकीय पर्यटन निगम		-	10000	-	-	-		
ग्रामीण ईको-पर्यटन योजना		351		-	-	-		
	योग	25251	20000					

(5) वन्य जीव प्रबन्ध तथा पार्को एवं पक्षी विहारों का विकास

योजना	योजना का उद्देश्य	निर्धारित आउट ले (हजार में)		01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
		राजस्व	पूजीगत					
राज्य सेक्टर योजनायें								
जीवों के वास स्थलों का विकास	वन्यजीवों के वास स्थलों का सुधार तथा वन्य जीवों का संरक्षण	37500	10000	ए0एन0आर0-229 है0 लैन्टाना उन्मूलन-1801 है0 झिलमिल झील में वाटर होल मरम्मत-3 सं0, वन मोटर मार्गों का रखरखाव सुरक्षा हेतु पैट्रोलिंग, हल्द्वानी में जू का निर्माण मृदा एवं जल संरक्षण कार्य-ल0सं0 है0 क्रियेशन ऑफ विलेज लेवल एलीफेन्ट स्क्वेड-08, क्रियेशन ऑफ लार्ज वाटर बाडीज-06, वाटर होल निर्माण-30 सं0, सोलर फेसिंग रखरखाव, एन्टीपोचिंग दस्ता, फायर लाईनो का रखरखाव-400 किमी., कन्ट्रोल बर्निंग, परक्यूलेसन टैंक एण्ड कंटूर ट्रैच-40 सं0, वाचटावर-02 सं0, प्रशिक्षण-लम.सम, चौरासी कुटिया में इन्टरप्रिटेसन सेन्टर का विकास- 01 सं0, हाथीखाने का निर्माण, Soft release enclosure power fence, creation of waterhole inside the enclosure, habitat improvement work and CCTV for monitoring (Enclosure enforced with power fence and maintenance)]	प्राकृतिक वास स्थलों के निकट जलकुण्ड बनाना-14 सं0 भूमि संरक्षण कार्य-245 सं0, तलाबों का निर्माण-15, लैण्टाना आदि अनावश्यक वीड उन्मूलन- 510 है0, वाटर होल निर्माण-15 सं0, वन चेतना केन्द्र अपग्रेडेशन-2, पर्यटन केन्द्रों का विकास-2 सं0, मड फ्लैट निर्माण-4, पर्यटन केन्द्रों का रखरखाव-3 सं0, वन चेतना केन्द्र रखरखाव-2, वाच टावरों का रखरखाव/सुदृढीकरण-4 Maintenance of Solar Fencing @ Rs. 0.01 Per Mtr-400, Weed eradication & habitat improvement 100 hc. @ 0.055 lakhs for 2nd year-80, Dirkinging water facility in Forest Guard chowki/Range Qtr.-11, Removal of gregarious plant growth from grassland-25ha, Creation of Road	वन्य जन्तुओं के वास स्थलों में सुधार हेतु भू0सं0कार्य - 30218 सं0 वाटर होल निर्माण -145 सं0 जल कुण्ड निर्माण - 27 सं0	वन्यजीवों के वास स्थल में सुधार होने पर वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि। वर्ष 2008 की गणना में बाघों की संख्या 164 थी जो वर्ष 2010 में बढ़कर 226 हो गयी है। नवीनतम गणना के आधार पर वर्तमान में बाघों की संख्या 340 हो गयी है। उत्तराखण्ड में हाथियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है वर्तमान में प्रदेश में कुल 1797 हाथी हैं। इससे परिलक्षित होता है कि वास स्थल सुधार से वन्य जन्तुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जनता में वन्यजीवों के प्रति ब उत्पन्न होगा।	वास स्थलों में सुधार के परिणाम दीर्घ कालिक होते हैं जिसका परिणाम आगामी वर्षों में परिलक्षित होगा।
हल्द्वानी में जू निर्माण		5500	110000			हल्द्वानी जू निर्माण (आंशिक) - 01		
वन्यजन्तु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास		59700	15000			जू का रखरखाव - 03 सं0 वन चेतना केन्द्रों का रखरखाव-12 सं0 भू0सं0कार्य - 06 सं0 लैन्टाना उन्मूलन- 100 है0 नेचर इन्टर प्रिटेसन सेन्टर- 15 सं0 पर्यटन केन्द्रों का रखरखाव-10 सं0 अन्य कार्य - ल0सं0		
मालसी मिनी जू का विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण		-	10000			मालसी "जू" सुदृढीकरण एवं उसमें रखे जानवरों का रखरखाव		
जगली सूअरों के आखेट हेतु कारतूसों का वितरण		2	-			As per incident		
वाइल्डलाईफ बोर्ड को सहायता		15004	-			वाइल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता		
केन्द्र पोषित योजनायें								
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व की स्थापना		36000	40000			नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व का रखरखाव एवं विकास कार्य -01		
प्राकृतिक संसाधनों का ईको सिस्टम एवं संरक्षण		0	0			नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व का रखरखाव एवं विकास कार्य -		
प्रोजेक्ट एलीफेन्ट		49901	10000			राजाजी पार्क एवं अन्य क्षेत्रों में हाथी के विकास स्थलों में सुधार कार्य		
प्रोजेक्ट टाईगर		289600	30000			प्रदेश के 02 टाईगर रिजर्वों का रखरखाव		
इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाईफ हेबीटेट		150671	40001			वाइल्ड लाईफ सेन्चुरियों/पार्क में वन्य जन्तु के वास स्थलों का विकास एवं रखरखाव		
कार्बेट एवं राजाजी टाईगर रिजर्व का संरक्षण एवं विकास		120007						

					Networks-63km, Deployment of Antipoaching squads-163n, (a) Solar fencing-1400 mtr, Procurement of field gear, night vision devices etc- 2435, Fortnightly long term joint patrols-300 n			
पक्षियों का संरक्षण एवं उनके वास स्थलों का विकास		2500						
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेन्दुयें का संरक्षण		8500						
	योग	774885	265001					

(6) अवस्थापना विकास (भवन तथा सड़के)

योजना	योजना का उद्देश्य	निर्धारित आउट ले (हजार में)		01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
राज्य सेक्टर योजनायें								
वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गों का सुदृढीकरण	वन मोटर मार्गों, अश्वमार्गों का सुदृढीकरण एवं कर्मचारियों हेतु आवासों की व्यवस्था	90000	40500	वन मार्गों का सुदृढीकरण/रखरखाव- 50 मार्ग आवासीय भवनों का रखरखाव-ल0स0 मु0व0स0 कार्य योजना, अपर प्रमुख वन संरक्षक शोध तथा वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त के कार्यालय का निर्माण-01 भवन चौकियों का जीर्णोद्धार-06 स0	वन मार्गों का सुदृढीकरण/निर्माण-18 2 किमी0 पैदल मार्ग सुदृढीकरण-56 किमी0 वन मोटर/पैदल मार्ग अनुरक्षण/मरम्मत /रखरखाव- 285 किमी0 आवासीय/अनावासीय भवनों का जीर्णोद्धार-17 सं0, विभिन्न राजकीय	वन मोटर मार्गों का सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार - 400 किमी0 पैदल मार्ग/अश्वमार्गों का जीर्णोद्धार- 1035 किमी0 पुलिया निर्माण -8 स0 पुलिया/काजवे/ब्रस्टवाल निर्माण- 40 स0 भवनों एवं वन विश्राम भवनो का रखरखाव - 110 भवन निर्माण - 42 भवन , वन रक्षक चौकी निर्माण- 04 आवासीय भवन निर्माण- 06 स0	वन मोटर मार्गों एवं अश्वमार्गों के रखरखाव से विभाग को वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा में सहायता, वन निगम द्वारा वन उपज की निकासी में सहायक एवं वनों के नजदीक निवास करने वाले ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो रही है।	31-3-2021
वन विभाग के आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढीकरण		14000	30000					31-3-2021
वन संचार साधन-पुल,		25000	-					31-3-2021

टेलीफोन तथा भवन					आवासीय भवनों परदावाल निर्माण कार्य-8, भवन सुदृढीकरण-4	बिजली एवं पानी की व्यवस्था - 37स0		
उत्तराखण्ड वन विकास निधि का गठन		2000	-					31-3-2021
	योग	131000	70500					

(7) रिसर्च एवं टेक्नोलोजी :-

योजना	योजना का उद्देश्य	निर्धारित आउट ले (हजार में)		01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
राज्य सेक्टर योजनायें								
रिसर्च एवं टेक्नोलोजी डवलपमेन्ट	अनुसंधान के माध्यम से वानिकी का विकास	13110	1	नर्सरी एवं प्लन्टिंग तकनीक का विकास- LS सांख्यिकीय प्लॉट बनाना- LS राईजाम बैंक का रखरखाव - LS पिरुल चैक डाम बनाना प्रयोगों का रखरखाव -LS एस.पी.ए./एस.एस0पी.ए./सी.एम.एस. नवीनीकरण LS	नर्सरी विकास एवं पोध उत्पादन-66485 सं0 सांख्यिकीय प्लॉटों का मापन-14 सं0 वृक्षारोपण एवं प्रायोगिक क्षेत्रों का रखरखाव-2 सं0, वृक्षारोपण एवं प्रायोगिक क्षेत्रों का स्थापना-2 सं0	विभिन्न वानिकी अनुसंधानों के माध्यम से वानिकी तथा वन्य जीवों के वास स्थल सुधार करने हेतु नवीनतम तकनीकी का प्रयोग किया जाना।	अनुसंधान के परिणामों के आधार पर वनों एवं वन्यजीवों का विकास	आगामी वर्षों में परिणाम परिलक्षित होंगे
	योग	13110	1					

(8) वन पंचायतों का सुदृढीकरण :-

योजना	योजना का उद्देश्य	निर्धारित आउट ले (हजार में)		01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2020-21	1-4-2020 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत						
राज्य सेक्टर योजनायें									
वन पंचायतों का सुदृढीकरण	प्रदेश की 12,089 वन पंचायतों को चरणबद्ध रूप से सुदृढीकरण करना	13696	8001	वनीकरण - 36 है0 अग्रिम मृदा कार्य-52 है0 प्रशिक्षण - LS वर्षा जल संरक्षण कार्य - 32 सं0 लेन्टाना उन्मूलन- 7 है0 लघु अभियान्त्रिकी कार्य- 16 सं0 बाउन्ड्रीपिलर मरममत-323 सं0 पैदल मार्ग मरममत-4 कि0मी0	वनीकरण - 81 है0 लघु निर्माण कार्य-92 सं0	वृक्षारोपण -425 है0 अ0मृ0कार्य -660 है0 चारागाह विकास- 245 है0 भू0सं0कार्य0 -1995 सं0 बाउन्ड्री पिलर निर्माण - 960 सं0 पैदल मार्ग - 53 कि0मी0 Entry point Activity -30 सं0	-	वन पंचायतों में जागरूकता वृद्धि जिससे वन पंचायतें वनों की सुरक्षा में रुचि उत्पन्न हो रही है तथा वन पंचायतें वनों के प्रति जागरूक हो रही है।	आगामी वर्षों में बजट की उपलब्धता पर
	योग	13696	8001						

(9) पुर्नवास तथा कल्याणकारी कार्यक्रम :-

योजना	योजना का उद्देश्य	निर्धारित आउट ले (हजार में)		01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम्	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
राज्य सेक्टर योजनाएँ								
जंगली जानवरों द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता की जान-माल नुकसान पर क्षतिपूर्ति	जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि, गूजरों के पुर्नवास हेतु कल्याणकारी कार्य, वन्यजीवों से खेती सुरक्षा तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकथाम आदि	50001	-	मानव क्षति पशु क्षति भवन क्षति एवं फसल क्षति के मामलों का निस्तारण किया गया।	मानव क्षति पशु क्षति भवन क्षति एवं फसल क्षति के मामलों का निस्तारण किया गया।	As per incidence	जान-माल नुकसान की क्षतिपूर्ति	31-3-2021
मुठभेड़ में मृत्यु होने तथा शासकीय कार्यों हेतु वनाधिकारियों/कर्मचारियों को सहायता/पुरस्कार		2000	-	As per incident	As per incidence	As per incidence	वनाधिकारियों/ कर्मचारियों को पुरुस्कृत करना	31-3-2021
गूजर एवं अन्य प्रभावित पुर्नवास योजना		21110	-	पुनर्वासित गूजर बस्तियों में अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्य एवं उनका रखरखाव तथा पुनर्वास सम्बन्धी अन्य विविध व्यय	पुनर्वासित गूजर बस्तियों में अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्य एवं उनका रखरखाव तथा पुनर्वास सम्बन्धी अन्य विविध व्यय	पुनर्वासित गूजर बस्तियों में अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्य एवं उनका रखरखाव तथा पुनर्वास सम्बन्धी अन्य विविध व्यय	गूजरों का विस्थापन एवं गूजर बस्तियों में सुविधा उपलब्ध कराना तथा सुरक्षा के लिये लाभ होगा।	31-3-2021
मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना		67500	30000	हाथी सुरक्षा खाई निर्माण-1.422 कि०मी० सौर उर्जा बाड का निर्माण-500 मी० सौर उर्जा अनुरक्षण कार्य-8 कि०मी० हाथी सुरक्षा कार्य-3.80 कि०मी०		मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कमी करने हेतु एलीफेन्ट प्रूफ ट्रेन्च-5 कि०मी०, हाथी रोधक दीवाल - 9.7 कि०मी० सोलर फेंसिंग- 19 कि०मी० खाई खुदान- 22 कि०मी० हेबीटेड इम्प्रूवमेन्ट -1340 है० मुआवजा वितरण -ल०स० अन्य कार्य - ल०स०	मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में विगत वर्ष की तुलना में कमी आयी है।	परिणाम भविष्य में परिलक्षित होंगे।
मानव-वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना		35502	5000	34114 उत्पाती बन्दरो के पकडकर दूरस्थ जंगलो में छोडा जाना चिडियापुर बान्याकरण केन्द्र का रखरखाव	10967 उत्पाती बन्दरो को पकडकर दूरस्थ जंगलो में छोडा जाना 9465 बन्दरो का बन्ध्याकरण किया गया।	उत्पाती बन्दरो का बान्ध्याकरण हेतु केन्द्र का निर्माण एवं रखरखाव - 4 स० बन्दरो को पकडकर दूरस्थ वनों में छोडना	उत्पाती बन्दरो से जनता को निजात दिलाना	परिणाम भविष्य में परिलक्षित होंगे।
मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीवों से खेती सुरक्षा योजना			20000	हाथी एवं नीलगाय से सुरक्षा हेतु खाई निर्माण -2.21 कि०मी० सुअर रोधी दीवार निर्माण-700 मी०	सुअर रोधी दीवार निर्माण-1.27 कि०मी० हाथी सुरक्षा खाई खुदान -1.05 कि०मी०, सोलर फेंसिंग कार्य-7 कि०मी०	खेती सुरक्षा हेतु सुअर रोधी दीवाल निर्माण हाथी एवं अन्य वन्य जन्तुओ के खेती की सुरक्षा हेतु दीवाल - 6.7 कि०मी० हाथी/नील गाय रोधी खाई- 15 कि०मी०, अन्य कार्य -ल०स०	अभी योजना प्रारम्भ हुई है जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त हो रहे है।	
पर्यावरण निदेशालय का गठन		5502	-	निदेशालय का गठन किया जाना है	निदेशालय का गठन किया जाना है	जन जागरुकता एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण निदेशालय का गठन किया जाना	पर्यावरण निदेशालय का गठन होने से पर्यावरण के प्रति जागरुकता उत्पन्न होगी	

राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र		5301	-	Sustainable Development Goal - 13 के परिणामों को प्राप्त करना है, जिससे राज्य के विज्ञान 2030 के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।	Sustainable Development Goal - 13 के परिणामों को प्राप्त करना है, जिससे राज्य के विज्ञान 2030 के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।	Sustainable Development Goal - 13 के परिणामों को प्राप्त करना है, जिससे राज्य के विज्ञान 2030 के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।	Sustainable Development Goal - 13 के परिणामों को प्राप्त करना है, जिससे राज्य के विज्ञान 2030 के उद्देश्यों की प्राप्ति होगी।	
	योग	186916	55000					

(10) उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (बाह्य सहायतित योजना) :-

योजना	योजना का उद्देश्य	निर्धारित आउट ले (` हजार में)		01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेटड) आउट पुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेटड) आउट कम	समय सीमा
		राजस्व	पूंजीगत					
ई0ए0पी0 योजनाये								
उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जायका पोषित)	वनो के आसपास क्षेत्रों के गांव वालो की आजीविका में सुधार एवं आय में वृद्धि कर वनों पर निर्भरता कम करना	1100001	1	Plantation- 2464 ha ASW – 10279 ha Microplan – 165 No Distribution of plants– 2874 No.	Plantation- 5818 ha ASW – 1532 ha Microplan – 165 No Distribution of plants– 2000 No.	वृक्षारोपण क्षेत्रों का सर्वे एवं डिमाकेशन, अवांछित वीड उन्मूलन, सिल्वीकल्चर एक्टीविटी, अग्रिम मृदा कार्य, नर्सरी कार्य, आधुनिक नर्सरी का तैयार करना, चाल-खाल, तालाबों का सुदृढीकरण, जैव विविधता के संरक्षण हेतु ग्राम का चयन, एवं उनका क्षमता विकास, भू-क्षरण रोकथाम कार्य	वन पंचायतो में आजीविका के साधन उपलब्ध होने के साथ साथ पंचयतों में वनावरण में वृद्धि होगी	परिणाम आगामी वर्षों में परिलक्षित होंगे
राज्य सेक्टर योजनाये								
आई0टी0 पार्क देहरादून में एन0टी0एफ0पी0 सेन्टर आफ एक्सीलेन्स का निर्माण		-	1	-	-	एन0टी0एफ0पी0 सेन्टर आफ एक्सीलेन्स का निर्माण		
	योग	1100001	2					

(10) बायोडाईवर्सिटी कन्जरवेशन एण्ड रुरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेन्ट :-

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले (` लाख में)		01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेटड) आउट पुट	परिकल्पित (प्रोजेक्टेटड) आउट कम	समय सीमा
		राजस्व	पूंजीगत					
बायोडाईवर्सिटी कन्जरवेशन एण्ड रुरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेन्ट (बाह्य सहायतित)	बायोडाईवर्सिटी कन्जरवेशन	20000	-			विभिन्न बायोडाईवर्सिटी कन्जरवेशन एन्ड रुरल लाइवलीहुड से सम्बन्धित माईक्रोप्लानिग तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जा रहे हैं	बायोडाईवर्सिटी कन्जरवेशन कार्य एवं आजीविका के संसाधनो में वृद्धि	इस योजना का परिणाम आगामी वर्षों में परिलक्षित होगा
	योग	20000	-					

(10) कैम्पा के अन्तर्गत :-

योजना	योजना का उद्देश्य	निर्धारित आउट ले (` हजार में)		01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट वर्ष 2021-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम	समय सीमा
		राजस्व	पूंजीगत					
प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त पतिपूरक वनीकरा, दंडित प्रतिपूरक वनीकरण तथा मृदा एवं जल संरक्षण	क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा	350000		-	-	क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा		आगामी वर्षों में परिणाम परिलक्षित होंगे
कैम्पा के अन्तर्गत वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य एवं दंडित वन भूमि का बिल		900000	-	-	-			
कैम्पा के अन्तर्गत कैट प्लान (जलाशय क्षेत्र उपचार)		300000	-	-	-	कैट प्लान से सम्बन्धित कार्य		
कैम्पा के अन्तर्गत समेकित जल एवं भूमि प्रबन्धन कार्यक्रम		350000	-	-	-	जल एवं भूमि संरक्षण किये जायेंगे		
कैम्पा से अर्जित व्याज से व्यय		100000						
कैम्पा के अन्तर्गत अन्य वृक्षारोपण, सुरक्षित क्षेत्र विकास, वृक्षों का पातन चार दीवारी		150000	-	-	-	वृक्षारोपण, वृक्षों का पातन, चार दीवारी आदि कार्य किये जायेगे।		
	योग	2150000	-					

राजस्व	10499761
पूंजीगत	863507
कुल योग	11363268

वैकल्पिक ऊर्जा (उरेडा)

(रु0लाख में)
SDG Covered

क्र. सं	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले				परिकल्पित (प्राजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्राजेक्टेड) आउटकम 2020-21	समय सीमा				
			राजस्व	पूँजीगत									
1	सोलर इनर्जी सौर ऊर्जा योजनाओं से विद्युत उत्पादन	सौर तापीय ऊर्जा से गर्म पानी की व्यवस्था से विद्युत बचत	140.38	0.00	23.04 लाख ली0प्र0दि0	23.04 लाख ली0प्र0दि0	48700 ली. प्रतिदिन क्षमता सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों की स्थापना।	0.77 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत बचत	एक वर्ष				
		सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन	168.31	0.00					273. 81 मेगावाट	274.37 मेगावाट	340 किलोवाट विद्युत उत्पादन	0.50 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन	एक वर्ष
		सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन	30.00	0.00							विद्युत उत्पादन		एक वर्ष
			63.48	0.00							जनजागरुकता		एक वर्ष
2	जल विद्युत कार्यक्रम लघु जल विद्युत योजनाओं की स्थापना	दूरस्थ ग्रामों में विद्युत आपूर्ति	217.00	0.00	14.81 मेगावाट	14.82 मेगावाट	1550 किलोवाट विद्युत उत्पादन	9.00 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन	एक वर्ष				
3	प्रशासनिक व्यय कार्मिकों का वेतन	अक्षय ऊर्जा स्रोतों के चिन्हांकन एवं दोहन हेतु सेवाएँ प्रदान करना।	788.00	0.00	-	-	अक्षय ऊर्जा स्रोतों के चिन्हांकन एवं दोहन हेतु सेवाएँ प्रदान करना।	अक्षय ऊर्जा स्रोतों के चिन्हांकन एवं दोहन हेतु सेवाएँ प्रदान करना।	एक वर्ष				
	योग		1407.17	0.00									

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

क्र. सं.	SDG-7 (स्वच्छ एवं आधुनिक ऊर्जा का उत्पादन)	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति)2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
	सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र	23.04 लाख ली0प्र0दि0	23.545 लाख ली0प्र0दि0	48700 ली. प्रतिदिन क्षमता सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों की स्थापना।	0.77 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत बचत
	सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन	273.81 मेगावाट	274.37 मेगावाट	340 किलोवाट विद्युत उत्पादन	0.50 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन
	लघु जल विद्युत योजनाओं की स्थापना	14.81 मेगावाट	15.01 मेगावाट	1550 किलोवाट विद्युत उत्पादन	9.00 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन

आउटकम बजट 2020 – 21
शहरी विकास विभाग
विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस०डी०जी० : एस०डी०जी० – 11

धनराशि लाख रु० में

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	प्रस्तावित आउट ले		एस०डी०जी० o Goals / Indicator s	01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत						
	राज्य सेक्टर									
1		शहरी विकास निदेशालय कार्यालय अधिष्ठान	486-00	-	-	➤ निदेशालय के अधिकारियों हेतु का वेतन भुगतान तथा कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यय				
2	नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास	इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय निकायो की सीमान्तर्गत मूल-भूत नागरिक सुविधाये यथा- ड्रेनेज व्यवस्था, सड़क, गलियों, नालियों का निर्माण/सुधार विषयक परियोजनाए आदि हेतु नगर निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। स्वीकृत की जाती है।	200-00	2000-00	-	➤ 03 निकायों में अवस्थापना विकास जैसे नाला, नालियों, खडंजा, सुरक्षा दीवार, पार्किंग आदि का निर्माण।	➤ 40 निकायों में अवस्थापना विकास जैसे नाला, नालियों, खडंजा, सुरक्षा दीवार, पार्किंग आदि का निर्माण।	➤ नगरीय निकायो में अवस्थापना विकास जैसे नाला, नालियों, खडंजा, सुरक्षा दीवार, पार्किंग आदि का निर्माण।	➤ नगरीय अवस्थापना में विकास किया जायेगा। जिससे नगरीय क्षेत्रों में खराब नाले सड़को ड्रेनेज तथा निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ हो जायेगी।	2020-21

3	आवारा श्वान पशु बध्याकरण	आवारा निराश्रित श्वानवंशीय पशुओं की जनसंख्या नियंत्रण हेतु आवारा श्वानवंशीय बंध्याकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा ए0बी0सी0 कैम्पस (Animal Birth Control) की स्थापना की गयी है।	200-00	300-00	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नगर निगम, देहरादून, नगर पालिका परिषद, मंसूरी एवं नैनीताल में ए0बी0सी0 कैम्पस की स्थापना व संचालन। नगर निकाय देहरादून, नैनीताल, मंसूरी में 6000 श्वान पशुओं की बाध्यकरण षल्य चिकित्सा पूर्ण कर ली गई है 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नैनीताल, मंसूरी, देहरादून में बध्याकरण का संचालन किया जा रहा है। ➤ वर्तमान तक देहरादून में 22185, मंसूरी में 565, नैनीताल में 1423 कुल 24173 पशुओं का बाध्यकरण शल्य चिकित्सा पूर्ण कर लिये गये है। ➤ रुद्रपुर, हल्द्वानी, रुड़की, काशीपुर में ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ रुद्रपुर, हल्द्वानी, रुड़की, काशीपुर में ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। ➤ आवारा पशुओं का बाध्य चिकित्सा की जायेगी। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ए0बी0सी0 कैम्पस की स्थापना के उपरान्त निकाय क्षेत्र में आवारा घूम रहे श्वान पशुओं की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण सम्भव हो सकेगा। 	2019-20
4	(UA-URIF) उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि	योजना के अन्तर्गत उन नगर निकायों को प्रोत्साहनस्वरूप प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाएगा, जिनके द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण, पृथक्कीकरण, जैविक अपशिष्ट का उपचार, अजैविक अपशिष्ट का पुनर्चक्रीकरण एवं पुर्नउपयोग तथा शेष बचे अपशिष्ट का वैज्ञानिक भू-भरण करके निकाय क्षेत्र को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे।	100-00	-		<ul style="list-style-type: none"> ➤ धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 09 निकायों को (नगर निगम रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी, नगर पालिका परिषद, गौचर, मुनिकीरेती, चमोली, नगर पंचायत, अगस्तमुनी, गजा, शक्तिगढ़) को धनराशि वितरण 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ शहरी स्थानीय निकायों को अभिनव कार्यों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया गया ताकि उनके निकाय क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास कर सकें। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ शहरी स्थानीय निकायों को अभिनव कार्यों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत 	2020-21

5	पार्को की स्थापना	राज्य में स्थित नगरों को सुन्दर बनाने के दृष्टिगत समस्त नगर निकायों को एक बार पार्को के निर्माण तथा वर्तमान में स्थित पार्को को सुदृढीकरण किये जाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक नगर निकाय को रू0 10.00 लाख की वित्तीय सहायता अनुमन्य की जायेगी।	200-00	—		➤ धनराशि अवमुक्त नहीं की गई	➤ धनराशि अवमुक्त नहीं की गई	➤ गढ़वाल मण्डल की प्रत्येक निकाय में दयानन्द भारती नाम से एक पार्क व कुमांऊ मण्डल की स्थानीय निकायों में खुषीराम के नाम से पार्क का निर्माण/जीर्णोद्धार ।	➤ नगरों को सुन्दर बनाने एवं नगर निकायों में एक बार पार्को के निर्माण तथा वर्तमान में स्थित पार्को का सुदृढीकरण।	2019-20
6	रैन बसेरो का निर्माण	इस योजनान्तर्गत नगर निकायो में आश्रयहीन लोगों के लिए रैन बसेरो का निर्माण कराया जाता है। प्रशनगत योजना के अन्तर्गत नवगठित 5 नगर निकायों में रैन बसेरो का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	—	200-00	—	➤ चम्बा, लक्सर, लोहाघाट में 04 रैन बसेरो का निर्माण कार्य किया गया।	➤ कर्णप्रयाग में रैन बसेरो का निर्माण	➤ कर्णप्रयाग, लोहाघाट में 01 रैन बसेरो का निर्माण कार्य किया जा रहा है।	➤ शहरी क्षेत्रों में आश्रयहीन गरीब लोगों को रात्रि विश्राम, ठहरने हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें शौचालय, बिस्तर, पानी आदि की निःशुल्क व्यवस्था होती है।	2020-21
7	सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषिक योजना	नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के कार्य की विषमता को दृष्टिगत रखते हुए उनको पारितोषिक इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना है	20-00	—	—	➤ धनराशि अवमुक्त नहीं की गई	➤ धनराशि अवमुक्त नहीं की गई	➤ नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को पारितोषिक	➤ नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को पारितोषिक तथा सामाजिक सुरक्षा ताकि वे बेहतर काम करने का प्रयास कर सकें।	

8	सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना	नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हितों की रक्षा के दृष्टिगत ये योजना प्रारम्भ की गई है	20-00	-	-	➤ धनराशि अवमुक्त नहीं की गई	➤ धनराशि अवमुक्त नहीं की गई	➤ नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हितों की रक्षा	➤ नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हितों की रक्षा ताकि वे बेहतर काम करने का प्रयास कर सकें।	
---	--	--	-------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	---	---	--

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	प्रस्तावित आउट ले		एस०डी०जी० Goals / Indicators	01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत						
1	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)	शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक व आर्थिक क्षमता विकास करते हुये प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना एवं उनकी आजीविका को मजबूत करना है। जिससे वह सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।	1200-00	500-0	No of homeless household Functional SHGs to total SHGs formed Share of credit linked SHGs under NULM to total SHGs	<ul style="list-style-type: none"> सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के अन्तर्गत 157 महिला स्वयं सहायता समूहों व 02 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन 1270 महिलाओं का आजीविका संवर्द्धन। स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्गत 704 लाभार्थियों ऋण वित्त किया गया। शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता के अन्तर्गत 5238 स्ट्रीट वेण्डर को पहचान पत्र वितरित। शहरी निराश्रितों हेतु 12 रैन बसेरा का निर्माण स्वीकृत, जिसके सापेक्ष 09 रैन बसेरो का संचालन प्रारम्भ व 03 रैन बसेरे निर्माणाधीन। 	<ul style="list-style-type: none"> सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के अन्तर्गत 199 महिला स्वयं सहायता समूहों व 03 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन 1100 महिलाओं का आजीविका संवर्द्धन। स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 466 को व्यक्तिगत ऋण वित्त किया गया। कौशल विकास के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 2594 लाभार्थियों को रोजगार परक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। शहरी निराश्रितों हेतु 02 गौचर व टनकपुर रैन बसेरा का निर्माण स्वीकृत, जिसके सापेक्ष 09 रैन बसेरो का संचालन प्रारम्भ व 03 रैन बसेरे निर्माणाधीन। 	<ul style="list-style-type: none"> सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के अन्तर्गत 336 महिला स्वयं सहायता समूहों व 14 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन 2000 महिलाओं का आजीविका संवर्द्धन। स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्गत कुल 1000 व्यक्तिगत ऋण वित्त किये जाने का लक्ष्य है। कौशल विकास के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 5000 लाभार्थियों को रोजगार परक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। शहरी निराश्रितों हेतु 04 रैन बसेरा का निर्माण स्वीकृत, जिसके सापेक्ष 09 रैन बसेरो का संचालन प्रारम्भ व 03 रैन बसेरे निर्माणाधीन। 	<ul style="list-style-type: none"> राज्य में शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह क्षेत्र स्तरीय नगर स्तरीय संघ के माध्यम से उनकी आजीविका में सुधार होगी। कौशल विकास प्रशिक्षणों के माध्यम से बेरोजगारों हेतु मांगानुरूप प्रशिक्षण आयोजित कर 50 प्रतिशत लाभार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार तथा उनकी आजीविका में सुधार होगी। संस्थागत ऋण उपलब्ध होगा एवं सामाजिक सुरक्षा तथा स्वरोजगार के माध्यम से शहरी गरीबों का आजीविका के स्तर को बढ़ावा मिलेगा। शहरी पथ विक्रेताओं आजीविका हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होगी। 	2020-21

आउटकम बजट 2020 – 21

शहरी विकास विभाग

विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस०डी०जी० : एस०डी०जी० – 11

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	प्रस्तावित आउट ले		एस०डी०जी० Goals / Indicators	01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट्रेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट्रेड) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत						
2	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	1. भारत सरकार द्वारा 6 नगर निगमों (देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी-काठगोदाम, काशीपुर, रुद्रपुर) तथा नैनीताल में अमृत योजना संचालित की जायेगी। परियोजना में यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवेज कनेक्शन उपलब्ध हो। 2. हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना।	1000-00	8000-00	"No. of cities covered/investment : 07 शहरों (देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी व नैनीताल) में रु० 593.02 करोड़ का परिव्यय No. of low cost houses for EWS Fuel efficient public transport system (investment and number)" वर्तमान में लागू नहीं है, No. of cities with waste management and sewage treatment plants वर्तमान में 04 शहरों काशीपुर, रुद्रपुर, नैनीताल व हल्द्वानी में एस०टी०पी० प्लांट का निर्माण किया जा रहा है।	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जलापूर्ति सेक्टर (लक्ष्य-27 योजना) के सापेक्ष 6 योजनाएं पूर्ण, 21 योजनाओं कार्य प्रगति पर। ➤ सीवेज सेक्टर (लक्ष्य-33योजना) के सापेक्ष 3 योजनाएं पूर्ण, 30 योजनाओं कार्य प्रगति पर। ➤ ड्रेनेज सेक्टर (लक्ष्य-3) 3 योजनाओं कार्य प्रगति पर। ➤ ग्रीन स्पेस/पार्क सेक्टर (लक्ष्य-32) के सापेक्ष 5 योजनाएं पूर्ण, 27 योजनाओं कार्य प्रगति पर। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जलापूर्ति सेक्टर (लक्ष्य-47 योजना) के सापेक्ष 6 योजनाएं पूर्ण, 40 योजनाओं कार्य प्रगति पर। ➤ सीवेज सेक्टर (लक्ष्य-43 योजना) के सापेक्ष 14 योजनाएं पूर्ण, 25 योजनाओं कार्य प्रगति पर। ➤ ड्रेनेज सेक्टर (लक्ष्य-16) 3 योजनाओं कार्य 12 योजनाओं कार्य प्रगति पर। ➤ ग्रीन स्पेस/पार्क सेक्टर (लक्ष्य-44) के सापेक्ष 16 योजनाएं पूर्ण, 26 योजनाओं कार्य प्रगति पर। ➤ नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की के लिए मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु जी0आई0एस0 मैपिंग का काम प्रगति पर है। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जलापूर्ति सेक्टर 40 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➤ सीवेज सेक्टर 25 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➤ ड्रेनेज सेक्टर 12 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➤ ग्रीन स्पेस/पार्क सेक्टर 26 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लागों को यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवेज कनेक्शन सहित नल सुलभ है। ➤ बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों व वर्षा जन नालों का निर्माण और सुधार। ➤ हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना। ➤ जी0आई0एस0 मैपिंग के फलस्वरूप अमृत शहरों के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए परियोजना तैयार करने में सुविधा होगी। 	2020-21

3	(बाह्य सहायित) नगरीय अवस्थाना का सुदृढीकरण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	ADB के सहयोग से 06 शहरों में नगरीय अवस्थाना जैसे सीवरेज, वॉटर स्पलाई तथा स्लम का सुदृढीकरण व विकास किया जायेगा।	1800-00	8600-00	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 05 जल शोधन संयंत्र का निर्माण एवं कमिषनिंग, 370 कि०मी० लम्बी जलापूर्ति पाईप लाईन के बिछाने का कार्य, का कार्य पूर्ण 6 नये पम्प हाऊस निर्माण 206 कि०मी० सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण, 32362 घरों में जलापूर्ति पाईप लाईन का संयोजन। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना के अन्तर्गत 417 किमी० पेयजल नेटवर्क बिछाया गया। 33550 घरेलू पेयजल संयोजन किया गया। 173 नलकूप का निर्माण किया गया। 19 पेयजल शोधन संयंत्रों की स्थापना की गयी। ➤ 204 किमी० सिवरेज नेटवर्क बिछाया गया। 8500 घरों में सिवरेज संयोजन, 02 एस०टी०पी० जिनकी कुल क्षमता 305 एम०एल०डी० का निर्माण किया गया। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल में वाटर स्पलाई व सिवरेज का कार्य किया जायेगा। ➤ 206 किमी० सिवरेज नेटवर्क का निर्माण। ➤ 152 किमी० स्ट्रॉंग वाटर ड्रेनेज का निर्माण। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में वंचित क्षेत्रों के लगभग 9.00 लाख जनसंख्या जलापूर्ति व सीवरेज कार्यों से अगले आगामी वर्षों में लाभान्वित होना अनुमानित। ➤ देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी में सीवरेज व पेयजल योजना का निर्माण कार्य से वहां के निवासरित लोगों को बेहतर पेयजल व ड्रेनेज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी एवं पानी के अपव्यय कम होगा। ➤ सीवरेज कार्यों द्वारा सीवरेज वितरण प्रणाली को बिछाकर सीवरेज का शोधन करना है जिससे झील, नालों का संरक्षण होगा। 	2020-22
4	स्मार्ट सिटी योजना	स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत देहरादून का शहर का चयन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत शहर सुनियोजित विकास किया जायेगा	1300-00	13000-00		<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना के अन्तर्गत इन्ट्रीग्रेटेड कमांड कन्ट्रोल का कार्य, वाटर ए०टी०एम०, स्मार्ट टायलेट, स्मार्ट स्कूल के निर्माण का कार्य प्रारम्भ। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 04 स्मार्ट टायलेटों का निर्माण पूर्ण ➤ 06 वाटर ए०टी०एम० का निर्माण पूर्ण ➤ 03 स्मार्ट स्कूलों में लाइब्रेरी की स्थापना। ➤ 120 मीटर सिवरेल लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण ➤ पल्टन बाजार विकास का कार्य प्रगति पर ➤ इन्ट्रीग्रेटेड कमांड कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना ➤ 06 वेरिबल मैसेल साईन बोर्ड, 03 एनवायरमेंट सेन्सर, 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 वाटर ए०टी०एम० की स्थापना ➤ 03 स्मार्ट टायलेट का निर्माण ➤ पल्टन बाजार का विकास कार्य पूर्ण किया जायेगा ➤ इलेक्ट्रीक बसें क्रय जायेगी। ➤ डा० श्यामाप्रकाश मुखर्जी पार्क का सौदर्यीकरण का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➤ इन्ट्रीग्रेटेड कमांड कन्ट्रोल सेन्टर के अन्तर्गत स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना का 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ देहरादून नगर का सुनियोजित विकास होगा जिससे बेहतर पेयजल व्यवस्था सीवरेज, यातायात की सुविधा निवासियों को उपलब्ध होगी। 	2020-21

							<p>35 सर्विलेंस कैमरा स्थापित</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ इन्टेलिजेंट पोल स्थापित किये जा रहें है। 	<p>कार्य पूर्ण किया जायेगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ इन्टेलिजेंट पोल के साथ-साथ ओ0एफ0सी0 केबल बिछाने का कार्य पूर्ण किया जायेगा। 		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

आउटकम बजट 2020 – 21

शहरी विकास विभाग

विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस०डी०जी० : एस०डी०जी० – 01 व 11

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	प्रस्तावित आउट ले		एस०डी०जी० Goals / Indicators	01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत						
5	प्रधानमन्त्री आवास योजना	प्रधानमन्त्री आवास परियोजनान्तर्गत सभी नगर निकायों में निवासरत लोगों को बेहतर सुख-सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध कराना है। इस योजनान्तर्गत जिनके व्यक्तियों के पास अपना आवास नहीं है तथा जीर्ण-शीर्ण दशाओं में रहते हैं की दशा में सुधार करने के लिये एक दृष्टिकोण अपनाते हुए लाभान्वित करते हुए बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं जैसे:-बेहतर समेकित विकास, जलापूर्ति-सफाईसुविधा, आदि उपलब्ध करने प्रयास करना है।	9500-00	-	% age HH covered in Urban areas वर्तमान में 05 प्रतिशत जोकि 1.04 लाख है को योजना में लाभांवित किया जाना है। % age of households by IHHL (urban) स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत लाभांवित किया जाना है। % age of slum areas covered - 30 प्रतिशत	➤ 6204 मकान का काम प्रगति पर है और 426 पूर्ण हैं।	➤ योजना अंतर्गत लाभार्थी आधारित घटक अंतर्गत 166 परियोजनाएं में 16798 आवास स्वीकृत 7640 आवासों पर कार्य प्रगति पर है व 1025 आवास पूर्ण। ➤ भागीदारी में किरायेदार आवास घटक अंतर्गत 15 परियोजनाओं में 13180 आवास स्वीकृत 464 पर कार्य पूर्ण 588 आवासों पर कार्य प्रगति पर।	➤ योजना अंतर्गत लाभार्थी आधारित घटक अंतर्गत 1025 आवास को पूर्ण करते हुए 4000 आवासों पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। ➤ भागीदारी में किरायेदार आवास घटक अंतर्गत 588 आवासों को पूर्ण कर 1200 मकानों का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	➤ इस परियोजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण करते हुए शहरी क्षेत्र में लोगों को अपना आवास तथा बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं जैसे:-बेहतर समेकित विकास, जलापूर्ति-सफाईसुविधा, आदि उपलब्ध होगी	2020-22

आउटकम बजट 2020 – 21

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		एस०डी०जी० Goals / Indicators	01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत						
6	स्वच्छ भारत मिशन	स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य उद्देश्य "खुले में शौच" की प्रवृत्ति का उन्मूलन। मैला ढोने की प्रवृत्ति का उन्मूलन। आधुनिक और वैज्ञानिक टोस अपशिष्ट प्रबन्धन। स्वच्छता से सम्बन्धित जन व्यवहार में परिवर्तन। स्वच्छता के प्रति तथा स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना। नगर निकायों की क्षमता अभिवृद्धि करना है।	2280-00	200-00	% age of households by IHHL (urban) शेष 04 प्रतिशत जनसंख्या का आच्छित किया जाना है। % age of door to door waste collection- 93 प्रतिशत डोर - 2 - डोर कुड़ा संग्रहण किया जा रहा है।	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 14623 शौचालय पूर्ण निर्मित ➤ 755 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय पूर्ण ➤ 65 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित तथा 35 निर्माणाधीन। ➤ कुल 873 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्र किया जा रहा है। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 19900 शौचालय पूर्ण निर्मित। ➤ 945 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय पूर्ण। ➤ 350 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित। ➤ कुल 1170 वार्डों में से घर-घर कूड़ा एकत्र किया जा रहा है तथा 683 वार्डों में Source Segregation किया जा रहा है। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 6339 शौचालय का निर्माण। ➤ 730 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय का निर्माण। ➤ 500 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय का निर्माण ➤ 61 निकायों में टोस अपशिष्ट प्रबन्धन की गैप फन्डिंग। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ .जिन घरों में शौचालय नहीं थे उन घरों में शौचालय का निर्माण ➤ नगरों में खुले में शौच की प्रवृत्ति का उन्मूलन ➤ नगरों में स्वच्छता और सफाई की सुनिश्चिता ➤ टोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण। 	2020-21

आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2020-21

विभाग का नाम:- उच्च शिक्षा

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0 04

(₹ लाख में)

सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020-21	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
राज्य सैक्टर योजनाएँ								
अनुदान सं0-11								
1 राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (SHEC)	राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं उन्नयन हेतु राज्य आयोजना का निरूपण, क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मानकों के अनुसार उच्च शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चयन।	0	0	1. राज्य उच्च शिक्षा परिषद गठित एवं संचालित। 2. रूसा परियोजना के अन्तर्गत राज्य उच्च शिक्षा आयोजना का निरूपण। 3. रूसा परियोजना के संचालन हेतु रूसा परियोजना निदेशालय गठित, संचालित एवं कार्यशील। 4. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रूसा राज्य आयोजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।	पूर्ववत्	1. राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं उन्नयन हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अन्तर्गत राज्य आयोजना का निरूपण व क्रियान्वयन व अनुश्रवण। 2. रूसा परियोजना कार्यालय का संचालन एवं रखरखाव।	यथावत्	एक वर्ष

सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
2 निदेशन तथा प्रशासन	1. राजकीय महाविद्यालयों का प्रबन्धन, प्रशासकीय एवं वित्तीय नियन्त्रण, विकास। 2. समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के वेतन वितरण, वेतन निर्धारण व अन्य प्रशासनिक कार्य। 3. विश्वविद्यालयों से समन्वय व उच्च शिक्षा के नियमों, परिनियमों एवं अधिनियमों तथा विकास योजनाओं का क्रियान्वयन।	502.00	0	104 राजकीय महाविद्यालय, 18 अशासकीय महाविद्यालय, 19 अनानुदानित महाविद्यालयों का अनुश्रवण।	1 राज0 की स्थापना एवं 01 अशा0 महावि0 का अनुदानिकरण	105 राजकीय महाविद्यालय, 19 अशासकीय महाविद्यालय, 19 अनानुदानित महाविद्यालयों का अनुश्रवण।	02 नवीन महावि0 की स्थापना साथ कुल 107 राज0 महाविद्यालयों, 19 अशा0 महावि0 एवं 19 अनानुदानित महावि0 का अनुश्रवण।	एक वर्ष
3 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	राज्य में उच्च शिक्षा की पहुँच में वृद्धि, सभी को उच्च शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करने एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	2000.00	0	गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के लिये निर्धारित महाविद्यालयों के प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों का उच्चीकरण एवं प्रभावी वातावरण का निर्माण।	पूर्ववत्	राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु मानकपरक सुसज्जित प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय स्थापित।	यथावत्	एक वर्ष

सैक्टर/योजना/कार्यक्रम का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020-21	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
4 राजकीय उपाधि महाविद्यालय।	राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना/नये संकायों, विषयों/पदों का सृजन एवं कार्यशीलता।	25511.32	0	75 राज0 स्नातक महावि0 तथा 29 राज0 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का संचालन एवं रखरखाव।	01 राज0 महावि0 की स्थापना तथा 01 राज0 महावि0 का स्नातकोत्तर स्तर पर उच्चीकरण तथा महावि0 में नवीन विषयों को प्रारम्भ किया जाना।	75 राज0 स्नातक महावि0 तथा 30 राज0 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का संचालन एवं रखरखाव।	02 प्रस्तावित नवीन राज0 महावि0 की स्थापना सहित 107 स्नातक/स्नातकोत्तर महावि0 में मानकपरक गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के लिये बेहतर संचालित महाविद्यालय/संचालित महाविद्यालयों में नये विषयों/संकाय स्थापित एवं नये विषयों हेतु शिक्षकों की उपलब्धता।	एक वर्ष
5 यू0जी0सी0 मैचिंग शीयर	महाविद्यालयों में यू0जी0सी0 की योजना के अन्तर्गत आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करना।	216.00	0	राज0 महावि0 रानीखेत में छात्रावास भवन निर्माणाधीन	वर्ष 2020-21 हेतु रू0 216.00 लाख का प्रस्ताव प्रेषित।	निर्धारित महाविद्यालय में 60 कमरों के एक छात्रावास का निर्माण।	लगभग 120 विद्यार्थियों हेतु आवासीय सुविधा की उपलब्धता।	एक वर्ष
6 एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 चयनित छात्र-छात्राओं को पुरस्कार।	एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 में चयनित छात्र-छात्राओं को आर्थिक प्रोत्साहन/पुरस्कार प्रदान करना।	100.00	0	(200 अभ्यर्थियों को रू0 50,000/- प्रति अभ्यर्थी) की दर से प्रोत्साहन राशि हेतु धनराशि प्राविधानित।	39 अभ्यर्थियों हेतु रू0 19.50 लाख की धनराशि स्वीकृत।	(200 अभ्यर्थियों को रू0 50,000/- प्रति अभ्यर्थी) की दर से प्रोत्साहन राशि प्रस्तावित।	200 अभ्यर्थी योजना से लाभान्वित होंगे एवं युवा वर्ग को सशस्त्र सेना में कैरियर के चयन का विकल्प प्राप्त होगा।	एक वर्ष
7 विश्वविद्यालयों के कैम्पसों का आधुनिकीकरण जैसे वाई-फाई इत्यादि	विश्वविद्यालयों के परिसरों में डिजिटल शिक्षा हेतु ICT सुविधाओं का सुदृढीकरण।	200.00	0	वाई-फाई हेतु बजट प्राविधानित।	-	-	-	एक वर्ष

संकेत/योजना/ कार्यक्रम का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
8 महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन के स्तर तक सुदृढीकरण	यू0जी0सी0 से अनुदान प्राप्त करने हेतु नैक प्रत्यायन के लिये निर्धारित मानकों को पूरित हेतु महाविद्यालय को सहायता राशि प्रदान करना।	100.00	0	नैक प्रत्यायन हेतु रू0 100.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	स्वीकृति अप्राप्त	14 महावि0 में नैक प्रत्यायन हेतु धनराशि प्रदान की जानी है।	नैक प्रत्यायन से महावि0 में गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा।	एक वर्ष
9 राजकीय महाविद्यालयों/ वि0वि0 को एडुसैट के माध्यम से शिक्षा	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को एडुसैट योजना के माध्यम से शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु एस0आई0टी0/अन्य उपकरण आदि की स्थापना किये जाने हेतु	46.40		52 राज0 महावि0 में एडुसैट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था।	स्वीकृति अप्राप्त	समस्त शासकीय/ अशासकीय एवं वि0वि0 को एडुसैट के माध्यम शिक्षा प्रदान करना।	समस्त छात्र-छात्राओं के शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
10 राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना/कार्यान्वयन	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना/कार्यान्वयन किये जाने हेतु।	80.00		-	महावि0 को ई-ग्रंथालय स्थापना सम्बन्धी निर्देश जारी।	राज0महाविद्यालयों में अद्ययनरत् छात्र- छात्राओं हेतु पुस्तकों की समस्याओं का निराकरण एवं नवीन ज्ञान में वृद्धि करना।	ई-ग्रंथालय की स्थापना किये जाने से प्रदेश के समस्त छात्र-छात्राओं को शिक्षा में सहायता प्राप्त होगी।	एक वर्ष
11 मुख्यमंत्री नवाचार योजना	उत्तराखण्ड राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रध्यापकों और छात्र-छात्राओं के मध्य नवोन्मेष (Innovation) को बढ़ावा देने हेतु	20.00		-	-	वर्तमान समय, ज्ञान आधारित समाज और अर्थव्यवस्था का है, जिसमें नवीन ज्ञान की पद्धति और अन्वेषण की परम्परा की समृद्ध करने की आवश्यकता है।	जिससे वैश्विक स्तर पर विभिन्न चुनौतियों का सामना करने तथा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए '05 ट्रिलियन डॉलर' के लक्ष्य को साकार करने के निमित्त दक्ष कौशल और ज्ञान से समृद्ध मानव संसाधन के विकास में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

सैक्टर/योजना/कार्यक्रम का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टर्ड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टर्ड) आउटकम 2020-21	समय सीमा	
		राजस्व	पूँजीगत						
12 एक भारत श्रेष्ठ भारत	राज्यों की येशमूषा, खान-पान एवं संस्कृति का आदान-प्रदान।	20.00		-	-	मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत राज्य के 50 छात्रों का दूसरे राज्य के पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराना।	राज्यों की संस्कृति का आपस में आदान-प्रदान होगा।	एक वर्ष	
13 राज्य के मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु प्रोत्साहन योजना	राजकीय महाविद्यालयों में ग्रेडिंग व्यवस्था लागू किये जाने, स्नातक तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को	70.00		-	-	राज० महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातको० स्तर में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया जाना।	पुरस्कार प्रदान किये जाने से छात्र-छात्राओं में शिक्षा के प्रति प्रतिस्पर्धा से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।	एक वर्ष	
14 अशासकीय महाविद्यालयों को वेतनादि के लिए अनुदान	अशासकीय महाविद्यालयों में सेवारत शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को शासकीय व्यवस्था के अन्तर्गत वेतनादि की व्यवस्था।	9750.00		0	18 अशासकीय महाविद्यालयों का संचालन एवं रखरखाव।	01 नवीन अशा० महावि० का अनुदानीकरण	19 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मिकों का वेतन भुगतान एवं रखरखाव सम्पन्न होगा।	एक वर्ष	
15 प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सेमीनारों आदि में भाग लेने हेतु अनुदान।	क्षमता विकास के अन्तर्गत प्राध्यापकों को शैक्षिक स्तर में वृद्धि हेतु सहायता अनुदान की व्यवस्था।	1.00		0	प्राध्यापकों को अनुदान की सुविधा दिया जाने हेतु रू० 1.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	पूर्ववत्	विदेशों में शिक्षित / प्रशिक्षित प्राध्यापकों से उच्च शिक्षा के गुणवत्ता उन्नयन में वृद्धि।	यथावत्।	एक वर्ष
16 वनस्थली विद्यापीठ में उत्तरांचल के छात्रावास को छात्रावास की सुविधा।	वनस्थली विद्यापीठ में छात्रावास का रखरखाव हेतु।	2.00		0	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वनस्थली जयपुर, राजस्थान में निर्मित 275 छात्राओं के छात्रावास का रखरखाव	पूर्ववत्	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वनस्थली जयपुर, राजस्थान में निर्मित 275 छात्राओं के छात्रावास का रखरखाव	उत्तराखण्ड की छात्राएं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित एवं लाभान्वित।	एक वर्ष

सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020-21	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
17 प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति	शुल्क नियामक समिति के सदस्यों को मानदेय एवं शुल्क नियामक समिति के कार्यालय के व्ययों की व्यवस्था करना।	32.00	0	शुल्क निर्धारण समिति गठित।	समिति द्वारा शुल्क ढाँचे का मूल्यांकन एवं संशोधन प्रस्तावित किया गया।	समिति के सदस्यों को मानदेय का वितरण एवं नियामक समिति के कार्यालय का संचालन एवं रखरखाव।	विवेकपूर्ण शुल्क ढाँचे के निर्धारण द्वारा सर्वसुलभ शिक्षा तथा संसाधनों का नियोजन।	एक वर्ष
18 तकनीकी उत्प्रेरित शिक्षा	राजकीय महाविद्यालयों में तकनीकी उत्प्रेरित उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना।	3.30	0	बजट प्राविधानित।	-	-	-	एक वर्ष
19 संगीत के ख्याति प्राप्त कालाकारों द्वारा वर्कशाप का आयोजन	राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं में संगीत के प्रति अभिरुचि सुविकसित कर उन्हें प्रोत्साहित करना।	0.00	0	वर्कशाप हेतु बजट प्राविधानित।	-	-	-	एक वर्ष
20 स्नातकोत्तर / पीएचडी हेतु निर्धन छात्रों को सहायता	राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातकोत्तर / पीएचडी के छात्रों को सहायता प्रदान करना।	0.01	0	बजट प्राविधानित।	-	-	-	एक वर्ष
21 भारतीय भाषा विकास।	विभिन्न भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार।	3.30	0	बजट प्राविधानित	रु० 2.00 लाख की धनराशि एम०के०पी० देहरादून को अवमुक्त की गयी।	10 भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था पर व्यय किया जायेगा।	विभिन्न भाषाओं का प्रचार प्रसार।	एक वर्ष
अनुदान सं०-11 का योग:-		38657.33	0					

सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020-21	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
अनुदान सं०- 30 (राजस्व पक्ष)								
22 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान।	महाविद्यालयों में ई-लर्निंग के माध्यम से शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री और शिक्षण उपलब्ध कराना।	500.00	0	ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक का प्रयोग में वृद्धि करना एवं यू0जी0सी0 व अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा ओपन कोर्स वियर का प्रयोग करना।	पूर्ववत्	महाविद्यालयों को एल0सी0डी0 / फोटो कापियर / कम्प्यूटर आदि यंत्र उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनके माध्यम से उपलब्ध कार्सस का प्रसारण किया जायेगा।	यथावत्।	एक वर्ष
23 प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण योजना।	अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी हेतु प्रशिक्षण करना।	30.00	0	प्रदेश के 13 महावि० में प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा संचालित प्रशिक्षण की व्यवस्था।	प्रशिक्षण हेतु रू० 25.53 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	प्रदेश के 13 राज० महावि० में प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा संचालित प्रशिक्षण की व्यवस्था को जारी रखा जायेगा।	छात्र-छात्राएँ प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होकर सफलता प्राप्त करेंगे।	एक वर्ष
अनुदान सं०-30 का योग:-		530.00	0					
अनुदान सं०- 31 (राजस्व पक्ष)								
24 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद्।	राजकीय महाविद्यालयों को गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के अन्तर्गत अध्ययन हेतु मानकपरक विषय सामग्री उपलब्ध कराना।	250.00	0	उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांगों के लिये समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु महावि० स्तर पर प्रयास किये जाने के निर्देश जारी। जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित एवं अहिसंक एवं समावेशी वातावरण सृजित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी।	समस्त महावि० में महिला परिषेदना निवारण समिति का गठन किया गया है, विकलांगों हेतु सुविधाओं का विकास महावि० के संसाधनों के आधार पर किया जा रहा है।	महावि० में दिव्यांग हेतु रैम्प निर्माण आदि कार्य हेतु धन उपलब्ध कराये जाने तथा छात्राओं हेतु सुरक्षित एवं अहिसंक वातावरण सृजित किये जाने से समस्त वर्गों को उच्च शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा।	यथावत्	एक वर्ष

सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020-21	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
25 अनुसूचित जनजाति उपयोजना। (03-महावि० सुदृढीकरण) टी०एस०पी०	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को आधारभूत सुविधाएँ एवं पुस्तकें उपलब्ध कराना।	9.90	0	जनजाति क्षेत्र में संचालित 07 महावि० के सुदृढीकरण हेतु बजट प्राविधानित।	प्राविधानित बजट योजना में संचालित महावि० हेतु अवमुक्त की गयी।	जनजाति क्षेत्र के संचालित 07 राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।	जनजाति छात्र-छात्राओं को गुणवत्तायुक्त सुविधाएँ एवं पुस्तकें प्राप्त होंगी।	एक वर्ष
अनुदान सं०-31 का योग:-		259.90	0.00					
राजस्व पक्ष अनु० सं० (11,30,31) का कुल योग:-		39447.23	0					
केन्द्रपोषित पूँजीगत पक्ष								
28 रुसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय, शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु अनुदान	शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में ढोंचागत सुविधाओं का निर्माण/विस्तार करना।	0	6000.00	आवश्यक भवन संरचना उपलब्ध कराये जाने हेतु रुसा के माध्यम से बजट आवंटन।	महावि० में भवन निर्माण हेतु रु० 4704.59 लाख की धनराशि रुसा के माध्यम से महावि० को वितरित।	63 निर्माण कार्य प्रारम्भ- 04 विश्वविद्यालय 59 शास०/अशा० महाविद्यालयों को पूर्ण किया जायेगा।	03 विश्वविद्यालयों एवं 60 शास०/ अशा० महाविद्यालयों में यथाआवश्यक ढोंचागत सुविधाओं का सुदृढीकरण।	दो वर्ष
केन्द्र पोषित पूँजीगत पक्ष का योग:-		0.00	6000.00					

सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020-21	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
अनुदान सं०-11 (पूँजीगत पक्ष)								
27	कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के भवनों को पूर्ण किया जाना।	0	1800.00	महावि० में निर्माण प्रक्रिया गतिमान।	निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु रू० 1572.29 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	चालू निर्माण कार्यों को पूरा किया जाना।	महावि० के संरचना विकास से गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।	एक वर्ष
28	राजकीय महाविद्यालयों के भूमि क्रय / भवन निर्माण।	0	0.01	राज० महावि० हेतु भूमि/भवन निर्माण की व्यवस्था।	प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू० 10.00 करोड़ के सापेक्ष अद्यतन तक रू० 873.92 लाख की धनराशि स्वीकृत।	वर्ष 2020-21 में महावि० को भूमि/भवन की उपलब्धता की प्रक्रिया गतिमान।	महावि० के संरचना विकास से गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।	एक वर्ष
29	स्ववित्त पोषित बी०एड० पाठ्यक्रम।	0	0.99	राज० महावि० लम्बगॉव में स्ववित्त पोषित बी०एड० पाठ्यक्रम का भवन निर्माणाधीन।	निर्माण प्रक्रिया गतिमान।	राज० महावि० लम्बगॉव में निर्माणाधीन स्ववित्त पोषित बी०एड० पाठ्यक्रम के भवन का निर्माण पूर्ण किया जायेगा।	राजकीय महाविद्यालय लम्बगॉव में गुणवत्तायुक्त बी०एड० कार्यक्रम संचालित करने का वातावरण निर्मित होगा।	एक वर्ष
30	मल्टीपरपज हॉल निर्माण योजना।	0	0.00	—	—	—	—	एक वर्ष
अनुदान सं०-11 पूँजीगत पक्ष का योग:-		0	1801.00					

सैक्टर/योजना/ कार्यक्रम का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020-21	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत					
अनुदान सं०-30 (पूँजीगत पक्ष)								
31 चुड़ियाला हरिद्वार में महाविद्यालय की स्थापना/ भवन निर्माण	अनुसूचित जाति क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय चुड़ियाला हरिद्वार में गुणवत्तायुक्त अध्ययन हेतु डॉ.बागत सुविधाओं का सुदृढीकरण भवन निर्माण।	0	0.00	राज० चुड़ियाला का भवन निर्माणाधीन	रु० 42.82 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	राज० महावि० चुड़ियाला में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जाना।	राजकीय महाविद्यालय चुड़ियाला में गुणवत्तायुक्त अध्ययन हेतु बेहतर वातावरण का निर्माण।	एक वर्ष
अनुदान सं०-30 पूँजीगत पक्ष का योग:-		0	0.00					
अनुदान सं०-31 (पूँजीगत पक्ष)								
32 जनजाति क्षेत्र में छात्रावास का निर्माण	राजकीय महाविद्यालय चकराता में डॉ.बागत सुविधाओं का सुदृढीकरण।	0	200.00	राज० महावि० चकराता में चाहरदीवारी व मुख्य गेट का कार्य निर्माणाधीन।	रु० 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	चाहरदीवारी एवं मुख्य गेट का निर्माण कार्य पूर्ण करना।	सम्बन्धित महाविद्यालय में अध्ययन हेतु बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण होगा।	एक वर्ष
अनुदान सं०-31 पूँजीगत पक्ष का योग:-		0	200.00					
कुल योग (राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष)		39447.23	8001.00					

अशोक कुमार
निदेशक (उच्च शिक्षा)
हरियाणा
हल्द्वानी (नैनीताल)

सतत विकास लक्ष्य

विभाग का नाम:- उच्च शिक्षा

SDG संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
राज्य सैक्टर योजनाएँ				
अनुदान सं०-11 (राजस्व पक्ष)				
4.3- 2030 तक समस्त महिलाओं एवं पुरुषों के लिये सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना।				
1- राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (SHEC)	1. राज्य उच्च शिक्षा परिषद गठित एवं संचालित। 2. रूसा परियोजना के अन्तर्गत राज्य उच्च शिक्षा आयोजना का निरूपण। 3. रूसा परियोजना के संचालन हेतु रूसा परियोजना निदेशालय गठित, संचालित एवं कार्यशील। 4. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रूसा राज्य आयोजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।	पूर्ववत्	1. राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं उन्नयन हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अन्तर्गत राज्य आयोजना का निरूपण व क्रियान्वयन व अनुश्रवण। 2. रूसा परियोजना कार्यालय का संचालन एवं रखरखाव।	यथावत्
2- निदेशन तथा प्रशासन	104 राजकीय महाविद्यालय, 18 अशासकीय महाविद्यालय, 19 अनानुदानित महाविद्यालयों का अनुश्रवण।	1 राज० की स्थापना एवं 01 अशा० महावि० का अनुदानीकरण	105 राजकीय महाविद्यालय, 19 अशासकीय महाविद्यालय, 19 अनानुदानित महाविद्यालयों का अनुश्रवण।	02 नवीन महावि० की स्थापना साथ कुल 107 राज० महाविद्यालयों, 19 अशा० महावि० एवं 19 अनानुदानित महावि० का अनुश्रवण।

SDG संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
3-राजकीय उपाधि महाविद्यालय।	75 राज0 स्नातक महावि0 तथा 29 राज0 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का संचालन एवं रखखाव।	01 राज0 महावि0 की स्थापना तथा 01 राज0 महावि0 का स्नातकोत्तर स्तर पर उच्चीकरण तथा महावि0 में नवीन विषयों को प्रारम्भ किया जाना।	75 राज0 स्नातक महावि0 तथा 30 राज0 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का संचालन एवं रखखाव।	02 प्रस्तापित नवीन राज0 महावि0 की स्थापना सहित 107 स्नातक/स्नातकोत्तर महावि0 में मानकपरक गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के लिये बेहतर संचालित महाविद्यालय/संचालित महाविद्यालयों में नये विषयों/संकाय स्थापित एवं नये विषयों हेतु शिक्षकों की उपलब्धता।
4-राजकीय महाविद्यालयों/ वि0वि0 को एडुसैट के माध्यम से शिक्षा	52 राज0 महावि0 में एडुसैट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था।	पूर्ववत्	समस्त शासकीय/ अशासकीय एवं वि0वि0 को एडुसैट के माध्यम शिक्षा प्रदान करना।	समस्त छात्र-छात्राओं के शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।
5-राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना/कार्यान्वयन	शून्य	महावि0 को ई-ग्रंथालय स्थापना सम्बन्धी निर्देश जारी।	राज0महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं हेतु पुस्तकों की समस्याओं का निराकरण एवं नवीन ज्ञान में वृद्धि करना।	ई-ग्रंथालय की स्थापना किये जाने से प्रदेश के समस्त छात्र-छात्राओं को शिक्षा में सहायता प्राप्त होगी।
6-मुख्यमंत्री नवाचार योजना	-	-	वर्तमान समय, ज्ञान आधारित समाज और अर्थव्यवस्था का है, जिसमें नवीन ज्ञान की पद्धति और अन्वेषण की परम्परा की समृद्ध करने की आवश्यकता है।	जिससे वैश्विक स्तर पर विभिन्न चुनौतियों का सामना करने तथा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए '05 ट्रिलियन डॉलर' के लक्ष्य को साकार करने के निमित्त दक्ष कौशल और ज्ञान से समृद्ध मानव संसाधन के विकास में वृद्धि होगी।
7-एक भारत श्रेष्ठ भारत	-	-	मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत राज्य के 50 छात्रों का दूसरे राज्य के पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराना।	राज्यों की संस्कृति का आपस में आदान-प्रदान होगा।

SDG संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
8-अशासकीय महाविद्यालयों को वेतनादि के लिए अनुदान	18 अशासकीय महाविद्यालयों का संचालन एवं रखरखाव।	01 नवीन अशासकीय महाविद्यालयों का अनुदानाधिकरण	01 नवीन अशासकीय महाविद्यालयों का अनुदानाधिकरण के साथ 19 अशासकीय महाविद्यालयों का संचालन एवं रखरखाव।	19 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मियों का वेतन भुगतान एवं रखरखाव सम्पन्न होगा।
9-वनस्थली विद्यापीठ में उत्तरांचल के छात्रों को छात्रावास की सुविधा।	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वनस्थली जयपुर, राजस्थान में निर्मित 275 छात्रावासों के छात्रावास का रखरखाव	पूर्ववत्	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वनस्थली जयपुर, राजस्थान में निर्मित 275 छात्रावासों के छात्रावास का रखरखाव	उत्तराखण्ड की छात्रावासों में गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित एवं लाभान्वित।
10-विश्वविद्यालयों के कैम्पसों का आधुनिकीकरण जैसे वाई-फाई इत्यादि	वाई-फाई हेतु बजट प्राविधानित।	स्वीकृति अप्राप्त	-	-
11-महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन के स्तर तक सुदृढीकरण	नैक प्रत्यायन हेतु रू० 100.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	स्वीकृति अप्राप्त	14 महाविद्यालयों में नैक प्रत्यायन हेतु धनराशि प्रदान की जानी है।	नैक प्रत्यायन से महाविद्यालयों में गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा।
12-प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति	शुल्क निर्धारण समिति गठित।	समिति द्वारा शुल्क ढाँचे का मूल्यांकन एवं संशोधन प्रस्तावित किया गया।	समिति के सदस्यों को मानदेय का वितरण एवं नियामक समिति के कार्यालय का संचालन एवं रखरखाव।	विवेकपूर्ण शुल्क ढाँचे के निर्धारण द्वारा सर्वसुलभ शिक्षा तथा संसाधनों का नियोजन।
13-संगीत के ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा वर्कशाप का आयोजन	वर्कशाप हेतु बजट प्राविधानित।	स्वीकृति अप्राप्त	-	-
14-भारतीय भाषा विकास।	बजट प्राविधानित	रू० 2.00 लाख की धनराशि एम०के०पी० देहरादून को अवमुक्त की गयी।	10 भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था पर व्यय किया जायेगा।	विभिन्न भाषाओं का प्रचार प्रसार।

SDG संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
4.8- सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चिकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके।				
1-निर्देशन तथा प्रशासन	उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांगों के लिये समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु महावि० स्तर पर प्रयास किये जाने के निर्देश जारी। जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित एवं अहिंसक एवं समावेशी वातावरण सृजित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी।	समस्त महावि० में महिला परिवेदना निवारण समिति का गठन किया गया है, विकलांगों हेतु सुविधाओं का विकास महावि० के संसाधनों के आधार पर किया जा रहा है।	महावि० में विकलांगों हेतु उचित संरचना उपलब्ध कराये जौन तथा छात्राओं हेतु सुरक्षित एवं अहिंसक वातावरण सृजित किये जाने से समस्त वर्गों को उच्च शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा।	यथावत्
2-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के लिये निर्धारित महाविद्यालयों के प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों का उच्चिकरण एवं प्रभावी वातावरण का निर्माण।	पूर्ववत्	राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु मानकपरक सुसज्जित प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय स्थापित।	यथावत्
3-राजकीय उपाधि महाविद्यालय।	उपरोक्त बिन्दु 1 के समान	उपरोक्त बिन्दु 1 के समान	उपरोक्त बिन्दु 1 के समान	उपरोक्त बिन्दु 1 के समान
4-यू०जी०सी० मैचिंग शैयर	राज० महावि० रानीखेत में छात्रावास भवन निर्माणाधीन	वर्ष 2020-21 हेतु रू० 216.00 लाख का प्रस्ताव प्रेषित।	निर्धारित महाविद्यालय में 80 कमरों के एक छात्रावास का निर्माण।	लगभग 120 विद्यार्थियों हेतु आवासीय सुविधा की उपलब्धता।
5-राजकीय महाविद्यालयों/ वि०वि० को एडुसैट के माध्यम से शिक्षा	52 राज० महावि० में एडुसैट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था।	पूर्ववत्	समस्त शासकीय/ अशासकीय एवं वि०वि० को एडुसैट के माध्यम शिक्षा प्रदान करना।	समस्त छात्र-छात्राओं के शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।

SDG संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
6-मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार वितरण	शून्य	महावि० में अध्ययनरत मेधावी छात्र-छात्राओं हेतु रू० 65.00 लाख की धनराशि का बजट प्रस्ताव प्रेषित।	राज० महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातको० स्तर में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया जाना।	पुरस्कार प्रदान किये जाने से छात्र-छात्राओं में शिक्षा के प्रति प्रतिस्पर्धा से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।
4.9- 2030 तक उच्च शिक्षा में असेवित क्षेत्रों से बेहतर पंजीकरण हेतु छात्रवृत्तियों का विस्तार करना।				
1-निर्देशन तथा प्रशासन	असेवित क्षेत्रों से बेहतर पंजीकरण हेतु वर्तमान में कोई पृथक छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित नहीं।	-	असेवित क्षेत्रों से बेहतर पंजीकरण हेतु छात्रवृत्ति योजना लागू किये जाने से पलायन की समस्या का सामना करने में मदद मिलेगी।	यथावत्
2-निर्धन प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति	बजट प्राविधानित।	-	-	-
3-स्नातकोत्तर / पीएच०डी० हेतु निर्धन छात्रों को सहायता	बजट प्राविधानित।	-	-	-
4-राज्य के मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु प्रोत्साहन योजना	-	-	राज० महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातको० स्तर में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया जाना।	पुरस्कार प्रदान किये जाने से छात्र-छात्राओं में शिक्षा के प्रति प्रतिस्पर्धा से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

SDG संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
4.10- 2030 तक गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा हेतु योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था तथा इस हेतु शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था में अभिवृद्धि करना।				
1-निर्देशन तथा प्रशासन	1021 शिक्षकों के द्वारा उच्च शिक्षा की व्यवस्था।	54 नवीन चयनित शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गयी तथा रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित। नितान्त अस्थायी शिक्षकों की व्यवस्था। शिक्षकों द्वारा अभिविन्यास तथा पुनश्चर्या कार्यक्रम में प्रतिभाग	वर्ष 2020-21 के अंत तक शिक्षकों की कुल संख्या 1075 अनुमानित।	पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति से गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।
2-प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा केन्द्र उत्तराखण्ड	राज0 महावि0 में एडुसैट के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था।	रु0 11.00 लाख की धनराशि एडुसैट हेतु अवमुक्त की गयी।	एडुसैट के माध्यम से शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु कार्यक्रम की व्यवस्था करना।	सुदूरवर्ती क्षेत्र तथा शिक्षकों की कमी वाले महाविद्यालयों में भी छात्र-छात्राओं के शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।
3-भक्त दर्शन पुरस्कार	शून्य	-	शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों से छात्र-छात्राओं को लाभ होगा।	शिक्षकों में नवोन्मेषी कार्यों हेतु रुचि उत्पन्न होगी।
4-प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सेमिनारों आदि में भाग लेने हेतु अनुदान।	प्राध्यापकों को अनुदान की सुविधा दिया जाने हेतु रु0 1.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।	पूर्ववत्	विदेशों में शिक्षित /प्रशिक्षित प्राध्यापकों से उच्च शिक्षा के गुणवत्ता उन्नयन में वृद्धि।	यथावत्।
5-तकनीकी उत्प्रेरित शिक्षा	बजट प्राविधानित।	-	-	-

SDG संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
अनुदान सं०-30 (राजस्व पक्ष)				
4.3- 2030 तक समस्त महिलाओं एवं पुरुषों के लिये सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना।				
1-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान।	ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक का प्रयोग में वृद्धि करना एवं यू०जी०सी० व अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा ओपन कोर्स वियर का प्रयोग करना।	पूर्ववत्	महाविद्यालयों को एल०सी०डी० /फोटो कापियर /कम्प्यूटर आदि यंत्र उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनके माध्यम से उपलब्ध कार्सस का प्रसारण किया जायेगा।	यथावत्।
4.8- सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके।				
1-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान।	उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांगों के लिये समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु महावि० स्तर पर प्रयास किये जाने के निर्देश जारी। जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित एवं अहिंसक एवं समावेशी वातावरण सृजित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी।	समस्त महावि० में महिला परिवेदना निवारण समिति का गठन किया गया है, विकलांगों हेतु सुविधाओं का विकास महावि० के संसाधनों के आधार पर किया जा रहा है।	महावि० में दिव्यांग हेतु रैम्प निर्माण आदि कार्यों हेतु धन उपलब्ध कराये जाने तथा छात्राओं हेतु सुरक्षित एवं अहिंसक वातावरण सृजित किये जाने से समस्त वर्गों को उच्च शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा।	यथावत्

SDG संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
4.9- 2030 तक उच्च शिक्षा में असेवित क्षेत्रों से बेहतर पंजीकरण हेतु छात्रवृत्तियों का विस्तार करना।				
1-प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण योजना।	प्रदेश के 13 महावि० में प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा संचालित प्रशिक्षण की व्यवस्था।	प्रशिक्षण हेतु रू० 25.53 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	प्रदेश के 13 राज० महावि० में प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा संचालित प्रशिक्षण की व्यवस्था को जारी रखा जायेगा।	छात्र-छात्राएँ प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होकर सफलता प्राप्त करेंगे।
अनुदान सं०-31 (राजस्व पक्ष)				
4.8- सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके।				
1-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद्।	उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांगों के लिये समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु महावि० स्तर पर प्रयास किये जाने के निर्देश जारी। जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित एवं अहिंसक एवं समावेशी वातावरण सृजित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी।	समस्त महावि० में महिला परिवेदना निवारण समिति का गठन किया गया है, विकलांगों हेतु सुविधाओं का विकास महावि० के संसाधनों के आधार पर किया जा रहा है।	महावि० में दिव्यांग हेतु रैम्प निर्माण आदि कार्यों हेतु धन उपलब्ध कराये जाने तथा छात्राओं हेतु सुरक्षित एवं अहिंसक वातावरण सृजित किये जाने से समस्त वर्गों को उच्च शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा।	यथावत्
4.9- 2030 तक उच्च शिक्षा में असेवित क्षेत्रों से बेहतर पंजीकरण हेतु छात्रवृत्तियों का विस्तार करना।				
1-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी०एस०पी०)	जनजाति क्षेत्र में संचालित 07 महावि० के सुदृढीकरण हेतु बजट प्राविधानित।	प्राविधानित बजट योजना में संचालित महावि० हेतु अवमुक्त की गयी।	जनजाति क्षेत्र के संचालित 07 राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।	जनजाति छात्र-छात्राओं को गुणवत्तायुक्त सुविधाएँ एवं पुस्तकें प्राप्त होगी।

SDG संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
केन्द्रपोषित पूँजीगत पक्ष				
4.3- 2030 तक समस्त महिलाओं एवं पुरुषों के लिये सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना।				
1-रुसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय, शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु अनुदान	आवश्यक भवन संरचना उपलब्ध कराये जाने हेतु रुसा के माध्यम से बजट आवंटन।	महावि० में भवन निर्माण हेतु धनराशि रुसा के माध्यम से आवंटित।	63 निर्माण कार्य प्रारम्भ- 04 विश्वविद्यालय 59 शास०/अशा० महाविद्यालयों को पूर्ण किया जायेगा।	03 विश्वविद्यालयों एवं 60 शास०/अशा० महाविद्यालयों में यथाआवश्यक ढोंचागत सुविधाओं का सुदृढीकरण।
अनुदान सं०-11 (पूँजीगत पक्ष)				
4.3- 2030 तक समस्त महिलाओं एवं पुरुषों के लिये सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना।				
1-राजकीय महाविद्यालयों के भूमि क्रय /भवन निर्माण।	राज० महावि० हेतु भूमि/भवन निर्माण की व्यवस्था।	प्रथम अनुपूरक के माध्यम से रू० 10.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत।	वर्ष 2020-21 में महावि० को भूमि/भवन की उपलब्धता की प्रक्रिया गतिमान।	महावि० के संरचना विकास से गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।
4.8- सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चिकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्बेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके।				
1-कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के भवनों को पूर्ण किया जाना।	महावि० में निर्माण प्रक्रिया गतिमान।	निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु रू० 1572.29 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	चालू निर्माण कार्यों को पूरा किया जाना।	महावि० के संरचना विकास से गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

SDG संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
3-स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम।	राज0 महावि0 लम्बगॉव में स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम का भवन निर्माणाधीन	निर्माण प्रक्रिया गतिमान।	राज0 महावि0 लम्बगॉव में निर्माणाधीन स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम के भवन का निर्माण पूर्ण किया जायेगा।	राजकीय महाविद्यालय लम्बगॉव में गुणवत्तायुक्त बी0एड0 कार्यक्रम संचालित करने का वातावरण निर्मित होगा।
4-मल्टीपरपज हॉल निर्माण योजना।	-	-	-	-
अनुदान सं0-30 (पूँजीगत पक्ष)				
4.8- सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके।				
1-चुड़ियाला हरिद्वारा में महाविद्यालय की स्थापना/ भवन निर्माण	राज0 महावि0 चुड़ियाला का भवन निर्माणाधीन	रु0 42.82 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	राज0 महावि0 चुड़ियाला में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जाना।	राजकीय महाविद्यालय चुड़ियाला में गुणवत्तायुक्त अध्ययन हेतु बेहतर वातावरण का निर्माण।
अनुदान सं0-31 (पूँजीगत पक्ष)				
4.8- सभी के लिये ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण एवं उच्चीकरण जो विकलांगों, एवं जेण्डर सम्वेदी, सुरक्षित, अहिंसक एवं समावेशी हो तथा प्रभावी अधिगम का वातावरण प्रदान कर सके।				
1-जनजाति क्षेत्र में छात्रावास का निर्माण	राज0 महावि0 चकराता में चाहरदीवारी व मुख्य गेट का कार्य निर्माणाधीन।	रु0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।	चाहरदीवारी एवं मुख्य गेट का निर्माण कार्य पूर्ण करना।	सम्बन्धित महाविद्यालय में अध्ययन हेतु बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण होगा।

उत्सव गुमा

निदेशक (उच्च शिक्षा)
हरियाणा
हल्द्वानी (नैनीताल)

आउटकम 2020-21 / परफार्मेंस बजट 2019-20

विभाग का नाम-प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0 4.।.....

(धनराशि लाख में)

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट 2020-21		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21		समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत			राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	
अनुदान संख्या-011										
निदेशालय प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड 2203-00-001-03-00	निदेशालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान किया जा सके।	399.58	0	निदेशालय में नियुक्त निदेशक एवं कार्यरत 13 अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन इत्यादि के लिए	256.78	निदेशालय में नियुक्त निदेशक के भुगतान एवं निदेशालय में कार्यरत 13 अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए	-	बजट प्राप्त होने से निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान किया जायेगा। समय से वेतन भुगतान से अधिकारियों/ कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी एवं उनके कार्य करने की क्षमता में भी सुधार आयेगा।	-	निरन्तर
राजकीय पालीटेक्निक संस्थान उत्तराखण्ड 2203-00-106-03-00	समस्त पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रशिक्षण-पाठन का कार्य सन्पादित किया जा सके तथा उत्तीर्ण छात्रों को उद्यमिता विकास से जोड़ा जा सके एवं रोजगार के नये अवसर प्रदान किये जा सकें।	14167.02	0	पालीटेक्निकों में कार्यरत 938 अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन इत्यादि के लिए	12723.01	राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में 10178 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिये गये। पालीटेक्निकों में इन छात्रों के प्रशिक्षण/ छात्र एवं संस्था के विभिन्न व्ययों के सम्मिलित 2981 पदों के सम्मिलित 1277 कार्मिक कार्यरत हैं।	-	समस्त राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में 35 डिप्लोमा पाठ्यक्रम सन्पादित है छात्र एवं शिक्षक अनुपात 15:1 किया जाना है तथा उत्तीर्ण छात्रों को उद्यमिता विकास से जोड़ा गया है। तथा रोजगार सन्पादित सं संस्थानों में	-	निरन्तर

							समावेश 5:1 करने का लक्ष्य है जिसके लिए 35 विधानसभा सदस्यों का संघर्ष तथा छात्र शिक्षण अनुपात 15:1 तथा नई तकनीकी 15:1 किया जाना है जिससे राष्ट्रीय संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/ छात्रों को तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाया जा सके। परीक्षण में रोजगार का प्रतिशत लगभग 45 प्रतिशत है, जिसको 50 प्रतिशत किया जाना है। तदनुसार नई तकनीकों को विकसित करने एवं आवश्यकता के अनुसार उपकरण इत्यादि की क्रय करने तथा स्टाफ को बढ़ाने से योजना में रोजगार तथा उद्यमिता में वृद्धि आयेगी।			
अराजकीय तकनीकी कार्यों तथा संस्थानों को सहायता -के०एल० पालीटेक्निक को अनुदान संख्या-2203-00-104-0 1-00	के० एल०पलीटेक्निक संस्थाओं में पठन-पाठन का कार्य सम्पादित किया जा	430.0 0	0		456.50	के०एल० पालीटेक्निक संस्था में 880 छात्र-छात्रों को प्रवेश दिये गये हैं।	-	के०एल० पालीटेक्निक संस्था में 06 पर्याप्त संभावित हैं छात्र एवं शिक्षण अनुपात 15:1 किया गया है।	-	निरन्तर

	सर्क तथा उत्तरीय छात्रों को उद्यमिता विकास से जोड़ा जा सके एवं रोजगार के नये अवसर प्रदान किये जा सकें।						सर्क उत्तरीय छात्रों को उद्यमिता विकास से जोड़ा जाना है तथा रोजगार उद्यमिता में तकनीकी समावेश (5-1) करने का लक्ष्य है। सम्बन्धित योजना में प्रस्तावित बजट से छात्रों के रोजगार में वृद्धि तथा उद्यमिता विकास स्वरोजगार कल्याण में वृद्धि होगी।		
अनुदान संख्या-31				-					
टी0एल0पी0 2203-00-105-03-00	अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण तथा ज्ञान प्रदान किया जा सके।	40.00	0	विभाग के विभिन्न सहायक में लगभग अध्ययनरत अनुसूचित जाति के लगभग 410 छात्र-छात्राओं को आधुनिक पुस्तकें एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु।	40.00	विभाग के विभिन्न सहायक में लगभग अध्ययनरत अनुसूचित जाति के लगभग 410 छात्र-छात्राओं को आधुनिक पुस्तकें एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु।	-	अनुसूचित जाति के छात्र-छात्रों को उच्च गुणवत्ता का ज्ञान प्रदान करना	निरस्त २
अनुदान संख्या-30				-					
एल0पी0 एल0पी0 2203-00-105-03-00	अनुसूचित जाति के छात्र-छात्रों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण तथा ज्ञान प्रदान किया जा सके।	39.00	0	विभाग के विभिन्न सहायक में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के लगभग 2900 छात्र-छात्रों को आधुनिक पुस्तकें एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु।	39.00	विभाग के विभिन्न सहायक में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के लगभग 2900 छात्र-छात्रों को आधुनिक पुस्तकें एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु।	-	अनुसूचित जाति के छात्र-छात्रों को उच्च गुणवत्ता का ज्ञान प्रदान करना	निरस्त २
अनुदान संख्या-011				-					
अनुदान संख्या-011	संस्थाओं में	0	1279	राज्य में 49 नई संस्थाएँ	704,146	राज्य में 49 नई संस्थाएँ		००४३०००००००	निरस्त

<p>पालीटेक्निक हेतु भूमि हाथ/भवन निर्माण 4202-02-104-10-00</p>	<p>ए0आइ0सी0ए 1030 के मानकानुसार भूमि अर्जन तथा भवन निर्माण किया जा सके।</p>	<p>39</p>	<p>खोली गई है उनमें से द्वितीय कई संस्थाओं में ए0आइ0सी0ए0के0 के मानकानुसार भवन उपलब्ध नहीं है इसके अतिरिक्त पूर्व में निर्मित संस्थाओं में बिजली, पानी की व्यवस्थाओं तथा अगुदे पट्टे हुदे भवनों को पूर्ण करने हेतु 50000 हजार तथा निदेशालय भवन हेतु ₹0 50000 हजार कुल धनराशि ₹0 100000 हजार की सीमा की जा रही है इसके अतिरिक्त राजकीय पालीटेक्निक डीडीहाट, कनालीघीना के भवनों का निर्माण पूर्ण हो गये है तथा विभाग द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। निर्माण एजेन्सी का निर्माण कार्य हेतु अवशेष ₹0 27939 हजार तथा कुल धनराशि ₹0 127939.00 हजार का बजट सीमा का प्रस्ताव किया जा रहा है। सम्बन्धित बजट से राउपा0 डीडीहाट कनालीघीना निदेशालय का भवन तथा पुरानी संस्थाएं राउपा0 तापकुल, लोहाघाट, मौघर, महिला अस्पेडा इन संस्थाओं के निर्माणधीन भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगा। इसके अतिरिक्त 15 संस्थाएं जिनके भवन पूर्ण हो चुके हैं उनमें पानी एवं बिजली की सुविधाएं की जा सकेगी तथा राउपा0 पोखरी, चौपला, चिन्वालीसोड, डीडीहाट, कनालीघीना हेतु AICTEके मानकानुसार भूमि का अर्जन किया जा सकेगा। इससे 5 संस्थाओं का भू-अर्जन, 15 संस्थाओं में बिजली-पानी की व्यवस्था एवं 7 संस्थाओं के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं।</p>	<p>खोली गई है उनमें से द्वितीय कई संस्थाओं में ए0आइ0सी0ए0के0 के मानकानुसार भवन उपलब्ध नहीं है इसके अतिरिक्त पूर्व में निर्मित संस्थाओं में बिजली, पानी की व्यवस्थाओं तथा अगुदे पट्टे हुदे भवनों को पूर्ण करने हेतु 50000 हजार तथा निदेशालय भवन हेतु ₹0 50000 हजार कुल धनराशि ₹0 100000 हजार की सीमा की जा रही है इसके अतिरिक्त राजकीय पालीटेक्निक डीडीहाट, कनालीघीना के भवनों का निर्माण पूर्ण हो गये है तथा विभाग द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य हेतु अवशेष ₹0 27939 हजार तथा कुल धनराशि ₹0 127939.00 हजार का बजट सीमा का प्रस्ताव किया जा रहा है। सम्बन्धित बजट से राउपा0 डीडीहाट कनालीघीना निदेशालय का भवन तथा पुरानी संस्थाएं राउपा0 तापकुल, लोहाघाट, मौघर, महिला अस्पेडा इन संस्थाओं के निर्माणधीन भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगा। इसके अतिरिक्त 15 संस्थाएं जिनके भवन पूर्ण हो चुके हैं उनमें पानी एवं बिजली की सुविधाएं की जा सकेंगी तथा राउपा0 पोखरी, चौपला, चिन्वालीसोड, डीडीहाट, कनालीघीना हेतु AICTEके मानकानुसार भूमि का</p>	<p>0 के मानकानुसार संस्थाओं का भूमि अर्जन तथा भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगा एवं बिजली, पानी की व्यवस्थाएं भी पूर्ण होंगी। इससे छात्रों की प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार होगा।</p>	<p>२</p>
--	---	-----------	---	---	---	----------

						अर्जन किया जा सकेगा इससे 5 संस्थाओं का यू-अर्जन, 15 संस्थाओं में बिजली-पानी की व्यवस्था एवं 7 संस्थाओं के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं।				
कन्दिव आयोजनागत / केन्द्र पुरानिधानित योजना (100 प्रतिशत) 4202-02-104-16-00 (011) 53-वृद्ध निर्माण।	छात्राओं के लिए जाकारीय व्यवस्था होने से उनकी सुरक्षा तथा अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाना।	0	182.54	03 संस्थाओं राठपाठ मैनीटाल सहिष्णु मक़द में महिला छात्रावास का निर्माण कार्य हेतु अपने आवास से दूर अध्ययनरत छात्रों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।	182.54	03 संस्थाओं राठपाठ मैनीटाल सहिष्णु मक़द में महिला छात्रावास का निर्माण कार्य हेतु अपने आवास से दूर अध्ययनरत छात्रों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।	-	छात्र-छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था होने से उनकी सुरक्षा तथा अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाना।		निरन्तर
राजकीय पॉलिटेक्निकों हेतु भवन निर्माण नवागढ़ 4202-02-104-08-01 नवागढ़ (011) 53-वृद्ध निर्माण।	नवागढ़ योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन 21 पॉलिटेक्निक संस्थाओं के पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि हेतु बजट प्राविधान।	0	2510.11	-	4310.11	नव स्थापित 21 राठपाठ संस्थाओं में AICTE के मानकानुसार निर्माण कार्य हेतु।	-	भवन बनने से किराये के भवनों में संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं को अपने भवन में संचालित किया जा सकेगा। इससे छात्र/छात्राओं के प्रशिक्षण में आवश्यक सुधार होगा।		निरन्तर
कन्दिव आयोजनागत / केन्द्र पुरानिधानित योजना (100 प्रतिशत) 2203-00-105-01-03-00	राठपाठ मैनीटाल में डिप्लोमा फार्मसी परियोजना के उन्नयन हेतु बजट प्रस्ताव।	100.6		01 संस्था राजकीय पॉलिटेक्निक मैनीटाल में फार्मसी परियोजना का डी-फार्म से डी-कॉम में उन्नयन किया जा सकेगा।		01 संस्था राजकीय पॉलिटेक्निक मैनीटाल में फार्मसी परियोजना का डी-फार्म से डी-कॉम में उन्नयन किया जा सकेगा।	-	इससे डिप्लोमा फार्मसी के छात्रों को कम दरों पर डी-फार्म करने की सुविधा उपलब्ध होगी।		निरन्तर
सीमांत जनपद 2203-00-105-01-010 2	सीमांत जनपद विधोरागढ़ में असेमित योजना के अन्तर्गत 03 संस्थाओं में राठपाठ नवागढ़ गंगोली, कनारीगढ़ एवं डीडीहाट में मशीनों उपकरण साफ-सज्जा एवं उपकरण संपन्न हेतु अवशेष धनराशि	1249.00			1155 (255+900)	सीमांत जनपद विधोरागढ़ में असेमित योजना के अन्तर्गत 03 संस्थाओं में राठपाठ नवागढ़ गंगोली, कनारीगढ़ एवं डीडीहाट में मशीनों उपकरण साफ-सज्जा	-	सम्बन्धित योजना से सीमांत छात्र/छात्राओं को डिप्लोमा करने का अवसर प्रदान होगा। इससे		निरन्तर

	<p>गंगोली, कनालीघरीना एवं डीडीहाट में मशीनों उपकरण साज-सज्जा एवं उपकरण संबंध हेतु अग्रोप धनराशि तथा 15 संस्थाओं में संचालित सी0डी0टी0पी0 योजना के अन्तर्गत DROUP OUTगरीब छात्र-छात्राओं के प्रशिक्षण हेतु तथा अपरोक्ष योजना के अन्तर्गत 15 संस्थाओं में मशीन साज-सज्जा एवं पुस्तकों आदि के क्रय हेतु।</p>					<p>एवं उपकरण संबंध हेतु अग्रोप धनराशि तथा 15 संस्थाओं में संचालित सी0डी0टी0पी0 योजना के अन्तर्गत DROUP OUTगरीब छात्र-छात्राओं के प्रशिक्षण हेतु तथा अपरोक्ष योजना के अन्तर्गत 15 संस्थाओं में मशीन साज-सज्जा एवं पुस्तकों आदि के क्रय हेतु।</p>	<p>अतिरिक्त मटीक छात्र/छात्राओं को विशुद्ध राजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से राजगार की मुक्ति होगी एवं अपरोक्ष योजना से नए मानकों के अनुसार संस्थाओं में उपकरण तथा मशीन साज-सज्जा का क्रय किया जा सकेगा।</p>		
<p>कन्दिय आश्रीजनमस/कन्द पुरोविधापित योजना (100 प्रतिशत) 4262-02-104-01-010 1</p>	<p>सीमान्त जलपद विध्वंसनाद में असेमित योजना के अन्तर्गत 03 संस्थाओं में रा0पा0 गणार्ड गंगोली कनालीघरीना एवं डीडीहाट के निर्माण कार्य हेतु अग्रोप धनराशि की मांग की जा रही है।</p>	0	100.00	<p>03 राजकीय पोलिटिकल संस्थानों रा0पा0 कनालीघरीना, डीडीहाट एवं गणार्ड-गंगोली में कन्द सरकार की योजना से अग्रोप निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगे।</p>	100.00	<p>03 राजकीय पोलिटिकल संस्थानों रा0पा0 कनालीघरीना, डीडीहाट एवं गणार्ड-गंगोली में कन्द सरकार की योजना से अग्रोप निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगे।</p>	<p>इससे सीमान्त क्षेत्र के छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।</p>		<p>निरस्त ५</p>

अनुदान संख्या -30 (एस0सी0एस0सी0) 4202-02-104-03-00	राजकीय पार्लोटेक्निक देहरादून एवं काशीपुर में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण किया जाना है।		400.0 0	02 संस्थाएँ राजकीय पार्लोटेक्निक देहरादून एवं काशीपुर में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण किया जा सकेगा।	-	02 संस्थाएँ राजकीय पार्लोटेक्निक देहरादून एवं काशीपुर में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण किया जा सकेगा।	-	बहुउद्देशीय हॉल से छात्र/छात्राओं हेतु सैद्धांतिक एवं प्रयोगिक कार्यक्रमों का सम्पादन हो सकेगा जिससे छात्रों में प्रकृतितम विकास की बढ़ोतरी होगी।	निरस्त र
अनुदान संख्या-031 टी0एस0सी0 4202-02-104-03-00	राजकीय पार्लोटेक्निक लोहाघाट एवं गौहर में SC के लगभग 100 छात्र-छात्राओं अध्ययनरत है। संस्था में विद्यालय पुस्तकालय का साईज बहुत कम है। एवं AICTE के मानकानुसार नहीं है अतः पुस्तकालय संयोजित सुविधाओं को विकास इत्यादि को AICTE के मानकानुसार बनाया जाना है।		100.0 0	राजकीय पार्लोटेक्निक काशीपुर, श्रीनगर Digital Library	100.00	राजकीय पार्लोटेक्निक लोहाघाट एवं गौहर में SC के लगभग 100 छात्र-छात्राओं अध्ययनरत है। संस्था में विद्यालय पुस्तकालय का साईज बहुत कम है। एवं ए0आई0सी0टी0ई0के मानकानुसार नहीं है अतः पुस्तकालय संयोजित सुविधाओं को विकास इत्यादि को ए0आई0सी0टी0ई0के मानकानुसार बनाया जाना है।	-	इससे राजकीय पार्लोटेक्निक लोहाघाट एवं गौहर में SC के लगभग 100 छात्र-छात्राओं को आई0टी0 पुस्तकालय की नई तकनीकियाँ से परिचित हो सकेगा एवं छात्र/छात्राओं के गुणवत्ता में सुधार होगा।	निरस्त र
योग		16425. 20	4571.0 4	-					
				-					

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप:-

क्र०सं०	SDG संकेतक	01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020-21
1	Percentage of seats filled against total intake capacity in polytechnic colleges	66.70 प्रतिशत	63.74 प्रतिशत	70 प्रतिशत	विभाग में छात्रों के प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों के सापेक्ष 70 प्रतिशत सीटें रोजगारपरक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु प्रवेश दिया जायेगा।
2	Placement ratio in polytechnic colleges	37.1 प्रतिशत	45 प्रतिशत	50 प्रतिशत	विभाग में रोजगारपरक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त युवाओं में से 50 प्रतिशत को रोजगार प्राप्त होगा।


 (हर सिंह)
 निदेशक
 तकनीकी शिक्षा परतारखण्ड

आउटकम / परफॉरमेन्स बजट 2020-21

विभाग का नाम— विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी

धनराशि रू० लाख में

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टर्ड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टर्ड) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रारम्भिक शिक्षा									
केन्द्रपोषित योजनायें									
1	मध्याह्न भोजन योजना	1. प्रारम्भिक स्तर पर राजकीय, स्थानीय निकाय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा मदरसों में कक्षा 1-8 तक अध्ययनरत बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार करना। 2. अपवंचित समूहों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने तथा कक्षा-कक्ष गतिविधियों में सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करना।	16634.90		लाभार्थी - 723146 भोजन माता- 26532	लाभार्थी- 690955 भोजन माता-25814	17045 विद्यालयों में योजना संचालित की जायेगी। 690955 विद्यार्थी 29187 भोजनमाता	धारण दर बढ़ाना व बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास करना व कुपोषण में कमी लाना	02 वर्ष
राज्य योजनायें									
1	निर्देशन एवं प्रशासन	1. विभागीय नीति का निर्धारण करना। 2. अधीनस्थ कार्यालयों का नियंत्रण, निरीक्षण, मार्ग दर्शन एवं समन्वय। 3. मण्डलीय अपर निदेशक तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का संचालन। 4. विकेंद्रित नियंत्रण, अनुश्रवण एवं समस्याओं के निराकरण।	6658.47		कार्यालय-110 विद्यालय-15148 कार्मिक-37273	कार्यालय-110 विद्यालय-14442 कार्मिक-37291	बेसिक निदेशालय की स्थापना। 110 कार्यालयों एवं 11791 प्राथमिक एवं 2651 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।	समस्त विद्यालयों में भौतिक व मानवीय संसाधनों की आपूर्ति व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना	02 वर्ष
2	विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण	1. प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। 2. प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।	624.29		180194 विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई गई। (State Component APL	167558 विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई गई (State Component APL Boys)	199270 बालकों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना।	ठहराव दर में वृद्धि अंकित करना (शालात्यागी दर में कमी लाना)	02 वर्ष

					Boys)				
3	राजकीय विद्यालय व सहायता प्राप्त विद्यालय	1. प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 2. प्रारम्भिक शिक्षा की उपलब्धता में निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करना।	283630.80		विद्यालयों की संख्या-15369 छात्र संख्या-1677288	विद्यालयों की संख्या-14658 छात्र संख्या-1654148	11791 राजकीय प्राथमिक, 2651 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन 216 सहायता प्राप्त विद्यालयों का संचालन	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के राष्ट्रीय औसत से अधिक उपलब्धि प्राप्त करना मासिक परीक्षाओं में क्रमोत्तर वृद्धि प्राप्त करना	02 वर्ष
4	शिक्षा का अधिकार	शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।	9379.56		लाभार्थी-95922	लाभार्थी-104084	114578 विद्यार्थी	आर्थिक रूप से पिछड़े व अपवंचित वर्ग के बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना	02 वर्ष
5	बच्चों को प्रोत्साहन	1. विद्यार्थियों का चौमुखी विकास करना। 2. विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि विकसित करना। 3. विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना का विकास 4. शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने में निजी सहभागिता	112.70	U	खेल-18 प्रतियोगितायें-109	खेल-18 प्रतियोगितायें-109	18 खेलों हेतु 109 प्रतियोगितायें	राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों की खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता	02 वर्ष
6	विविध कार्य	1- ई-पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों एवं छात्रों का डाटा रखना। 2- ऑनलाइन विद्यालयों का अनुश्रवण करना। 3- भोजन माताओं हेतु वर्दी। 4- मध्याह्न भोजन योजना का सुदृढीकरण 5- कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जूनियर प्रभाग	647.46		कार्मिकों की संख्या-37273	कार्मिकों की संख्या-37291	ई-पोर्टल का संचालन भोजन माताओं हेतु वर्दी विद्यालयों का अनुश्रवण।	नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण व अनुश्रवण में तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता लाना।	02 वर्ष
7	मॉडल स्कूलों का संचालन	1- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। 2- आधुनिकतम शैक्षिक तकनीक का उपयोग करना। 3- भौतिक संसाधनों एवं शैक्षिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	550.00		संख्या-285	संख्या-285	प्रत्येक विकासखण्ड में 3 विद्यालयों की स्थापना (02 प्राथमिक व 01 जूनियर) कुल 285 विद्यालय	भौतिक संसाधनों व मानवीय संसाधनों में अभिवृद्धि के द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना	02 वर्ष

		4- कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।							
8	बेसिक शिक्षा अन्तर्गत पूंजीगत कार्य	1-निदेशालय भवनों का निर्माण 2-नाबार्ड वित्त पोषित ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि अन्तर्गत निर्माण कार्य। 3-प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण		1400.00	भवनों की संख्या-29 निदेशालय भवन-1	भवनों की संख्या-19 निदेशालय भवन-1	32 विद्यालयों के भवनों का निर्माण करना।	अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कर शिक्षण कार्य को सुदृढ करना	02 वर्ष

आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2020-21

विभाग का नाम— विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.....

धनराशि रू० लाख में

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
माध्यमिक शिक्षा									
केन्द्रपोषित योजनायें									
1	समग्र शिक्षा	1. शिक्षा की पहुँच उपलब्ध कराना। 2. शुद्ध नामांकन दर को 100 प्रतिशत प्राप्त करना। 3. धारण दर शतप्रतिशत तथा शालात्यागी दर शून्य प्राप्त करना। 4. विद्यालयों को भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना। 5. लिंग भेद व सामाजिक भेद को कम करना। 6. शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। 7. हाईस्कूल स्तर की शिक्षा की सर्वसुलभता। 8. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। 9. अध्यापकों एवं अभिकर्मियों की क्षमता विकास। 10. शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण। 11. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। 12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। 13. शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था करना। 14. संकाय विकास एवं शोध। 15. राजाराम मोहन राय पुस्तकालय हेतु मैचिंग ग्राण्ट	96978.37	7800.00	शिक्षक प्रशिक्षण-26095 शैक्षिक भ्रमण-157897 कक्षा कक्ष/भवनों की संख्या-232 विद्यालयों का अनुसमर्थन-13347 बालिका शिक्षा को अनुसमर्थन-28 पाठ्य पुस्तक-483349 गणवेश-579717 शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति-95992	शिक्षक प्रशिक्षण-29426 शैक्षिक भ्रमण-151422 कक्षा कक्ष/भवनों की संख्या-232 विद्यालयों का अनुसमर्थन-14332 बालिका शिक्षा को अनुसमर्थन-28 पाठ्य पुस्तक-519168 गणवेश-615844 शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति-95992	शिक्षक प्रशिक्षण-29426 शैक्षिक भ्रमण-151422 कक्षा कक्ष/भवनों की संख्या-232 विद्यालयों का अनुसमर्थन-14332 बालिका शिक्षा को अनुसमर्थन-28 पाठ्य पुस्तक-519168 गणवेश-615844 शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति-95992	विद्यालयों को मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराना, शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करना व धारण दर को शत-प्रतिशत प्राप्त करना। विद्यालयों की पहुँच सुनिश्चित करना नामांकन में वृद्धि व सामाजिक व लैंगिक समानता, गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा। सकल नामांकन दर 90 प्रतिशत शुद्ध नामांकन दर 55 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्तर से हाईस्कूल स्तर स्तरोन्धन 99 प्रतिशत ज्ञाप आउट दर 5 प्रतिशत तक लाना	02 वर्ष

राज्य योजनायें									
1	निर्देशन, प्रशासन एवं निरीक्षण	1. विभागीय नीति का निर्धारण करना। 2. अधीनस्थ कार्यालयों का नियंत्रण, निरीक्षण, मार्ग दर्शन एवं समन्वय। 3. मण्डलीय अपर निदेशक तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का संचालन। 4. विकेंद्रित नियंत्रण, अनुश्रवण एवं समस्याओं के निराकरण।	8600.99		कार्यालय-110 विद्यालय-2734 कार्मिक-46260	कार्यालय-110 विद्यालय-2734 कार्मिक-46260	110 कार्यालयों एवं 2734 राजकीय/सहायता प्राप्त हाई. एवं इण्टर कॉलेजों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण	विद्यालयों हेतु नीति निर्धारण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अकास्मिक अनुश्रवण	02 वर्ष
2	प्रशिक्षण	1. शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था। 2. पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक निर्माण। 3. विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु सामग्रियों का निर्माण। 4. शैक्षिक तकनीकी आदि में शोध। 5. अधिकारी एवं कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं के संचालन, अनुश्रवण आदि के प्रशिक्षण। 6. शैक्षिक प्रशासन व प्रबन्धन का प्रशिक्षण।	1739.16	100.00	प्रशिक्षण व कार्यशाला-15 शोध एवं क्रियात्मक शोध-248	प्रशिक्षण व कार्यशाला-24 शोध एवं क्रियात्मक शोध-183	प्रशिक्षण व कार्यशाला-29 शोध एवं क्रियात्मक शोध-270	अध्यापकों के सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। अधिकारियों के सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। (प्रोफेशनल डेवलेपमेंट क्षमता संवर्द्धन)	02 वर्ष
3	छात्रवृत्तियां एवं प्रोत्साहन	1. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। 2. हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा की मेरिट में आने वाले छात्रों को प्रोत्साहन। 3. उत्तराखण्ड मूल के बच्चों को आर.आई.एम. सी. विद्यालय में अध्ययन हेतु प्रोत्साहन। 4. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्कूली खेलों में स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। 5. सैन्य स्कूलों पढाई हेतु प्रोत्साहन। 6. अनु0 जाति, जन जा0 एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को प्रोत्साहन। 7. अच्छे शैक्षिक प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहन। 8. प्रतिभाशाली बच्चों की खोज एवं प्रोत्साहन। 9. उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रोत्साहन। 10. माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु बालिका प्रोत्साहन साइकिल योजना का आरम्भ	1854.60		छात्रवृत्तियां-1301 प्रोत्साहन-1972 पुरस्कार-253	छात्रवृत्तियां-1500 प्रोत्साहन-2195 पुरस्कार-280	13 आर.आई.एम.सी., 02 सैनिक स्कूल घोडखाल, 332 राष्ट्रीय योग्याता, 924 श्री देव सुमन योग्यता एवं 22 डा0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति। 20 शिक्षकों, 27 छात्रों तथा 3 विद्यालयों को गवर्नस अवार्ड। 81 छात्रों व 50 विद्यालयों को पं0दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार। 72 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार तथा 1972 विद्यार्थियों की माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार।	राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता। छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। उत्कृष्टता को प्रोत्साहन व विद्यार्थियों के आत्म विश्वास में वृद्धि करना।	02 वर्ष
4	परीक्षायें	1. परीक्षा का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण	1899.88		परीक्षार्थी	परीक्षार्थी	बोर्ड परीक्षार्थियों हेतु	परिषदीय परीक्षाफल में	वार्षिक

		2. राज्य में परिषदीय व विभागीय परीक्षाओं का आयोजन करना। 3. मूल्यांकन के संबंध में परिषद मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करना। 4. अशासकीय विद्यालयों का नियमन।			सम्मिलित- 276260 उत्तीर्ण-211749	सम्मिलित -274817	परीक्षा सम्पादित करना। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय व एकलव्य विद्यालय हेतु प्रवेश परीक्षा संचालित करना।	कमोत्तर वृद्धि परिषदीय परीक्षाओं में गुणवत्ता में वृद्धि उच्च कोटि के अध्यापकों का चयन	
5	राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेजों का संचालन एवं स्थापना	1. असेवित क्षेत्रों में हाई स्कूलों तथा इण्टर कॉलेजों की स्थापना। 2. स्थापित विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास। 3. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। 4. नाबार्ड पोषित ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य	315094.0 9	4050.00	विद्यालयों की संख्या-2324 छात्र संख्या-323732 भवन निर्माण-93	विद्यालयों की संख्या-2319 छात्र संख्या-307626 भवन निर्माण-102	932 राजकीय हाईस्कूल एवं 1387 राजकीय इण्टर कॉलेजों का संचालन। 102 निर्माणाधीन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के राष्ट्रीय औसत से अधिक उपलब्धि प्राप्त करना मासिक परीक्षाओं में कमोत्तर वृद्धि प्राप्त करना	02 वर्ष
6	आवासीय विद्यालयों का संचालन	1. ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना	2932.12	1250.00	विद्यालयों की संख्या-17 छात्र संख्या-3063	विद्यालयों की संख्या-17 छात्र संख्या-3300	3300 विद्यार्थियों की आवासीय शिक्षा	ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।	02 वर्ष
7	गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता	1. शिक्षा की व्यवस्था में गैर सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहन।	48650.01		विद्यालयों की संख्या-398 छात्र संख्या-357094	विद्यालयों की संख्या-399 छात्र संख्या-363838	399 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का संचालन	जनसहभागिता से विद्यालयों का संचालन	वार्षिक
8	सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को अनुरक्षण/संचालन निधि हेतु अनुदान	1. सैनिक स्कूल को सहायता प्रदान करना।	510.00	50.00	छात्रों की संख्या-530	छात्रों की संख्या-530	वार्षिक अनुरक्षण करना। 530 छात्रों को शिक्षण/आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।	छात्रों को गुणवत्तायुक्त आवासीय शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। सशास्त्र सेनाओं हेतु छात्रों को तैयार करना।	वार्षिक
9	स्काउट एवं प्रदर्शनियां	1. स्काउट-गाइड की गतिविधियों का संचालन। 2- गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकियों का प्रदर्शन 3- जिला मण्डल एवं राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन 4- लोक संस्कृति दिवस का आयोजन।	67.00		प्रदर्शनियों का आयोजन	प्रदर्शनियों का आयोजन	प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रमों, बेसिक कोर्स व एडवांस कोर्स में स्काउट व गाइड द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।	विद्यार्थियों में सामुदायिकता एवं सहयोग की भावना का विकास कर छात्रों का सर्वांगीण विकास एवं अनुशासन।	02 वर्ष
10	खेलों का	1. विद्यार्थियों का चहुँमुखी विकास करना।	100.00		खेल	खेल	राष्ट्रीय, राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर	विद्यार्थियों को खेलों की ओर आकृष्ट करना,	02 वर्ष

	आयोजन	2. विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि विकसित करना।			प्रतियोगिता-108 पदक-47 (10 स्वर्ण, 12 रजत, 25 कांस्य)	प्रतियोगिता-102 वर्तमान तक 86 प्रतियोगिताओं में 24 पदक प्राप्त (6 स्वर्ण, 8 रजत, 10 कांस्य)	खेलों का आयोजन।	सहभागिता सुनिश्चित करना।	
11	मॉडल स्कूल	1- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। 2- आधुनिकतम शैक्षिक तकनीक का उपयोग करना। 3- भौतिक संसाधनों एवं शैक्षिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 4- कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	292.00	1000.00	विद्यालयों की संख्या-190 छात्र संख्या-70612	विद्यालयों की संख्या-190 छात्र संख्या-68029	95 विकासखण्डों में प्रति विकासखण्ड 2 कुल 190 मॉडल स्कूलों का संचालन।	मॉडल स्कूलों में संसाधन उपलब्ध कर शैक्षिक गुणवत्ता में अभिवृद्धि।	02 वर्ष
12	पुस्तकालय	1.सार्वजनिक पुस्तकालयों के भवन उपकरण एवं पुस्तकीय सहायता प्रदान करना। 2.राजकीय जिला एवं शाखा पुस्तकालयों का संचालन। 3. दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर की स्थापना 4. आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।	300.00	100.01	पुस्तकालयों की संख्या-26	पुस्तकालयों की संख्या-26	26 पुस्तकालयों को पुस्तकीय सहायता	पुस्तकों के माध्यम से छात्रों के ज्ञान में अभिवृद्धि व उनमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ने की रुचि उत्पन्न करना। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना।	वार्षिक
13	अनुसूचित जाति जनजाति छात्र-छात्राओं हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना	1. अनुसूचित जाति जनजाति छात्र-छात्राओं हेतु निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों की व्यवस्था।	765.00		विद्यालयों की संख्या-23 विद्यार्थियों की संख्या, जिन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई गई-99855	विद्यालयों की संख्या-23 विद्यार्थियों की संख्या, जिन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई गयी-86333	101000 अनुसूचित व जन जाति के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करना।	अनुसूचित व जन जाति के छात्रों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।	02 वर्ष

आउटकम/परफार्मेन्स बजट 2020-21

विभाग का नाम- श्रम विभाग, श्रम आयुक्त संगठन, उत्तराखण्ड

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्रम सं०	लेखाशीर्षक/ योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आउट ले		01.04.2019 स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की समाप्त स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
1	लेखानुदान सं० -16 2230-श्रम तथा रोजगार 001- निदेशन तथा प्रशासन	निदेशन तथा प्रशासन से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन भत्ते एवं कार्यालय का संचालन हेतु व्यय	478.45	0	40 विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी	40 विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय	40 विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय	40 विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय	01 वर्ष
2	लेखानुदान सं०-16 2230-श्रम तथा रोजगार 101- औद्योगिक संबंध 03- विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन का अधिष्ठान	क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन भत्ते एवं कार्यालय का संचालन हेतु व्यय	1178.1	0	105 विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी	105 विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय	105 विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय	112 विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय	01 वर्ष
3	लेखानुदान सं० -16 2230-श्रम तथा रोजगार 101- औद्योगिक संबंध 04- राज्य सलाहकार सचिवा श्रम बोर्ड	राज्य सलाहकार सचिवा श्रम बोर्ड से मा० अध्यक्ष एवं अधिकारियों / कर्मचारियों को वेतन भत्ते एवं कार्यालय का संचालन हेतु व्यय	43.91	0	6-बोर्ड के अध्यक्ष एवं विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी	06 बोर्ड के अध्यक्ष तथा कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय	06 बोर्ड के अध्यक्ष तथा कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय	06 बोर्ड के अध्यक्ष तथा कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय	01 वर्ष

✓

4	लेखानुदान सं० -16 2230-श्रम तथा रोजगार 101- औद्योगिक संबंध 05- औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान	श्रम न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन भत्ते एवं कार्यालय का संचालन हेतु व्यय	282.41	0	08 विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी तथा सविदा कर्मचारी	09 पीठासीन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय	09 पीठासीन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय	01 वर्ष
5	लेखानुदान सं० -16 2230-श्रम तथा रोजगार 102- कार्य की परिस्थितियों तथा सुरक्षा 03- निरीक्षण का अधिष्ठान	कारखाना/व्यापार कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन भत्ते एवं कार्यालय का संचालन हेतु व्यय	144.46	0	12 विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी तथा सविदा कर्मचारी	12 विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय	12 विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय	01 वर्ष
6	लेखानुदान सं० -16 2230-श्रम तथा रोजगार 103-सामान्य श्रम कल्याण 03-श्रम कल्याण की विविध योजनायें/कल्याण केन्द्र	श्रम कल्याण केन्द्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन भत्ते एवं कार्यालय का संचालन हेतु व्यय	64.28	0	7 विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी	7 विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय	7 विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन/भत्ते तथा कार्यालय संचालन व्यय	01 वर्ष
7	लेखानुदान सं० -16 2230-श्रम तथा रोजगार 103-सामान्य श्रम कल्याण 07-श्रम विभाग के प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण एवं विकेन्द्रीकरण	श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालयों का सुदृढीकरण	15	0	06 कार्यालयों का सुदृढीकरण	श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालयों का सुदृढीकरण	श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालयों का सुदृढीकरण	01 वर्ष

4/

8	लेखानुदान सं0 -16 2230-श्रम तथा रोजगार 103-सामान्य श्रम कल्याण 09-असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण	प्रदेश में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वेक्षण/चिन्हीकरण करना।	0.01	0	0	0	0	0	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या ज्ञात करना	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वेक्षण/चिन्हीकरण करना।	01 वर्ष
9	लेखानुदान सं0 -16 2230-श्रम तथा रोजगार 103-सामान्य श्रम कल्याण 10-असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ऑन लाइन पंजीकरण/नवीनीकरण	असंगठित क्षेत्र के चिन्हीत श्रमिकों का पंजीकरण करना।	0.01	0	0	0	0	0	चिन्हीत श्रमिकों का ऑन लाइन पंजीकरण कर स्मार्ट कार्ड प्रदान करना	चिन्हीत श्रमिकों का ऑन लाइन पंजीकरण कर स्मार्ट कार्ड प्रदान करना	01 वर्ष
10	लेखानुदान सं0 -16 2230-श्रम तथा रोजगार 103-सामान्य श्रम कल्याण 12-विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत ऑन लाइन पंजीकरण/नवीनीकरण	विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत ऑन लाइन पंजीकरण/नवीनीकरण व बैंक लाग से संबंधित कार्य करना।	10	05 श्रम अधिनियम	05 श्रम अधिनियम	05 श्रम अधिनियम	05 श्रम अधिनियम	0	ऑन लाइन पंजीकरण/नवीनीकरण उद्यमियों को सुविधा प्रदान करना।	5 श्रम अधिनियमों विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत ऑन लाइन पंजीकरण/नवीनीकरण व बैंक लाग से संबंधित कार्य करना।	01 वर्ष
11	लेखानुदान सं0 -16 2230-श्रम तथा रोजगार 103-सामान्य श्रम कल्याण 16- आम आदमी बीमा योजना	आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित लामार्थियों की बीमा प्रीमियम का भुगतान करना	25	0	0	0	0	800 लामार्थी	आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित लामार्थियों की बीमा प्रीमियम के भुगतान हेतु	14000 आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित लामार्थियों की बीमा प्रीमियम का भुगतान करना	01 वर्ष

✓

परफॉरमेंस बजट 2019-20

क्रम सं०	लेखाशीर्षक / योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	01.04.2019 स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम
1	8.7 Prevention of Child Labour	बाल श्रम उन्मूलन				
2	(a) Incidence of child labour %		49	142	बाल श्रमिकों को चिन्हिकरण एवं पुनर्वासन	बाल श्रम में कमी
3	(c) Awareness programme in child labour prone areas		49	65	बाल श्रम उन्मूलन हेतु जनजागरूकता	बाल श्रम में कमी
4	(d) Case against employers in child labour & Bonded labour		32	60	बाल श्रमिकों के नियोक्ताओं को दण्डित करना	बाल श्रम में कमी
	(e) District Covered under NCLP		13	13	बाल श्रमिकों को चिन्हिकरण एवं पुनर्वासन	बाल श्रम में कमी
	8.8.1 (c) No of worker covered under inter State migrant worker	अप्रवासी कर्मचारों का पंजीकरण	0	0	0	0
7	8.8.2 No of migrant worker					
8	8.8.3 No of accidents in factory	कारखाना में श्रमिक सुरक्षा				
9	8.8.5 (s) (a) Number/ proportion of workers covered under health insurance					
10	10.4.5(s)(a) Growth of real wages	न्यूनतम वेतन निर्धारण		23.69% की वृद्धि		

11	16.2.1 No of children rehaiblated and rescued under national Child labour Project	बाल श्रम उन्मूलन	जनपद देहरादून में rescued- 1222 rehaiblated -200 231 गैर खतरनाक प्रक्रिया में शेष मूल घते पर नहीं मिले।	05 जनपदों में 1816 बच्चे चिन्हित हैं जिस पर कार्यवाही किये जाने हेतु भारत सरकार को पत्र प्रेषित।		
----	---	------------------	---	--	--	--



संस्कृति विभाग

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजी					
1.	अनुदान संख्या-11 2205-कला एवं संस्कृति-00-001-निदेशन तथा प्रशासन 03-सांस्कृतिक कार्य निदेशालय	संस्कृति विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्यों के सम्पादन एवं नियंत्रण तथा विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संस्कृति निदेशालय की स्थापना। प्रदेश की लुप्तप्रायः लोक संस्कृति के संवर्द्धन, संरक्षण एवं उन्नयन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।	942.63	-	500 सांस्कृतिक कार्यक्रम	600 सांस्कृतिक कार्यक्रम	1-अधिष्ठान व्यय अधिकारी/ नियमित कर्मचारियों की संख्या-20 आउटसोर्स-26 2-600 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन	विभागीय योजनाओं का सफल संचालन एवं संस्कृति से जुड़े कलाकारों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार एवं संस्कृति का प्रचार-प्रसार	1 वर्ष
2.	04-कलाकार कल्याण कोष	-	30						
3.	05-धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अधिष्ठान	प्रदेश में स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों, तीर्थों के रख-रखाव एवं संचालन।	84.70	-	-	-	पौराणिक, धार्मिक, तीर्थों, धरोहरों का रख-रखाव।	धार्मिक एवं पौराणिक तीर्थों के रख-रखाव से पर्यटन को बढ़ावा।	2 वर्ष
4.	101-ललित कला शिक्षा-03- भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय	भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं लोक संस्कृति के प्रति छात्र-छात्राओं में अभिरुचि बनाये रखने के उद्देश्य से भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी की स्थापना।	296.19	-	578 छात्र-छात्राओं का मानक शिक्षा प्रदान की गई।	600 छात्र-छात्राओं का मानक शिक्षा प्रदान की गई।	1-कर्मचारी/शिक्षकों का अधिष्ठान व्यय नियमित-29 आउटसोर्स-20 2-कुल 650 छात्र-छात्राओं को मानक शिक्षा प्रदान करना	शास्त्रीय संगीत से उत्कृष्ट कलाकार, संगीतज्ञ एवं शिक्षक तैयार किये जायेंगे।	7 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजी					
5.	03-स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान	लोक संगीत, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वेश-भूषा एवं ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण, संवर्द्धन एवं उन्नयन में अनवरत रूप से कार्यरत व्यक्तियों/गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक अनुदान।	55	-	20 स्वायत्तशासी संस्थायें	25 स्वायत्तशासी संस्थायें	40 स्वायत्तशासी संस्थायें	कला का संरक्षण एवं संवर्द्धन	3 वर्ष
6.	04-स्व0 गो0ब0 पन्त लोक कला संस्थान	लोक कलाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, विकास, शोध, संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन तथा भावी पीढ़ी के लिये संजोए रखने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में लोक कला संस्थान की स्थापना।	22.46	-	-	-	अधिष्ठान व्यय-02 कर्मचारी	लोक कलाओं को प्रकाश में लाना।	2 वर्ष
7.	06-साहित्य कला परिषद की स्थापना	साहित्य, संस्कृति, संगीत, लोक गीत, लोक नृत्य, प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं सुनियोजित विकास हेतु देहरादून में संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना।	20	-	-	-	-	प्रदेश की समृद्धशाली कला एवं संस्कृति को अक्षुण्ण रखा जा सकेगा।	1 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजी					
8.	08-रंगमण्डल स्थापना	विभिन्न अंचलों में प्रचलित लोक गीत, लोक नृत्य एवं लोक नाटकों के वास्तविक रूप को जीवन्त रखने के उद्देश्य से देहरादून एवं अल्मोड़ा में रंगमण्डल की स्थापना।	30	—	4 कार्यशालायें / नाट्य महोत्सव	6 कार्यशालायें / नाट्य महोत्सव	1-अधिष्ठान व्यय आउटसोर्स-3 2-नाट्य महोत्सव-01 कार्यशाला-3	अभिनय कला का कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षुओं को रोजगार परक बनाना।	2 वर्ष
9.	09-वृद्ध कलाकारों, लेखकों को मासिक पेंशन	प्रदेश की लोक सांस्कृतिक विरासत के उन्नयन एवं संवर्द्धन में अनवरत रूप से जुड़े कलाकार एवं लेखक जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा वृद्धावस्था एवं अस्वस्थता के कारण अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हो गये हों, ऐसे वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों, लेखकों एवं साहित्यकारों को मासिक पेंशन।	75	—	173 कलाकार / लेखक	156 कलाकार / लेखक	200 कलाकार / लेखक	कलाकार / लेखकों का भविष्य आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित रहेगा।	2 वर्ष
10.	12-शहीद स्मारक	शहीदों की चिरस्मृति संजोए रखने के उद्देश्य से शहीद स्मारकों का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण।	20	—	3 शहीद स्मारकों का रख-रखाव	3 शहीद स्मारकों का रख-रखाव	3 शहीद स्मारकों का जीर्णोद्धार	जन सामान्य शहीदों के त्याग व बलिदान से परिचित होंगे।	2 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजी					
11.	13-उदयशंकर नृत्य अकादमी का संचालन	भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित अभिनय कला के नियमित प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अल्मोड़ा में उदयशंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना।	48	-	-	-	अकादमी भवन का रख-रखाव एवं संचालन।	पं० उदयशंकर की विशिष्ट शैली के अध्ययन / प्रशिक्षण से भावी पीढ़ी लाभान्वित होगी।	2 वर्ष
12.	19-सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का क्रय	सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं जो आज भी जनमानस के नियंत्रण में हैं, ऐसे बहुमूल्य कलाकृतियों एवं पुरावशेषों को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने के उद्देश्य से क्रय किया जाना।	30	-	-	-	दुर्लभ एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का क्रय।	पुरासम्पदा के महत्व के बारे में आम जनमानस को जानकारी प्राप्त होगी।	3 वर्ष
13.	23-महान विभूतियों की वर्षगांठ का आयोजन	देश एवं प्रदेश के महान विभूतियों के योगदान को भावी पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से उनकी स्मृति में उनके जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रम एवं गोष्ठियां।	10	-	2 महान विभूतियों की वर्षगांठ का आयोजन	2 महान विभूतियों की वर्षगांठ का आयोजन	02 महान विभूतियों की वर्षगांठ का आयोजन	महान विभूतियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से आम जनमानस प्रेरित होगा।	1 वर्ष
14.	25-कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजना	कनिष्ठ कलाकारों को आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित करने तथा वरिष्ठ कलाकारों को उनकी सृजनात्मक कृतियों के लिये छात्रवृत्ति एवं जीवन पर्यन्त उपलब्धि पुरस्कार दिया जाना।	15	-	-	-	15 कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों को छात्रवृत्ति	युवाओं में अपनी संस्कृति के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होगी।	3 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजी					
15.	32-देहरादून में ललित कला एवं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना	प्रदेश में साहित्य, संस्कृति, लोक संगीत, लोक गीत, लोक नृत्य, रंगमंच, नाट्य कला, शास्त्रीय संगीत तथा ललित कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं उन्नयन हेतु देहरादून में ललित कला एवं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना।	15	-	3 कार्यशालाओं का आयोजन	3 कार्यशालाओं का आयोजन	4 कार्यशालाओं का आयोजन	ललित कला एवं संगीत का प्रचार-प्रसार	2 वर्ष
16.	33- लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता	आर्थिक रूप से विपन्न ऐसे लेखक, कवि एवं साहित्यकार जिनकी कृतियां धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाती हैं, उन्हें पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता।	15	-	5 लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता	9 लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता	40 लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता	संस्कृति के क्षेत्र में नई पीढ़ी को ज्ञान मिलेगा।	3 वर्ष
17.	34- धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता।	प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासी जिनके द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण की जाती है, को रु0 25 हजार धनराशि आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करना।	8	-	14 स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता	28 स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता	30 स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता	धार्मिक यात्राओं के माध्यम से संस्कृति से रु-ब-रु एवं पर्यटन को बढ़ावा देना।	2 वर्ष
18.	35-मेला समितियों को पारम्परिक एवं अन्य मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता	मेला समितियों को संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रदेश के पौराणिक एवं ऐतिहासिक मेलों के आयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करना है।	120	-	41 मेला समितियों को मेलों के आयोजन हेतु सहायता	50 मेला समितियों को मेलों के आयोजन हेतु सहायता	60 मेला समितियों को मेलों के आयोजन हेतु सहायता	मेलों के आयोजन से प्रदेश की लोक संस्कृति, रहन-सहन एवं रीति-रिवाज समृद्ध होगी।	2 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजी					
19.	36-संस्कृति के विभिन्न आयामों का आडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण	प्रदेश की लुप्तप्रायः संस्कृति तथा मूर्धन्य कलाकारों की कृतियों को भावी पीढ़ी के लिये संजोए रखने के उद्देश्य से ऑडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण द्वारा संरक्षित किया जाना।	20	-	3 अभिलेखीकरण कार्य	4 अभिलेखीकरण कार्य	3 अभिलेखीकरण कार्य	भावी पीढ़ी लुप्तप्रायः संस्कृति तथा मूर्धन्य कलाकारों की कृतियों से प्रेरित होगी।	2 वर्ष
20.	38-बद्री-केदार उत्सव	देश के चार प्रसिद्ध धामों यथा गंगोत्री, यमुनोत्री, बदरीनाथ एवं केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को प्रदेश की गरिमामयी लोक संस्कृति से रू-ब-रू कराना।	20	-	-	-	4 सांस्कृतिक कार्यक्रम	प्रदेश के कलाकारों को रोजगार उपलब्ध होगा एवं संस्कृति का प्रचार-प्रसार	2 वर्ष
21.	39-हरेला महोत्सव का आयोजन	वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित किये जाने के लिये माह जुलाई में प्रत्येक वर्ष हरेला महोत्सव का आयोजन किया जाता है।	20	-	2	1	13 जनपद	जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता	3 वर्ष
22.	40-राज्य स्तरीय लोक संगीत/लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन	माह नवम्बर के प्रथम सप्ताह में राज्य स्तर पर लोक संगीत एवं लोक कला प्रतियोगिता का वृहद स्तर पर आयोजन जिसमें प्रदेश के खान-पान, लोक कला, वेश-भूषा, क्राफ्ट आदि का समावेश किया जाता है।	20	-	-	-	5 प्रतियोगितायें	लोक संस्कृति से जुड़ी हुई समस्त विधाओं से आम जनमानस परिचित होंगे।	2 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजी					
23.	41-प्रदेश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्द्धन	प्रदेश की लोक भाषाओं गढ़वाली-कुमाऊँनी भाषा के संरक्षण, संवर्द्धन, भाषा की लिपि आदि में शोध कार्य, पर्वतीय रामलीला, होली, जागर, रम्माण, पाण्डवाणी, लोक गाथायें इत्यादि का संरक्षण, संवर्द्धन एवं इस क्षेत्र में कार्यरत कलाकारों, लेखकों को आर्थिक सहायता/ छात्रवृत्ति दिया जाना।	200	-	20 संस्थाओं को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु आर्थिक सहायता	22 संस्थाओं को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु आर्थिक सहायता	15 कलाकारों, लेखकों को आर्थिक सहायता	प्रदेश की लोक भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्द्धन।	3 वर्ष
24.	42-चैतुला फण्ड/ चैतुला उत्सव का आयोजन	चैत्र माह के एक गते संक्रांति के दिन से सम्पूर्ण चैत्र मास में चैतुल/फुलदेई उत्सव का आयोजन तथा फुलदेई प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार की धनराशि प्रदान करना।	20	-	-	-	-	भावी पीढ़ी को लुप्त हो रहे त्योहारों से रू-ब-रू कराना।	2 वर्ष
25.	43-राज्योत्सव (राज्य स्तरीय लोक संगीत/ लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन)	राज्य गठन के अवसर पर माह नवम्बर के प्रथम सप्ताह में प्रदेश में राज्योत्सव मनाया जाता है।	50	-	-	-	5 सांस्कृतिक कार्यक्रम/ प्रतियोगितायें	लोक संस्कृति से जुड़ी हुई समस्त विधाओं से आम जनमानस को परिचित कराना।	1 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजी					
26.	44-हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र देहरादून का वार्षिक रख-रखाव	गढ़ी कैंट, देहरादून में हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र में राज्य स्तरीय संग्रहालय तथा ऑडिटोरियम के अतिरिक्त इसमें पुस्तकालय, नाट्यशाला, एक वृहद कान्फ्रेंस हॉल, वाह्य एवं आन्तरिक कला दीर्घायें, ललित कला एवं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना।	60	-	-	-	वार्षिक रख-रखाव।	देश-विदेश से पधारने वाले पर्यटकों, शोधार्थियों एवं जन सामान्य को पुरा सम्पदा के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु।	2 वर्ष
27.	45-विशिष्ट शैली/ वास्तुकला में निर्मित भवनों का संरक्षण एवं संवर्द्धन	प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषतः -रवाई, बड़कोट जनपद उत्तरकाशी आदि में विशिष्ट पर्वतीय शैली तथा विशेष वास्तु कला के लगभग 200 वर्ष से भी पूर्व के भवन निर्मित हैं। अनुपम बेजोड़ पैली में निर्मित ये भवन हमारी धरोहर हैं, जो कि वर्तमान में जर्जर स्थिति में हैं। इस प्रकार के भवनों का जीर्णोद्धार कर संरक्षित तथा प्रतिस्थापित किया जाना।	20	-	-	-	4 भवनों का जीर्णोद्धार	पर्वतीय शैली तथा विशेष वास्तुकला के भवनों का संरक्षण।	3 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजी					
32.	103-पुरातत्व विज्ञान 02-पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का कार्यान्वयन	राज्य स्तर पर पुरावशेषों की खोज, सूचीकरण, वर्गीकरण हेतु पुरावशेष शिविरों का आयोजन तथा उनके अभिलेखीकरण व छायांकन तथा पंजीकरण का कार्य करना।	10.59		-	-	अधिष्ठान व्यय	भावी पीढ़ी को अपने अतीत के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी।	1 वर्ष
33.	103-पुरातत्व विज्ञान 03-पुरातत्व अधिष्ठान	प्रदेश के संरक्षित एवं संरक्षणाधीन स्मारक एवं स्थलों को संरक्षण की दृष्टि से जीर्णोद्धार कर मूल स्वरूप प्रदान करना तथा उनकी सुरक्षा करना।	245.59	-	-	-	1-अधिष्ठान व्यय नियमित-20 आउटसोर्स-5 2-पुरातात्विक स्थलों का सामान्य अनुरक्षण (रख-रखाव एवं साफ-सफाई) - 9 3-विशेष अनुरक्षण (जीर्णोद्धार)-3	ऐतिहासिक धरोहरों के मूल स्वरूप को बनाये रखना।	2 वर्ष
34.	104- अभिलेखागार 03-राज्य अभिलेख	जनसामान्य के व्यक्तिगत अधिकार में तथा शासकीय कार्यों से अभिलेखों, दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों का स्थानान्तरण तथा विभाग के पास उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों को संरक्षित किये जाने हेतु आवश्यक मरम्मत, वाष्पीकरण तथा माइक्रोफिल्मिंग आदि कार्य सम्पादित करना।	205.83	-	-	-	अधिष्ठान व्यय नियमित-15 आउटसोर्स-9 500 पत्रावलियों का परिरक्षण / रासायनिक उपचार हेतु स्थानान्तरण। प्रशिक्षण -2 20 शोध छात्रों को शोध हेतु अभिलेख उपलब्ध कराना।	शोधार्थियों एवं भावी पीढ़ी को प्राचीन अभिलेखों एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु संरक्षित करना।	2 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजी					
28.	46-उत्तरा-खण्डी बोली भाषा संस्थान	उत्तराखण्ड में प्रचलित तथा बोली जाने वाली गढ़वाली-कुमाऊँनी, जौनसारी आदि लोक भाषाओं में शोध कार्य, लेखन, उन्नयन, साहित्य के संरक्षण, पोषण, संवर्द्धन, भाषा की लिपि आदि तथा लोक भाषाओं के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, लेखकों/साहित्यकारों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु बोली भाषा संस्थान की स्थापना।	0.01	-	-	-	-	लोक भाषाओं का संरक्षण, पोषण तथा संवर्द्धन होगा।	3 वर्ष
29	47-श्राईन बोर्ड को अनुदान	-	1000	-	-	-	-	-	-
30	48-नेहरू हेरिटेज सेन्टर का रख-रखाव/ संचालन	नेहरू जी के योगदान उनके त्याग व जीवन आदर्शों तथा मार्गदर्शन से आम जनमानस को परिचित कराना।	22	-	-	-	-	-	-
31	49-आर्ट गैलरी का संचालन	ललित कला के क्षेत्र में प्रान्तीय, राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय ख्यातिलब्ध कलाकारों को उनके कला के प्रदर्शन हेतु उचित मंच/स्थान उपलब्ध कराये जाने, जिससे जनमानस तथा ललित कला के क्षेत्र में जुड़े नवयुवकों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।	33	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजी					
35.	107-संग्रहालय 03-अधिष्ठान व्यय	यत्र-तत्र बिखरे पुरावशेषों को सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित करने के साथ-साथ आम जनमानस के नियंत्रण में उपलब्ध ऐतिहासिक वस्तुओं को क्रय कर संरक्षित एवं प्रदर्शित करना।	157.36	-	-	-	अधिष्ठान व्यय तथा सर्वेक्षण/ संरक्षण/ प्रदर्शन	शोध छात्रों एवं आगन्तुकों हेतु पुरावशेषों एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं उपलब्ध होंगी।	1 वर्ष
36.	03-संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण	आर्ट गैलरी, सांस्कृतिक परिसर आदि के निर्माण का मुख्य उद्देश्य आधुनिक कला, कलाकृतियां, प्रस्तर प्रतिमाओं, प्राचीन सिक्कों, प्राचीन आभूषणों का प्रदर्शन।	-	500	-	-	05	पर्यटकों एवं आम जनमानस हेतु कलाकृतियों, प्रस्तर प्रतिमाओं, प्राचीन सिक्कों, प्राचीन आभूषणों का संरक्षण।	5 वर्ष
37.	04-महान विभूतियों की मूर्तियां/शहीद स्मारक का निर्माण	महान विभूतियों की चिर स्मृति को संजोए रखने के उद्देश्य से शहीद स्मारकों का निर्माण एवं मूर्ति स्थापना।	-	200	3 शहीद स्मारकों का निर्माण	4 शहीद स्मारकों का निर्माण	11	भावी पीढ़ी को महान विभूतियों की जानकारी प्राप्त होगी।	3 वर्ष
38.	06-प्रेक्षागृह का निर्माण	प्रदेश के जिन जनपदों में संस्कृति विभाग की कोई भी संस्था कार्यरत अथवा संचालित नहीं है उन जनपदों में लोक कलाकारों के प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों हेतु प्रेक्षागृहों की स्थापना।	-	600	1 प्रेक्षागृहों के निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन	3 प्रेक्षागृहों के निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन	05		3 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजी					
39.	07-जागर महाविद्यालय की स्थापना	जन श्रुतियों में प्रचलित पारम्परिक व पौराणिक गाथाओं के माध्यम से ईष्वरीय आह्वाहन विधा के प्रचार-प्रसार हेतु जागर महाविद्यालय की स्थापना।	-	0.01	-	-	-	भावी पीढ़ी के लिये जागर विधा का संकलन कर संरक्षित करना।	4 वर्ष
40	08-संस्कृति ग्राम	उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों- बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जागेश्वर, बागेश्वर, आदि कैलाष आदि की अनुकृतियों के साथ ही प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति से जुड़ी पारम्परिक वस्तुओं, वाद्य यंत्रों, वेष-भूषा, लोक कलाकृतियों का प्रदर्शन, हस्तशिल्प, काशठ शिल्प वस्तुओं का प्रदर्शन, दुर्लभ जड़ी-बूटियों का प्रदर्शन तथा प्रदेश की प्रचलित खाद्य सामग्रियों का प्रदर्शन किया जा सके।		100					
41.	03-सांस्कृतिक परिषद / कला केन्द्र / विद्यालय / ऑडिटोरियम आदि का निर्माण	लोक कलाकारों के प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों हेतु प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना।	-	300	-	-	02 सांस्कृतिक केन्द्र/ भवन	प्रदर्शन कला के लिये कलाकारों को स्थान एवं मंच की उपलब्धता, आर्ट गैलरी तथा पुरा सम्पदा का संरक्षण।	5 वर्ष
1.	केन्द्र पोषित 102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन- 0102- अभिलेखीय सुरक्षा कोषों, पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों हेतु सहायता	शासकीय एवं गैर सरकारी संगठनों को अभिलेख, पाण्डुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण सूचीपत्र, कापियर्स, कैमरा, रीडर्स तथा भवनों के जीर्णोद्धार एवं सुधार हेतु वित्तीय सहायता दिया जाना।	10	-	-	-	गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा उनके आवेदन पत्रों की स्वीकृति पर निर्भर करेगी।	भावी पीढ़ी हेतु प्रेरणास्वरूप संरक्षण।	3 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजी					
2.	0103-क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के उन्नयन एवं सुदृढीकरण हेतु वित्तीय सहायता	शासकीय एवं अशासकीय संग्रहालयों के व्यावसायिक विकास जिसमें वीथिकाओं की मरम्मत, जीर्णोद्धार विस्तार हेतु तथा प्रकाशन, अनुरक्षण प्रयोगशाला, संग्रहालय पुस्तकालय, यंत्र एवं अभिलेखीकरण हेतु वित्तीय सहायता दिया जाना।	10	-	-	-	गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा उनके आवेदन पत्रों की स्वीकृति पर निर्भर करेगी।	पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृतियों का संरक्षण एवं प्रदर्शन।	3 वर्ष
3.	0110-कला एवं अन्य विधाओं से जुड़े ऐसे विपन्न कलाकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता	प्रदेश की लोक सांस्कृतिक विरासत के उन्नयन एवं संवर्द्धन में अनवरत रूप से जुड़े विपन्न कलाकार तथा उनके आश्रितों को राज्याश के रूप में रू0 500 मासिक पेंशन का भुगतान।	0.25	-	-	-	1 कलाकार	जीविकोपार्जन हेतु सहायता	1 वर्ष
4.	0102-क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के उन्नयन, स्थापना एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना	संग्रहालय में हिमालयी क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों की अनुकृतियां, हिमालयी क्षेत्र की पारम्परिक वेश-भूषा आभूषण, काष्ठ कला, धातु कला, कृषि यंत्र, वाद्य यंत्र आदि का संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जाना है।	-	500	-	-	01	हिमालयी संस्कृति का संवर्द्धन, संरक्षण एवं प्रदर्शन।	3 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/ बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूंजी					
1.	अनुदान संख्या-30 2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन- 02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-0201-लोक संगीत एवं लोक नृत्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन एवं डाक्यूमेन्टेशन का कार्य	अनुसूचित जाति के कलाकारों को जो अपनी कलाओं में निपुण हैं, उनके द्वारा अपनी जाति के अन्य लाभार्थियों को कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित करना एवं विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित पारम्परिक पर्वों और मेलों के अवसर पर कला प्रस्तुतियों की व्यवस्था एवं इनका अभिलेखन कार्य।	30	-	25 कार्यशालायें/ अभिलेखीकरण कार्य	22 कार्यशालायें/ अभिलेखीकरण कार्य	12 कार्यशालायें तथा 2 डाक्यूमेन्टेशन कार्य	अनुसूचित जाति के लोक कलाकारों की कला पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचेंगी।	2 वर्ष
2.	0203-अ0जा0 के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्रों एवं वेश-भूषा का क्रय	अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनकी आय का स्रोत अपनी पारम्परिक कला के माध्यम से होती है तथा जिनके पास वाद्य यंत्र एवं वेश-भूषा नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों एवं लोक कलाकारों को उनके जीवन यापन को सुचारु रूप से चलाने के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्र एवं वेश-भूषा क्रय कर निःशुल्क उपलब्ध कराना।	35	-	132 कलाकारों को वेश-भूषा एवं वाद्य यंत्रों का वितरण	114 कलाकारों को वेश-भूषा एवं वाद्य यंत्रों का वितरण	100 कलाकार	लोक कलाकारों को लोक वाद्य, उपकरण एवं वेश-भूषा उपलब्ध कराकर उन्हें संस्कृति के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना तथा रोजगार परक बनाना।	2 वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजी					
3.	4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय 03-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा अनुसूचित जाति के लोक कलाकारों को मंच प्रदान करने हेतु सभागार, मिनी ऑडिटोरियम तथा संस्कृति भवन का निर्माण।		20	1 सांस्कृतिक भवन का निर्माण	2 सांस्कृतिक भवनों का निर्माण	2	अनुसूचित जाति के कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्शन हेतु उचित स्थान एवं मंच उपलब्ध कराकर लोक कलाओं को जीवन्त रखना।	2 वर्ष
1.	अनुदान संख्या-31 2205-कला एवं संस्कृति-00-001-निदेशन एवं प्रशासन -02-जनजातीय कला एवं संस्कृति का अभिलेखन, संरक्षण तथा उन्नयन हेतु योजना	जनजातीय कला एवं संस्कृति को भावी पीढ़ी के लिये संजोए रखने के उद्देश्य से ऑडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण द्वारा संरक्षित किया जाना।	40	-	15 कार्यशालायें / अभिलेखीकरण काय।	15 कार्यशालायें / अभिलेखीकरण कार्य	10 कार्यशालायें / डाक्यूमेंटेशन	अनुसूचित जनजाति के लोक कलाकारों की कला पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचेंगी।	2 वर्ष
2.	2205-कला एवं संस्कृति-00-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना 03-पारम्परिक वाद्य यंत्रों एवं वेश-भूषा का क्रय	अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति/कलाकार जिनकी आय का स्रोत अपनी पारम्परिक कला के माध्यम से होता है तथा जिनके पास वाद्य यंत्र एवं वेश-भूषा नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों एवं लोक कलाकारों को उनके जीवन यापन को सुचारु रूप से चलाने के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्र एवं वेश-भूषा क्रय कर निःशुल्क उपलब्ध कराना।	25	-	70 कलाकारों को वेश-भूषा एवं वाद्य यंत्रों का वितरण	70 कलाकारों को वेश-भूषा एवं वाद्य यंत्रों का वितरण	100 कलाकार	लोक कलाकारों को लोक वाद्य, उपकरण एवं वेश-भूषा उपलब्ध कराकर उन्हें संस्कृति के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना तथा रोजगार परक बनाना।	1 वर्ष
3.	4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 04-कला और संस्कृति	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा अनुसूचित जनजाति के लोक कलाकारों को	-	70	2 सांस्कृतिक भवनों का निर्माण	2 सांस्कृतिक भवनों का निर्माण	4	अनुसूचित जनजाति के कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्शन हेतु उचित स्थान एवं मंच	2 वर्ष

800-अन्य व्यय 02-जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में सांस्कृतिक भवन/जन मिलन केन्द्र आदि का निर्माण	मंच प्रदान करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सांस्कृतिक भवन/जनमिलन केन्द्र आदि का निर्माण।						उपलब्ध कराकर लोक कलाओं को जीवन्त रखना।	
योग-		4091.61	2290.01			-	-	-

विभाग का नाम— समाज कल्याण ।

आउटकम /परफॉरमेंस बजट 2020-21

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी.3

(धनयाचि रु.लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21		समय सीमा
			राजस्व	पूजीगत			वर्ष 2020-21	वर्ष 2020-21			
1	मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान	विभाग द्वारा संघालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना तथा जनपद स्तरीय इकाईयों को विभाग द्वारा संघालित योजनाओं का स्वी पीत्र व्यक्तियों को लक्ष्यान्वित करने हेतु निर्देशित करना	458.30	-	6 अधिकारियों एवं 32 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया।	6 अधिकारियों एवं 32 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान।	14 अधिकारी एवं 51 कर्मचारी	14 अधिकारी एवं 51 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष		
2	जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	जनपद स्तर पर विभाग द्वारा संघालित समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन, सम्पादन एवं अनुश्रवण कर विभाग योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति करना	1535.62	-	11 अधिकारियों एवं 167 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया	11 अधिकारियों एवं 167 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	13 अधिकारी एवं 283 कर्मचारी	13 अधिकारी एवं 283 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष		
3	आईटी0रील की स्थापना	विभाग द्वारा संघालित योजनाओं का आनलाईन आवेदन एवं धनराशि के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही करना	111.50	-	10 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया।	10 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया जायेगा।	10 कर्मचारी	10 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष		
4	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय जिला एवं विकास निगम को आर्थिक सहायता का अधिष्ठान	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वतः रोजगार हेतु ऋण तथा कौशल वृद्धि प्रशिक्षण देकर आर्थिक लाभ प्राप्त कराना।	10.00	-	-	-	5 (व्यक्ति)	5 (व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष		
5	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़े वर्ग आयोजन का अधिष्ठान	पिछड़े वर्ग के समर्थकों के निराकरण एवं उत्थान करना	146.78	-	1 अधिकारी एवं 3 कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं 100 अर्थिक के मानदेय तथा देय सुविधाओं का भुगतान किया गया	1 अधिकारी एवं 3 कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं 100 अर्थिक के मानदेय तथा देय सुविधाओं का भुगतान किया जायेगा।	1 अधिकारी एवं 11 कर्मचारी तथा 15 सदस्य	1 अधिकारी एवं 11 कर्मचारी तथा 1 अर्थिक, 3 उपाध्यक्ष तथा 15 सदस्य	वित्तीय वर्ष		

6.	आदि पिछड़ा वर्ग कल्याण परिवार का गठन	पिछड़े वर्ग के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन करना	34.50	-	-	12647 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया	11268 छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति का भुगतान	1 अग्रवर्ष 5 उपवर्ष 5 सदस्य	21000 (छात्र/छात्रा)	1 अग्रवर्ष 5 उपवर्ष एवं 5 सदस्य	21000 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र
7	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विकास की योजना (100प्रशित कोसठ)	पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान कर आर्थिक सहस्रयता प्रदान करना जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।	2468.00	-	-	-	-	-	-	-	-	शैक्षणिक सत्र
8	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को रजामालर कक्षाओं में छात्रवृत्ति	पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावती सहायता देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना	3000.00	-	-	-	-	-	32000 (छात्र/छात्रा)	32000 (छात्र/छात्रा)	32000 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र
9	पिछड़ी जाति के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के आधार पर छात्रवृत्ति	पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं वर्ष अग्रदान देकर प्राथमिक शिक्षा प्रदण करने हेतु प्रोत्साहित करना	346.00	-	184 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया	26027 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान	25000 (छात्र/छात्रा)	25000 (छात्र/छात्रा)	25000 (छात्र/छात्रा)	25000 (छात्र/छात्रा)	25000 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र
11	गोरखा कल्याण परिवार	गोरखा जाति के कल्याण हेतु परिवार का गठन	31.75	-	110 अग्रवर्ष को देय सुविधाओं का भुगतान किया	110 अग्रवर्ष को देय सुविधाओं का भुगतान	1 अग्रवर्ष 2 उपवर्ष 11 सदस्य	1 अग्रवर्ष 2 उपवर्ष 11 सदस्य	1 अग्रवर्ष 2 उपवर्ष 11 सदस्य	1 अग्रवर्ष 2 उपवर्ष 11 सदस्य	1 अग्रवर्ष 2 उपवर्ष 11 सदस्य	वित्तीय वर्ष
12	कश्मीरी विस्थापितों का पुर्नवासन	कश्मीर से आये विस्थापित परिवारों को उनके भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करना।	5.81	-	39 परिवारों को पेंशन की धनराशि का भुगतान किया	39 परिवारों को पेंशन की धनराशि का भुगतान किया जायेगा	39 (परिवार)	39 (परिवार)	39 (परिवार)	39 (परिवार)	39 (परिवार)	मासिक
13	उत्तराखण्ड युगम अभियान (आर.पी. डब्ल्यू.डी.) के अन्तर्गत बैरिवर की सुविधा उपलब्ध कराना	शासकीय भवनों में दिव्यांगजनों को बैरिवर की सुविधा उपलब्ध कराना	500.00	-	4 सांठजनिक भवनों को दिव्यांगजनों सुविधाजनक बनाया गया	5 सांठजनिक भवनों को दिव्यांगजनों हेतु सुविधाजनक बनाया जाना है।	36 (भवन)	36 (भवन)	36 (भवन)	36 (भवन)	36 (भवन)	वित्तीय वर्ष

विभाग का नाम- समाज कल्याण ।

(घनराशि रु. लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की समाप्ति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटगुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूजीगत					
14.	शिशु श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिये आश्रित कर्मशालाएँ व प्रशिक्षण केंद्र	दिव्यांगों को शिशु-व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।	134.81	-	34 (दिव्यांग व्यक्ति)	50 (दिव्यांग व्यक्ति)	300 (दिव्यांग व्यक्ति)	300 (दिव्यांग व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
15.	दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना	दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कृत कर प्रोत्साहन देना।	11.00	-	-	20 दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों को पुरस्कार दिया	40 (दक्ष दिव्यांग व्यक्ति)	40 (दक्ष दिव्यांग व्यक्ति)	प्रत्येक वर्ष
16.	दिव्यांग युवक युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन	दिव्यांग दिव्यांग युवक / युवतियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु पुरस्कृत करना	50.00	-	99 दम्पति को पुरस्कार दिया गया	100 दम्पतियों को पुरस्कार दिया जायेगा	200 (दम्पति)	200 (दम्पति)	वित्तीय वर्ष
17.	दिव्यांगजनों हेतु शिथिल एवं सैमीनारों का आयोजन	सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को विभाग द्वारा संगठित योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुँचाना	7.00	-	19 शिथिल आयोजित किये गये	25 शिथिल आयोजित किये जायेंगे	50 (शिथिल)	50 (शिथिल)	वित्तीय वर्ष
18.	दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना	दिव्यांगों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना	40.00	-	127 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया	149 छात्र/छात्राओं को भुगतान किया जायेगा	2000 (छात्र/छात्रा)	2000 (छात्र/छात्रा)	वित्तीय वर्ष
19.	दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम	दिव्यांग जन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगों को अधिकतम लाभ पहुँचाना	44.58	-	1 अधिकारी एवं 5 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	1 अधिकारी एवं 5 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	1 अधिकारी एवं 5 कर्मचारी	1 अधिकारी एवं 5 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष
20.	दिव्यांगजनों के लिये जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	दिव्यांग व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	25.00	-	-	-	22 (व्यक्ति)	22 (व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष

विभाग का नाम— समाज कल्याण ।

(धनराशि का लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की समाप्त स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21		समय सीमा
			राजस्व	यूजीगत			13	13	13	13	
21	प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना	दिव्यांगों हेतु पैम का निर्माण कर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना	100.00	-	7 सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगजनों को क्षरियर की आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायी	10 सार्वजनिक भवन	13 सार्वजनिक भवन	13 सार्वजनिक भवन	13 सार्वजनिक भवन	द्वितीय वर्ष	
22	निशक्ता जनों के द्वारा राज्य परिवहन निगम की बसें में की गयी निशुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति	दिव्यांगों को निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना	275.00	-	275255 दिव्यांगजनों को नि: शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करायी गयी	275000 दिव्यांग व्यक्ति को नि: शुल्क यात्रा की सुविधा	275000 (दिव्यांग व्यक्ति)	275000 (दिव्यांग व्यक्ति)	275000 (दिव्यांग व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष	
23	शाश्वतिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र अनुदान	दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र करव हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	70.00	-	1473 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग हेतु अनुदान दिया गया	1500 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग अनुदान दिया जा रहा	1500 (दिव्यांग व्यक्ति)	1500 (दिव्यांग व्यक्ति)	1500 (दिव्यांग व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष	
24	दिव्यांग पेंशन	निम्न दिव्यांगों को उनके भरपूर पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना	9965.00	-	73567 दिव्यांग पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया	74000 दिव्यांग पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	75750 (दिव्यांग पेंशनर)	75750 (दिव्यांग पेंशनर)	75750 (दिव्यांग पेंशनर)	त्रैमासिक	
25	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन	श्री0पी0एल0 दिव्यांगजनों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।	181.59	-	2790 दिव्यांग पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया	3000 दिव्यांग पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	3000 (दिव्यांग पेंशनर)	3000 (दिव्यांग पेंशनर)	3000 (दिव्यांग पेंशनर)	त्रैमासिक	
26	मानसिक रूप से उपचारित या अवयोजन गुरुत्व / महिलाओं एवं बालक-बालिकाओं के लिये गृह का निर्माण	मानसिक रूप से उपचारित या अवयोजन गुरुत्व / महिलाओं एवं बालक-बालिकाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना	-	300.00	-	-	1 (गृह निर्माण)	1 (गृह निर्माण)	1 (गृह निर्माण)	द्वितीय वर्ष	

विभाग का नाम- समाज कल्याण ।

(धनराशि रु.लाख में)

क्र. सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की संगठित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूजीगत					
27	विधवा पेंशन	निर्धन निराश्रित विधवाओं को उनके तथा बच्चों के भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	228668.00	-	133404 विधवा पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया	140000 विधवा पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	141500 (विधवा पेंशनर)	141500 (विधवा पेंशनर)	वित्तीय वर्ष
28	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	श्री.पी.एन.एल. विधवाओं को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	1405.80	-	25545 विधवा पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	27500 पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	30000 (विधवा पेंशनर)	30000 (विधवा पेंशनर)	त्रैमासिक
29	निराश्रित परित्यक्त, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी के भरण पोषण हेतु अनुदान	निराश्रित परित्यक्त, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी के भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता कराना	515.00	-	4028 पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया	4500 पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	4700 (पेंशनर)	4700 (पेंशनर)	त्रैमासिक
30	निराश्रित परित्यक्त महिलाओं को उनकी पुत्रीयों की शादी हेतु अनुदान	निराश्रित परित्यक्त महिलाओं को उनकी पुत्रीयों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कराना	45.00	-	-	10 (पुत्रियों)	90 (पुत्रियों)	90 (पुत्रियों)	वित्तीय वर्ष
31	वृद्ध अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह	निराश्रित वृद्धजनों को नि:शुल्क आश्रय, भोजन एवं वस्त्र आदि उपलब्ध कराना	165.51	-	20 (निराश्रित वृद्धजन)	25 (निराश्रित वृद्धजन)	100 (निराश्रित वृद्धजन)	100 (निराश्रित वृद्धजन)	वित्तीय वर्ष
32	मादक द्रव्य और नशीली दवाओं के सेवन से बचाव	मादक द्रव्यों और नशीली दवाओं के सेवन से बचाव तथा समाज को नशामुक्त कराना	300.00	-	-	-	13 (जनपद)	13 (जनपद)	वित्तीय वर्ष

विभाग का नाम— समाज कल्याण ।

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की समाप्त स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूजीगत					
33	शिक्षावृत्ति का निवारण	ऐसे व्यक्ति जो शिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको नियुक्त आवास भोजन वस्त्र आदि की सुविधा उपलब्ध करायें शिक्षावृत्ति का निवारण करना	92.84	-	200 (शिक्षक)	200 (शिक्षक)	200 (शिक्षक)	200 (शिक्षक)	वित्तीय वर्ष
34	मायता प्राप्त प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्वीच्छक संस्थाओं को अनुदान	20.00	-	2 (संस्थाएँ)	2 (संस्थाएँ)	2 (संस्थाएँ)	2 (संस्थाएँ)	वित्तीय वर्ष
35	अनाथों के दाह-दफन हेतु स्वीच्छक संस्थाओं को अनुदान	विभाग द्वारा तालागैस शर्मा के दाह-दफन हेतु स्वीच्छक संस्थाओं को सहायता	16.00	-	176 (व्यक्ति)	200 (व्यक्ति)	460 (व्यक्ति)	460 (व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
36	ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिये अन्नदा योजना	ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के शैक्षणिक सुविधा देने हेतु छात्रवृत्ति, धैर्य एवं सौजन्य हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना	10.00	-	-	-	25 (ट्रांसजेंडर व्यक्ति)	25 (ट्रांसजेंडर व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
37	डॉ० अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत बोनस)	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को छोड़कर) उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति एवं अनाथों सहायता देकर आर्थिक सहायता करना।	290.00	-	-	612 (छात्र/छात्रा)	7500 (छात्र/छात्रा)	7500 (छात्र/छात्रा)	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

विभाग का नाम- समाज कल्याण ।

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की समाप्त स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूजीगत					
38.	बिवाह विधवाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान	बिवाहित विधवाओं को उनकी पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना	750.00	-	664 (पुत्रियों)	1500 (पुत्रियों)	1500 (पुत्रियों)	1500 (पुत्रियों)	वित्तीय वर्ष
39.	अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु अनुदान	समाज में समरसता लाने हेतु अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देना	25.00	-	10 (दम्पति)	50 (दम्पति)	50 (दम्पति)	50 (दम्पति)	वित्तीय वर्ष
40.	विकलांग बरोजगारों को कौशल युक्ति प्रशिक्षण योजना	विकलांग बरोजगार व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना	20.00	-	-	-	20 (दिव्यांग व्यक्ति)	20 (दिव्यांग व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
41.	योजनाओं का मूल्यांकन प्रचार-प्रसार	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराना	30.00	-	1 विभागीय पुरस्कार 1 बाउजर का प्रकाशन एवं विभागाधी योजनाओं का प्रचार-प्रसार	1 विभागीय पुरस्कार 1 बाउजर का प्रकाशन एवं विभागाधी योजनाओं का प्रचार-प्रसार	1 विभागीय पुरस्कार 1 बाउजर का प्रकाशन एवं प्रचार के अन्य माध्यमों से विभागाधी योजनाओं का प्रचार-प्रसार	1 विभागीय पुरस्कार 1 बाउजर का प्रकाशन एवं प्रचार के अन्य माध्यमों से विभागाधी योजनाओं का प्रचार-प्रसार	वित्तीय वर्ष
42.	परिष्कृत नागरिक युवजन कल्याण समिति	परिष्कृत नागरिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का अनुभव कराना	19.25	-	-	-	1 अग्र्यक्ष 3 उपाग्र्यक्ष एवं 11 सदस्य	1 अग्र्यक्ष 3 उपाग्र्यक्ष एवं 11 सदस्य	वित्तीय वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

43.	समाज कल्याण अनुश्रवण समिति	समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अनुश्रवण करना	43.45	-	महो अग्रजों को देय सुविधाओं का भुगतान किया	महो अग्रज एवं उत्प्रेक्षा को देय सुविधाओं का भुगतान	1 अग्रज, 2 उत्प्रेक्षा एवं 13 संरक्ष	1 अग्रज, 2 उत्प्रेक्षा एवं 13 संरक्ष	वित्तीय वर्ष
44.	महो मुख्या मंत्री के सलाहकार (समाज कल्याण)	समाज कल्याण द्वारा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में मुख्या मंत्री जी के सलाहकार के रूप में कार्य करना।	25.00	-	-	1 अग्रज	1 अग्रज	वित्तीय वर्ष	
45.	वृद्धावस्था पेंशन	निर्धन निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण-पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	53075.10	-	217616 वृद्ध पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया	225000 वृद्ध पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया जायेगा	232000 (वृद्ध पेंशनर)	232000 (वृद्ध पेंशनर)	त्रैमासिक
46.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (100प्रतिशत कोटा)	श्री0वी0एल0 निराश्रित वृद्धजनों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	9822.33	-	226072 पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया	228000 पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया जायेगा	228000 (पेंशनर)	228000 (पेंशनर)	त्रैमासिक
47.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ (100प्रतिशत कोटा)	श्री0वी0एल0 परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	751.90	-	1962 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गयी	2500 परिवारों को सहायता दी जायेगा	3500 (परिवार)	3500 (परिवार)	वित्तीय वर्ष
48.	किसान पेंशन योजना	ऐसे निर्धन किसान जो स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हैं उनको पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	4165.00	-	25731 किसान पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया गया	27350 किसान पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	27500 (किसान पेंशनर)	27500 (किसान पेंशनर)	त्रैमासिक

विभाग का नाम— समाज कल्याण ।

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आवट ले / बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की समाप्त स्थिति (भौतिक)	(धनराशि रु. लाख में)		समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत			परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आवंटित वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आवंटित वर्ष 2020-21	
49.	पर्वतीय क्षेत्रों में 60 वर्ष से ऊपर के निवासस्थ पुरोहितों को पेशन	पुरोहिता का कार्य कर रहे पुरोहितों को पेशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	100.00	-	-	-	825 (पुरोहितों को पेशन)	825 (पुरोहितों को पेशन)	त्रैमासिक
50.	जगरिया एवं जगरिया को मासिक पेशन	जगरिया एवं जगरिया को पेशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	100.00	-	-	-	825 (यक्तिगतों को पेशन)	825 (यक्तिगतों को पेशन)	त्रैमासिक
51.	पेछडी जाति विल एव विकास निगम हेतु अशर्तुली	निगम की अधिकृत अशर्तुली की पूर्ति कराना	-	20.00	-	-	25 (यक्ति)	25 (यक्ति)	वित्तीय वर्ष
52.	जिला मुख्यालयों में अन्य विछडे वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास का निर्माण (50 प्रतिशत कोश)	विछडे वर्गों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जिला मुख्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आये विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।	-	50.00	-	1 (छात्रावास निर्माण)	1 (छात्रावास निर्माण)	1 (वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष
53.	राजकीय वृद्ध आश्रम के भवन का निर्माण	निराश्रित वृद्धजनों को निर्यात्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना	-	150.00	-	1 (निर्माण कार्य)	02 (निर्माण कार्य)	02 (निर्माण कार्य)	वित्तीय वर्ष
54.	अनुसूचित जाति / जनजाति आयोग की स्थापना	अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं के अनुश्रवण तथा समस्याओं के निराकरण हेतु आयोग की स्थापना	95.73	-	मा0 उपाय्यक्ष को देय सुविधाओं एवं आयोग के 1 अधिकारी एवं 3 कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किया	भा उपाय्यक्ष को देय सुविधाओं के का भुगतान एवं 1 अधिकारी तथा 3 कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किया	1 अत्याक्ष, 1 उपाय्यक्ष एवं 5 सदस्यों तथा 1 अधिकारी एवं 10 कर्मचारी	1 अत्याक्ष, 1 उपाय्यक्ष एवं 5 सदस्यों तथा 1 अधिकारी एवं 10 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष
55.	औद्योगिक आस्थान की स्थापना	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना	39.79	-	2 कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किया	2 कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किया	1 अधिकारी एवं 2 कर्मचारी	1 अधिकारी एवं 2 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष
56.	अनुसूचित जातियों हेतु जीविका अवसर प्रस्तुत करना	अनुसूचित जाति के किन व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना।	40.00	-	-	1095 (व्यक्ति)	600 (व्यक्ति)	600 (व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष

विभाग का नाम- समाज कल्याण ।

क्र.सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट		1-4-2019 की स्थिति (मौलिक स्थिति)	31-3-2020 की समाप्त स्थिति (मौलिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट्स) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट्स) आउटकम वर्ष 2020-21	समाप्त सीमा
			राजस्व	पूजीगत					
57.	शिली ग्राम योजना	परम्परागत शिलीयों को ऋण प्रदान कर स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता पहुँचाना	25.00	-	-	-	1 (संस्थान)	1 (संस्थान)	वित्तीय वर्ष
58.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1856 का क्रियान्वयन	अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	302.50	-	134 (परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी)	-	-	-	वित्तीय वर्ष
59.	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बीमारी तथा प्राथमिकी पुत्रीयों की शादी हेतु आर्थिक सहायता	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों को उनकी पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	2000.00	-	3350 (पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी)	3600 (पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी)	4000 (पुत्रियों)	4000 (पुत्रियों)	वित्तीय वर्ष
60.	अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अभ्यासगत छात्रों को छात्रवृत्ति	दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	2500.00	-	-	-	15000 (छात्र / छात्रा)	15000 (छात्र / छात्रा)	शैक्षणिक वर्ष
61.	अनुसूचित जाति के विकास की योजना (100 प्रतिशत केंद्रसह)	अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।	12002.50	-	52905 छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता का मुमाना किया	64546 छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता	102000 (छात्र / छात्रा)	102000 (छात्र / छात्रा)	शैक्षणिक वर्ष

(धनराशि रु.लाख में)

विभाग का नाम- समाज कल्याण ।

(धनराशि रु. लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / खर्च		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की समाप्ति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			साख्त	पूर्णागत					
62.	औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन	अनुसूचित जाति के छात्रों को व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण देकर संचालन के अंतर उपलब्ध कराना	360.33	-	280 छात्रों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया	309 छात्रों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है	576 (छात्र)	576 (छात्र)	शैक्षणिक सत्र
63.	आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन	अनुसूचित जाति के निर्धन गरीब परिवारों के बालकों को नि:शुल्क आवासीय, भोजन एवं वस्त्र आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।	672.78	-	314 छात्रों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की गयी	333 छात्रों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है	620 (छात्र)	620 (छात्र)	शैक्षणिक सत्र
64.	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व प्रशिक्षण योजना	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु नि:शुल्क कोचिंग प्रदान करना	550.06	-	85 (छात्र / छात्राओं को नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की गयी)	236 (छात्र / छात्राओं को नि:शुल्क कोचिंग की प्रदान की जा रही है)	300 (छात्र / छात्रा)	300 (छात्र / छात्रा)	शैक्षणिक सत्र
65.	अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास	अनुसूचित जाति के छात्रों को नि: शुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।	473.29	-	507 छात्रों को नि:शुल्क आवास एवं भोजन उपलब्ध करवाया गया	513 छात्रों को नि:शुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है	696 (छात्र)	696 (छात्र)	शैक्षणिक सत्र
66.	अनुसूचित जाति कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के छात्रों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित करना	2500.00	-	115559 छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया	111228 छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान	320000 (छात्र / छात्रा)	320000 (छात्र / छात्रा)	शैक्षणिक सत्र

विभाग का नाम- समाज कल्याण ।

(धनराशि रू.लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट है / बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की समाप्ति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूजीगत					
67.	अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना	अनुसूचित जाति के छात्रों अर्थी वेर्टन की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना	245.25	-	134 (छात्र)	128 (छात्र)	175 (छात्र)	175 (छात्र)	शैक्षणिक सत्र
68.	पुराकालिया, पाटशालाओं का सुधार एवं विस्तार	सैद्धिक सस्थायों जिनके द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षित किया जा रहा है को अनुदान देकर लाभान्वित कराना	123.50	-	14 विभाग द्वारा आर्वातक अनुदान पर संचालित विद्यालयों को अनुदान दिया गया	14 (संस्थायें)	14 (संस्थायें)	14 (संस्थायें)	शैक्षणिक सत्र
69.	अनुसूचित जाति /जनजाति कल्याणार्थ संचालित यौवनार्थ, शोध प्रसार	अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित यौवनार्थों का प्रसार- प्रसार करना	20.00	-	-	2 सैमिनार 2 कार्यशाला	2 सैमिनार 2 कार्यशाला	2 सैमिनार 2 कार्यशाला	वित्तीय वर्ष
70.	अनुसूचित जातियों के लिये अटल आवास योजना	अनुसूचित जाति के अवासहीन परिवारों को अवास उपलब्ध कराना।	400.00	-	413 परिवारों को आवास बनाने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी	500 परिवारों को आवास बनाने हेतु आर्थिक सहायता दी जायेगी	1400 (परिवार)	1400 (परिवार)	वित्तीय वर्ष
71.	अनुसूचित जाति की सघटक योजना के लिये विशेष केंद्रीय सहायता (100 प्रतिशत केंद्रगत)	अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को स्वतः रोजगार के लिये कम ब्याज दर पर ऋण एवं निश्चित सव्धी देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	160.00	-	1245 व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता दी गयी	749 व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता	1371 (व्यक्ति)	1371 (व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष

विभाग का नाम-समाज कल्याण।

(धनराशि रु.लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की संगठित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट्स) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट्स) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			शानख	पूर्वजागत					
72.	अनुसूचित जाति स्तरांगार अशफुली	अनुसूचित जाति विकास निगम हेतु प्राधिकृत अशफुली को पुरा करना	-	30.00	1246 व्यक्तियों को स्तरांगार हेतु मर्जिन मनी के रूप में ऋण उपलब्ध कराया	749 व्यक्तियों को स्तरांगार मर्जिन मनी के रूप में ऋण	1371 (व्यक्ति)	1371 (व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
73.	श्री. जगजीवन शशिका छात्रावास (100 प्रतिशत के0स0)	अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जिला मुख्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आये छात्रावासों को निशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।	-	318.50	-	2 (निर्माण कार्य)	4 (निर्माण कार्य)	4 (निर्माण कार्य)	एक वर्ष
74.	अनुसूचित छात्रावास निर्माण	अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करने हेतु छात्रावास का निर्माण	-	321.75	-	-	4 (निर्माण कार्य)	4 (निर्माण कार्य)	वित्तीय वर्ष
75.	अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं हेतु प्रत्येक जनपद में आवासीय विधालय का निर्माण	अनुसूचित जाति के बालकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना	-	300.00	-	1 (निर्माण कार्य)	1 (निर्माण कार्य)	1 (निर्माण कार्य)	एक वर्ष
76.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय श्रीनगर गढ़वाल का भवन निर्माण	आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बालकों को निशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भवन का निर्माण कराना	-	152.94	1 (निर्माण कार्य)	1 (निर्माण कार्य)	1 (निर्माण कार्य)	1 (निर्माण कार्य)	एक वर्ष
77.	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना	-	2200.00	232 निर्माण कार्य हेतु धनराशि अत्युक्त की गयी	250 (निर्माण कार्य)	250 (निर्माण कार्य)	250 (निर्माण कार्य)	वित्तीय वर्ष

विभाग का नाम- समाज कल्याण।

(घनराशि रु.लाख में)

क्र.सं	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की समाप्ति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूजीगत					
78	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (श्री0एम0ए0जी0वाई0)	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना-नर्मल भारत सरकार द्वारा पयानित ग्रामों को बुनियादी सुविधाये उपलब्ध कराना।	234.00	-	-	194 (ग्राम)	194 (ग्राम)	194 (ग्राम)	वित्तीय वर्ष

विभाग का नाम- समाज कल्याण।

सतत विकास लक्ष्य हेतु प्राकृत

(घनराशि रु.लाख में)

क्र.सं	SDG संकेतक	1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-3-2020 की समाप्ति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक) 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
1.	1.3.7(s)-(b) दिव्यांग पेशन के लाभार्थियों की संख्या	76357 (दिव्यांग पेशनर)	78000 (दिव्यांग पेशनर)	78750 (दिव्यांग पेशनर)	78750 (दिव्यांग पेशनर)
2.	1.3.7(s)-(c) दिव्यांग पेशन के लाभार्थियों की संख्या	158949 (विधवा पेशनर)	167500 (विधवा पेशनर)	171500 (विधवा पेशनर)	171500 (विधवा पेशनर)

आउटकम बजट / परफॉरमेंस बजट (Outcome Budget/Performance Budget) 2020-21

विभाग का नाम—सहकारिता विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0-2,1 एवं 15

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना/म द का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/बजट		1-4-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति) (2018-19)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भैतिकस्थिति)(2019-20)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेट) आउटकम	सम य सीम T
			राजस्व	पूँजीगत					
1	निदेशन तथा प्रशासन-03	अधिष्ठान व्यवस्था	3434.50	—	विभाग में स्वीकृत 702 पदों के सापेक्ष कार्यरत 438 विभागीय अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन आदि में रू0 3493.96 लाख व्यय किये गये।	विभाग में स्वीकृत 702 पदों के सापेक्ष कार्यरत 454 विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन आदि में रू0 3857.67लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	विभाग में स्वीकृत 702 पदों के सापेक्ष कार्यरत 454 विभागीय अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान व कार्यालय सम्बन्धी समस्त अनुमन्य व्ययों का भुगतान करना इस मद हेतु रू0 3434.50 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।	विभागीय कार्यों एवं योजनाओं के सफल संचालन के फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं के कार्यकलापों से राज्य की जनता/कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में विशेष सुधार आयेगा।	वार्षिक
2	निदेशन तथा प्रशासन-05	अधिष्ठान व्यवस्था	90.89	—	सहकारी न्यायाधिकरण में न्यायाधीश, सदस्यों तथा न्यायाधिकरण के अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि रू0 90.89 लाख व्य किये गये।	सहकारी न्यायाधिकरण में न्यायाधीश, सदस्यों तथा न्यायाधिकरण के अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि पर रू0 105.50 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	सहकारी न्यायाधिकरण में न्यायाधीश, सदस्यों तथा न्यायाधिकरण के अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि एवं अन्य सभी अनुमन्य कार्यालय सम्बन्धी व्यय रू0 90.89 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।	सहकारी न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम 2003 के अनुसार गठित सहकारिता विभाग के आदेशों एवं निर्णयों के क्रम में प्राप्त अपीलों की सुनवाई से अपीलार्थियों को सुलभ न्याय प्राप्त होगा।	वार्षिक
3	निदेशन तथा प्रशासन-06	अधिष्ठान व्यवस्था	65.25	—	सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में शासन द्वारा नामित सदस्यों एवं कार्यालय कर्मचारियों के वेतन/ कार्यालय सम्बन्धी समस्त अनुमन्य में रू0 65.25 लाख व्ययकिये गये।	सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में शासन द्वारा नामित सदस्यों एवं कार्यालय कर्मचारियों के वेतन/ कार्यालय सम्बन्धी समस्त अनुमन्य आदि पर रू0 92.50 व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में शासन द्वारा नामित सदस्यों एवं कार्यालय कर्मचारियों के वेतन/ कार्यालय सम्बन्धी समस्त अनुमन्य व्ययों हेतु रू0 65.25 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।	भारत का संविधान 97वें संशोधन के अनुसार गठित निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा राज्य में निर्वाचन योग्य सहकारी संस्थाओं के नियमित निर्वाचन के फलस्वरूप संस्थाओं में प्रजातान्त्रिक प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन किया जायेगा।	
राज्य योजना:-									

1	सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान	विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना	12.00	—	विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विभाग के क्रियाकलापों में दक्षता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये गये जिस पर रू0 5.95 लाख व्यय किये गये।	विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विभाग के क्रियाकलापों में दक्षता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। उक्त प्रशिक्षण में रू0 10.00 लाख व्यय किये जाने प्रस्तावित है।	विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विभाग के क्रियाकलापों में दक्षता प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 2000 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। इस मद हेतु रू0 12.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।	प्रशिक्षित विभागीय कर्मचारियों द्वारा विभागीय कार्य एवं नीतियों के परिपालन में तत्परता एवं पारदर्शिता आयेगी। संस्थाओं के नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण से संस्थाओं की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी जिसका स्पष्ट लाभ जनता को मिलेगा।	वार्षिक
2	पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक पर राज सहायता	उर्वरक आपूर्ति हेतु परिवहन अनुदान	125.00	—	प्रदेश के कृषकों को कम दर पर उर्वरक पर परिवहन अनुदान उपलब्ध कराया गया जिस पर रू0 80.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी।	राज्य के कृषकों को 205300 मैटन उर्वरक पर राज सहायता हेतु रू0 125.00 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	प्रदेश के कृषकों को कम दर पर 190000 मैटन उर्वरक पर परिवहन अनुदान उपलब्ध कराया जाना है। इस मद हेतु रू0 125.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।	उत्तराखण्ड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में समान दर पर उर्वरक विक्रय हेतु समिति बिक्री केन्द्रों तक उर्वरक आपूर्ति के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति के पश्चात प्रदेश के लगभग 210000 कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।	वार्षिक
3	मिनी बैंक निक्षेप गारन्टी योजना (कारपस फण्ड)	मिनी बैंकों/ग्रामीण बचत केन्द्रों को हानि की प्रतिपूर्ति करना	40.00	—	प्रदेश के ग्रामीण बचत केन्द्रों में कुल जमाओं की गारन्टी हेतु रू0 10 लाख की धनराशि व्यय की गयी।	वित्तीय वर्ष में धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।	प्रदेश के ग्रामीण बचत केन्द्रों में 111502 लाख रू0 की कुल जमाओं की गारन्टी हेतु 40.00 लाख रू0 दिया जाना प्रस्तावित है।	शासनादेश के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ग्रामीण बचत केन्द्रों में जमा निक्षेपों की गारन्टी हेतु फण्ड उपलब्ध कराने से केन्द्रों में बचत जमा करने हेतु जनता की धनराशि की सुरक्षा रहेगी।	वार्षिक
4	दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए	2700.00		कृषकों एवं स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सुविधा प्रदान करते हुए उनकी कृषि उत्पादन आय को दोगुनी कर लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से "दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना" के अन्तर्गत रू0 1659.97 लाख की धनराशि ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु व्यय की गयी।	राज्य के कृषकों एवं स्वयं सहायता समूहों को रू0 82270.00 लाख ब्याज रहित ऋण वितरित किया जाना प्रस्तावित है। इस मद हेतु रू0 5000.00 लाख ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	क कृषकों को आर्थिक सुविधा प्रदान करते हुए उनकी कृषि उत्पादन आय को दोगुनी कर लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से "दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना" के अन्तर्गत रू0 1.00 लाख तक त्र्यकालीन/मध्यकालीन एवं रू0 5.00 लाख तक का स्वयं सहायकता समूहों को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकार द्वारा ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 27.00	"दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना" के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों को रू0 1.00 लाख तक का अल्पकालीन/मध्यकालीन ऋण ब्याज रहित उपलब्ध कराये जाने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।	वार्षिक

							करोड़ की धनराशि 'प्रस्तावित है।		
5	राज्य सहकारी परिषद के संचालन हेतु	परिषद का मुख्य उद्देश्य सहकारिता की समीक्षा करना एवं सहकारी समितियों की क्रिया कलापों में समन्वय स्थापित करना	25.00	—	सहकारी विकास की नई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहकारी मेले/सहकारी गोष्ठियां एवं प्रकाशन आदि से सहकारिता का प्रचार प्रसार हेतु रू0 25.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी।	इस मद हेतु रू0 25.00 लाख की धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है।	सहकारी विकास की नई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहकारी मेले/सहकारी गोष्ठियां एवं प्रकाशन आदि से सहकारिता का प्रचार प्रसार किया जायेगा, जिससे कृषकों एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को मेलों एवं प्रदर्शनी के माध्यम से स्थानीय उपजों का बाजार उपलब्ध कराया जायेगा। इस मद हेतु रू0 25.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।	उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 के अन्तर्गत गठित परिषद द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता द्वारा रोजगार परक पहल में स्थानीय स्तर पर सहकारी मेले एवं सहकारी प्रदर्शनियां आयोजित करने से स्थानीय उपज की बिक्री हेतु सामूहिक बाजार उपलब्ध कराने पर क्षेत्रवासियों को परिवहन पर बचत एवं अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा।	वार्षिक
6	सहकारी संस्थागत सेवामण्डल हेतु राज सहकारिता	संस्थागत सेवामण्डल के कार्यों का सफल संचालन	40.00	—	राज्य में कार्यरत 10 जिला सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक के स्टाफ की नियुक्ति, पदोन्नति व अन्य अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों के संचालन हेतु रू0 7.50 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।	इस मद हेतु रू0 30.00 लाख की धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है।	राज्य में कार्यरत 10 जिला सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक के स्टाफ की नियुक्ति, पदोन्नति व अन्य अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों के संचालन हेतु कर्मचारियों के वेतन भत्तों व अन्य कार्यालय सम्बन्धी व्ययों के भुगतान हेतु रू0 40.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।	संस्थागत सेवामण्डल का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित होने पर जिला सहकारी बैंक कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों का समय से निस्तारण किया जायेगा। जिससे जिला सहकारी बैंकों का सुचारु रूप से संचालन किया जा सकेगा।	स्था यी
7	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	सहकारी समितियों के आधारभूत ढाँचे का विकास करना ही एकीकृत सहकारी विकास परियोजना का उद्देश्य है।	—	—	न0सी0डी0सी0 के माध्यम से संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना से विभिन्न सहकारी समितियों के आधारभूत ढाँचे का विकास किया गया वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तरकाशी जनपद को परियोजनानुसार निर्धारित 138.07 लाख रू0 अनुदान एवं रू0 314.90 लाख की धनराशि पूँजीगत में व्यय की गयी धनराशि में से(ऋण तथा अंशपूँजी सहित) अन्तिम किफ्त	इस योजना हेतु ऋण मद में 0.01 लाख टोकन मनी प्राविधानित की गयी है। (योजना समाप्त)	योजना समाप्त	योजना समाप्त	

					के रूप में धनराशि आबंटित की गयी।				
8	राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना	उत्तराखण्ड के कृषकों एवं सहकारी सदस्यों को सहकारी समितियों के साथ जोड़ने एवं उनकी गतिविधियों में शामिल होने	—	10000.00	वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना संचालित नहीं थी।	इस योजनान्तर्गत ऋण के रूप में ₹0 100.00 करोड़ धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है।	इस कार्यक्रम को आईसीडीपी योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से वित्त पोषण में सहायता मिलेगी, जहां प्राविधानित निधि का 80 प्रतिशत ऋण एवं 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगा। उत्तराखण्ड राज्य के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के द्वारा प्रदेश के कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु एनसीडीसी द्वारा यह कार्यक्रम उत्तराखण्ड के कृषकों एवं सहकारी सदस्यों को सहकारी समितियों के साथ जोड़ने एवं उनकी गतिविधियों में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा।	उत्तराखण्ड राज्य के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के द्वारा प्रदेश के कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु एनसीडीसी द्वारा यह कार्यक्रम उत्तराखण्ड के कृषकों एवं सहकारी सदस्यों को सहकारी समितियों के साथ जोड़ने एवं उनकी गतिविधियों में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा।	
9	वैद्यनाथन कमेटी	वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियां लागू करने हेतु टोकन मनी	0.01	—	ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के पुर्नउद्धार के लिए भारत सरकार द्वारा वैद्यनाथन कमेटी का गठन किया गया है। जिस हेतु टोकन मनी रखी गयी	ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के पुर्नउद्धार के लिए भारत सरकार द्वारा वैद्यनाथन कमेटी का गठन किया गया है। जिस हेतु टोकन मनी रखी गयी	ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के पुर्नउद्धार के लिए भारत सरकार द्वारा वैद्यनाथन कमेटी का गठन किया गया है।	उक्त कमेटी की संस्तुतियां उत्तराखण्ड में लागू करने के सम्बन्ध में प्शासन एवं भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।	टोकन स्वरूप

10	बाढ/अतिवृष्टि के कारण ब्याज पर राज सहायता	राज्य में वर्ष 2013-14 में विनाशकारी बाढ/अतिवृष्टि से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति	0.01	-	राज्य में वर्ष 2013-14 में विनाशकारी बाढ/अतिवृष्टि से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की गयी जिस हेतु टोकन मनी के रूप में प्राविधान किया गया है।	बाढ/अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों के ऋण खातों में देय ब्याज समायोजन करने हेतु इस मद में टोकन मनी के रूप में रू0 0.01 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।	बाढ/अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों के ऋण खातों में देय ब्याज समायोजन करने हेतु इस मद में टोकन मनी के रूप में रू0 0.01 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।	बाढ/अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों के ऋण खातों में देय ब्याज समायोजन करने हेतु इस मद में टोकन मनी के रूप में रू0 0.01 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।	टोकन रूप
नई मांग:-									
1	राज्य की एमपैक्स के कम्प्यूटराईजेशन हेतु	जनहित एवं शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु	1000.00		0	0	पैक्स कम्प्यूटराईजेशन की महत्ता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्यों की पैक्सों के कम्प्यूटराईजेशन हेतु सचिव, वित्त द्वारा एमपैक्स कम्प्यूटराईजेशन पर होने वाले कुल व्यय का 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन करने की सहमति प्रदान की गयी।	प्रदेश के एम-पैक्स की आवश्यकताओं, चुनौतियों, भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उनमें सूचना प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग कर सुगम संचालन तथा पारदर्शिता स्थापित करने के लिये	वार्षिक
2	राज्य समेकित विकास परियोजना I के संचालन हेतु	कृषकों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से महत्वकांशी कार्यक्रम हेतु	200.00		0	0	भारत सरकार के "संकल्प से सिद्धी" परिकल्पना की दृष्टि से, सहकारी समितियों के सुदृढीकरण एवं पूर्ण सुधारात्मक उपायों के माध्यम से महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हेतु मुख्य परियोजना निदेशक कार्यक्रम निदेशालय समेकित सहकारी विकास परियोजना के कार्यालय संचालन हेतु रू0 2.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावितकी गयी है।	सहकारी समितियों के सुदृढीकरण एवं पूर्ण सुधारात्मक उपायों के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हेतु मुख्य परियोजना निदेशक कार्यक्रम निदेशालय समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु परियोजना निदेशालय के प्रशासनिक व्यय एवं कार्य संचालन हेतु	वार्षिक
2020-21 हेतु नई मांग का योग-			7732.67	10000.00					

आउटकम / परफॉरमेंस बजट 2020-21

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले / बजट		31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट/आउटकम) वर्ष 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूजीगत			
1.	देशीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन	योजना में स्वतंत्र सरकारी नेटवर्क स्थापित कर इसके माध्यम से G2C एवं G2G सेवाएँ उपलब्ध कराई जायेगी।	1200.00	400.00	<ul style="list-style-type: none"> बैंडविधु अपग्रेडेशन लाइसी / ब्लॉक- 10Mbps/35 MBPS - all 119 sites तकनीकी मानव संसाधन तैनात- 197 फाइट ऑफ प्रिजिन्स केन्द्र संचालन- 133 हरिजॉन्टल कनेक्टिविटी स्थापित-1400 	<ul style="list-style-type: none"> बैंडविधु अपग्रेडेशन / वैकल्पिक बैंडविधु का प्रावधान तकनीकी मानव संसाधन तैनात- 217 फाइट ऑफ प्रिजिन्स केन्द्र संचालन- 133 हरिजॉन्टल कनेक्टिविटी स्थापित -2000 रेडियो फ्रीक्वेंसी सेटअप -समस्त स्वान केन्द्रों में नेटवर्क का अपग्रेडेशन -समस्त जनपदों के स्वान केन्द्रों में 	एक वर्ष
					<ul style="list-style-type: none"> बैंडविधु अपग्रेडेशन लाइसी / ब्लॉक- 10Mbps/35 MBPS - all sites तकनीकी मानव संसाधन- 217 फाइट ऑफ प्रिजिन्स केन्द्र संचालन- 133 हरिजॉन्टल कनेक्टिविटी स्थापित-1550 रेडियो फ्रीक्वेंसी सेटअप - 23 स्वान पोप, लगभग 55-पुलिस एवं परिवहन कार्यालय नेटवर्क का अपग्रेडेशन -राज्य मुख्यालय एवं 5 जनपदों में पूर्ण 	<ul style="list-style-type: none"> स्वान के अन्तर्गत कनेक्टिविटी राजकीय विभागों/ कार्यालयों/ इकाईयों के ई-शासन कार्य प्रणाली तथा कार्य सम्पादन में वृद्धि। 	

क्र. सं.	संयोजना का नाम	संयोजना के उद्देश्य	आउटले / बजट	01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	समय सीमा
2.	राज्य में संयोजना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण	राज्य में विभिन्न संयोजनाओं के क्रियान्वयन तथा संयोजना प्रौद्योगिकी पडल से राज्य में आईटीओ का सुदृढीकरण।	720.00 0.00	<ul style="list-style-type: none"> आई.टी.डी.ए. का संयोजन ड्रोन रिसर्च सेंटर की संयोजना तथा 25 राजकीय पोलिटेक्निक विद्यालयों तथा 21 विभागीय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान। ड्रोन फेरिटवल का आयोजन 	<ul style="list-style-type: none"> आई.टी.डी.ए. का संयोजन ड्रोन रिसर्च सेंटर के अन्तर्गत लगभग 200 सरकारी अधिकारियों/कर्मियों एवं पोलिटेक्निक विद्यालयों को ड्रोन एक्सीकी का प्रशिक्षण ड्रोन फेरिटवल 2.0 का आयोजन 	<ul style="list-style-type: none"> आई.टी.डी.ए. का संयोजन ड्रोन रिसर्च सेंटर का संयोजन तथा क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। ड्रोन फेरिटवल एवं कार्यशालाओं का आयोजन ड्रोन इन्वीशेन लेव रीयार कर अनुसंधान कार्य किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग की सम्भावनाएँ तलाश कर क्रियान्वयन किया जाना। 	<ul style="list-style-type: none"> राज्य में समस्त संयोजना प्रौद्योगिकी तथा ई-गवर्नेन्स संयोजना का संयोजन कर ई-गवर्नेन्स/गुड गवर्नेन्स तथा नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएँ प्रदान करना। 	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले / बजट	01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्पादित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट/आउटपुट) वर्ष 2020-21	समय सीमा
3	राज्य की आईटी/आईटीओ पॉलिसी के प्रतिपूर्ति / अनुदान	आईटी पॉलिसी 2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत सूप्रॉगो तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित किये जाने के लिए रियायत / अनुदान।	50.00		आई.टी. पॉलिसी 2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत सूप्रॉगो तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित किये जाने के लिए अनुदान	सूप्रॉगो तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित कर राज्य में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जायेगा।	एक वर्ष
4.	नेशनल ई-गवर्नेन्स योजना	एन.ई.जी.पी. के अन्तर्गत कॉमन सर्विस सेन्ट्रों की स्थापना, ई-डिस्ट्रिक्ट का क्रियान्वयन एवं राज्य में क्षमता विकास क्रियान्वयन	200.00	<ul style="list-style-type: none"> ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का क्रियान्वयन समस्त जनपदों में तथा 32 सेवायें प्रदान। ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 हेतु एनओआईटीओ के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित। ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के अन्तर्गत तकनीकी मानक संसाधन आवद्ध किये जाने हेतु प्रक्रिया आरम्भ। क्षमता विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। 	<ul style="list-style-type: none"> ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के अन्तर्गत समस्त जनपदों में तथा सेवा के अधिकार अधिनियम में विनिश्चि 217 सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराना। क्षमता विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। 	<ul style="list-style-type: none"> ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से नगरिकों को विभागीय सेवायें इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराकर ई-शासन प्रणाली में तीव्रता। 	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले / बजट	01.04.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2020 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	समय सीमा
5	राज्य के प्रमुख सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में वाई-फाई	राज्य प्रमुख कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों, ट्रेक स्टॉप को वाई-फाई से आस्थापित किया जाना।	100.00	-	<ul style="list-style-type: none"> राजभावन में वाई-फाई की स्थापना हेतु प्रक्रिया आरम्भ। 	<ul style="list-style-type: none"> राजभावन, सचिवालय तथा विधान सभा में वाई-फाई सुविधा स्थापित। 	<p>राजकीय कार्यों सुगमता तथा राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार।</p>	एक वर्ष

विभाग का नाम- सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

अनुदान संख्या : 14 सूचना

विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी. -

आउटकम / परफॉरमेंस बजट 2020-21

(धनराशि हजार रु. में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट		14.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की समाप्ति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टर्ड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टर्ड) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
अ.	राज्य सेक्टर	राजस्व लेखा शीर्षक- 2220-सूचना तथा प्रचार							
1	01-फिल्म								
(1)	105-फिल्मों का निर्माण-03-अधिष्ठान	राज्य सरकार की विकास कार्यों का प्रसार-प्रसार	62061	-	01-अधिष्ठान 08 कार्मिक	01-अधिष्ठान 06 कार्मिक फिल्म निर्माण-50	<ul style="list-style-type: none"> अधिष्ठान व्यय- 12 कार्मिक डॉक्ट्रिनरी / न्यून मैजिन / लघु विज्ञापन फिल्मों का निर्माण / वीडियो कवरेज- लगभग 70 एचडी वीडियो कैमरा की व्यवस्था-02 फिल्म विकास परिषद का संचालन-01 फिल्म विकास निधि की स्थापना-01 फिल्म कान्चलेव का आयोजन-02 राज्य में शूट फिल्मों को अनुदान-05 	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का जन-सामान्य तक प्रचार-प्रसार 	01 वर्ष
(2)	105-फिल्मों का निर्माण-06-फिल्म परिषद की स्थापना	पर्यटन विकास एवं सौजन्य के नये अवसरों के सृजन हेतु राज्य में फिल्मोद्योग का विकास	60000	-	-	फिल्मों को अनुदान-05	<ul style="list-style-type: none"> फिल्म विकास परिषद का संचालन-01 फिल्म विकास निधि की स्थापना-01 फिल्म कान्चलेव का आयोजन-02 राज्य में शूट फिल्मों को अनुदान-05 	<ul style="list-style-type: none"> उत्तराखण्ड में फिल्मोद्योग का विकास एवं फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन 	01 वर्ष
(1)	60-अन्य								
(1)	001-निर्देशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान	शासकीय प्रचार-प्रसार से संबंधित विभागीय कार्यों का निर्देशन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण	90256	-	01-अधिष्ठान 61 कार्मिक	01-अधिष्ठान 62 कार्मिक निशुल्क यात्रा सुविधा-800 प्रेस वार्ता-24	<ul style="list-style-type: none"> निदेशालय का अधिष्ठान -112 कार्मिक पत्रकारों को परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा-लगभग 800 प्रेस वार्ताओं / प्रेस समेलनों का आयोजन - लगभग 24 	<ul style="list-style-type: none"> विभागीय कार्यों का प्रभावी निर्देशन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण शासकीय कार्यक्रमों की प्रेस कवरेज तथा प्रेस वार्ताओं, प्रेस-टूर आदि के माध्यम से शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार 	01 वर्ष
(2)	104-विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार-05-अधिष्ठान	शासन की नीतियों, उपलब्धियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार	655931	-	01-अधिष्ठान 08 कार्मिक	01-अधिष्ठान 08 कार्मिक	<ul style="list-style-type: none"> अधिष्ठान व्यय- 17 कार्मिक शासन की नीतियों, उपलब्धियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में विज्ञापन प्रकाशन / प्रसारण तथा आउटडोर गतिविधियों का आयोजन 	<ul style="list-style-type: none"> प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा आउटडोर पब्लिसिटी के माध्यम से शासकीय सूचनाओं, कल्याण योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार 	01 वर्ष

644

53/50

8-2-2020

(3)	102-सूचना केन्द्र का -03-सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	जनोपयोगी सूचनाओं एवं संदर्भों की उपलब्धता शासकीय प्रचार-प्रसार	7172	-	15-सूचना केन्द्र 06 कार्मिक	15-सूचना केन्द्र 06 कार्मिक	• जिलों में स्थापित 17 सूचना केन्द्रों तथा राष्ट्रीय राजधानी में स्थापित मीडिया से समन्वय हेतु राज्य सूचना केन्द्र नई दिल्ली का अधिष्ठान व्यय -21 कार्मिक	• जिलों में स्थापित 17 सूचना केन्द्रों के माध्यम से जनोपयोगी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार • उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र नई दिल्ली के माध्यम से राज्य के विकास कार्यों एवं महत्वपूर्ण शासकीय गतिविधियों का राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार	01 वर्ष
(4)	102-सूचना केन्द्र -04-हल्द्वानी मीडिया सेंटर	कुमाऊं क्षेत्र के मीडिया से समन्वय कर शासकीय प्रचार-प्रसार	2628	-	01-अधिष्ठान 04 कार्मिक	01-अधिष्ठान 04 कार्मिक	• हल्द्वानी मीडिया सेंटर का अधिष्ठान व्यय-04 कार्मिक	• हल्द्वानी मीडिया सेंटर के माध्यम से शासकीय प्रचार-प्रसार कार्यों हेतु कुमाऊं क्षेत्र के मीडिया से समन्वय	01 वर्ष
(5)	103-प्रेस सूचना सेवार्थे -04-पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना	पत्रकारों एवं उनके आश्रितों की सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था	5000	-	-	पेशान-08 चिनीय सहायता-12	• पत्रकार आश्रित को पेशान-01 • वयोवृद्ध पत्रकारों को पेशान-20 • आपदाग्रस्त पत्रकारों/दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को सहायता-लगभग 10	• वयोवृद्ध आपदाग्रस्त एवं दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों की सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा	01 वर्ष
(6)	106-क्षेत्र प्रचार -03-अधिष्ठान	जिला स्तर पर शासकीय प्रचार-प्रसार हेतु जिला सूचना कार्यालयों का संचालन	42558	-	01-अधिष्ठान 45 कार्मिक	01-अधिष्ठान 45 कार्मिक	• जिला सूचना कार्यालयों का अधिष्ठान व्यय-91 कार्मिक	• जिला सूचना कार्यालयों के द्वारा शासन की नीतियों, उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार	01 वर्ष
(7)	107-गीत एवं नाट्य सेवार्थे -02-गीत तथा नाट्य योजना	शासन की योजनाओं व उपलब्धियों का गीत-नाट्य विधाओं के माध्यम से प्रचार-प्रसार	2300	-	-	600 कार्यक्रम	• विभाग में पंजीकृत 185 सांस्कृतिक दलों के माध्यम से राज्य के विभिन्न स्थानों पर गीत-नाट्य कार्यक्रमों का आयोजन-600 कार्यक्रम	• दूरस्थ क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार	01 वर्ष
(8)	109-फोटो सेवार्थे -03-अधिष्ठान	शासकीय प्रचार-प्रसार हेतु रिस्टल फोटो कवरेज की व्यवस्था	6093	-	01-अधिष्ठान 06 कार्मिक	01-अधिष्ठान 08 कार्मिक	• फोटो कवरेज से संबंधित अधिष्ठान का व्यय-12 कार्मिक	• महत्वपूर्ण शासकीय कार्यक्रमों, विकास कार्यों की रिस्टल फोटो कवरेज कर प्रचार-प्रसार एवं संचर्न हेतु फोटो बैंक का संवर्द्धन	01 वर्ष
(9)	110-प्रकाशन -03-अधिष्ठान	शासन की नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों का प्रकाशनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार	46943	-	01-अधिष्ठान 05 कार्मिक	01-अधिष्ठान 05 कार्मिक प्रकाशन-06	• प्रकाशन अधिष्ठान व्यय-16कार्मिक • शासन की योजनाओं, उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न प्रकाशनों का शुद्धन एवं जन-समान्य में वितरण-10 प्रकाशन	• विकास पुस्तिकाओं, फोल्डर्स आदि प्रकाशनों के माध्यम से विकास कार्यों, शासन की नीतियों, उपलब्धियों का जन-सामान्य तक प्रचार-प्रसार	01 वर्ष

(10)	800-अन्य व्यय -03-स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस समारोहों का आयोजन	स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस समारोहों का आयोजन	100000	-	-	06 समारोह	स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, आदि विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों पर कार्यक्रमों का आयोजन	राष्ट्रीय पर्वों पर समारोहों का आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली में राज्य की झोंकी का आयोजन	01 वर्ष
(11)	800-अन्य व्यय -06-श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था	60000	-	-	150	राज्य के पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति- लगभग 200	श्रमजीवी पत्रकारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की अनुमत्या एवं चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति	01 वर्ष
(12)	800-अन्य व्यय -07-प्रदेश में मीडिया सलाहकार समिति का गठन	मीडिया से संबंधित परामर्श हेतु अनुभवदी विशेषज्ञ परामर्श की सेवाओं का उपयोग	60000	-	-	01-सलाहकार	मा. मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार-01 मीडिया समन्वयक को अनुमत्य सुविधाओं / वाहन का व्यय-01 मीडिया सलाहकार समिति गठन-01	मीडिया सलाहकार समिति के परामर्श से मीडिया में बेहतर समन्वय एवं शासकीय प्रचार-प्रसार की गतिविधियों का संचालन	01 वर्ष
ब.	राज्य सेक्टर पूँजीगत लेखा शीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन 051-निर्माण	मीडिया कर्मियों की सुविधा हेतु प्रेस क्लबों की स्थापना एवं अनुरक्षण	100000	-	-	01	प्रेस क्लब भवनों का निर्माण-01 भवन	प्रचार-प्रसार के महत्वपूर्ण उपदान मीडिया कर्मियों की सुविधा हेतु देहरादून में प्रेस क्लब भवन की व्यवस्था	01 वर्ष
	योग अनुदान संख्या-14 लेखाशीर्षक-4059		-	100000					
	सम्पूर्ण योग अनुदान संख्या-14		1002942	100000					

आउटकम / परफॉर्मन्स बजट 2020-21

विभाग का नाम-- सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी.-.....

अनुदान संख्या : 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट		1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की समाप्त स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टर्ड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टर्ड) आउटकम 2020-21	धनराशि हजार रु. में
			राजस्व	पूँजीगत					
(1)	राज्य सेंक्टर राजस्व लेखा शीर्षक-2220-सूचना तथा प्रचार-60-अन्य-107-गीत तथा नाट्य सेवायें-02-गीत नाट्य योजना	अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों व उपलब्धियों का अनुवृत्ति जाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार	35000	-	-	50 दल 440 कार्यक्रम	अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित शासन के कार्यक्रमों व उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार हेतु विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के माध्यम से 486 कार्यक्रमों का आयोजन	अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों / योजनाओं के प्रति जन-जागरूकता	01

अनुदान संख्या : 31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले / बजट		1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की समाप्त स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टर्ड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टर्ड) आउटकम 2020-21	धनराशि हजार रु. में
			राजस्व	पूँजीगत					
(1)	राजस्व लेखा शीर्षक-2220-सूचना तथा प्रचार-60-अन्य-107-गीत एवं नाट्य सेवायें-02-गीत तथा नाट्य योजना	अनुसूचित जन जातियों के कल्याण से संबंधित शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों व उपलब्धियों का अनुवृत्ति जाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार	15000	-	-	10 दल 142 कार्यक्रम	अनुसूचित जन जातियों के कल्याण से संबंधित शासन के कार्यक्रमों व उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार हेतु विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के माध्यम से 208 कार्यक्रमों का आयोजन	अनुसूचित जन जातियों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों / योजनाओं के प्रति जन-जागरूकता	01

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

विभाग का नाम— सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड


क्र.सं.	SDG संकेतक	1.4.2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2020 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट 2020-21 भौतिक स्थिति	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
	(कोई संकेतक निर्धारित नहीं है)	-	-	-	-

आउटकम/परफोरमेंस बजट 2020-21

होनगार्ड्स विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एसओडीओजीO..... Goals 5 व 16.6
धनराशि (₹00 लाख में)

क्र. योजना का सं०	योजना के उद्देश्य नाम	आउट ले/बजट 2020-21		01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति) 2018-19	31-03-2020 की समाप्ति स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा
		राजस्व	पूंजीगत					
अनुदान सं०-06 State Sector Scheme 2070-00-आयोजनेतर-107-होनगार्ड्स								
1	03-सामान्य अतिथान स्कीम के अन्तर्गत होनगार्ड्स स्टाफ सेवकों के अतिथान सुगमता एवं मुख्यालय तथा अधीनस्थ जगमदीय कार्यालयों का रख रखाव।	10139.70	-	वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्ष भर 5000 होनगार्ड्स स्टाफ सेवकों को शांति व्यवस्था, यातायात, मेला, परीक्षा अन्य प्रतिष्ठान इच्छित तथा प्रदेश के अन्तर व प्रदेश के बाहर निर्वासन इच्छितों में तैनात किया गया।	वित्तीय वर्ष 2019-20 में एवं भर 5000 होनगार्ड्स स्टाफ सेवकों को शांति व्यवस्था, यातायात, मेला, परीक्षा अन्य प्रतिष्ठान इच्छित तथा प्रदेश के अन्तर व प्रदेश के बाहर निर्वासन इच्छितों में तैनात किये गये।	5000 होनगार्ड्स स्टाफ सेवकों के इच्छित गतों का मुनताम एवं अतिथान व्यय सम्मिलित है।	उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 5000 होनगार्ड्स स्टाफ सेवकों को शांति व्यवस्था, यातायात, मेला, परीक्षा, अन्य प्रतिष्ठानों में तैनात किया गया। उनके द्वारा मुनताम बत के साथ शांति व्यवस्था, यातायात एवं इच्छितों को जताती है।	01 वर्ष
2	09-होनगार्ड्स होनगार्ड्स स्टाफ सेवकों स कल्याण के कल्याण के लिटे कोष की शोभे बाला व्यय स्थापना सम्मिलित है।	60.00	-	वित्तीय वर्ष 2018-19 में 37 लाभार्थियों में सेवक/शुल्क होनगार्ड्स, नृतक होनगार्ड्स के अतिथान, इच्छित होनगार्ड्स तथा अ-इच्छित हेतु कुल धनराशि ₹0 40.84 लाख की धनराशि होनगार्ड्स कल्याण कोष से वितरित की गयी।	वित्तीय वर्ष 2019-20 में 19 लाभार्थियों में सेवक/शुल्क होनगार्ड्स, नृतक होनगार्ड्स के अतिथान तथा अ-इच्छित हेतु कुल धनराशि ₹0 22.10 लाख की धनराशि होनगार्ड्स कल्याण कोष से वितरित की गयी।	84% होनगार्ड्स के इच्छितों के वीरन सुगु, यातायात होने वीरन होने पर कल्याण कोष से एक निश्चित धनराशि होनगार्ड्स स्टाफ सेवकों को दी जाती है।	होनगार्ड्स स्टाफ सेवकों एवं उनके अतिथानों को लिटे कोष के अतिथानों पर इन कोष से सामाजिक सुखा प्रदान करने के लिटे अतिथान सहयोग दी जाती है।	01 वर्ष
3	10-होनगार्ड्स इच्छित होनगार्ड्स स बीमा हेतु स्टाफ सेवकों के बीमा प्रिनियम हेतु किये जाने वाला अदायगी व्यय सम्मिलित है।	50.00	-	वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 02 नृतक होनगार्ड्स के अतिथानों को बीमा कम्पनी द्वारा ₹0 15 लाख की धनराशि प्रदान की गयी।	वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 02 नृतक होनगार्ड्स के अतिथानों को बीमा कम्पनी द्वारा ₹0 20 लाख की धनराशि प्रदान की गयी।	इच्छित होनगार्ड्स कल्याण के लिटे कुशलता से नृतक अथवा अन्तरा होने पर बीमा धनराशि उनके अतिथानों को दी जाती है।	होनगार्ड्स स्टाफ सेवकों एवं उनके अतिथानों को अतिथान परिनियमों पर बीमा के रूप में सामाजिक सुखा प्रदान करते हुये बीमा की धनराशि प्रदान की जाती है।	01 वर्ष
4	11-सुम्न मेला सुम्न मेला में इच्छित होनगार्ड्स स्टाफ सेवकों हेतु किये जाने वाला व्यय सम्मिलित है।	19200.50	-	-	-	इस योजना के अन्तर्गत सुम्न मेला 2020-21 में आयोजन हेतु होनगार्ड्स स्टाफ सेवकों के इच्छित गतों का मुनताम एवं मेला कॅम्प के संवाहन हेतु धनराशि व्यय को जताती है।	सुम्न मेला 2020-21 में आयोजन हेतु होनगार्ड्स स्टाफ सेवकों द्वारा विभिन्न प्रकार की इच्छितों में वोजित किये जायेंगे, जो शांति तथा कानून व्यवस्था के साथ यातायात निवृत्तन में सहयोग करेंगे।	01 वर्ष


 12/3
 अध्यक्ष, होनगार्ड्स विभाग
 107, आर.एस. रोड, देहरादून
 उत्तराखण्ड

क्र. सं०	योजना का नाम	योजना के संक्षेप	आउट ले/बजट 2020-21	01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति) 2018-19	31-03-2020 की सम्पन्न स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2020-21	समय सीमा	
अनुदान सं०-08 State Sector Scheme लेखा शीर्षक-4098-60-051-निर्माण			राजस्व	पूँजीगत					
5	12-जिला होमगार्ड्स कार्यालयों, जिला प्रशिक्षण केंद्र, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय के अनावासीय मवनों का निर्माण	जिला प्रशिक्षण केंद्र, कश्मरसिंहनगर में डीमाल एवं बैंकिंग का निर्माण केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, धानौ, देहरादून में 100 बेड कबल डेकर, गैस हॉल, रोड का निर्माण	-	150.00	कुल आंगणित धनराशि 80 लाख रु० में से प्रथम किश्त रु० 36 लाख आंगणित धनराशि के समेत बाउन्ड्रीवाल एवं बैंकिंग का 40 प्रतिशत निर्माण। कुल आंगणित धनराशि 223.38 लाख रु० में से प्रथम किश्त रु० 180 लाख आंगणित धनराशि के समेत 100 बेड कबल डेकर, गैस हॉल, रोड का 80.58 प्रतिशत निर्माण।	द्वितीय किश्त रु० 36 लाख आंगणित धनराशि के समेत बाउन्ड्रीवाल एवं बैंकिंग का 40 प्रतिशत निर्माण। द्वितीय किश्त रु० 28 लाख आंगणित धनराशि के समेत 100 बेड कबल डेकर, गैस हॉल, रोड का 12.54 प्रतिशत निर्माण।	जिला प्रशिक्षण केंद्र, कश्मरसिंहनगर में बाउन्ड्रीवाल एवं बैंकिंग का निर्माण किया जा रहा है। केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, धानौ, देहरादून में 100 बेड कबल डेकर, गैस हॉल, रोड का निर्माण किया जा रहा है।	जिला प्रशिक्षण केंद्र, कश्मरसिंहनगर में बाउन्ड्रीवाल एवं बैंकिंग का निर्माण किये जाने से भवन की सुरक्षा व प्रशिक्षणार्थियों के फिटे पर्याय स्थान होगा। केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, धानौ, देहरादून में 100 बेड कबल डेकर, गैस हॉल, रोड के निर्माण से प्रशिक्षणार्थियों के फिटे पर्याय सुविधा उपलब्ध होगी।	01 वर्ष
	जिला कार्यालय, हरिद्वार में कार्यलय भवन का निर्माण	जिला कार्यालय, हरिद्वार में कार्यलय भवन का निर्माण	-	-	कुल आंगणित धनराशि 214.28 रु० में से प्रथम किश्त रु० 88 लाख आंगणित धनराशि के समेत कार्यलय भवन का 40.00 प्रतिशत निर्माण।	जिला कार्यालय, हरिद्वार में कार्यलय भवन का निर्माण किया जा रहा है।	जिला कार्यालय, हरिद्वार में कार्यलय भवन का निर्माण होने से कार्मिकों के बैठने हेतु पर्याय स्थान उपलब्ध होगा तथा सरकारी कामकाज को सुव्यवस्था रखा जा सकेगा। विभागीय भवन होने से विभाग की छवि में वृद्धि होगी।	01 वर्ष	

Center Aided Scheme
लेखा शीर्षक- 2070-00-107-होमगार्ड्स

1	04-मार्च सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रतिपूर्ति (25 प्रतिशत)	होमगार्ड्स विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के बैठने भत्ते का भुगतान, कार्यालयों के अधिष्ठान हेतु धन्य होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की प्रशिक्षण, वर्षीय आदि कार्य पर होने वाला व्यय सम्मिलित है।	1119.56	-	वित्तीय वर्ष 2018-19 में 370 होमगार्ड्स को 08 दिवसीय, 13 दिवसीय, एवं 30 दिवसीय तथा 38 अर्धदिवसीय अधिकारियों को 21 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। ड्यूटी के दौरान मृतक होमगार्ड्स को 18 अधिकारियों की भर्ती के उपरान्त 1002000, श्रीनगर/ कश्मरसिंहनगर एवं 1002000, धानौ देहरादून में प्रशिक्षण दिया गया।	वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल भर्ती किये गये 484 होमगार्ड्स के समेत जनपद चम्पारन-85, मौडी-109, टिहरी-42, लखप्रयाग-12 कुल 228 होमगार्ड्स तथा ड्यूटी के दौरान मृतक होमगार्ड्स को 17 अधिकारियों की भर्ती के उपरान्त 1002000, श्रीनगर/ कश्मरसिंहनगर एवं 1002000, धानौ देहरादून तथा 85 होमगार्ड्स को 08 दिवसीय पुनःप्रतिपूर्ति प्रशिक्षण दिया गया।	इस योजना से प्राप्त धनराशि से लगभग 600 होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को होमगार्ड्स स्वयं सेवकों समूह-समूह पर प्रशिक्षण प्रदान को प्रशिक्षण, 5000 किये जाने से उनकी कार्य होमगार्ड्स स्वयं सेवकों कुशलता में वृद्धि होती है हेतु वर्षीय आदि कार्य तथा विभागात्मक उनके मानसिक एवं होमगार्ड्स विभाग में शारीरिक पर्याय पर अच्छा कार्य 119 अधिकारियों प्रभाव पड़ता है जिससे वह एवं कार्मिकों के बैठने अपने कार्यवाही का कुशलता भत्ते का भुगतान किया पूर्वक निर्देशन करते हैं।	01 वर्ष
---	---	---	---------	---	---	--	---	---------

Handwritten signature and official stamp at the bottom right corner.

आउटकम / परफोरमेंस बजट 2020-21

नागरिक सुरक्षा विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस0डी0जी0...
धनराशि (₹0 लाख में)

क्र. सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/बजट 2020-21		01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की सम्पादित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020-21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020-21	समय सीमा
			राजस्व	मूजीगत					
अनुदान सं०-08 State Sector Scheme 2070-00-2070-00-आयोजनेतर-108-सिविल रक्षा									
1	0301 स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)	नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन भत्तों, अधिभोजन व्यय, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण स्वयं सेवकों के वर्दी आदि व्यय नर होने बाल व्यय सम्मिलित है।	97.90	-	इस योजना से प्राप्त धनराशि से 100 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 11 अधिकारी एवं कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान किया गया।	-	इस योजना से प्राप्त धनराशि से लगभग 200 नागरिक सुरक्षा स्वयं कार्मिकों तथा उनके स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण, 400 द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों नागरिक सुरक्षा के वर्डिंग का आयोजन किया जाता है तथा स्वयं सेवकों हेतु वर्दी अनदा के दौरान अमेकित सहयोग आदि व्यय एवं नागरिक प्रदान किया जाता है साथ ही सुरक्षा विभाग में कार्यरत नवदान कार्यकर्ताओं को भी संकुशल 11 अधिकारी एवं कार्मिकों सम्पादित किया जाता है के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है।	31 वर्ष	


 अधीक्षक, सिविल रक्षा विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग, दिल्ली

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप:-
होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्र. सं.	SDG संकेतक	01-04-2019 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31-03-2020 की स्मादिता स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) वर्ष 2020-21	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2020-21
1	05 SDG	—	Goal 5.5 empower all women and Girls empowerment के अन्तर्गत जनपद समीक्षा में 08 महिलायें नियमानुसार होमगार्ड्स विभाग में भर्ती किये गये।	—	Goal 5.5 empower all women and Girls empowerment के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में 18 महिला एवं जनपद देहरादून में 07 महिलायें को होमगार्ड्स विभाग में भर्ती किया जाया प्रस्तावित है।
2	16 SDG	—	Goal 16.6 Peace Justice and Institution के अन्तर्गत गृह विभाग को प्रदर्शित किया गया है होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग पुलिस एवं महारतन के साथ परीक्षा कर दो कार्य करता है।	—	Goal 16.6 Peace Justice and Institution के अन्तर्गत राज्य में लगभग 5000 होमगार्ड्स वर्ष भर तैनात रहते हैं। यह पुलिस, महारतन को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। उनको द्वारा पुलिस बल को सहाय्य शक्ति प्रदान करता है। अतः इन पुलिस बल को सहाय्य शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यकता है।


 उपर्युक्तप्रमाण, होमगार्ड्स एवं
 नागरिक सुरक्षा विभाग
 देहरादून, उत्तरांचल